खण्ड-449, अंक-10
बुधवार, 13 श्रावण, शक संवत् 1926
(4 अगस्त, 2004 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2004)

खण्ड 449 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2004

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय			पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य			ठ-थ
प्रश्नोत्तर			1-29
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएँ--			29-30
जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत भैसही नदी पर बने अधूरे पुल के निर्माण को पूर्ण कराकर आवागमन शुरु कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			30
जनपद फैजाबाद में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन पूरां बाजार का निर्माण कार्य पूर्ण करके चालू कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			30-31
जनपद मैनपुरी की चौकी कुसमरा थाना किशनी में पंजीकृत अपराध की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			
लखनऊ में बादशाहनगर कालोनी स्थित पार्क के अवैध कब्जे को हटवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			31
जनपद लखनऊ में प्रतिभा सिनेमा काम्पलेक्स में "प्रस्तुति आटो मोबाइल" नामक दुकान के मालिक द्वारा जनता के धन को हड़पे जाने की जाँच कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			31-32
जनपद लखीमपुर के कस्बा खीरी में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			32
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)			
जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सआदतगंज बाजार मेन रोड से सत्ती परफ्यूमर्स होते हुए केम्पवेल रोड तक मार्ग एवं नाली का जीर्णोद्धार कराने विषयक की पुरूषोत्तम पुरी अधिनिवासी जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका.....		(उपस्थित की गयी)	33
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)			33-35
वित्तीय वर्ष 2004-2005 की अनुपूरक अनुदानों की मॉगों पर मतदान अनुदान संख्या-02 आवास विभाग		(स्वीकृति)	35
अनुदान संख्या- 03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)		(स्वीकृत)	35
अनुदान संख्या- 04 उद्योग विभाग (खाने और खनिज)		(स्वीकृत)	35
अनुदान संख्या- 05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)		(स्वीकृत)	36
अनुदान संख्या- 06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)		(स्वीकृत)	36
अनुदान संख्या- 07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)		(स्वीकृत)	36
अनुदान संख्या- 08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)		(स्वीकृत)	36
अनुदान संख्या- 09 ऊर्जा विभाग		(स्वीकृत)	37
अनुदान संख्या- 10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)		(स्वीकृत)	37
अनुदान संख्या- 11 कृषि तथा सम्बद्ध विभाग (कृषि)		(स्वीकृत)	37
अनुदान संख्या- 12 कृषि अन्य सम्बद्ध (भूमि विकास एवं जल संसाधन)		(स्वीकृत)	37-38

विषय		पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या- 13 कृषि तथा सम्बन्द्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	(स्वीकृत)	38
अनुदान संख्या- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	(स्वीकृत)	38
अनुदान संख्या- 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	(स्वीकृत)	38
अनुदान संख्या- 16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	(स्वीकृत)	38-39
अनुदान संख्या- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	(स्वीकृत)	39
अनुदान संख्या- 18 कृषि तथा अन्य सम्बन्द्ध विभाग (सहकारिता)	(स्वीकृत)	39
अनुदान संख्या- 19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	(स्वीकृत)	39
अनुदान संख्या- 20 कार्मिक विभाग (लोक सेया आयोग)	(स्वीकृत)	39-40
अनुदान संख्या- 21 खाद्य तथा रसद विभाग	(स्वीकृत)	40
अनुदान संख्या- 22 खेल विभाग	(स्वीकृत)	40
अनुदान संख्या- 23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	(स्वीकृत)	40
अनुदान संख्या- 24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	(स्वीकृत)	41
अनुदान संख्या- 26 गृह विभाग (पुलिस)	(स्वीकृत)	41
अनुदान संख्या- 27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	(स्वीकृत)	41
अनुदान संख्या- 31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	(स्वीकृत)	41-42
अनुदान संख्या- 32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)	(स्वीकृत)	42
अनुदान संख्या- 33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं पुरानी चिकित्सा)	(स्वीकृत)	42
अनुदान संख्या- 35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	(स्वीकृत)	42
अनुदान संख्या- 36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	(स्वीकृत)	43
अनुदान संख्या- 37 नगर विकास विभाग	(स्वीकृत)	43
अनुदान संख्या 38 नागरिक उड्डयन विभाग	(स्वीकृत)	43
अनुदान संख्या- 40 नियोजन विभाग	(स्वीकृत)	43
अनुदान संख्या- 41 निर्वाचन विभाग	(स्वीकृत)	44
अनुदान संख्या- 42 न्याय विभाग	(स्वीकृत)	44
अनुदान संख्या- 43 परिवहन विकास	(स्वीकृत)	44
अनुदान संख्या- 44 पर्यटन विभाग	(स्वीकृत)	44-45
अनुदान संख्या- 47 प्राविधिक शिक्षा विभाग	(स्वीकृत)	45
अनुदान संख्या- 48 मुस्लिम वक्फ विभाग	(स्वीकृत)	45
अनुदान संख्या- 49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग	(स्वीकृत)	45
अनुदान संख्या- 50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	(स्वीकृत)	46
अनुदान संख्या- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बद्ध में राहत)	(स्वीकृत)	46
अनुदान संख्या- 52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	(स्वीकृत)	46
अनुदान संख्या- 55 लोक निर्माण विभाग (भवन)	(राजस्व)	46-47
अनुदान संख्या- 57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	(स्वीकृत)	47
अनुदान संख्या- 58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन- सड़के)	(स्वीकृत)	47
अनुदान संख्या- 59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	(स्वीकृत)	47
अनुदान संख्या- 60 वन विभाग	(स्वीकृत)	47-48

विषय		पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या- 61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	(स्वीकृत)	48
अनुदान संख्या- 62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	(स्वीकृत)	48
अनुदान संख्या- 63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	(स्वीकृत)	48
अनुदान संख्या- 65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	(स्वीकृत)	48-49
अनुदान संख्या- 67 विधान परिषद सचिवालय	(स्वीकृत)	49
अनुदान संख्या- 68 विधान सभा सचिवालय	(स्वीकृत)	49
अनुदान संख्या- 70 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	(स्वीकृत)	49
अनुदान संख्या- 71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	(स्वीकृत)	50
अनुदान संख्या- 72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	(स्वीकृत)	50
अनुदान संख्या- 73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	(स्वीकृत)	50
अनुदान संख्या- 76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	(स्वीकृत)	50-51
अनुदान संख्या- 77 श्रम विभाग (सेवा योजना)	(स्वीकृत)	51
अनुदान संख्या- 78 सचिवालय प्रशासन विभाग	(स्वीकृत)	51
अनुदान संख्या- 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	(स्वीकृत)	51
अनुदान संख्या- 80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	(स्वीकृत)	52
अनुदान संख्या- 81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	(स्वीकृत)	52
अनुदान संख्या- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	(स्वीकृत)	52
अनुदान संख्या- 86 सूचना विभाग	(स्वीकृत)	52-53
अनुदान संख्या- 88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	(स्वीकृत)	53
अनुदान संख्या- 89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर)	(स्वीकृत)	53
अनुदान संख्या- 90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	(स्वीकृत)	53
अनुदान संख्या- 91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	(स्वीकृत)	53-54
अनुदान संख्या- 92 संस्कृति विभाग	(स्वीकृत)	54
अनुदान संख्या- 93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	(स्वीकृत)	54
अनुदान संख्या- 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	(स्वीकृत)	54
उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 (पारित)		55-62
वित्तीय वर्ष 1983-84 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-1आबकारी विभाग	(जारी)	
वर्ष 1983-84 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों की धनराशि वर्तमान सत्र में स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न		63
वित्तीय वर्ष 1983-84 के अतिरिक्त अनुदानों की माँगों पर मतदान-अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग	(स्वीकृत)	63
अनुदान संख्या- 03 उद्योग विभाग (खाने तथा खनिज)	(स्वीकृत)	63-64
अनुदान संख्या- 05 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	(स्वीकृत)	64

विषय		पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या- 11 खाद्य तथा रसद विभाग	(स्वीकृत)	64
अनुदान संख्या- 14 गृह विभाग (कारागार)	(स्वीकृत)	64
अनुदान संख्या- 15 गृह विभाग (पुलिस)	(स्वीकृत)	65
अनुदान संख्या- 18 ग्राम्य विकास विभाग	(स्वीकृत)	65
अनुदान संख्या- 19 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	(स्वीकृत)	65
अनुदान संख्या- 21 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	(स्वीकृत)	65
अनुदान संख्या- 25 (नियुक्ति विभाग)	(स्वीकृत)	66
अनुदान संख्या- 29 न्याय विभाग	(स्वीकृत)	66
अनुदान संख्या- 32 पर्यटन विभाग	(स्वीकृत)	66
अनुदान संख्या- 34 पशुधन विभाग	(स्वीकृत)	66-67
अनुदान संख्या- 35 पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	(स्वीकृत)	67
अनुदान संख्या- 38 मत्स्य विभाग	(स्वीकृत)	67
अनुदान संख्या- 40 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	(स्वीकृत)	67
अनुदान संख्या- 56 शिक्षा विभाग	(स्वीकृत)	67-68
अनुदान संख्या- 57 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	(स्वीकृत)	68
अनुदान संख्या- 58 श्रम विभाग (सेवायोजन)	(स्वीकृत)	68
अनुदान संख्या- 61 संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	(स्वीकृत)	68
अनुदान संख्या- 63 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	(स्वीकृत)	69
अनुदान संख्या- 65 सतर्कता विभाग	(स्वीकृत)	69
अनुदान संख्या- 68 सांस्कृतिक विभाग	(स्वीकृत)	69
अनुदान संख्या- 70 सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग	(स्वीकृत)	69-70
अनुदान संख्या- 71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	(स्वीकृत)	70
अनुदान संख्या- 72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	(स्वीकृत)	70
अनुदान संख्या- 73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास-भवन)	(स्वीकृत)	70
अनुदान संख्या- 75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार)	(स्वीकृत)	71
अनुदान संख्या- 76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	(स्वीकृत)	71
अनुदान संख्या- 77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	(स्वीकृत)	71
अनुदान संख्या- 78 सूचना विभाग	(स्वीकृत)	71
अनुदान संख्या- 81 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	(स्वीकृत)	72
वित्तीय वर्ष 1984-85 के अतिरिक्त अनुदानों की मागों पर मतदान अनुदान संख्या-03		
उद्योग विभाग (खान और खनिज)	(स्वीकृत)	72
अनुदान संख्या- 06 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	(स्वीकृत)	72
अनुदान संख्या- 08 कार्मिक अनुभाग	(स्वीकृत)	72
अनुदान संख्या- 14 गृह विभाग (कारागार)	(स्वीकृत)	73
अनुभाग संख्या- 15 गृह विभाग (पुलिस)	(स्वीकृत)	73
अनुदान संख्या- 20 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	(स्वीकृत)	73
अनुदान संख्या- 24 नागरिक सुरक्षा विभाग	(स्वीकृत)	73

विषय		पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या- 25 नियुक्ति विभाग	(स्वीकृत)	74
अनुदान संख्या- 28 निर्वाचन विभाग	(सवीकृत)	74
अनुदान संख्या- 30 पंचायती राज विभाग	(स्वीकृत)	74
अनुदान विभाग- 40 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	(स्वीकृत)	74
अनुदान संख्या- 50 वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	(स्वीकृत)	75
अनुदान संख्या- 52 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	(स्वीकृत)	75
अनुदान संख्या- 54 विधान सभा सचिवालय	(स्वीकृत)	75
अनुदान संख्या- 56 शिक्षा विभाग	(स्वीकृत)	75-76
अनुदान संख्या- 60 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	(स्वीकृत)	76
अनुदान संख्या- 61 संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	(स्वीकृत)	76
अनुदान संख्या- 62संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	(स्वीकृत)	76
अनुदान संख्या- 63 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	(स्वीकृत)	76-77
अनुदान संख्या- 64 सचिवालय प्रशासन विभाग	(स्वीकृत)	77
अनुदान संख्या- 71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	(स्वीकृत)	77
अनुदान संख्या- 72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिय भवन)	(स्वीकृत)	77
अनुदान संख्या- 73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास-भवन)	(स्वीकृत)	78
अनुदान संख्या- 74 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	(स्वीकृत)	78
अनुदान संख्या- 75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	(स्वीकृत)	78
अनुदान संख्या- 76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	(स्वीकृत)	78-79
अनुदान संख्या- 77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	(स्वीकृत)	79
अनुदान संख्या- 78 सूचना विभाग	(स्वीकृत)	79
वित्तीय वर्ष 1985-1986 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या- 7		
उर्जा विभाग	(स्वीकृत)	79
अनुदान संख्या- 9 कृषि विभाग (औद्योगिक विकास)	(स्वीकृत)	80
अनुदान संख्या- 12 गन्ना विकास विभाग	(स्वीकृत)	80
अनुदान संख्या- 13 गन्ना विकास (चीनी उद्योग)	(स्वीकृत)	80
अनुदान संख्या- 14 गृह विभाग (कारागार)	(स्वीकृत)	80-81
अनुदान संख्या- 20 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	(स्वीकृत)	81
अनुदान संख्या- 27 निर्यात प्रोत्साहन विभाग	(स्वीकृत)	81
अनुदान संख्या- 31 परिवहन विभाग	(स्वीकृत)	81
अनुदान संख्या- 32 पर्यटन विभाग	(स्वीकृत)	81
अनुदान संख्या- 34 पशुधन विभाग	(स्वीकृत)	81-82
अनुदान संख्या- 37 प्रविधिक शिक्षा विभाग	(सवीकृत)	82
अनुदान संख्या- 41 राजस्व विभाग (देवी आपदाओं के कारण सहायता)	(स्वीकृत)	82
अनुदान संख्या- 46 वन विभाग	(स्वीकृत)	83
अनुदान संख्या- 56 शिक्षा विभाग	(स्वीकृत)	83
अनुदान संख्या- 62 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	(स्वीकृत)	83
अनुदान संख्या- 63 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प तथा पंजीकरण)	(स्वीकृत)	83

विषय		पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या- 64 सचिवालय प्रशासन विभाग	(स्वीकृत)	84
अनुदान संख्या- 70 सार्वजनिक उद्यम विभाग	(स्वीकृत)	84
अनुदान संख्या- 71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	(स्वीकृत)	84
अनुदान संख्या- 72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन)	(स्वीकृत)	84-85
अनुदान संख्या- 73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)	(स्वीकृत)	85
अनुदान संख्या- 74 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	(स्वीकृत)	85
अनुदान संख्या- 75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार)	(स्वीकृत)	85
अनुदान संख्या- 76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	(स्वीकृत)	86
अनुदान संख्या- 77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	(स्वीकृत)	86
वित्तीय वर्ष 1986-87 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर		
मतदान अनुदान संख्या- 5 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	(स्वीकृत)	86
अनुदान संख्या- 8 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	(स्वीकृत)	86-87
अनुदान संख्या- 14 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायतीराज)	(स्वीकृत)	87
अनुदान संख्या- 16 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	(स्वीकृत)	87
अनुदान संख्या- 22 खाद एवं रसद विभाग	(स्वीकृत)	87
अनुदान संख्या- 33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	(स्वीकृत)	88
अनुदान संख्या- 36 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	(स्वीकृत)	88
अनुदान संख्या- 37 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	(स्वीकृत)	88
अनुदान संख्या- 38 सिविल विमानन विभाग	(स्वीकृत)	88-89
अनुदान संख्या- 46 प्राविधिक शिक्षा विभाग	(स्वीकृत)	89
अनुदान संख्या- 48 मुस्लिम वक्फ विभाग	(स्वीकृत)	89
अनुदान संख्या- 50 राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के लिए सहायता)	(स्वीकृत)	89
अनुदान संख्या- 60 विधान परिषद सचिवालय	(स्वीकृत)	89-90
अनुदान संख्या- 63 विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	(स्वीकृत)	90
अनुदान संख्या- 66 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	(स्वीकृत)	90
अनुदान संख्या- 69 श्रम कल्याण (श्रम कल्याण)	(स्वीकृत)	90
अनुदान संख्या- 71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	(स्वीकृत)	91
अनुदान संख्या- 72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन)	(स्वीकृत)	91
अनुदान संख्या- 73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)	(स्वीकृत)	91
अनुदान संख्या- 74 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	(स्वीकृत)	91-92
अनुदान संख्या- 75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	(स्वीकृत)	92
अनुदान संख्या- 76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	(स्वीकृत)	92
अनुदान संख्या- 77 सिचाई विभाग (निर्माण)	(स्वीकृत)	92
अनुदान संख्या- 80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन एवं बाजीकर)	(स्वीकृत)	93
अनुदान संख्या- 81 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	(स्वीकृत)	93
अनुदान संख्या- 84 सहायता एवं पुनर्वास विभाग	(स्वीकृत)	93
अनुदान संख्या- 89 सैनिक कल्याण विभाग	(स्वीकृत)	93-94
वित्तीय वर्ष 1987-88 के अतिरिक्त अनुदानों की मागों पर		
मतदान, अनुदान संख्या- 1 आबकारी विभाग	(स्वीकृत)	94

विषय		पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या- 4 उद्योग विभाग (खाने और खनिज)	(स्वीकृत)	94
अनुदान संख्या- 12 कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	(स्वीकृत)	94
अनुदान संख्या- 25 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	(स्वीकृत)	95
अनुदान संख्या- 33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	(स्वीकृत)	95
अनुदान संख्या- 36 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	(स्वीकृत)	95
अनुदान संख्या- 37 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	(स्वीकृत)	95-96
अनुदान संख्या- 46 प्राविधिक शिक्षा विभाग	(स्वीकृत)	96
अनुदान संख्या- 50 राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत)	(स्वीकृत)	96
अनुदान संख्या- 53 वन विभाग	(स्वीकृत)	96
अनुदान संख्या- 55 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	(स्वीकृत)	96-97
अनुदान संख्या- 56 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	(स्वीकृत)	97
अनुदान संख्या- 59 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	(स्वीकृत)	97
अनुदान संख्या- 63 विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	(स्वीकृत)	97
अनुदान संख्या- 65 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	(स्वीकृत)	98
अनुदान संख्या- 68 शिक्षा विभाग (राजकीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	(स्वीकृत)	98
अनुदान संख्या- 71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	(स्वीकृत)	98
अनुदान संख्या- 72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन)	(स्वीकृत)	98-99
अनुदान संख्या- 73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	(स्वीकृत)	99
अनुदान संख्या- 75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	(स्वीकृत)	99
अनुदान संख्या- 76 सिचाई विभाग (अधिष्ठान)	(स्वीकृत)	99
अनुदान संख्या- 77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	(स्वीकृत)	100
अनुदान संख्या- 80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा पवनकर)	(स्वीकृत)	100
अनुदान संख्या- 82 सचिवालय प्रशासन विभाग	(स्वीकृत)	100
अनुदान संख्या- 87 सार्वजनिक उद्यम विभाग	(स्वीकृत)	100-101
अनुदान संख्या- 88 सूचना विभाग	(स्वीकृत)	101
अनुदान संख्या- 89 सैनिक कल्याण विभाग	(स्वीकृत)	101
अनुदान संख्या- 92 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (आदिवासी कल्याण)	(स्वीकृत)	101
वित्तीय वर्ष 1988-89 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान		
अनुदान संख्या-02 आवास एवं नगर विकास विभाग (आवास)	(स्वीकृत)	102
अनुदान संख्या- 07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	(स्वीकृत)	102
अनुदान संख्या- 15 कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पशुधन)	(स्वीकृत)	102
अनुदान संख्या- 16 कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (दुग्ध विकास)	(स्वीकृत)	102-103
अनुदान संख्या- 27 गृह विभाग (पुलिस)	(स्वीकृत)	103
अनुदान संख्या- 28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय)	(स्वीकृत)	103
अनुदान संख्या- 32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	(स्वीकृत)	103
अनुदान संख्या- 33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	(स्वीकृत)	103-104

विषय		पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या- 34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	(स्वीकृत)	104
अनुदान संख्या- 35 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	(स्वीकृत)	104
अनुदान संख्या- 36 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	(स्वीकृत)	104
अनुदान संख्या- 37 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	(स्वीकृत)	105
अनुदान संख्या- 42 न्याय विभाग	(स्वीकृत)	105
अनुदान संख्या- 43 परिवहन विभाग	(स्वीकृत)	105
अनुदान संख्या- 44 पर्यटन विभाग	(स्वीकृत)	105-106
अनुदान संख्या- 47 पर्वतीय विकास विभाग	(स्वीकृत)	106
अनुदान संख्या- 48 मुस्लिम वक्फ विभाग	(स्वीकृत)	106
अनुदान संख्या- 53 वन विभाग	(स्वीकृत)	106
अनुदान संख्या- 55 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	(स्वीकृत)	107
अनुदान संख्या- 59 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	(स्वीकृत)	107
अनुदान संख्या- 63 विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	(स्वीकृत)	107
अनुदान संख्या- 70 श्रम विभाग (सेवायोजन)	(स्वीकृत)	107
अनुदान संख्या- 71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (स्थापना)	(स्वीकृत)	108
अनुदान संख्या- 72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन)	(स्वीकृत)	108
अनुदान संख्या- 73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)	(स्वीकृत)	108
अनुदान संख्या- 74 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	(स्वीकृत)	108-109
अनुदान संख्या- 75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार)	(स्वीकृत)	109
अनुदान संख्या- 76 सिंचाई विभाग (स्थापना)	(स्वीकृत)	109
अनुदान संख्या- 77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	(स्वीकृत)	109
अनुदान संख्या- 79 संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	(स्वीकृत)	110
अनुदान संख्या- 80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	(स्वीकृत)	110
अनुदान संख्या- 81 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	(स्वीकृत)	110
अनुदान संख्या- 89 सैनिक कल्याण विभाग	(स्वीकृत)	110-111
अनुदान संख्या- 92 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	(स्वीकृत)	111
वित्तीय वर्ष 1989-90 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-8		
उद्योग विभाग (लेखन सामग्री एवं मुद्रण)	(स्वीकृत)	111
अनुदान संख्या- 9 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	(स्वीकृत)	111
अनुदान संख्या- 11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक विकास)	(स्वीकृत)	111-112
अनुदान संख्या- 13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	(स्वीकृत)	112
अनुदान संख्या- 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	(स्वीकृत)	112
अनुदान संख्या- 16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	(स्वीकृत)	112
अनुदान संख्या- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	(स्वीकृत)	113
अनुदान संख्या- 20 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	(स्वीकृत)	113
अनुदान संख्या- 22 खाद्य तथा रसद विभाग	(स्वीकृत)	113
अनुदान संख्या- 24 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	(स्वीकृत)	113-114

विषय		पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या- 26 गृह विभाग (कारागार)	(स्वीकृत)	114
अनुदान सख्या- 27 गृह विभाग (पुलिस)	(स्वीकृत)	114
अनुदान संख्या- 28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	(स्वीकृत)	114
अनुदान संख्या- 29 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	(स्वीकृत)	115
अनुदान संख्या- 36 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	(स्वीकृत)	115
अनुदान संख्या- 42 न्याय विभाग	(स्वीकृत)	115
अनुदान संख्या- 43 परिवहन विभाग	(स्वीकृत)	115
अनुदान संख्या- 44 पर्यटन विभाग	(स्वीकृत)	116
अनुदान संख्या- 45 प्रशासनिक सुधार विभाग	(स्वीकृत)	116
अनुदान संख्या- 48 मुस्लिम वक्फ विभाग	(स्वीकृत)	116
अनुदान संख्या- 49 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	(स्वीकृत)	116-117
अनुदान संख्या- 51 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	(स्वीकृत)	117
अनुदान संख्या- 57 वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	(स्वीकृत)	117
अनुदान संख्या- 59 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	(स्वीकृत)	117
अनुदान संख्या- 65 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	(स्वीकृत)	118
अनुदान संख्या- 69 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	(स्वीकृत)	118
अनुदान संख्या- 70 श्रम विभाग (सेवायोजन)	(स्वीकृत)	118
अनुदान संख्या- 71 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	(स्वीकृत)	118
अनुदान संख्या- 72 लोक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन)	(स्वीकृत)	119
अनुदान संख्या- 73 लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)	(स्वीकृत)	119
अनुदान संख्या- 75 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	(स्वीकृत)	119
अनुदान संख्या- 76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	(स्वीकृत)	119-120
अनुदान संख्या- 77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	(स्वीकृत)	120
अनुदान संख्या- 79 संस्थागत वित्त विभाग (विक्रीकर)	(स्वीकृत)	120
अनुदान संख्या- 80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	(स्वीकृत)	120
अनुदान संख्या- 81 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	(स्वीकृत)	121
अनुदान संख्या- 82 सचिवालय प्रशासन विभाग	(स्वीकृत)	121
अनुदान संख्या- 88 सूचना विभाग	(स्वीकृत)	121
अनुदान संख्या- 92 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	(स्वीकृत)	121-122
उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2004 (पारित)		122-148
प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लाल जी टण्डन, श्री श्यामदेवराय चौधरी आदि द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दो घण्टे की चर्चा तथा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री लाल जी टण्डन, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत 2 घण्टे की चर्चा पर श्री अध्यक्ष द्वारा समेकित चर्चा कराये जाने के सम्बन्ध में सदन को दी गई सूचना		148-150

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली संकट तथा बिगडती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-52 के अन्तर्गत समेकित चर्चा (जारी)	150-157
नियम-52 के अन्तर्गत स्वीकार चर्चा में सूचनादाताओं को पहले सुने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	157-160
प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली संकट तथा बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-52 के अन्तर्गत समेकित चर्चा	160-196
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	196-198
मृतक आश्रित को पेंशन आदि का भुगतान व आश्रित कोटे के तहत नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य	198-199
श्री रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री महात्मा सिंह सहायक अध्यापक, नेहरु इण्टर कालेज रतनपुरा, जनपद मऊ को उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अवशेष का भुगतान न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री के वक्तव्य का स्थगन	199
जनपद आगरा में सार्वजनिक स्थानों मन्दिरों, स्कूलों के पास बिना लाइसेन्स के खुले रूप से चल रही मांस की दुकानों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	199-201
जनपद गाजियाबाद में गढ मुक्तेश्वर गंगा नदी घाट पर सुरक्षा हेतु नाविक तथा मोटर वोट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का वक्तव्य	201
जनपद सोनभद्र में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद बालू खनन का पट्टा वन विभाग के पक्ष में गलत ढंग से कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र विन्द द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री के वक्तव्य का स्थगन	201
प्रदेश में ईट भट्ठा उद्योग को कच्चा माल कोयला की आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य	201-203
कानपुर महानगर के विकास हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित विशेष पैकेज को दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य	203
जनपद जालौन के कालपी-मदरालालपुर सूर्य मंदिर सम्पर्क मार्ग के निर्माण की आवंटित धनराशि अन्य मद में खर्च कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	203-204
नत्थियां	205-216

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

दिनांक 4 अगस्त, 2004

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-357

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद	अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर	अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अजय कुमार, डा0	बागपत	अरविन्द कुमार सिंह	
अजय राय, श्री	वाराणसी	उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अजीम् भाई, श्री	फिरोजाबाद	अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अताउल रहमान, श्री	बरेली	अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अनवर महमूद श्री,	बलरामपुर	अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा	अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर	अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर	अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोइ	अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव	एटा	अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	आदित्य विक्रम सिंह	
अनीस अहमद खां उर्फ		(बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
फूलबाबू, श्री	पीलीभीत	आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
अनुग्रह नारायण उर्फ		आर0एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
खोखा सिंह, श्री	देवरिया	आर0के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती	आर0के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद	आलम बदी, श्री	आजमगढ़
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर	आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
अब्बास अली जैदी उर्फ		आशीष यादव, श्री	बदायूं
रुशदी मियां, श्री	बाराबंकी	आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
अमरमणि, श्री	महराजगंज	इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
अमर सिंह यादव पुत्र		इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस	इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर	इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद

उदयराज यादव, श्री	उन्नाव	गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर	घूरा राम, श्री	बलिया
ओंकारमवेश, स्वामी	बिजनौर	चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं	चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर	चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर	चितरंजन स्वरुप, श्री	मुजफ्फरनगर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	छेदी राम, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर	छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
कपिल देव यादव, श्री	मऊ	जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर	जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात	जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
कमाल युसूफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर	जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज	जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया	जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर	जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
किरन पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर	जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
किशन लाल बघेल, सेठ श्री	आगरा	जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर	जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव	जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई	जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
		जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर	जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर	जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
कैलाश, श्री	गाजीपुर	तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर	ददू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर	दयाराम, श्री	कौशाम्बी
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत	दैया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
कौशल किशोर, श्री	खीरी	दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थ नगर
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ	दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा	दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव	दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई		

दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर,श्री	महराजगंज
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला)	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू राम, एम0काम0, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल, चौधरी	आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
विजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुकुट बिहारी, वर्मा, श्री	बहराइच
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश कान्त लवानिया, श्री	आगरा
रमेश चन्द बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम बाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबा फूले नगर

रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस ख़ुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद · ाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला "भगत राजा", श्री	ललितपुर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्रनाथ त्रिपाटी, श्री	संत रविदास नगर भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कु0	मुरादाबाद
सलिल बिशनोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव

सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	सोमारु राम सरोज, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा0	बांदा	सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सुरेश कुमार खन्ना,श्री	शाहजहांपुर	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"	वाराणसी
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सुल्तान बेग, श्री	बरेली	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशह
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा		

नोट :- उक्त के अतिरिक्त श्री अहमद हसन, परिवार कल्याण मंत्री, श्री बनवारी सिंह यादव, प्रोटोकॉल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पति राज्यमंत्री, श्री राम आसरे विश्वकर्मा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री एवं श्री अजीत कुमार राजू, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य फाउण्डेशन का गठन

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

*1 -- क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए लोगों से निवेश प्राप्त करने हेतु "स्वास्थ्य फाउण्डेशन" के गठन का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

जी हॉ।

स्वास्थ्य फाउण्डेशन के गठन से सम्बन्धित शासनादेश की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 205 पर।)

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि जो हमारे प्रदेश के बहुसंख्यक आबादी है, वह गॉव में बसती है और ग्रामीण अंचलों में सभी चीजों के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं की भी बहुत कमी है। जो सरकारी अस्पताल है उनकी क्या दशा है, अभी चर्चा में यह बात आयी थी ? वहॉ पर डाक्टर नहीं मिलते है, दवाइयॉ नहीं मिलती है, चिकित्सा सुविधा की नितान्त कमी है। हम लोगों को इसके उत्तर के साथ में एक शासनादेश दिया गया है, उसमें हैडिंग में लिखा है कि उ0प्र0 के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के उन्नयन हेतु अप्रवासी भारतीय तथा प्रदेश से जुड़े देश के अन्य भागों में निवास करने वाले इच्छुक नागरिकों से निवेश प्राप्त करने हेतु 'स्वास्थ्य फाउण्डेशन' का गठन। यह इसका मूल उद्देश्य है। तो मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में ग्रामीण अंचलों की स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध है वह नि:शुल्क है, दवाएं सरकार की ओर से दी गयी है। यह अलग बात है कि उसका लाभ उन तक नहीं पहुंचता है। तो इन परिस्थितियों के मद्देनजर यह 'स्वास्थ्य फाउण्डेशन' का कार्य और विस्तार ग्रामीण अंचलों में किया जा रहा है। यदि हॉ, तो जो गरीब लोग है उनको स्वास्थ्य संबंधी सेवा उपलब्ध होनी चाहिए वह नि:शुल्क करायी जायेगी या सशुल्क, दूसरा मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसके अंश-2 में बताया गया है .....

श्री अध्यक्ष-

पहले, पहले वाले का उत्तर आ जाने दीजिये।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, 'स्वास्थ्य फाउण्डेशन' के गठन का मूल उद्देश्य यह था कि उत्तर प्रदेश और देश के बाहर रहने वाले एन0आर0आई0 हैं वे लोग स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सीय सेवा में अपना सहयोग करना चाहते थे अपना योगदान करना चाहते थे उसके अन्तर्गत यह व्यवस्था यानि फाउण्डेशन के गठन का निर्णय लिया गया है और खासतौर से जो आपका सवाल है, तो इसमें जो लोग धन राशि देंगे वह दान स्वरुप देंगे, जितनी भी धनराशि कोई भी डोनेट करना चाहता हो कर सकता है और उस धनराशि का पैकेज हम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य फाउण्डेशन राजकीय क्षेत्र से पृथक एक स्वायत्तशासी संस्था होगी। अप्रवासी भारतीय एवं प्रदेश से जुड़े देश के अन्य भागों में निवास करने वाले इच्छुक नागरिकों से ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश प्राप्त करने हेतु इसका गठन किया गया है, और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह सुविधा

उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत कई स्वास्थ्य सेवा परियोजनायें वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित की जा रही हैं जैसे- हैण्डपम्प के द्वारा स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना, कैटेरैक्ट सर्जरी (फैको पद्धति द्वारा) का वित्त पोषण, विकलांग व्यक्तियों हेतु उपयोगी उपकरण एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध कराना, सरकार द्वारा अस्पताल में एक वेड को समस्त सुविधाओं सहित एक माह हेतु प्रायोजित किया जाना, ग्रामीण चिकित्सालय की स्थापना (एक वर्ष तक संचालन लागत सहित), मोबाइल क्लीनिक (स्थापना एवं एक वर्ष की संचालन लागत सहित) अस्पताल में एक माह हेतु डिस्पोजेबिल सुईयों की आपूर्ति सुनिश्चित कराना, एड्स पीड़ित मरीजों के चिकित्सा व्यय का वित्त पोषण, टी0बी0, कुष्ठ, अंधता निवारण, बच्चों का टीकाकरण, हेपेटाइटिस बी/ जापानीज इन्सेफलाइटिस/अन्य हेतु कारपस निधि की स्थापना कर कार्यक्रम का संचालन किया जाना आदि है। इस तरह से मान्यवर इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, मलिन बस्तियों में रहने वाले, गरीब लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करा कर उन्हें लाभ पहुंचाना है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा बाद में दिए गए उत्तर से यह स्पष्ट हो गया कि यह लाभकारी योजना है और इसकी जो फण्डिंग होगी वह सारी जो प्रवासी भारतीय है या देश या प्रदेश के अन्दर के जो लोग स्वैच्छिक रूप से धन देना चाहते है वह इसको देंगे, लेकिन जो हमने प्रश्न किया था, उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जो कहा उससे स्पष्ट है कि यह सारी सुविधाएं जो है ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए है और नि:शुल्क भी हैं जो एक अच्छा कार्य है. लेकिन आगे बताया गया है कि यह पृथक स्वायत्तशासी संस्था होगी, इसका अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति होगा, इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र से दो विख्यात व्यक्ति, उद्योग एवं सामाजिक सक्षेत्र से दो विख्यात व्यक्ति तथा अप्रवासी भारतीयों के दो प्रतिनिधि सदस्य के रुप में सम्मिलित किये जायेंगे तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि इसमें कौन-कौन से कार्य अभी तक पूरे हुए हैं और कौन-कौन व्यक्ति नामित किए गए हैं, वह भी बता दें, इसी के साथ मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि एक लोकप्रिय व्यक्ति को इसमें ब्राण्ड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो इसके लिए किस व्यक्ति का चयन किया गया है? यह भी आप बताने की कृपा करें।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, 13 जनवरी, 2004 की कैबिनेट बैठक में अनुमोदनोपरान्त उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-212/5-102004-4(138)/03 दिनांक 23 जनवरी, 2004 द्वारा उ0प्र0 स्वास्थ्य फाउण्डेशन के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी। शासन द्वारा उ0प्र0 स्वास्थ्य फाउण्डेशन के 07 सदस्यों का नामांकन किया गया एवं श्री प्रताप रेड्डी, चेयरमैन अपोलो ग्रुप को स्वास्थ्य फाउण्डेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही साथ छ: लोगों को जिसमें मुख्य सचिव, उ0प्र0 उपाध्यक्ष होंगे, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सदस्य होंगे, श्री ओ0पी0 श्रीवास्तव, सहारा ग्रुप-सदस्य होंगे, डा0 अतुल कपूर, रीजेन्सी हॉस्पिटल, कानपुर यह भी सदस्य होंगे। श्री किरन चोपड़ा, अध्यक्ष, सी0आई0आई0 सदस्य है, तथा अधिशासी निदेशक, सिफ्सा इसके अधिशासी सचिव है।

जहां तक ब्राण्ड अम्बेसडर नियुक्त करने की बात है वह प्रकरण विचाराधीन है यह नाम शीघ्र ही नामित होकर आपके सामने आ जायेगा.....

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, जो अभी स्वास्थ्य फाउण्डेशन के बारे में बताया गया है, उसमें बड़े-बड़े लोग हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में वे लोग बात करेंगे। आपका कहना यह है कि

जो भी कार्य करें वह ईमानदारी के साथ करें। आपका कहना यह है कि इस फाउण्डेशन के गठन से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी लेकिन आप देखें कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है या होम्योपैथिक की स्वास्थ्य सेवाएं है इनमें डाक्टर और कम्पाउण्डर वहाँ रहते नहीं है तो उनकी भी व्यवस्था ठीक हो ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।

श्री राम इकवाल सिंह-

मान्यवर, जो स्वास्थ्य फाउण्डेशन का गठन हुआ है इसमें मरीज किस प्रक्रिया के तहत अपना प्रार्थना पत्र देकर सुविधा प्राप्त कर सकते है। इसका उद्देश्य काफी उत्तम लग रहा है इसमें आपका सहयोग अप्रवासी भारतीय और बड़े बड़े उद्योगपति तथा देशी उद्योगपति करेंगे और यह लोग मैनेजमेंट भी करेंगे। मेरा जानना यह है कि इसमें गरीव मरीज कैसे सुविधा प्राप्त करेंगे?

श्री जयवीर सिंह -

मान्यवर, जैसा कि मैंने वताया है कि जो प्रदेश के वाहर देश के बड़े लोग हैं एनआरआई है. उनको उससे आमंत्रित किया गया है। इससे वडे बड़े उद्योगपति और पूंजीपति जो डोनेशन करना चाहते हैं, वह उसमें सहयोग करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मरीजों को उसका लाभ कैसे मिलेगा ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, यह जो सरकारी अस्पताल हैं उन्हीं को उच्चीकृत करने के लिए उनमें वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए उसके माध्यम से सहयोग देंगे। उसके माध्यम से वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी होगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्वन्धित है आपने कहा है कि आप कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं करने जा रहे हैं वल्कि जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है उसी को मजवूत करने की बात है। अगर उसी व्यवस्था को मजवूत करने की बात है, तो जो व्यवस्था सरकार द्वारा संचालित है उससे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अतिरिक्त डाक्टरों की नियुक्तियां करने जा रहे है या जो डाक्टर पहले से काम कर रहे है उन्हीं से काम लिया जायेगा? मान्यवर, यह सर्वविदित है कि वहां डाक्टर नही है और दूसरा स्टाफ भी नहीं है। तो क्या इस फाउंडेशन के माध्यम से नये चिकित्सकों की भर्ती करेंगे। अगर हॉ, तो क्या उसके लिए कोई कार्य योजना वनाई गयी है?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो सवाल किया है कि डाक्टर नहीं है तो चूंकि पूर्व सरकारों में ऐसा रहा था कुछ जनपद जो महानगर थे लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर या अन्य जो महानगर थे उसमें आपकी सरकार में स्वीकृत डाक्टरों की संख्या के डेढ़ गुने दोगुने डाक्टर थे और ग्रामीण क्षेत्र डाक्टर विहीन थे वहाँ 18-20 प्रतिशत डाक्टर थे लेकिन हमारी सरकार ने पहली वार यह प्रयास किया कि पूरे प्रदेश में....

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, उत्तर दिलवा दें।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, सुन तो लीजिए, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। मान्यवर, आपकी सरकारों में डेढ़ गुने दोगुने डाक्टर वहाँ थे महानगरों में जो आप बड़े लोगों की बात करते है, और ग्रामीण अंचलों में जहाँ गरीब लोगों को चिकित्सा

सुविधा मिलनी चाहिए थी वहां आपने सारे डाक्टरों को शून्य कर दिया था। अब हमारी सरकार ने पहली बार यह प्रयास किया है कि एकरूपता के साथ पूरे प्रदेश में डाक्टरों की नियुक्तियां करने का काम किया है। नितान्त देहात के जो हास्पिटल थे उनमें डाक्टरों को तैनात करने का काम किया है और पहली बार नई पीएचसी सीएससी और जिला अस्पताल तक ऐसा कोई चिकित्सालय नहीं है जहाँ दवा न हो और डाक्टर न हो। पहले आपके जमाने में दवाई की कमी रही होगी। हमारे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एक महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि पर्चे का मूल्य 8 रूपये से घटाकर एक रूपये करने का काम किया है जिसका परिणाम यह हुआ कि मरीजों की संख्या में कई गुना की बढ़ोत्तरी हुई और उन सारे मरीजों को नि:शुल्क दवाई देने का काम इस सरकार ने किया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर आप उत्तर दिलवा दें।

श्री जयवीर सिंह-

आप जो पूंछ रहे है वही मैं जवाव दे रहा हूँ। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पहली बार डाक्टरों की एकरूपता करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए यह सरकार दृढ़ संकल्प है हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव के पारिवारिक डाक्टर को भी हटना पड़ा है उनसे कहा गया कि आपका ट्रान्सफर 10 साल के स्थानान्तरण नीति के तहत हुआ है और आप रिलीव होकर अपने तैनानी के स्थान पर चले जाइये। हम आपको भरोसा दिलाते है कि कई गुना मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी के बावजूद पूरे प्रदेश में नि:शुल्क दवाई हर जगह पहुंच रही है और हमने निर्देश दिया है कि कोई डाक्टर किसी भी पीएचसी सीएससी का प्राइवेट दवा खरीदने की स्लिप वनाता है, प्रिसक्रिप्शन लिखता है तो उसको दंडित करने का काम करेंगे। हमने पूरे प्रदेश में कह दिया कि मुख्यालय पर पीएचसी सीएचसी पर डाक्टर निवास करेंगे वहीं विश्राम करेंगे, 24 घंटे मरीजों की सेवा में तत्पर रहकर काम करेंगे। अगर कहीं कोई बात हो तो बता दीजिए आप इससे घवराकर ऐसी बात कर रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

....शहर से भेजा हो, कहीं से भेजा हो। मैं जानकारी यह चाहता हूँ कि जितनी हमारे डाक्टरों की अधिकृत संख्या है, उतने डाक्टर्स नियुक्त नहीं है। मैं उस कमी को पूरा करने के लिये पूछ रहा हूँ। मैं कोई आरोप लगाने के लिये नही पूछ रहा हूँ। अगर इतना आश्वस्त आप हो गये हैं कि हर पीएचसी और सीएचसी में डाक्टर्स की व्यवस्था कर दी है, तो ठीक है, अन्यथा कृपा करके इतना वता दें कि कुल अधिकृत डाक्टरों की संख्या कितनी है, उसके सापेक्ष आपने कितनी नियुक्तियाँ की हैं?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, जो संसाधन डाक्टर्स के रुप में उपलब्ध हैं, आपका कहना सही है कि डाक्टरों की कमी है, लेकिन जो डाक्टर्स कम हैं, उन डाक्टर्स को कान्ट्रेक्ट वेस पर रखने के लिये प्रस्ताव कैबिनेट में विचाराधीन है, प्रस्ताव वन रहा है और हम डाक्टर्स की प्रतिपूर्ति करेंगे। यह सरकार इस वात के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और 100 प्रतिशत डाक्टरों की प्रतिपूर्ति करेगी।

प्रदेश में पोलियो ड्राप पिलाये जाने के उपरान्त पोलियो हो जाने तथा निवारण की योजना

श्रीमती विमला राकेश-

*2- क्या सरकार वताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में वच्चों को पोलियो ड्राप पिलाये जाने के उपरान्त भी वर्ष 2000 से 15 नवम्वर, 2003 तक पोलियो हो जाने के कितने मामले प्रकाश में आये हैं? सरकार इसके

निवारण हेतु कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

वर्ष 2000 से 15 नवम्बर, 2003 तक उत्तर प्रदेश में कुल 1718 पोलियो के मामले प्रकाश में आए जिनमें से 1133 पोलियो के रोगी ऐसे थे जिन्हें 03 अथवा उससे अधिक बार पोलियो ड्राप पिलाये गये।

जी हॉ।

पोलियो निवारण हेतु सरकार ने वर्ष 2004 में सघन पल्स पोलियो अभियान चलाये जाने की योजना बनाई है जिसमें चार चरण सफलतापूर्वक समाप्त हो चुके हैं। अभियान के आगामी चरणों की तिथियां 10 अक्टूबर तथा 21 नवम्बर, 2004 प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रदेश में माप-अप टीकाकरण अभियान के दो चरण 04 जुलाई तथा 22 अगस्त, 2004 को आयोजित किये जाने के निर्देश मिले हैं, जिसके क्रम में 4 जुलाई, 04 को प्रथम चरण आयोजित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

(माननीय मंत्री जी द्वारा पढ़ा गया परन्तु प्रश्नकर्ता ने अनुपूक प्रश्न नहीं किया।)

प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या के रोकथाम हेतु विशेष कार्य-योजना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

*3- क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई विशेष कार्य योजना तैयार की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यो?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हॉ।

प्रदेश की बढ़ती आबादी को नियन्त्रित करने हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार परिसीमन की स्थायी तथा अस्थायी विधियों की सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ-साथ अप्रैल, 1998 से प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत लोगों को उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं एवं अभिरूचि के अनुरूप ग्राहकपूरक गुणवत्ता परक सेवायें निकटतम स्वास्थ्य केन्द्रों से प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्षजी आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रदश में जिस तरह जनसंख्या बढ रही है, उस हिसाब से न हम उन्हें सरकारी नौकरी दे पायेंगे और न रोजगार दे पायेंगे, इसके साथ ही समस्त ससाधन कम पड़ जायेंगे। इस जनसंख्या को रोकने के लिए माननीय मंत्री जी कोई घोषणा करेगें। जिसके 2-3 बच्चे हो, उसको सरकारी नौकरी देने पर विचार करेंगे ताकि जिसके ज्यादा बच्चे हो, वह यह महसूस करें कि 2-3 बच्चे ही हों, इससे आटोमेटिक आबादी कम हो जायेगी और विकास कार्य बढ़ेगा तो क्या इस तरह की कोई प्रोत्साहन योजना की घोषणा करेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खॉं-

मान्यवर, अभी तो ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। यह चीजें किसी दबाव से नहीं मनवाई जा सकतीं। दबाव के नतीजे हम 1975 की इमरजेन्सी में देख चुके हैं। लोगों को तैयार करने और प्रशिक्षित करने के अलावा और कोई रास्ते नहीं हैं।

.... आम तौर पर यह देखा गया है कि ज्यादा बच्चे उन लोगों के होते हैं, जहां शिक्षा की कमी होती है, जहां गरीबी होती है इसमें कहीं धर्म और जाति भी आड़े नहीं आती शिक्षा की कमी, धन की कमी जो लोग पैसे वाले होते है, शिक्षित होते हैं उनके एक या दो बच्चे ही होते हैं, वह ही उनके फायदे जानते हैं इसलिए यह कोई मापदण्ड नहीं है कि किसके बच्चे ज्यादा और किसके कम तजुर्बे से यह साबित होता है कि इसका कारण गरीबी और अशिक्षा ही है।

(हुकुम सिंह जी के खड़े होने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं आपका जवाब ही दे रहा हूं, आप इतना बेचैन हो जायेंगे तो दिमाग और दिल कैसे काम करेगा?

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, दिल तो संसदीय कार्यमंत्री और दिमाग माननीय हुकुम सिंह जी के पास है तो बचा बाकी, लोग बिना दिल वाले हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बेदिल हैं, बेदिल तहसील है न, वहां गया था। इकदिल जो गया, एक दिल के लिए 1 दिल न मिला, एक दिल के लिए इसलिए मान्यवर, इसमें मापदण्ड एक ही है, गरीबी और अशिक्षा।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, अगर प्रोत्साहन के रुप में कोई योजना चला दी जाए तो जो गरीब लोग हैं वह भी एक दो बच्चे के लिए प्रोत्साहित होंगे कि उनको नौकरी मिल जायेगी।

श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष महोदय, मैं अभारी हूं कि आपने मुझे जनसंख्या जो कि देश की सबसे बड़ी समस्या है, इस पर प्रश्न करने के लिए समय दिया। भारत नम्बर-2 पर है और जिस तरह से, जिस रफ्तार से बढ़ोत्तरी हो रही है, हो सकता है कि हम नम्बर-1 पर भी आ सकते हैं। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट होकर कि इसमें समझाया बुझाया जा सकता है, या कोई आकर्षण दिया जाए, मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो लोकसभा और विधान सभा की सदस्य संख्या है उसके 15 प्रतिशत के अनुरुप ही मंत्रिपरिषद् का गठन होना चाहिए। मैं एक प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कानून बनाने पर विचार करेंगे कि जिससे भारत के संविधान की मंशा पूरी हो जाए। जिनके दो से ज्यादा बच्चे हों, उन्हें मंत्रिपरिषद में न शामिल किया जाए। मैं नहीं जानता मैंने जानबूझकर अध्यक्ष पद से इसको मुक्त रखा कि आपके कितने बच्चे हैं, सरकार कह दे, हां या ना या यूं रहे तो मेरा गम्भीरतापूर्वक प्रश्न है कि क्या संविधान की मंशा के अनुरुप मंत्रिपरिषद् का आकार छोटा करने के लिए और भविष्य में जिससे समस्याएं कम आयें, क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जिनके दो बच्चे से ज्यादा हों उन्हें मंत्रिपरिषद में न शामिल किया जाए?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, नेता प्रमोद कुमार जी को सुना, इन्होंने अध्यक्ष महोदय को बरी कर दिया, उनकी सूचना के लिए मैं बता रहा हूं कि मैं भी उसी दायरे में हूं, इसलिए मैं नहीं हटाया जाउँगा। दो का मामला तय हो गया, बाकी की सूचना एकत्र करके आपको पहुंचा दूंगा।

श्री प्रमोद कुमार-

म सरकार की सहायता करना चाहता हूँ जब सूचना एकत्र कर रहे हैं तो हम लोगों की राय ले लें। नरेश अग्रवाल जी के मुझ से ज्यादा बच्चे है, यह मुझे मालूम है।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

माननीय प्रमोद जी के लीगली दो बच्चे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

आज मै बिल्कुल टण्डन जी की तरह सरकार की सहायता करने के मूड में हूँ। मान्यवर, गम्भीरतापूर्वक सर्वेक्षण करा लें और जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें मंत्रि परिषद में शामिल न किया जाए।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जब परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ था तो जन्म दर क्या थी और आज क्या है? दूसरे जो जनसंख्या नियंत्रण का टारगेट निर्धारित हुआ है कि जन्मदर में इतनी कमी करनी है, वह टारगेट हम कब तक एचीव कर लेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पिछले 50 वर्षो में परिवार कल्याण के क्षेत्र में अपनाये गये उपायों से शिशु मृत्युदर 179 प्रति हजार से घटकर 80 प्रति हजार और मृत्यु दर 27.7 प्रति हजार से 97 प्रति हजार हो गयी है। मान्यवर मृत्यु दर घटी है और जन्मदर को घटाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, जनसंख्या नियंत्रण के अन्तर्गत परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाये जा रहे है। मेरा कहना है कि आज जनसंख्या जैसी भयावह समस्या पर नियंत्रण के लिए जो हमारा टारगेट है वह कब तक प्राप्त कर लेंगे? हमें लगता है कि वर्तमान कार्यक्रम के अन्तर्गत टारगेट प्राप्त करने में देश को समय लगना है तो उस टारगेट को जल्दी प्राप्त करने के लिए कुछ कार्यक्रम या योजना में परिवर्तन कर कुछ और अधिक चीजों का समावेश करके टारगेट को जल्दी प्राप्त करने का प्रयास प्रारम्भ करेगें?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वर्तमान में जो भी पूर्व सरकारी और मौजूदा सरकार की वाजिब पालिसी है और केन्द्र सरकार की जो इस तरह की गाइड लाइन्स है उसमें कोई भी दबाव की नीति नहीं अपनायी जा सकेगी। किसी दबाव के तहत या किसी कानून के तहत जिसमे उसके अधिकारों का हनन होता है, उसे अपनाने का विचार न आज है और न इस पर विचार करने का कोई इरादा है। हाँ उनको एजूकेट करके, पोस्टर, इश्तहार के जरिये, नुक्कड़ नाटक या फिल्में तैयार की जाए। यह भी अच्छा सुझाव है कि इन्सेटिव दिया जाए लेकिन दबाव में यह नहीं किया जा सकता है।

डा0 लक्ष्मी कांत वाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैंने केवल इतना कहा कि जन्मदर को कम करने का जो टारगेट उत्तर प्रदेश सरकार का है उसको प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है? क्या उस टारगेट की अपेक्षा के अनुरुप हम एचीव कर पा रहे है और यदि नहीं कर पा रहे हैं या हम उसको और जल्दी प्राप्त करना चाह रहे है तो जो हमारे कार्यक्रम है उनमें कुछ परिवर्तन करके या उनकी गति बढ़ाकर हम टारगेट को जल्दी एचीव कर सकते हैं? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूँ कि टारगेट क्या है और उसे कितने वर्षो में तथा कब तक प्राप्त कर लेंगे अगर नहीं कर पायेंगे तो क्या उपाय करेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जन्मदर जो वर्तमान में है वह 3.9 है। इसको सन् 2016 में 2.1 तक लाने का प्रयास है। मान्यवर, जन्मदर 2051 तक 44 करोड़ के स्थान पर 26 करोड़ लाने का लक्ष्य है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी जैसा कि मंत्री जी ने कहा कोई दबाव का कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता। मैं भी इस राय का हूं कि बनना नहीं चाहिए। इस देश में कुछ राज्य ऐसे भी है, जहां पर जन्मदर शून्य पर ले आयी गयी है। इसमें मजहब, धर्म और साम्प्रदायिक भावना आड़े नहीं आयी। क्या उस व्यवस्था का अध्ययन करके वही कार्यक्रम अपने प्रदेश में लागू किये जायेंगे ताकि उन्हीं के अनुरूप जन्मदर वृद्धि को शून्य पर लाया जा सके।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह बात बिल्कुल सही है कि जितने विकसित देश है वहां धर्म और जाति की कोई बात नहीं है। दुनिया के इसी सब-कान्टीनेन्ट भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा धर्म और जाति का कहीं ज्यादा जोर नहीं है, धर्म और जाति का प्रश्न हमारे यहां ही बढ़ रहा है। विकसित देशों में दूसरे धर्म बहुत कम है। हमारा कल्चर, सोसाइटी और हमारी शिक्षा ऐसी रही है कि सभी धर्म के लोग मिल-जुलकर रहते रहे है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने दूसरे देशों की बात नहीं कही, दूसरे प्रदेशों की बात कही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं अपने को दुरुस्त किये लेता हूँ। इसमें जाति और धर्म का भेद है ही नहीं, इसमें इस बिना पर कोई फैसला नहीं हो सकता। मैं बार-बार कहना चाहता हूँ कि कोई कड़ा कानून या दबाव का कानून बनाकर यह चीज नहीं की जा सकती है सिवाय इसके कि लोगों को एजूकेट किया जाय शिक्षित किया जाय और उनको इसका फायदा और नुकसान समझाया जाय। इसके अलावा बजाहिर कोई और रास्ता नहीं है और सरकार के सामने कोई सुझाव भी नहीं है।

प्रदेश में एड्स के रोकथाम की कार्ययोजना

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

*4- क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में एड्स रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए क्या सरकार द्वारा इसकी रोकथाम तथा इलाज के लिए कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जयवीर सिंह-

एड्स की रोकथाम तथा इलाज हेतु सरकार लक्षित इण्टरवेंशन एस0टी0डी0 नियंत्रण एवं कन्डोम प्रोत्साहन, प्रचार-प्रसार एवं रक्त सुरक्षा, सर्वेलेन्स प्रशिक्षण, एच0आई0वी0/एड्स हेतु "लो कास्ट कम्युनिटी केयर" तथा अन्तर्विभागीय समन्वय एवं सहयोग के अन्तर्गत कार्यक्रम संचालित कर रही है।

एड्स के उपचार रोकथाम तथा इलाज हेतु उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा उपरोक्त सहित निम्नलिखित कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं :--

यौनजनित रोगों का निःशुल्क उपचार मेडिकल कालेजों एवं जिला चिकित्सालयों द्वारा किया जाता है। प्रदेश में कुल 70 एस0टी0डी0 क्लीनिक्स कार्यरत है।

जरुरतमन्द रोगियों को सुरक्षित रक्त 126 लाइसेन्स प्राप्त रक्तकोषों द्वारा प्रदान किया जाता है।

जिला चिकित्सालयों (महिला एवं पुरुष) को रु0 25000/- की धनराशि एच0आई0वी0/एड्स रोगियों में पाये जाने अवसरवादी संक्रमणों के उपचार हेतु आवंटित की गयी है।

लखनऊ तथा वाराणसी मेडिकल कालेजों को एच0आई0वी0/एड्स रोगियों में पाये जाने वाले अवसरवादी संक्रमणों के उपचार हेतु रु0 2,00,000/- दो लाख रुपये (प्रत्येक को) धनराशि एवं शेष 07 मेडिकल कालेजों को 50,000/- रु0 पचास हजार की धनराशि आवंटित की गयी है। इसके अतिरिक्त एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ को रुपया 1,00,000,/- रु0 एक लाख की धनराशि प्रदान की गयी है।

एच0आई0वी0/एड्स के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रचार-प्रसार एवं जानकारी इलेक्ट्रानिक, प्रिन्ट एवं फोक मीडिया के माध्यम से प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गत तीन वर्षो में इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। वंशानुसार प्रत्येक वर्ष में कितने मरीजों की संख्या बढ़ी है। दूसरे विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है। मै आलोचना नहीं कर रहा हूँ, यह एक तथ्य है। एड्स नियन्त्रण के चार भाग है जागरुकता, डायग्नोसिस, एड्स के साथ जीवन क्योंकि निश्चित इलाज तो है नहीं और संक्रमित को मरना ही है और इसका इलाज करने वालों की सुरक्षा तो क्या सरकार अपर्याप्त व्यवस्था पर चिंतन के लिए विशेषज्ञों की समिति गठन करने पर विचार करेगी और यदि कोई ऐसा चिंतन हुआ है तो उसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की स्थायी समिति की बैठक बुलाकर उसमें रखेगी?

श्री जयवीर सिंह-

यह बीमारी उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है यह कहना न्यायोचित नहीं होगा 1998 से जब से एड्स नियंत्रण का कार्यक्रम बनाया गया है तब से पूरे उत्तर प्रदेश में 1350 केस संज्ञान में आए है जबकि इस अवधि में पूरे देश में 72, 943 केस डायग्नोसिस में आए हैं। आन्ध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 7,668 केस पाए गए इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को लो प्रोविलेंस की श्रेणी में रखा है। जहाँ इस तरह के केसों की संख्या दो प्रतिशत से कम होती है उसे लो प्रोविलेंस की श्रेणी में रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में हाइयर रिस्क करीब 1.28 प्रतिशत व सामान्य जनता में फैलाव .19 प्रतिशत है यह देश के सबसे कम फैलाव वाले राज्यों की श्रेणी में आता है। जहाँ तक बढ़ोत्तरी की बात है वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश में 179 केस पाए गए वर्ष 1999 में 49 केस पाए गए वर्ष 2000 में 47 केस पाए गए वर्ष 2001 में 229 केस पाए गए वर्ष 2002 में 359 केस पाए गए। वर्ष 2003 में 405 केस पाए गए इस साल अभी 82 केस पाए गए। यह आंकड़े साबित करते है कि उत्तर प्रदेश लो प्रोविंस की श्रेणी में आता है।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ इसमें स्वैच्छिक रूप से डाइग्नोसिस के लिए व्यक्ति नहीं आते हैं जो विशेषज्ञों की राय है या सेमिनार हुई है उनमें यह बात आई है कि उत्तर प्रदेश में यह संख्या बढ़ रही है। यह गम्भीर विषय है। सरकार को इसमें संवेदनशील होना चाहिए। स्वैच्छिक रुप से मरीज नहीं जा रहे हैं, दूसरे डाइग्नोसिस की पूरी व्यवस्था नहीं है। जब सरकारी डाक्टरों की इतनी कमी है तो 70 जिलों में एड्स क्लीनिक कैसे चल रहे है। एडीशनल सी0एच0सी0 और एडीशनल पी0एच0सी0 में पद

रिक्त चल रहे है। हमारे यहां कालपी सी0एच0सी0 में दो लोग कार्यरत हैं जबकि 8 पद स्वीकृत हैं, जालौन में 69 पद स्वीकृत हैं जबकि 12 पदों पर ही नियुक्तियाँ हुई हैं।

शेष सभी पद रिक्त है। इतनी कम संख्या जो चिकित्सकों की है वह डायरिया जैसे एनडेमिक के लिये पर्याप्त नहीं है तो सर्वे एवं कन्ट्रोल क्लीनिक किन विशेषज्ञों के द्वारा चलवा रही है। मेरे जनपद में एड्स के 15 रोगी है। आपने अभी बताया कि आप एड्स रोगियों के उपचार हेतु 25,000 रुपये दे रहे है। इन 25 हजार रुपयों से पूरे वर्ष उसका इलाज कैसे संभव है?

श्री अध्यक्ष-

एक साथ इतने सारे प्रश्न करेंगे। अच्छा ठीक है कर लें।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, एक छोटा सा सवाल और है। मान्यवर, प्राय: यह देखने में आ रहा है कि भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के जगह-जगह होर्डिंग लगे दिखाई देते है। कैंसर एवं एड्स जैसे असाध्य रोगों का लावण्य द्वारा उपचार। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि क्या इस तरह के भ्रम पैदा करने वाले तथ्यविहीन विज्ञापनों पर सख्ती से रोक लगाकर कोई कार्यवाही की जायेगी?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, जहाँ तक एड्स के आइडेन्टीफिकेशन का मामला है। यह एक ऐसी बीमारी है कि इतने जल्दी आइडेन्टीफाई नहीं हो पाती है और दूसरा यह कि मरीज बताना नहीं चाहता है क्योंकि हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ इस तरह की हैं लोग जानने के बाद उससे कटने लगेंगे। परिवार में बच्चों की शादी ब्याह का मामला होता है। इससे व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में असर पड़ता है। हम इसके लिये विशेष तौर से प्रचार-प्रसार विज्ञापनों के द्वारा जागरुकता लाने के लिये कर रहे है। जितने स्वास्थ्यकर्मी हमारे पी0एच0सी0, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कालेज में हैं, सबको इसके प्रचार प्रसार के लिये लगाया है कि वे लोगों के बीच जायं उनको विश्वास में लें और यह बतायें कि गोपनीयता के आधार पर उनको रखा जायेगा। सरकार सहयोग कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि इस तरह से कोई कम आंकड़े दिये जायं। हम चाहते हैं कि जो इसके मरीज हों वे चिन्हित हों और उनके उपचार की व्यवस्था हम करें। एड्स रोग का उपचार सिर्फ बचाव है। यह लाइलाज रोग है। अमेरिका जैसे विकसित देश में ही इसका इलाज डेवलेप हुआ है। हिन्दुस्तान के लोग और गरीब लोग इसको बीयर नहीं कर पायेंगे। जहाँ तक आपने डाक्टर्स की उपलब्धता की बात कही कि हो सकता है कि आपके पास पुराने आंकड़े हों पी0एच0सी0 और सी0एस0सी0 के। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में पूरे प्रदेश में डाक्टरों के बराबर बँटवारे की बात थी। आज पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार डाक्टरों की तैनाती की गई है। जहाँ 8 की आवश्यकता हो तो उपलब्धता के अनुसार यदि आठ नहीं तो पाँच डाक्टर अवश्य उपलब्ध कराये गये है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। ट्रांसफर बन्द होने के बावजूद भी इस समय प्रक्रिया जारी है। अगर आपके संज्ञान में कहीं का मामला हो तो आप लिखकर दे दें हम उसको दिखवा लेंगे।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

(श्री सुखदेव राजभर के बोलने के लिये खड़े होने पर)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, एड्स पर सुखदेव जी का व्यक्तिगत तजुर्बा है।

श्री सुखदेव राजभर-

जो भी तजुर्बा आया है वह चौधरी साहब से आया है। मानीय मंत्री जी डाक्टर्स के सम्बन्ध में व्यवस्था करने की बात कर रहे थे। इस वर्ष कितने डाक्टर्स का ट्रांसफर आपने किया है।

*5- प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर- [आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

प्रदेश में नकली दवाओं के रोक थाम की कार्ययोजना

श्री राम इकबाल सिंह-

*6- क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नकली दवा बनाने और बेचने पर रोक लगाने की कोई कार्य योजना बनायी गयी है? यदि हां तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?

श्री जयवीर सिंह-

अधोमानक/नकली औषधियों के निर्माण/ विक्रय की रोकथाम हेतु प्रदेश के औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाती है। मण्डल स्तर पर तैनात सहायक औषधि नियंत्रकों/वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों तथा जनपद स्तर पर तैनात औषधि निरीक्षकों द्वारा औषधि निर्माण इकाईयों तथा विक्रय प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जाता है एवं संदिग्ध औषधियों के नमूने एकत्र कर उन्हें जॉच हेतु राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा जाता है एवं नमूने अधोमानक अथवा नकली पाये जाने पर सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर संदिग्ध दवाओं के नमूने एकत्र कर जॉच एवं विश्लेषण हेतु भेजे जाते हैं, जिनके अधोमानक/नकली पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, नकली दवाइयों का प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इतनी भारी मात्रा में फैला हुआ है कि इससे सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी है। एक्सपाइरी दवाइयाँ भी उसके साथ बेची जाती है, इससे भी अनेकों जाने गयी हैं। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि विगत वर्षो में कितनी औषधि निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया गया और कितने विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया तथा कितनी अनियमितताएं पायी गई और कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाई की गई, यह सदन को अवगत करायें?

दूसरा यह कहना चाहता हूँ कि मेडिकल स्टोरों द्वारा जो पैरलल उत्तर प्रदेश के रिवेन्यू को हानि पहुंचाई जा रही है, क्या स्वास्थ्य विभाग ने अर्जीनिया बेंचने की इजाजत दे दी है? हमारे जनपद में जो देशी शराब पीने वाले लोग है, उन्हें मेडिकल स्टोरों द्वारा अर्जीनिया उपलब्ध कराई जा रही हे, यदि इसकी सतत् जांच होती तो यह बिक्री न होती तो मैं माननीय मंत्री जी से इसका उत्तर चाहता हूँ ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, 2001-02 में कुल 2862 नमूने प्रदेश में लिए गये जिसमें से 544 का विश्लेषण हुआ इसमें 3 नमूने नकली पाए गए। अधोमानक 79 पाए गए, जो अधोमानक पाए गए उनमें से 4 के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और वाद न्यायालय में विचाराधीन है। 10 के खिलाफ चार्जशीट कर दिया गया है और अन्य 325 के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाई सुनिश्चित कर दी गयी है। वर्ष 2003-04 में 3232 नमूने एकत्रित किए गए, इसमें से 511 का एनालिसिस किया गया, 10 नमूने नकली पाए गए, दसों के खिलाफ प्रकरण न्यायालय में

लम्बित है। अधोमानक 149 पाए गए, 9 के खिलाफ मुकदमा दायर करने के निर्देश दिए गए और 13 के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाई सुनिश्चित कर दी गई है। 43 जो दवा निर्माता है, उनसे सम्बन्धित है, 82 में विश्लेषण की कार्यवाई चल रही है और जहाँ तक अर्जीनिया की बात है, किन-किन दवाइयों की मेडिकल स्टोर पर बिक्री होनी है, किसकी नहीं होनी है, इसका मानक तय हे, इससे बाहर जाकर यदि कोई बिक्री करता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्यवाई करेगी। अर्जीनिया की जो बात है, आप लिखकर दे दें, ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार कार्यवाई करा देगी।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, अर्जीनिया विकने की वजह से जो देशी शराब पीने वाले है, उन्होंने मेडिकल स्टोर को ही देशी शराब की दुकान बना लिया है। आप अभियान चलाकर अर्जीनिया बेचने वालों को दण्डित करायें।

श्री जयवीर सिंह-

आप इसको लिखकर दे दें। मैं इसको दिखवा लूँगा।

श्री अशोक सिंह चौहान-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नकली दवाओं पर प्रतिबंध लगे, अच्छी बात है लेकिन जब सरकारी डाक्टर इन दवाओं को पर्चे पर लिखते है तो इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? और दूसरी बात यह कि जो दवाएं नकली होती है, जिनकी फैक्ट्रियां गाजियाबाद, नोएडा में चल रही है उनके खिलाफ सरकार क्या कर रही है और जो दो कैटेगरी की लोकल दवायें डाक्टर लिखते है जैसे कि बी काम्प्लेक्स सिरप एक तो लोकल कंपनी का होता है और एक स्टैण्डर्ड कंपनी का होता है, जबकि डाक्टर भी जानते हैं कि कैप्सूल काम करेगा और सिरप कम काम करेगा। 10 रुपये का सिरप 50 रुपये का मार्केट में पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो फैक्ट्रियां गाजियाबाद और नोएडा में चल रही है उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाई कर रही है?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य स्वयं भी मेडिकल स्टोर्स के मालिक है तो वह ज्यादा जानकार है। मैने पहले भी कहा था कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में दवायें मरीजों को निशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है और जो दवा अस्पताल में उपलब्ध नहीं होगी उस दवा को लोकल परचेस करने के लिए हमने बजट के हिस्से में 15 प्रतिशत राशि सीएमओ को दे रखी है वह उस दवा को अपने हिस्से से खरीदेगा और मरीज को निशुल्क देगा। जहाँ तक आपने दो सवाल किया है उसमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई सरकारी अस्पताल का डाक्टर अपना प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिखता है, अगर वह लिखता है तो हमने कार्यवाई की है और आगे भी करेंगे

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं दो लाइन की बात रखना चाहता हूँ। नकली दवाओं के संदर्भ में, डाक्टर द्वारा पर्चे लिखे जाने के संबंध में, अभी माननीय सदस्य ने पूछा है। मैं जानना चाहता हूँ कि डाक्टर द्वारा जो पर्चे लिखे जाते हैं वह हिंदी में लिखे जाने चाहिए।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, वह शिकायत मिली थी कि ज्यादातर डाक्टर प्रेस्क्रिप्शन खुद न लिखकर फार्मेसिस्ट या क्लर्कों से लिखवाते हैं। सरकार ने निर्देश दिये है कि जो भी प्रेस्क्रिप्शन लिखना है वह डाक्टर खुद लिखेंगे ताकि वह आप पढ़ सकें और मरीज दवाओं का भी वेरीफिकेशन कर सकें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मेरा सवाल स्पष्ट नहीं हुआ, कि दवाओं के नाम हिन्दी में लिखे जाने चाहिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं दो बातें जानना चाहता हूँ प्रथम तो यह है कि औषधि प्रसाधन अधिनियम 1940 और तत्संबंधी नियमावली 1945 क्या आज की तारीख से भी प्रासंगिक है या सरकार आज की परिस्थिति में उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस करती है? सन् 1940 से बनने वाली दवाओं और उसकी प्रक्रिया और आज बनने वाली दवाओं और उसकी प्रक्रिया में परिवर्तन आ चुका है इसलिए क्या यह सरकार 1940 का अधिनियम और 1945 के अधिनियम की प्रासंगिकता पर विचार करेगी? और दूसरी बात से माननीय अध्यक्ष जी आपका ध्यान चाहूँगा। जिन प्रयोगशालाओं में इन नमूनों का परीक्षण किया जाता है तो उन प्रयोगशालाओं में वर्ष में कितने नमूनों का परीक्षण करने की क्षमता है, प्रदेश भर से कितने नमूने एकत्र होते हैं और एक वर्ष में कितने नमूनों का परीक्षण हो जायेगा तथा क्या इनकी रिपोर्ट प्रासंगिक होगी?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी ने जो अधिनियम, 1940 और तत्संबंधी नियमावली 1945 को परिवर्तित करके नया रुप देने की बात कही है उसमें समय-समय पर इसकी आवश्यकता को देखते हुए समीक्षा की जाती है और जो भी जरूरी संशोधन होते हैं वह किये जाते रहे हैं। भविष्य में भी इसका प्रभावी नियंत्रण रहे इसलिए दवा निर्माताओं का औचक परीक्षण किया जायेगा। यदि जरुरत पड़ी तो समीक्षा के लिए विचार कर लेंगे। दूसरा जो प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने की बात कही गयी है, तो हमने जो पॉच लैब बन्द थी उनको सुदृढ़ीकृत किया है और उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। जो हमें प्रदेश भर से नमूने प्राप्त होते है उनका हम परीक्षण कराते हैं और सेम्पुल की संख्या ज्यादा हो जाती है तो स्टेट के बाहर भी कराने की व्यवस्था कराते हैं। यह हमारी व्यवस्था है और हम इसको प्रभावी तरीके से कर रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर, सदन में केवल प्रश्न करना ही है या जो प्रश्न किये जाते हैं उनका समाधान भी होगा। मैंने इनसे यह पूछा था कि कुल कितने नमूने आये, कितनी उसकी क्षमता है, कितने नमूने पैंडिग हैं। आप हमें पिछले वर्ष 2003-04 का ही बता दें कि कितने नमूने बाहर की लैबों में परीक्षण के लिए भेजे गये?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैंने बताया कि पिछले वर्ष 3232 नमूने लिये गये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, इसकी पूर्ववर्ती सरकार में यही प्रश्न आया था और मैंने एक बात कही थी अगर प्रदेश में सभी चिकित्सकों को हिन्दी में पर्चे लिखने को कह दिया जाय तो भ्रष्टाचार 90-95 प्रतिशत कम हो जायेगा। मैंने एक चिकित्सक के रूप में बात कही थी और उस समय श्री सुखदेव राजभर जी की सरकार थी। आज यह जो सरकार है वह मातृभाषा हिन्दी की बात करती है। तो यह आग्रह किया जाना है कि सरकार एक स्पष्ट निर्देश दे कि प्रदेश भर के सभी चिकित्सकों, मैं स्वयं हिन्दी में पर्चा लिखता हूँ, चाहे वह सरकारी हों या फिर गैर सरकारी अपने पर्चे हिन्दी में लिखें।

श्री अध्यक्ष-

हो गया। मैं प्रश्न संख्या - 7 ले रहा हूँ।

प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के उपाय

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

*7- क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विद्युत चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं? क्या सरकार के प्रयासों से विद्युत चोरी में कमी आयी है? क्या विद्युत चोरों के विरुद्ध वर्तमान प्राविधानों से भिन्न कोई दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

प्रदेश में विद्युत चोरी रोकने के सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये :-

1-- उपभोक्ताओं के परिसर पर स्थापित मैकेनिकल मीटर के स्थान पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाना।

2-- उपभोक्ताओं के मीटर एवं मीटरिंग प्रणाली पिलफर प्रूफ क्यूबिकल (बाक्स) के अन्दर कराना।

3-- मीटर कक्ष में मुख्य मार्ग से स्वतंत्र एवं निर्बाध प्रवेश द्वार बना के मीटर का आकस्मिक निरीक्षण कराना।

4-- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के प्रवर्तन दल एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा समय पर छापा मारना तथा सघन निरीक्षण अभियान चलाना।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से छोटे-छोटे तीन सवाल पूछना चाहता हूँ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से तीन बातें जानना चाहता हूँ। पहला यह है पावर तथा डोमेस्टिक के कितने कनेक्शन हैं और जब आपकी सरकार आई तब से कितने छापे पड़े? दूसरा इस छापामार अभियान में जो कर्मचारी हैं, उनकी संख्या क्या है? तीसरा यह कि जब से यह सरकार आई है, तब से इसमें कितने प्रतिशत की कमी आई?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कितने कन्ज्यूमर हैं, कितने छापे पड़े, कितने कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई और कितने प्रतिशत की कमी हुई छापे पड़ने से। तो मान्यवर उत्तर प्रदेश में कुल कन्ज्यूमर करीब 90 लाख है, यह सब मिलाकर हैं चाहे एग्रीकलचर हो, चाहे पावर हो, चाहे डोमेस्टिक हों। पिछले वर्ष की तुलना में 01-04-03 से 31-03-04 तक 90436 रेड पड़े, 10062 एफ0आई0आर0 हुई, 6176 गिरफ्तार हुए, 9683 डिस्कनेक्शन हुए और 04 करोड़ 10 लाख की रिकवरी हुई। इसी तरह मान्यवर, 01-04-2004 से 31-07-2004 तक करीब तीन महीने में 17428 रेड हुए, 747 एफ0आई0आर0 हुई. 520 गिरफ्तार हुए, 1917 डिस्कनेक्शन हुए और 03 करोड़ 66 लाख की रिकवरी हुई। मान्यवर, रेड में कर्मचारियों को पनिस्मेण्ट देने का अभी कोई प्राविधान नहीं है, जब हम पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री थे तब हम इसके लिए एक प्रस्ताव लाना चाहते थे, लेकिन पिछली सरकार ने उसे टर्नडाउन कर दिया। जहां तक कितने प्रतिशत कमी की बात है तो पहले जो लाइन लॉस 38.2 प्रतिशत था वह अब 32.8 प्रतिशत हो गया है करीब 06 प्रतिशत कम हो गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारा प्रश्न है कि इस छापामार अभियान में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं यानी सतर्कता और बिजली विभाग के कितने कर्मचारी है और पिछले वर्ष भर में यानी जब से यह सरकार आई है तब से अब तक कितने प्रतिशत की कमी आई है? मान्यवर हमारे कहने का उद्देश्य है कि किसी गॉव में आप चले जाइए, वहां हर जगह कटिया दिखाई पड़ती हैं, वहां बिजली की बड़ी दुर्दशा है, 06 प्रतिशत लाइन लॉस प्रदेश सरकार बता रही है लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों के मुताबिक 27 प्रतिशत लाइन लॉस जा रहा है। आज हर गॉव में कटिया पड़ा हुआ है। मान्यवर, मैंने एक अलग से प्रश्न किया था माननीय मंत्री जी से कि क्या विद्युत चोरों के विरुद्ध वर्तमान प्राविधान से भिन्न कोई दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है? तो उसका उत्तर आ गया जी नहीं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को केवल उत्तर देने तक ही सीमित न रखा जाए बल्कि उस पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस छापामार अभियान में सतर्कता विभाग और बिजली विभाग के कितने कर्मचारी हैं उनकी संख्या क्या है और क्या भविष्य में इस तरह की कोई योजना आएगी कि हम बिजली चोरी रोकने के लिए यह उपाय कर रहे हैं?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय खन्ना जी जब से मंत्री पद से हटे हैं यह भ्रमित हो गये हैं कुछ जिले का भी असर है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हमने यह पूछा है मान्यवर कि जो कर्मचारी छापामार अभियान में शामिल है उनकी संख्या क्या है और पिछले वर्ष से लाइन लासेस में कितने प्रतिशत की कमी आयी है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, बिजली चोरी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन कार्यवाही करता है। मान्यवर, मेरा यह भी कहना है कि जो बिजिलेन्स की टीम है उसमें अधिशासी अभियन्ता के नेतृत्व में अभियान चलाया जाता है और दूसरी ओर शासन के निर्देश पर जिलाधिकारियों द्वारा एडीएम और एसडीएम के नेतृत्व में टीमें गठित करके अभियान चलाया जाता है इस तरह से विद्युत चोरी रोकने का कार्य किया जा रहा है। मान्यवर जहां तक इस कार्य में लगे कर्मचारियों की संख्या का सम्बन्ध है, 80 हजार तो हमारे कर्मचारी हैं और बिजिलेन्स के विशेष अभियान में कर्मचारियों को लगाया जाता है, मान्यवर, जहां तक लाइन लास की बात है वह 38.2 प्रतिशत से घटकर लगभग 32 प्रतिशत पर आ गया है करीब 5.8 प्रतिशत की कमी आयी है शायद मान्यवर [xxxx] में इन्हें प्रतिशत जानने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर इन्होंने [xxxx] का नाम लिया है यह क्या उचित है? कृपया उसको कार्यवाही से निकालने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

उसको हम कार्यवाही में देख लेंगे।

नोट : [xxxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि लाइन लास 38 प्रतिशत से घटकर 32 प्रतिशत रह गया है। उन्होंने चोरी रोकने के उपायों की जानकारी दी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि लाइन लास का राष्ट्रीय औसत मानक क्या है? उत्तर प्रदेश के मौजूदा समय में जो लाइन लास घटकर 32 प्रतिशत रह गया है तो पीएलएफ आपका कितना है? मेरा जानना है कि जनरेशन कितना हो रहा है और चोरी कितनी हो रही है लाइन लास से?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय पाल जी शायद पूरी बात समझ नहीं पाये हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, उत्तर देने की बाध्यता तो नहीं है लेकिन यह कहना कहां तक उचित है कि शायद मैं प्रश्न ही नहीं समझ पा रहा हूं। इनकी विद्वता को मैं जानता हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, वैसे तो राष्ट्रीय औसत 12 प्रतिशत का पूरे राष्ट्र का है जो मानक माना गया है। लेकिन किसी राज्य में औसत पूरा नहीं है। दिल्ली में जहां निजी क्षेत्र की चार कम्पनियां है कार्यरत है वहां यह लाइन लास 52 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में लाइन लास इनके बराबर था, हमने बनाया कि राष्ट्रीय औसत 12 प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश से 32 प्रतिशत का स्वीकार किया है। अब पीएलएफ की जो बात है, जनरेशन का उसमें देखेंगे तो वह पूरी तस्वीर आ जायेगी।

प्रदेश में अन्य राज्यों की भांति मुफ्त बिजली दिये जाने पर विचार

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

*8- क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार आन्ध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की भांति किसानों को मुफ्त बिजली दिये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि जब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सरकार किसानों की गरीबी को ध्यान में रखते हुए उन्हें मुफ्त बिजली देने का काम करती है तो इस उत्तर प्रदेश में जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसमें किसानों को मुफ्त बिजली देने में क्या कठिनाई है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इसमें दो राज्यों का नाम बताया, इसमें तीसरा राज्य पंजाब भी जोड़ लें वैसे उन तीन राज्यों में जो वहां की सरकारों की हालत हुई है वह अपने जान ही ली होगी। वैसे भी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 8 घंटे का जो विद्युत का औसत था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 घंटे किया है। गांव में बिजली वैसे ही सस्ती मिल रही है, मकान का लाइट का 100 रुपये प्रति घर प्रतिमाह रखा है, ट्यूबवेल कनेक्शन का उसमें 60 रुपया प्रति वीएचडब्लू करा है और किसानों का साढ़े नौ सौ करोड़ रुपये सब्सिडी सरकार दे रही है। और दूसरी बात किसानों का रेट तय करने का अधिकार रेगुलरिटी कम्पनी का हो गया है। 14 घंटे बिजली मिल रही

है तो जो हमने रेट बताया है उसके आधार पर आधे से भी कम हो जायेगा, जो किसानों को दे रहे है। तो हमारी सरकार ज्यादा चिन्तित है कि किसानों को ज्यादा बिजली दें और कम दर पर दें। इसमें आपको चिन्ता करने की जरुरत नहीं है, जो रेट है उसमें किसान खुश है।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, वर्तमान समय में हम धान की रोपाई नहीं कर सके है वर्षा का पानी नहीं मिल सका नहरों में भी पानी नहीं मिल सका ऐसे में किसानों को जो विद्युत मूल्य देना पड़ रहा है उसको माफ करने पर विचार करेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन्, अगर आप रेट देखें तो अब तक 40 पैसे यूनिट 8 घंटे का रहा है 14 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया तो इसको घटा दें, 20-22 पैसे प्रति यूनिट आयगा। किसानों की ऐसी कोई मांग भी नही है किसान बिजली चाहता है।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

माननीय मंत्री जी आप भी किसी क्षेत्र से चुनकर आते है, नेता सदन बैठे है तो क्या किसानों की गरीबी को दृष्टिगत रखते हुए इस सत्र के लिए उन्हें जो विद्युत मूल्य देना है उसको माफ करने पर विचार करेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन्, हम वैसे ही किसान को सस्ती बिजली दे रहे है और उसकी सब्सिडी सरकार दे रही है। 1000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष और इस पर किसानों की कोई माँग भी नहीं है, आपकी हो सकती है।

प्रदेश में गतवर्ष आयातित विद्युत व उस पर व्यय का विवरण

श्री सुखदेव राजभर, श्री ओ0पी0 सिंह तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

*9- क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2003-2004 में कुल कितनी विद्युत आयात की गयी तथा कितनी घरेलू विद्युत का उत्पादन हुआ? क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बतायेंगे कि आयात की गयी बिजली पर कुल कितना राजस्व व्यय किया गया कितना भुगतान कर दिया गया है तथा कितना शेष है? शेष का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल

प्रदेश में वर्ष 2003-2004 में 20441.49 मि0यू0 (औसतन प्रतिदिन 2333.50 मे0वा0) ऊर्जा आयात की गयी।

20565.59 मि0यू0 (औसत प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता 2347.67 मे0वा0) घरेलू उत्पादन हुआ।

आयात की गयी बिजली पर रु0 3718.19 करोड़ राजस्व व्यय किया गया।

प्रदेश में वर्ष 2003-2004 में आयात की गयी बिजली का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है। आयात अथवा घरेलू उत्पादन द्वारा जो इन्होंने 2003-2004 से विद्युत आयात किया है उत्पादित किया है मैं जानना

चाहता हूँ कि 14 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है घोषणा है, इस 14 घंटे बिजली आपूर्ति में कितने मेगावाट की जरुरत पड़ती है? क्या आयात और घरेलू उत्पाद द्वारा इसकी पूर्ति हो जाती है दूसरा, आपने बिजली आयात की इस पर 3718.19 करोड़ राजस्व व्यय किया है यह कब तक का है? पहला, मैंने पूछा कि 14 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है उस सम्बन्ध में आयात अथवा और घरेलू उत्पाद द्वारा जो बिजली ली है या उत्पादित किया है उससे आपकी पूरे 14 घंटे बिजली की आपूर्ति पूर्ण हो जाती है और दूसरे 3718.19 करोड़ रुपये आपने बिजली के आयात पर अदा किया है यह कब तक का अदा किया है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, हम जो 14 घंटे किसानों को बिजली दे रहे है, उसके हिसाब से 1200 मेगावाट प्रतिदिन बिजली का खर्च आ रहा है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, 1200 मेगावाट बिजली प्रतिदिन किसानों को दे रहे हैं, लेकिन जो प्रतिदिन का औसत आ रहा है, वह 2333 मेगावाट आयातित बिजली का और घरेलू उत्पाद द्वारा 2347 मेगावाट, अगर इसको जोड़ लें तो क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि एन0टी0पी0सी0 द्वारा जो बिजली ली जाती है, क्या उसका पूरा पैसा इस समय तक भुगतान हो चुका है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, पिछले महीने की 30 तारीख तक सारा भुगतान राज्य सरकार ने कर दिया है और अब एक भी पैसा केन्द्र सरकार के किसी उपक्रम का बिजली संबंधी बाकी नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र में विधायकों की भांति शहरी क्षेत्र के विधायकों को पांच गांवों के विद्युतीकरण के योजना की जानकारी

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

*10- क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक विधायक की संस्तुति पर पांच गांवों का विद्युतीकरण कराने की योजना क्या उन विधायकों पर भी लागू है जिनके निर्वाचन क्षेत्र शहरी क्षेत्र हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की तरह नगरीय विद्युतीकरण की कोई योजना वर्तमान में संचालित नहीं की जा रही है, किन्तु शहरी क्षेत्र के मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के अविद्युतीकृत ग्रामों का भी विद्युतीकरण किया जाना है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों के ग्राम विद्युतीकृत कराने की योजना है। इस समय शहरी क्षेत्र के 26 विधायक हैं, शहरों में भी विद्युतीकरण की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, वह ऊर्जा मंत्री भी हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि विधायकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिये तो क्या शहरों के विधायकों को, ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की भाँति विद्युतीकरण कराये जाने का अवसर देंगे?

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय गौर साहब ने कहा कि विधायकों के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। विधायकों के साथ

पक्षपात किया ही नहीं जा सकता जब सरकार का संकल्प है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे तो फिर विधायकों के साथ सवाल ही नहीं है। माननीय वाजपेयी जी ने भी बात रखी थी। हम कोई ऐसा निर्णय ले लेंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की तरह शहरी क्षेत्र के विधायकों को भी बिजली के मामले में अवसर मिले, जरुर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दीजिएगा, कहीं गलत होगा तो उसे ठीक करवा देंगे।

प्रदेश में विकलांगों की नियुक्तियों हेतु चयन आयोग स्थापित किये जाने की मांग

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक-

*11 क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विकलांगों को नियुक्तियां प्रदान किये जाने हेतु क्या उनका चयन आयोग अलग स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

विकलांग कल्याण मंत्री (श्री श्याम नारायण)-

जी नहीं।

विकलांगजनों को सेवाओं में 03 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है। इसका अनुपालन नियुक्ति प्राधिकारियों के स्तर से किया जाता है। अत: विकलांगजनों को नियुक्तियाँ प्रदान किये जाने हेतु अलग से चयन आयोग स्थापित किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गाजियाबाद के जिला अस्पताल में अनियमित रूप से क्रय की गयी सामग्री, उपकरणों की जाँच

डा0 विनोद तिवारी-

1- क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के जिला अस्पताल में वर्ष 2001-2002 में अनियमित रूप से क्रय की गयी सामग्री/उपकरणों के दोषी अधिकारियों की जांच कराने सम्बन्धी इण्डियन एकता पार्टी, उ0प्र0 लखनऊ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष का पत्रांक 43 दिनांक 21 जून, 2004 क्या उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट : ता0प्र0सं0 10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

जनपद गोण्डा के ब्लाक रुपईडीह (कौडिया बाजार) में जर्जर विद्युत तारों को बदलने की मांग

श्री विद्या सागर गुप्ता-

2- क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बनगाई टाउन (कौडिया बाजार) ब्लाक रुपईडीह, जिला-गोण्डा में विद्युत तार जर्जर होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर नये तार लगाने हेतु आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

आवश्यकतानुसार 400 मीटर तार को बदल कर विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी, मऊ रानीपुर के उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र पर कुत्ता काटने वाले इन्जेक्शन उपलब्ध कराने की मांग

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

3- क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊरानीपुर जपद-झांसी के उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र पर कुत्ता काटने वाले इंजेक्शन उपलब्ध न होने से मरीजों को असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर कुत्ता काटने के इंजेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊरानीपुर में लगातार कुत्ते काटने का इंजेक्शन उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।

जनपद शाहजहांपुर में गतवर्ष विकलांगों की स्वीकृत पेंशन का विवरण

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

4- क्या विकलांग कल्याण मुंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में कितने विकलांगों द्वारा पेंशन के लिए गत वर्ष 2003 व वर्तमान वर्ष में आवेदन-पत्र दिये गये हैं? उनमें से कितने लोगों के पेंशन प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुए तथा कितने शेष हैं? शेष को कब तक पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी?

श्री श्याम नारायण-

जनपद शाहजहॉपुर में 2003 में कुल 522 एवं वर्तमान वर्ष में दिनांक 20-7-2004 तक 171 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

वर्ष 2003 में 522 आवेदन पत्रों के विरुद्ध 167 आवेदन पत्र एवं वर्तमान वर्ष में 171 के विरुद्ध 19 आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये 1 वर्ष 2003 के 355 तथा वर्तमान वर्ष के 152 आवेदन पत्र शेष हैं।

शेष को संसाधनों की उपलब्धता तथा पात्रता के आधार पर निस्तारित किया जायेगा।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र विन्दकी में ग्रामों का विद्युतीकरण

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक-

5- क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विन्दकी विधान सभा क्षेत्र में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया है तथा कितने शेष हैं? शेष ग्रामों का कब तक विद्युतीकरण का दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

249 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 59 ग्राम शेष हैं।

भारत सरकार द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत करने की योजना है। समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर की तहसील विन्दकी में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मानक के अनुसार चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक-

6- क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की तहसील बिन्दकी में स्थित अस्पताल में मानक के अनुसार चिकित्सक नियुक्त हैं? यदि नहीं, तो उक्त अस्पताल में मानक के अनुसार चिकित्सकों की कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विन्दकी जनपद फतेहपुर में बालरोग विशेषज्ञ, दन्त सर्जन तथा रेडियोलाजिस्ट को छोड़कर शेष पदों पर चिकित्सक तैनात हैं।

रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की बड़ी जुगौली में घरों की छतों के ऊपर के वार्ड वोल्टेज विद्युत तारों को हटाये जाने की मांग

श्री विद्या सागर गुप्ता-

7- क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित बड़ी जुगौली में घरों की छतों के ऊपर होकर 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन जा रही है जिसके कारण वहां के नागरिकों को खतरा बना रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत लाइन को वहां से हटायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

बड़ी जुगौली में पूर्व निर्मित 11 हजार वोल्ट की लाइन के नीचे लोगों ने अपने घर बना लिये हैं एवं अपने लिए असुरक्षा पैदा कर ली है।

नियमत: पूर्व निर्मित लाइन को हटाने पर आने वाले व्यय आवेदनकर्ता को वहन करना पड़ता है। मा0 विधायक श्री विद्या सागर के पत्र दिनांक 9.3.2004 द्वारा किये गये अनुरोध पर लाइन हटाने का प्राक्कलन तैयार कर विधायक निधि से धन आवंटित करने हेतु पत्र सं0-1079 विनिविखगो0न0 दिनांक-17.3.2004

द्वारा अनुरोध किया गया था परन्तु मा0 विधायक जी द्वारा यह कार्य ग्रामीण विद्युतीकरण के मद से करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है। यह कार्य ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित नहीं है।

विधायक निधि से धन प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

महाप्रबन्धक (लखनऊ क्षेत्र) के विद्युत वितरण खण्डों के निलम्बित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध जाँच रिपोर्ट

श्रीमती कृष्णा पासवान-

8- क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि अनियमिततायें करने के आरोप में महाप्रबन्धक (लखनऊ क्षेत्र) के अधीनस्थ कतिपय वितरण खण्डों के माह मई, जून व जुलाई, 2003 में निलम्बित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

जाँच आख्या परीक्षणाधीन है।

जनपद उन्नाव के विद्युत वितरण खण्ड में की गयी अनियमितताओं विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

श्रीमती कृष्णा पासवान-

9- क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री हृदय नारायण दीक्षित उपाध्यक्ष/प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, उ0प्र0 का शिकायती-पत्र सं0 3404/2003, दिनांक 15-/16-12-2003 प्रमुख सचिव, गृह व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

जाँच प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कतिपय जातियों की भांति जनपद प्रतापगढ़ में निवास कर रही इन्हीं जातियों को भी अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल करने की मांग

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

10- क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में गोड़िया/गोड जाति/धुरिया जो विभिन्न भागों में रह रहे हैं, उन्हें अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल किया गया है? यदि हां, तो क्या जनपद प्रतापगढ़ में उक्त जातियां जो निवास कर रही हैं उनको अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल किया गया है? यदि नही, तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

गोंड तथा उसकी उप जातियों धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड जो जनपद महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं

सोनभद्र जनपदों में निवास करती है को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है।

भारत सरकार के द सिडयूल्ड कास्ट एण्ड ट्राइबल आर्डस (अमेण्डमेण्ट) एक्ट-2002 में प्रश्न में उल्लिखित जातियों को जनपद प्रतापगढ़ में अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

किसी भी जाति को अनुसूचित जातियों/जनजातियों में सम्मिलित किये जाने का अधिकार भारत सरकार में निहित है।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम डमौरा, वि0 ख0 जैतीपुर के प्रा0 स्वा0 केन्द्र का भवन बनवाये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

11- क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के प्रा0 स्वा0 केन्द्र ग्राम डमौरा वि0 खं0 जैतीपुर का भवन बनवाये जाने हेतु पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-/95417/2004, दिनांक 14-2-04 प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रस्ताव का मानकानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद कुशीनगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों को कम वेतन दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

श्री रमापति उर्फ रमाकान्त-

12- क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालयों जनपद कुशीनगर के शिक्षकों को विगत तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष दो, तीन माह का वेतन कम दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हाँ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालयों हेतु अनुदान की धनराशि 16 करोड़ प्रतिवर्ष सीमित कर दिये जाने के फलस्वरुप विगत वर्षों में कुशीनगर जनपद के विद्यालयों हेतु धनराशि कम आवंटित होने के कारण शिक्षकों को वेतन कम दिया गया है।

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मृतक आश्रित के रुप में श्री जीत लाल मौर्य को समायोजित किये जाने की मांग

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

13- क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री भजन लाल मौर्य, बेसिक हेल्थ वर्कर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जीयर सन्त रविदास नगर (भदोही) के मृतक आश्रित श्री जीतलाल मौर्य को अनुकम्पा के आधार पर समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सन्त रविदास नगर

(भदोही) का पत्रांक : मृतक आश्रित/सेवायोजन/2004/2189, दिनांक 09.2.2004 निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित श्री जीतलाल मौर्य को समायोजित कर दिया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण विचाराधीन है।

जनपद प्रतापगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानापुर के विस्तारीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

14- क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन समिति, प्रतापगढ़ ने वर्ष 2004-2005 की जिला योजना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानापुर का विस्तार किये जाने की स्वीकृति प्रदान करके परिव्यय धनराशि की व्यवस्था की गयी है? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

रु0 00.90 लाख।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अधूरे कार्य पूर्ण कराने हेतु अवमुक्त धनराशि

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

15- क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरैला, नरायनपुर, हरीपुर वरदैता के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने हेतु वर्ष 2004-2005 में जिला योजना में अवशेष धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो कब तक कर दी जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अरैला, जनपद प्रतापगढ़ हेतु रु0 35.00 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणपुर हेतु रु0 35.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरिहरपुर वरदता की कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है।

शासनादेश संख्या-1460/5-6-2004-एस0एन0डी0-6/2004, दिनांक 19.06.2004 के द्वारा अवमुक्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अवशेष कार्य पूर्ण कराने हेतु अवमुक्त धनराशि

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

16- क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरीपुर वरदैता, मानापुर, नरायनपुर, ढिढई के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु जिला नियोजन समिति प्रतापगढ़ ने वर्ष 2004-05 में परिव्यय धनराशि अनुमोदित कर प्रेषित किया है? क्या उक्त धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है? यदि नहीं, तो कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानापुर हेतु जिला अनुश्रवण समिति से अनुमोदित है।

रु0 11.06 लाख अवमुक्त हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत अन्वेषक कम संगणक के स्थानान्तरण की मांग

श्री आर0पी0एन0 सिंह-

17- क्या परिवार कल्याण मंत्री को जानकारी है कि परिवार कल्याण विभाग बस्ती में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कई अन्वेषक कम संगणक 15 से 20 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत ऐसे कर्मचारियों को जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अहमद हसन-

जी, हां।

स्थानान्तरण नीति 2004-05 निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जनपद बस्ती में कार्यरत अन्वेषक कम संगणक के आवश्यक स्थानान्तरण किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में दवाइयों के छिड़काव हेतु रखे गये श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान

श्री मुंशी लाल गौतम-

18- क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा दैनिक वेतन पर वित्तीय वर्ष 2002-03 में दवाइयों के छिड़काव किये जाने हेतु श्रमिकों को रखा गया था? यदि हां, तो क्या उक्त श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

श्रमिकों को रु0 2,47,143/- के पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया है।

जनपद प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानापुर के विस्तार हेतु स्वीकृत परिव्यय

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

19- क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति प्रतापगढ़ द्वारा अपनी बैठक 2-2-04 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानापुर को विस्तार अंश में शामिल करने हेतु परिव्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी है? यदि हां, तो अब तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़ से खसरा खतौनी साइट प्लान जनपद स्तर पर गठित भूमि

चयन समिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

20- श्री मुकुट विहारी वर्मा [तीसरे सोमवार के अता0प्र0सं0- 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के ब्लाक काकोरी के ग्राम भरोसा में नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

21- क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के काकोरी ब्लाक के ग्राम भरोसा में पिछले 5 वर्षों से 100 के0वी0ए0 के ट्रान्सफारमर से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है जिससे लो वोल्टेज एवं नियमित विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है? यदि हां, तो क्या सरकार ढाई सौ 250 के0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर लगाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

100 केवीए के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के रोस्टरिंग शिड्यूल के अनुसार की जा रही है।

जी नहीं।

चूंकि वर्तमान में 100 केवीए के ट्रांसफार्मर पर कुल पंखा बत्ती के 41 उपभोक्ता एवं निजी नलकूप के 7 उपभोक्ता हैं, जिनका भार कुल 63 केवीए है, जिससे ट्रांसफार्मर की क्षमता अधिक है।

जनपद इलाहाबाद में 33 केवीए का बारी विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण पूर्ण कराने की मांग

श्री श्याम सूरत उपाध्याय-

22- क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में 33 केवीए का बारी विद्युत उपकेन्द्र निर्माणाधीन है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

दिनांक 31-10-2004 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नही उठता।

जनपद इलाहाबाद के बलरामपुर में 33 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण की मांग

श्री श्याम सूरत उपाध्याय-

23- क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-इलाहाबाद में 33 के0वी0ए0 का एक विद्युत उपकेन्द्र बलरामपुर जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2002-2003 में प्रस्तावित किया गया था? क्या यह सही है कि उसे वर्ष 2004-2005 की कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार धन आवंटन सुनिश्चित कर वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

जी हाँ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के

अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि से धन का आवंटन कर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

प्रश्न नही उठता।

जनपद शाहजहांपुर, विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम डभौरा में 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र लगाये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"

24- क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड-जैतीपुर में ग्राम डभौरा में 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र लगाये जाने हेतु पत्र संख्या सी0एम0वि0/को/एम-95413/2004, दिनांक 14-2-04 अध्यक्ष, पावर कारपोरेशन उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नही, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉ।

ग्राम डभौरा में नये उपकेन्द्र का बनाया जाना वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से आवश्यक नहीं पाया गया।

प्रश्न नही उठता।

जनपद शाहजहांपुर में कतिपय लाइन पर से ग्राम ककुलुआ बोस तक हुई तार कटिंग पर तार आपूर्ति करवाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"

25- क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में की मदनापुर-छेदा पट्टी लाइन पर से ग्राम ककुलुआ बोस तक हुई तार कटिंग पर तार आपूर्ति करवाने के सम्बन्ध में आपके द्वारा पत्र संख्या सी-0 एम0 वि0/को/एम-95354/2004, दिनांक 14-2-04 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा को आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो प्रमुख सचिव द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नही, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हॉ।

उक्त ग्राम का तार चोरी चला गया था जिसकी प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है। उक्त ग्राम में कोई वैध कनक्शन नहीं है। अतः तार नही खींचा पाया।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ एवं इलाहाबाद के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज में पिछले कई वर्षों से कार्यरत लेक्चरर तथा डिमास्ट्रेटर के स्थानान्तरण की मांग

श्री कविंद कुमार सिंह-

26- क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा इलाहाबाद में कितने प्रोफेसर, लेक्चरर, चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट तथा डिमांस्ट्रेटर पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत है? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण अन्यत्र करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यो?

आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला)-

राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा इलाहाबाद में 7 लेक्चरर तथा 6 डिमांस्ट्रेटर पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। कोई भी प्रोफेसर तथा चिकित्सा अधिकारी राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा इलाहाबाद में पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत नहीं है। राजकीय यूनानी कालेज, लखनऊ में केवल एक फार्मासिस्ट 10 वर्षों से अधिक कार्यरत है।

स्थानान्तरण नीति के अन्तगत 10% कार्मिको का स्थानान्तरण किया जाना था। जिसके अनुपालन में दो लेक्चर तथा दो डिमांस्ट्रेटर का स्थानान्तरण, स्थानान्तरण सत्र, 2004 में किया जा चुका है। 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत एक फार्मासिस्ट का स्थानान्तरण नही किया गया है।

स्थानान्तरण नीति में निर्धारित अधिकतम 10% की सीमा तक स्थानान्तरण किये जाने के कारण ही राजकीय यूनानी कालेज, लखनऊ के फार्मासिस्ट का स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के विरुद्ध अनियमितता की जाँच

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह

27- क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कार्यरत श्रीमती एस0ई0सिन्हा, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग करने, वित्तीय अनियमितता, अभिलेखों की हेरा-फेरी किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 3.6.2002 को निलम्बित कर वरिष्ठ आई0ए0एस0 अधिकारियों द्वारा अलग-अलग जांच कराई गयी थी? यदि हां, तो क्या जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है? क्या उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये गये हैं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां,।

जी हाँ।

जांच अधिकारियों द्वारा कतिपय आरोप सिद्ध पाये गये हैं।

जांच अधिकारियों की जांच आख्याओं का परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी स्तर पर किया जा रहा है। परीक्षणोपरांत लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम अनपुरा, जैतीपुर की श्रीमती शीला को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

28- क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती शीला पत्नी स्व0 राजेन्द्र निवासी ग्राम-अनपुरा, जैतीपुर जनपद-शाहजहांपुर को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आर्थिक सहायता दिये जाने विषयक पत्र दिनांक 23-2-04 को पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एव/96446/04 द्वारा आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली को भेजा गया, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त विधवा को आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गयी है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हाँ।

जी नहीं।

आवेदक का प्रार्थना पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, शाहजहाँपुर में विलम्ब से प्राप्त होने के कारण आवेदक को भुगतान नहीं किया जा सका है।

प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षकों को शासनादेश के अनुसार प्रशिक्षण से मुक्त करने का लाभ समाज कल्याण विभाग के प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों को दिये जाने की मांग

श्री रमापति उर्फ रमाकान्त-

29- क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षकों को 5 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण करने पर शासनादेश दिनांक 9 दिसम्बर, 2003 द्वारा प्रशिक्षण से मुक्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या समाज कल्याण विभाग के सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों को उक्त लाभ दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हाँ।

जी नहीं।

उक्त शासनादेश संख्या - 1747/79-6-03-22(17)/02 दिनांक-9-12-03 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के शिक्षक/ शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण मुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में आदेश दिये गये हैं न कि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के प्रबन्ध तंत्र द्वारा संचालित प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षक/शिक्षिकाओं के लिये।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 4 अगस्त, 2004 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनायें प्राप्त हुयी। प्राप्त सूचनाओं में से अमांगा को छोड़ते हुये शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री कालीचरन राजभर की गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत भरसही नदी पर बन अधूरे पुल के निर्माण को पूर्ण कराकर आवागमन शुरु कराने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री लल्लू सिंह की फैजाबाद में 33/11 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन पूरा बाजार का निर्माण कार्य पूर्ण करके चालू कराने के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री अशोक सिंह चौहान की जनपद मैनपुरी की कुसमरा चौकी थाना किशनी में पंजीकृत अपराध की सी0वी0सी0आई0डी0 जाँच कराने के संबंध में है। चौथी सूचना श्रीमती माया प्रसाद की लखनऊ में बादशाह नगर कालोनी स्थित पार्क के अवैध कब्जे को हटवाने के संबंध में है। पाँचवी सूचना श्री मो0 रिजवान की लखनऊ में प्रतिभा सिनेमा काम्प्लेक्स में प्रस्तुति आटोमोबाइल्स नामक दूकान के मालिकों द्वारा जनता के धन का हड़प जाने की जाँच कराकर कार्यवाही किये जाने के संबंध में है। छठवीं सूचना तथा सातवीं सूचना के माननीय सदस्य क्रमशः श्री मुंशी लाल गौतम तथा श्री ओम प्रकाश पाण्डेय उपस्थित नहीं है। अतः प्रतीक्षा सूची से डा0 कौशल किशोर की सूचना लखीमपुर के करवा खीरी में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में है।

प्रतीक्षा सूची के दूसरे माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार अनुपस्थित हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी।)

जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत भैंसही नदी पर बने अधूरे पुल के निर्माण को पूर्ण कराकर आवागमन शुरु कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरन राजभर-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद में नखतपुर के पास भैंसही नदी पर पुल बनकर तैयार है लेकिन अगल-बगल दोनों तरफ पुल से सड़क तक अधूरा पड़ा है। जिससे आज तक इस पुल पर आवागमन चालू न हो सका इस पुल को बन जाने से मेरे विधान सभा के लोगों का सम्पर्क मऊ शहर से हो जायेगा क्योंकि मऊ एक व्यावसायिक शहर है जहाँ मेरे क्षेत्र से काफी लोग जाकर रोजी रोटी का काम करते हैं। लेकिन आज तक पुल का आवागमन चालू न होने से क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश तथा दुख व्याप्त है।

अत: इस लोक महत्व की अविलम्बनीय माँग को ध्यान में रखते हुए सदन की सारी कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने तथा पुल निर्माण कराकर आवागमन शुरु कराने की माँग करता हूँ।]

जनपद फैजाबाद में 33/11 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन पूरा बाजार का निर्माण कार्य पूर्ण करके चालू कराने के सम्बन्ध में नियम - 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लल्लू सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। जनपद फैजाबाद में पूरा बाजार में विद्युत आपूर्ति की समस्या को देखते हुए 33/11 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत किया गया है जिसका निर्माण कार्य आधा पूरा कर लिया गया है। परन्तु आधे कार्य को पूर्ण न किये जाने से जनमानस में आक्रोश है। आधा कार्य करने के बाद निर्माण कार्य बन्द पड़ा है। जनहित में अधूरे कार्य को पूर्ण कराकर विद्युत सब स्टेशन को चालू किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त 33/11 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण करके चाले कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मैनपुरी के चौकी कुसमरा थाना किशनी में पंजीकृत अपराध की जांच सी0वी0सी0आई0डी0 द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक सिंह चौहान-

[महोदय, घटना में नामं दर्ज अभियुक्त निर्दोष है। ग्राम भदेही थाना किशनी निवासी अजय पाल सिंह का मृतक और उसके एक साथी द्वारा लूट करने के उपरान्त मुर्गा बनाया। उक्त घटना की जानकारी ग्राम भदेई में हुई तो ग्राम के लगभग 400 ग्रामवासियों ने अजय पाल सिंह को बचाया एवं लूट में शामिल पप्पू व अटुआ नि0 नंगला कंज को पकड़कर मारपीट कर दी।

उक्त लूट की घटना पुलिस द्वारा नहीं लिखी गई परन्तु घटना के आठ दिन बाद लूट के अभियुक्त पप्पू की मृत्यु के उपरान्त पुलिस ने एक पक्ष का अपराध पंजीकृत कर ग्राम भदेई निवासी श्री बाबू सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह, राजू पुत्र गोपाल, गोपाल पुत्र रामचन्द्र, सत्यपाल एवं गुड्डू पुत्रगण कुंअरपाल सिंह, डा0 कलराम सिंह, गुड्डू पुत्र बलराम सिंह को नाम दर्ज कर दिया गया।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि लूट की घटना पुलिस ने दर्ज नहीं की इसके विपरीत अपराधियों को एकड़कर पुलिस के सुपुर्द करने वालों के खिलाफ ही धारा 394/302/147/504/506 का मुकदमा कर दिया गया। लूट में पीड़ित व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, द्वारा जांच के आदेश दिये गये।

जांच अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्रेषित अपनी आख्या में स्पष्ट कहा है कि अजय पाल सिंह के साथ घटित घटना से उत्पन्न स्थितिवश पप्पू व अदुआ की मारपीट किये जाने की पुष्टि हो सकी है, मारपीट मृत्यु कारित करने की दृष्टि से नहीं की गयी थी। माननीय अजय पाल के साथ घटित घटना की उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करवा दिया जाये।

जॉच में उन्होंने उल्लेख किया है कि यादव व ठाकुर पक्ष में तनाव है एवं राजनैतिक दवाव के कारण थाना पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच सम्भव नहीं हैं। इसके उपरान्त पुलिस अधीक्षक से उक्त विवेचना निष्पक्षता से करवाने हेतु सी0वी0सी0आई0डी0 जांच करवाने की संस्तुति की है।

मैं अविलम्बनीय, लोकमहत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर निर्दोष को न्याय मिल सके वर्ग संघर्ष टाला जा सके। इस प्रकार की कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

लखनऊ में बादशाहनगर कालोनी स्थित पार्क के अवैध कब्जे को हटवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माया प्रसाद-

[महोदय, मान्यवर मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग की बादशाह नगर कालोनी के अन्तर्गत स्थित एक पार्क में अवैध निर्माण करके कब्जा कर लिया गया है, जिससे कि वहॉ के निवासियों के बच्चों को पार्क में खेलने में अत्यन्त परेशानी हो रही है जिससे कालोनी में अत्यन्त आक्रोश व्याप्त है और यह सार्वजनिक प्रयोग में न आकर व्यक्तिगत सम्पत्ति के रुप में प्रयोग किया जा रहा है।

अत: मैं आपके माध्यम से शासन से मॉग करता हूँ कि तत्काल अवैध कब्जों से पार्क को मुक्त कराया जाए।]

जनपद लखनऊ में प्रतिभा सिनेमा काम्पलेक्स में प्रस्तुति आटोमोबाइल्स नामक दुकान के मालिक द्वारा जनता के धन को हड़पे जाने की जॉच कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद रिजवान-

[महोदय, सम्पूर्ण प्रदेश में फर्जी चिट फण्ड कम्पनी एवं अन्य निजी प्रतिष्ठानों द्वारा प्रदेश की जनता की मेहनत की कमाई को प्रलोभन देकर लूटा जा रहा है। इसका एक उदाहरण प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित सचिवालय नवीन भवन के सामने स्थित प्रतिभा सिनेमा काम्प्लेक्स में प्रस्तुति आटोमोबाइल्स नामक स्कूटर/मोटरसाइकिल विक्रय केन्द्र (दुकान) के प्रोप्राइटरों सर्व श्री संजीव अग्रवाल एवं राजेश जैन/समीर जैन (लखनऊ) द्वारा उपभोक्ताओं को स्कूटर/मोटरसाइकिल उपलब्ध कराये जाने का प्रलोभन देकर उनसे धनराशि अग्रिम के रूप में जमा कराया गया और कुछ समय बाद प्रोप्राइटरों द्वारा प्रतिष्ठान को बंद करके फरार हो गये है और इन उपभोक्ताओं का पैसा भी हड़प कर लिया है। इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं द्वारा थाना कोतवाली,

---

नोट - [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हुसैनगंज, लखनऊ में धारा 420 तथा अन्य धाराओं में अपराध संख्या-32, दिनांक 03 मार्च, 2004 पंजीकृत कराया गया है। जिसकी जांच भी की जा चुकी है।

अत: आपके माध्यम से मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखीमपुर के कस्बा खीरी में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 कौशल किशोर-

[महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर दिलाना चाहता हूँ जनपद लखीमपुर की विधान सभा क्षेत्र 54 लखीमपुर के कस्बा खीरी की आबादी लगभग 40000 है इस कस्बे में कोई महाविद्यालय छात्र छात्रों के लिये नहीं है जिससे क्षेत्र एवं कस्बे के छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा के लिये इधर उधर भटकना पड़ता है इसके अलावा अधिकांश लोग लखीमपुर महाविद्यालय में जाते है जहां सीटें कम होने के वजह से दाखिला नहीं पाते हैं खासतौर से गरीब छात्र एवं अधिक दूरी होने की वजह से छात्रायें सभी शिक्षा से वंचित रह जाती हैं इस समस्या से छात्र छात्राओं में आक्रोश व्याप्त है स्थिति चिन्ताजनक है विस्फोटक भी हो सकती है।

अत: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र 54 लखीमपुर के कस्बा खीरी में एक राजकीय महाविद्यालय बनाने हेतु सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

श्री राम इकवाल सिंह-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित है। हम जानना चाहते हैं कि जो 100 हैण्डपंप विधायकों को.....

श्री अध्यक्ष-

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मैंने गौर साहब से अनुरोध कर लिया है, आप बैठ जाएं नहीं तो बहस बढ़ जायेगी।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 27 जुलाई, 2004 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 जुलाई, 2004 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 अगस्त, 2004 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2004 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुछ नहीं है।

नोट - [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सआदतगंज बाजार मेन रोड से खत्री परफ्यूमर्श होते हुए केम्पवेल रोड तथा मार्ग एवं नाली का जीर्णोद्धार कराने विषयक श्री पुरुषोत्तम पुरी निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सआदतगंज, बाजार मेन रोड से खत्री परफ्यूमर्श होते हुए केम्पवेल रोड तक मार्ग एवं नाली का जीर्णोद्धार कराने विषयक श्री पुरुषोत्तम पुरी तथा श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव निवासीगण जनपद-लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुछ नहीं है।

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 03 अगस्त, 2004 को हुई अपनी बैठक में सदन के दिनांक 04 अगस्त से 06 अगस्त, 2004 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :--

अगस्त, 2004

04, बुधवार 1. नियम-56, 300 तथा 311 की सूचनाएं न ली जाएं।

2. वित्तीय वर्ष 2004-2005 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

3. वित्तीय वर्ष 1983-84 से 1989-90 के अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयकों का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उनका पारण।

4. प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री उदयभान करवरिया, श्री नवाब सिंह नागर, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 सलिल बिश्नोई सदस्यगण विधान सभा द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम-52 के अन्तर्गत दो घण्टे की चर्चा।

5. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री घूराराम, श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्रीमती अमीता सिंह, श्री उदयभान करवरिया, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री राम इकबाल सिंह, प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर तथा श्री मुंशीलाल गौतम, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम-52 के अन्तर्गत दो घण्टे की चर्चा।

05, गुरुवार 1. उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार एवं उसका पारण-एक घण्टा,

2 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार एवं उसका पारण-एक घण्टा

3. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार एवं उसका पारण-एक घण्टा

4. प्रो0 शिवाकान्त ओझा, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टें की चर्चा :-

'इस सदन का यह निश्चित मत है कि पूर्वांचल विकास निधि के त्वरित उपयोग हेतु उसकी धनराशि तुरन्त अवमुक्त की जाय।'

5. डा0 विनोद तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :-

'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण तथा शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायं।'

6. डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा :-

'विधायक निधि के कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।'

7. श्री छोटेलाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा :-

'आगरा स्थित ताजमहल की पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु ताज ट्रेपोजियम क्षेत्र में अपूर्ण विद्युत कार्यों को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।'

8. डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा :-

'उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक औषधियों के परीक्षण हेतु शासन द्वारा स्थापित प्रयोगशाला आवश्यकताओं के अनुरूप न होने के फलस्वरुप प्रदेश में एक बड़ी मात्रा में अधोमानक दवायें उपलब्ध हो जाने के सम्बन्ध में।'

06, शुक्रवार 1. असरकारी दिवस (आधा दिन)

2. विधायी कार्य (आधा दिन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री मुंशीलाल गौतम-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी नियम 301 की सूचना थी।..

श्री अध्यक्ष-

आप समझदार आदमी है, कृपया बैठें।

डा0 लक्ष्मी कांत वाजपेयी-

मान्यवर, स्वास्थ्य खराब हो गया था।

श्री अध्यक्ष-

इस सदन की पवित्रता बनाये रखिये, आप घर जाइये।

वित्तीय वर्ष 2004-2005 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान.

अनुदान संख्या 02- आवास विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 02- आवास विभाग के अन्तर्गत 10,00,67,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 02- आवास विभाग के अन्तर्गत 10,00,67,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 03 - उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 03- उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 2,60,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 03 - उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 2,60,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 04 - उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 04- उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 6,90,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 04 - उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 6,90,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 05 - उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 05- उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 20,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 05 - उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 20,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 06 - उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 06- उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 17,09,37,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 06 - उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 17,09,37,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 07 - उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 07- उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 90,51,76,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 07 - उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 90,51,76,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 08 - उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 08- उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत 2,23,17,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 07 - उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत 2,23,17,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 09 - उर्जा विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 09- ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 1,70,28,46,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 09 - ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 1,70,28,46,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 10 -कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)

कृषि राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 9,00,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10 - कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 9,00,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 11 - कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (श्री अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 11- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 37,58,27,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11 - कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 37,58,27,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 12 - कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

भूमि विकास एवं जल संसाधन परती भूमि विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 12- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 13,52,20,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12 - कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

के अन्तर्गत 13,52,20,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 13 - कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (श्री अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 13- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 55,65,51,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13 - कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 55,65,51,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 14 - कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 14- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 12,20,55,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14 - कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 12,20,55,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 15 - कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 15- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 4,86,65,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15 - कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 4,86,65,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 16 - कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

कृषि धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 16- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 1,59,57,000 रुपये की अनुपूरक

माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16 - कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 1,59,57,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 17 - कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 17- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 3,75,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17 - कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 3,75,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 18 - कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 18- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 10,07,15,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18 - कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 10,07,15,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 19 - कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 19- कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 86,30,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19 - कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 86,30,,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 20 - कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान

संख्या 20- कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20 - कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 21 - खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 21- खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 13,60,99,62,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21 - खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 13,60,99,62,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 22 - खेल विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 22- खेल विभाग के अॅन्तर्गत 86,91,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22 - खेल विभाग के अन्तर्गत 86,91,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 23 - गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 23- गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 88,05,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23 - गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 88,05,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 24 - गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

लोक निर्माण, कृषि, विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 24- गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 17,00,13,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24 - गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 17,00,13,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।).

अनुदान संख्या 26 - गृह विभाग (पुलिस)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 26- गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 15,18,51,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26 - गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 15,18,51,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 27 - गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 27- गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 1,05,00,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27 - गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 1,05,00,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 31 - चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री (आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर) (श्री विनोद कुमार सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 31- चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 4,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31 - चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 4,00,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 32 - चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 32- चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 31,07,21,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32 - चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 31,07,21,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 33 - चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 33- चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 87,09,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33 - चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 87,09,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 35 - चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 35- चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 11,91,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32 - चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 11,91,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 36 - चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 36- चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 2,04,12,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36 - चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 2,04,12,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 37 - नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 37- नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 92,32,90,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37 - नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 92,32,90,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 38 - नागरिक उड्डयन विभाग

होमगार्ड्स, सैनिक कल्याण, प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री (श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 38- नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 39,87,45,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38 - नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 39,87,45,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 40 - नियोजन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 40- नियोजन विभाग के अन्तर्गत 79,84,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40 - नियोजन विभाग के अन्तर्गत 79,84,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 41 - निर्वाचन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 41- निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 89,82,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41 - निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 89,82,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 42 - न्याय विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 42- न्याय विभाग के अन्तर्गत 72,22,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42 - न्याय विभाग के अन्तर्गत 72,22,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 43 - परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 43- परिवहन विभाग के अन्तर्गत 3,94,23,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43 - परिवहन विभाग के अन्तर्गत 3,94,23,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 44 - पर्यटन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 44- पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 5,93,71,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44 - पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 5,93,71,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 47 - प्राविधिक शिक्षा विभाग

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 47- प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,23,43,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47 - निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 1,23,43,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 48 - मुस्लिम वक्फ विभाग

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 48- मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 25,05,43,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48 - मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 25,05,43,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49 - महिला एवं बाल कल्याण विभाग

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 49- महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 4,08,00,78,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49 - महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 4,08,00,78,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 50 - राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 50- राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 9,64,56,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50 - राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 9,64,56,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 51 - राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 51- राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 1,85,34,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51- राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 1,85,34,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 52 - राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 52- राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 25,00,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52 - राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 25,00,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 55 -लोक निर्माण विभाग (भवन)

लोक निर्माण कृषि, विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिव पात्र सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 55- लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 6,50,44,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55 - लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 6,50,44,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 57 -लोक निर्माण विभाग (संचार-साधन-सेतु)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 57- लोक निर्माण विभाग (संचार-साधन-सेतु) के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57 - लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु) के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 58 -लोक निर्माण विभाग (संचार-साधन-सड़कें)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 58- लोक निर्माण विभाग (संचार-साधन-सड़कें) के अन्तर्गत 1,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58 - लोक निर्माण विभाग (संचार-साधन-सड़कें) के अन्तर्गत 1,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 59 -लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान रांख्या 59- लोक निर्माण विभाग (राज्य संपत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 1,90,20,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59 - लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 1,90,20,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 60 -वन विभाग

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 60- वन विभाग के अन्तर्गत 6,85,64,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60 - वन विभाग के अन्तर्गत 6,85,64,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 61 -वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 61- वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,48,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61 - वित्त विभाग के अन्तर्गत 2,48,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 62 -वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 62- वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) के अन्तर्गत 1,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62 - वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 1,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 63 -वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 63- वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 1,05,37,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63 - वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 1,05,37,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 65 -वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान

संख्या 65- वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 1,81,24,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65 - वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 1,81,24,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 67 -विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 67- विधान परिषद सचिवालय के अन्तर्गत 1,21,70,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67 - विधान परिषद सचिवालय के अन्तर्गत 1,21,70,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 68 -विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 68- विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 5,84,63,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68- विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 5,84,63,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 70 -विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 70- विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70 - विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 71 -शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 71- शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 2,80,27,72,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71 - शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 2,80,27,72,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 72 -शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

कृषि, धमार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 72- शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 3,67,75,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72 - शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 3,67,75,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 73 -शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

कृषि, धमार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 73- शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 37,21,46,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73 - शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 37,21,46,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 76 -श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 76- श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 23,70,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76 - श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 23,70,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 77 -श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 77- श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,50,90,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77 - श्रम विभाग (सेवा योजन) के अन्तर्गत 1,50,90,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 78 -सचिवालय प्रशासन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 78- सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 5,80,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78 - सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 5,80,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 79 -समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 79- समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 5,37,95,00,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79 - समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 5,37,95,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 80 -समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 80- समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 1,38,20,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80 - समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 1,38,20,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 81 -समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 81- समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 8,72,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81- समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 8,72,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 83 -समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 83- समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 2,40,99,74,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83 - समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 2,40,99,74,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 86 -सूचना विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 86- सूचना विभाग के अन्तर्गत 49,45,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86 - सूचना विभाग के अन्तर्गत 49,45,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 88 -संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 88- संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 7,55,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88 - संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 7,55,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 89 -संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)

कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 89- संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 1,23,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89 - संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 1,23,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 90 -संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 90- संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 6,47,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90 - संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 6,47,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 91 -संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान

संख्या 91- संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 24,00,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीं अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91 - संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 24,00,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 92 -संस्कृति विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 92- संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 32,62,51,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92 - संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 32,62,51,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 93 -सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

सिंचाई मंत्री (श्रीमती अनुराधा चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या 93- सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 93 - सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 94 -सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई मंत्री (श्रीमती अनुराधा चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या 94- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 87,96,08,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94 - सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 87,96,08,000 रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2004

ससदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

विनियोग विधेयक की प्रतियां बांट दी जायं।

(विधेयक की प्रतियां बांटी गयी)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खण्ड - 2 से खण्ड - 3 तक, अनुसूची, खण्ड - 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2004

31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का अनुपूरक) अधिनियम, 2004 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2004-2005 के लिए 4200,64,20,000 रुपये का दिया जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2005 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ - 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 4200,64,20,000 रुपये (चार हजार दो सौ करोड़ चौसठ लाख बीस हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
02	आवास विभाग	राजस्व :	100067	36001	136068
		पूंजी :	...	231507	231507
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं	राजस्व :	26000	...	26000
	निर्यात प्रोत्साहन)	पूंजी :	...	...	0
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	690	...	690
		पूंजी :	...	...	0
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	200000	...	200000
		पूंजी :	...	...	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	170937	...	170937
		पूंजी :	...	...	0
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम	राजस्व :	54766	...	54766
	उद्योग)	पूंजी :	850410	...	850410
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा	राजस्व :	14817	...	14817
	लेखन-सामग्री)	पूंजी :	7500	...	7500
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	1668039	...	1668039
		पूंजी :	34807	...	34807
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	900	...	900
	(औद्यानिक एवं रेशम विकास)	पूंजी :	...	...	0
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	330826	...	330826
		पूंजी :	45001	...	45001
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	135220	...	135220
	(भूमि विकास एवं जल संसाधन)	पूंजी	...	...	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	532650	...	532650
	(ग्राम्य विकास)	पूंजी :	23901	...	23901
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	122055	...	122055
	(पंचायती राज)	पूंजी :	...	...	0
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	48665	...	48665
	(पशुधन)	पूंजी :	...	...	0

अनुसूची

-- (क्रमश) :

1	2		3		
अनुदान	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संमेकित निधि पर भारित	योग
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास)	राजस्व :	15957	...	15957
		पूंजी :	...	...	0
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	37500	...	37500
		पूंजी :	...	...	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	23985	...	23985
		पूंजी :	76730	...	76730
19	कार्मिम विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	8630	...	8630
		पूंजी :	...	...	0
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	1000	...	1000
		पूंजी :	...	...	0
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	235818	...	235818
		पूंजी :	13374144	...	13374144
22	खेल विभाग	राजस्व :	4080	...	4080
		पूंजी :	4611	...	4611
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	7418	75	7493
		पूंजी :	1387	...	1387
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	170013	...	170013
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	119237	...	119237
		पूंजी :	32614	...	32614
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	10500	...	10500
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	40000	112	40112
		पूंजी :	...	...	0
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	7500	...	7500
		पूंजी :	303221	...	303221
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	1745	...	1745
		पूंजी :	6964	...	6964

अनुसूची

-- (क्रमश) :

1	2		3		
अनुदान	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	...	135	135
		पूंजी :	...	...	0
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	1191	...	1191
		पूंजी :	...	...	0
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	20412	...	20412
		पूंजी :	...	...	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	150190	...	150190
		पूंजी :	773100	...	773100
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	1461	...	1461
		पूंजी :	397284	...	397284
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	7984	...	7994
		पूंजी :	...	...	0
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	8982	...	8982
		पूंजी :	...	...	0
42	न्याय विभाग	राजस्व :	621	...	621
		पूंजी :	6601	...	6601
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	9924	...	9924
		पूंजी :	29499	...	29499
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	4134	...	4134
		पूंजी :	55237	...	55237
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	2588	...	2588
		पूंजी :	9755	...	9755
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व :	250543	...	250543
		पूंजी :	...	...	0
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	4080078	...	4080078
		पूंजी :	...	...	0
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	2572	...	2572
		पूंजी :	93884	...	93884

अनुसूची

-- (क्रमश) :

1	2		3		
अनुदान	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	18534	...	18534
		पूंजी :	...	...	0
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	2500	...	2500
		पूंजी :	...	...	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	14140	1953	16093
		पूंजी :	50904	...	50904
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	100000	...	100000
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	1000000	...	1000000
		पूंजी :	...	...	0
59	लोक निर्माण (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	19020	...	19020
		पूंजी :	...	...	0
60	वन विभाग	राजस्व :	35921	...	35921
		पूंजी :	32643	...	32643
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	248	203117	203365
		पूंजी :	...	515216	515216
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	राजस्व :	...	1000	1000
		पूंजी :	1000000	...	1000000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	10537	...	10537
		पूंजी :	...	...	0
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	18124	...	18124
		पूंजी :	...	...	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	12170	...	12170
		पूंजी :	...	...	0
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	50304	...	50304
		पूंजी :	8159	...	8159
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	10000	...	10000
		पूंजी :	...	...	0

अनुसूची

-- (क्रमश) :

1	2		3		
अनुदान	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	2787432	...	2787432
		पूंजी :	15340	...	15340
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	15587	...	15587
		पूंजी :	21188	...	21188
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	372146	...	372146
		पूंजी :	...	...	0
76	श्रम विभाग (कल्याण)	राजस्व :	2370	...	2370
		पूंजी :	...	...	0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	2711	...	2711
		पूंजी :	12379	...	12379
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	580	...	580
		पूंजी :	...	...	0
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	5379500	...	5379500
		पूंजी :	...	...	0
80	समाज कल्याण विभाग समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	1382000	...	1382000
		पूंजी :	...	...	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	872	...	872
		पूंजी :	...	...	0
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	2363323	...	2363323
		पूंजी :	46651	...	46651
86	सूचना विभाग	राजस्व :	4945	...	4945
		पूंजी :	...	...	0
88	संस्थागत विभा विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	755	...	755
		पूंजी :	...	...	0
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापारकर)	राजस्व :	12300	...	12300
		पूंजी :	...	...	0
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व :	647	...	647
		पूंजी :	...	...	0

अनुसूची

-- (क्रमश) :

1	2		3		
अनुदान	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियां से अनधिक (हजार रुपयों म)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	240000	...	240000
		पूंजी :	...	....	0
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	38881	...	38881
		पूंजी :	287370	...	287370
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	10000	1000	11000
		पूंजी :	...	170	170
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	879608	...	879608
	योग	राजस्व :	22254729	243393	22498122
		पूंजी :	18761405	746893	19508298
	महायोग :		41016134	990286	42006420

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1983-84 के अतिरिक्त अनुदानों की माँगों पर मतदान

अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग के अन्तर्गत 47,86,957 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

वर्ष 1983-84 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों की धनराशि इस समय स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री धर्म पाल सिंह-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है? इसमें अरबों रुपये की धनराशि पास करा ली और कुछ बात नहीं कही, इसका औचित्य भी नहीं बताया कि अनुपूरक माँग हम क्यों मांग रहे है यह 1983-84 का भी यहाँ आ रहा है। मैं कृपापूर्वक आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि यह 1983-84 का क्यों रखा गया?

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, पिछली सरकारों में जब स्वीकृत अनुदानों से अधिक व्यय हुआ, 1983-84 में जो सरकारें रही होंगी, विभिन्न विभागों में जो स्वीकृत अनुदान था उन अनुदानों से अधिक व्यय किया गया उसके विनियमन की व्यवस्था है। जो व्ययाधिक्य होता है लोकलेखा समिति के समक्ष जाता है, जो व्ययाधिक्य होता है उसके गुणदोष का परीक्षण लोकलेखा समिति द्वारा किया जाता है और जब लोक लेखा समिति उनके व्ययों से सहमत हो जाती है तो विधान सभा द्वारा उनका विनियमन संभव होता है। इस सरकार को आपको बधाई देनी चाहिये कि पिछले 15-16-17 वर्षों के व्ययाधिक्य के मामले जो सदन में नहीं आये थे, उनको हम विनियमन के लिये सदन में लाए है इस सरकार की पारदर्शिता है। नियमों के विपरीत जो वर्ष 1983-84, 84-85, 85-86, 86-87, 87-88, 88-89, 89-90 में व्ययाधिक्य हुआ है, सदन द्वारा उसकी अनुमति प्राप्त की जाय, इसीलिये वर्ष 83-84 के प्रकरण आज विधान सभा के सामने आये हैं।

वित्तीय वर्ष 1983-84 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान/

अनुदान संख्या 1-आबकारी विभाग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत 47,86,957 रुपये की मॉग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 03, उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 03- उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 53,70,033 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 03- उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 53,70,033 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 05, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 05- उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम) के अन्तर्गत 37,10,405 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 05- उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 37,10,405 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 11, खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 11- खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 2,49,980 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11- खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 2,39,980 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 14, गृह विभाग (कारागार)

कारागार राज्य मंत्री (श्री सूरज सिंह शाक्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 14- गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 2,32,45,998 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14- गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 2,32,45,998 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 15, गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 15- गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 2,04,93,092 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15- गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 2,04,93,092 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 18- ग्राम्य विकास विभाग

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 18- ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 9,48,39,264 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18- ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 9,48,39,264 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 19- चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 19- चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 12,41,27,559 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19- चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 12,41,27,559 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 21- चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 21- चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 10,94,66,874 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21- चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 10,94,66,874 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 25- नियुक्ति विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 25- नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत 3,59,601 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25- नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत 3,59,601 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 29- न्याय विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 29- न्याय विभाग के अन्तर्गत 76,735 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29- न्याय विभाग के अन्तर्गत 76,735 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 32- पर्यटन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 32- पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 5,39,126 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32- पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 5,39,126 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 34- पशुधन विभाग

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 34- पशुधन विभाग के अन्तर्गत 38,22,919 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34- पशुधन विभाग के अन्तर्गत 38,22,919 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 35- पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 35- पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 2,83,622 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35- पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 2,83,622 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 38- मत्स्य विभाग

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 38- मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 2,72,603 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38- मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 2,72,603 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 40- राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 40- राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 1,12,71,137 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40- राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 1,12,71,137 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 56- शिक्षा विभाग

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या

56- शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 16,79,66,030 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानो के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56- शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 16,79,66,030 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 57- श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 57- श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 4,10,830 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57- श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 4,10,830 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 58- श्रम विभाग (सेवायोजन)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 58- श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 7,24,681 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58- श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 7,24,681 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 61- संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)

कर एवं निवन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 61- संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 1,27,18,936 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61- संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 1,27,18,936रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 63- संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 63- संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 15,79,433 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63- संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 15,79,433 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 65- सतर्कता विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 65- सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 23,451 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65- सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 23,451 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 68- सांस्कृतिक विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 68- सांस्कृतिक विभाग के अन्तर्गत 52,501 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68- सांस्कृतिक विभाग के अन्तर्गत 52,501 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 70- सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 70- सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग के अन्तर्गत 10,982 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70- सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग के अन्तर्गत 10,982 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 71- सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 71- सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 6,00,79,508 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71- सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 6,00,79,508 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 72- सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 50,77,96,516 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72- सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 50,77,96,516 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 73- सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 4,07,299 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73- सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 4,07,299 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 75- सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार) के अन्तर्गत 32,04,38,337 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75- सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार) के अन्तर्गत 32,04,38,337 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

सिंचाई मंत्री (श्रीमती अनुराधा चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या 76- सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 11,02,95,955 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76- सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 11,02,95,955 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई मंत्री (श्रीमती अनुराधा चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या 77- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 84,98,06,982 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 84,98,06,982 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-78 सूचना विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 78- सूचना विभाग के अर्न्तगत 15,37,222 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78- सूचना विभाग के अन्तर्गत 15,37,222 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-81 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 81- हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 90,99,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81- हरिजन कल्याण समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 90,99,000रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1983-84 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1984-85 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या-3 उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 3- उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 1,63,655 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3- उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 1,63,655 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-6 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 6- उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 41,06,991 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6- उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 41,06,991 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-8 कार्मिक विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 8- कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 88,597 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8- कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 88,597 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-14 गृह विभाग (कारागार)

कारागार मंत्री (श्री राकेश कुमार वर्मा)-.

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 14- गृह विभाग (कारागार) के अर्न्तगत 7,81,100 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 7,81,100 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-15 गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 15- गृह विभाग (पुलिस) के अर्न्तगत 38,278 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15- गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 38,278 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-20 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 20- चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अर्न्तगत 56,90,120 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20- चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 56,90,120 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-24 नागरिक सुरक्षा विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 24- नागरिक सुरक्षा विभाग के अर्न्तगत 1,98,45,782 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24- नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,98,45,782 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-25 नियुक्ति विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 25- नियुक्ति विभाग के अर्न्तगत 20,277 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25- नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत 20,277 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-28 निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 28- निर्वाचन विभाग के अर्न्तगत 88,96,245 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28- निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 88,96,245 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-30 पंचायती राज विभाग

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 30- पंचायती राज विभाग के अर्न्तगत 15,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30- पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 15,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-40 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 40- राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अर्न्तगत 6,17,180 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40- राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 6,17,180 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-50 वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 50- वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अर्न्तगत 4,984 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50- वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 4,984 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-52 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 52- वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अर्न्तगत 37,378 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52- वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 37,378 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-54 विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 54- विधान सभा सचिवालय के अर्न्तगत 935 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54- विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 935 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-56 शिक्षा विभाग

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 56- शिक्षा विभाग के अर्न्तगत 19,17,82,297 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56- शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 19,17,82,297 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-60 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 60- संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 5,067 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60- संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 5,067 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-61 संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 61- संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 2,62,47,699 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61- संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 2,62,47,699 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-62 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 62- संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 1,00,103 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62- संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 1,00,103 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-63 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 63- संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 47,43,718 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63- संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 47,43,718 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-64 सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 64- सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 8,75,148 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सख्या 64- सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 8,75,148 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 71- सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 5,17,47,334 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71- सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 5,17,47,334 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 72- सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 33,85,40,356 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72- सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 33,85,40,356 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 73- सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 25,19,073 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73- सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 25,19,073 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-74 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 74- सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 1,44,45,219 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74- सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 1,44,45,219 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 75- सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 20,63,89,024 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75- सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 20,63,89,024रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

सिंचाई मंत्री (श्रीमती अनुराधा चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या 76- सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 7,31,23,024 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से

सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76- सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 7,31,23,024 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई मंत्री (श्रीमती अनुराधा चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 77- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अर्न्तगत 73,73,74,023 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 73,73,74,023 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-78 सूचना विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 78- सूचना विभाग के अर्न्तगत 7,36,072 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78- सूचना विभाग के अन्तर्गत 7,36,072 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1985-86 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान,

अनुदान संख्या-7 ऊर्जा विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 7- ऊर्जा विभाग के अर्न्तगत 55,28,495 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7- ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 55,28,495 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-9 कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 9- कृषि विभाग (औद्यानिक) के अन्तर्गत 3,00,510 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9- कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 3,00,510 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-12 गन्ना विकास विभाग

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 12- गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 2,98,273 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12- गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 2,98,273 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-13 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 13- गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 9,51,04,300 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13- गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 9,51,04,300 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-14 गृह विभाग (कारागार)

कारागार मंत्री (श्री राकेश कुमार वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 14- गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 21,99,075 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1935-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14- गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 21,99,075 रुपये की मांग,

वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-20 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद अ[illegible]

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 20- चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 6,51,44,289 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20- चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 6,51,44,289 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-27 निर्यात प्रोत्साहन

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 27- निर्यात प्रोत्साहन के अन्तर्गत 90,095 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27- निर्यात प्रोत्साहन के अन्तर्गत 90,095 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-31 परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 31- परिवहन विभाग के अन्तर्गत 12,07,264 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31- परिवहन विभाग के अन्तर्गत 12,07,264 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-32 पर्यटन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 32- पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 3,456 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32- पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 3,456 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-34 पशुधन विभाग

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 34- पशुधन विभाग के अन्तर्गत 3,39,61,581 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34- पशुधन विभाग के अन्तर्गत 3,39,61,581 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-37 प्राविधिक शिक्षा विभाग

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 37- प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 16,66,104 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37- प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 16,66,104 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-41 राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)

राजस्व मंत्री (श्रीमती अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 41- राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत 5,93,15,379 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41- राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत 5,93,15,379रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-46 वन विभाग

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 46- वन विभाग के अन्तर्गत 5,09,470 रुपये की माग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46- वन विभाग के अन्तर्गत 5,09,470 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-56 शिक्षा विभाग

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 56- शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 4,66,41,755 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56- शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 4,66,41,755 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-62 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 62- संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 33,71,236 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62- संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 33,71,236 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-63 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प तथा पंजीकरण)

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 63- संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प तथा पंजीकरण) के अन्तर्गत 6,622 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63- संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प तथा पंजीकरण) के अन्तर्गत 6,622 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-64 सचिवालय प्रशासन विभाग

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 64- सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 36,25,159 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64- सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 36,25,159 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-70 सार्वजनिक उद्यम विभाग

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 70- सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 1,06,329 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70- सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 1,06,329 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 71- सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 4,75,32,906 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71- सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 4,75,32,906 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 72- सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन) के अन्तर्गत 47,69,01,729 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72- सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन) के अन्तर्गत 47,69,01,729 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 73- सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अर्न्तगत 1,02,95,272 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73- सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत 1,02,95,272 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-74 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 74- सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अर्न्तगत 9,26,428 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74- सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 9,26,428 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 75- सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार) के अर्न्तगत 37,74,04,085 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75- सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार) के अन्तर्गत 37,74,04,085 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 76- सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अर्न्तगत 21,38,93,586 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76- सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 21,38,93,586 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 77- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अर्न्तगत 1,83,91,94,544 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 1,83,91,94,544 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1986-87 के अतिरिक्त अनुदानों की मॉगों पर मतदान,

अनुदान संख्या-5 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 5 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 18,31,027 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-5 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 18,31,027 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 8 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत 1,32,26,816 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत 1,32,26,816रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-14 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 14 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 10,22,64,494 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-14 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 10,22,64,494 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 16 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 359 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 359 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-22 खाद्य एवं रसद विभाग

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-22 खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत 14,33,169 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-22 खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत 14,33,169 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 97,31,845 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या- 22 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 97,31,845 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 36 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 17,15,63,695 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 17,15,63,695 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-37 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यबर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 37 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 5,16,20,742 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-37 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 5,16,20,742 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-38 सिविल विमानन विभाग

होम गार्ड्स, सैनिक कल्याण, प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 38 सिविल विमानन विभाग के अन्तर्गत 1,00,47,829 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-38 सिविल विमानन विभाग के अन्तर्गत 1,00,47,829 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-46 प्राविधिक शिक्षा विभाग

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 46 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,16,98,897 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-46 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,16,98,897 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 57,598 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 57,598 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के लिए सहायता)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 50 राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के लिए सहायता) के अन्तर्गत 3,62,84,205 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के लिए सहायता) के अन्तर्गत 3,62,84,205 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-60 विधान परिषद सचिवालय

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 60 विधान परिषद सचिवालय के अन्तर्गत 6,57,785 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से

सम्वद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-60 विधान परिषद सचिवालय के अन्तर्गत 6,57,785 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्वद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-63 विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 63 विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 3,04,84,005 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्वद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-63 विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 3,04,84,005 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्वद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-66 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 66 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 11,54,62,724 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्वद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-66 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्ष) के अन्तर्गत 11,54,62,724 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्वद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-69 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम मंत्री (डॉ0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 69 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 55,25,777 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्वद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-69 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 55,25,777 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्वद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 8,14,77,387 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 8,14,77,387 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन) के अन्तर्गत 56,47,93,393 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन) के अन्तर्गत 56,47,93,393रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत 63,90,645 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत 63,90,645 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-74 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 74 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 9,04,909 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-74 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 9,04,909 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 44,82,14,443 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 44,82,14,443रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 9,40,11,209 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 9,40,11,209 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 77 सिंचाई विभाग (निर्माण) के अन्तर्गत 1,26,29,98,848 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण) के अन्तर्गत 1,26,29,98,848 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 1,96,55,254 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 1,96,55,254 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-81 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प तथा पंजीकरण)

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 81 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प तथा पंजीकरण) के अन्तर्गत 83,28,273 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-81 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प तथा पंजीकरण) के अन्तर्गत 83,28,273 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-84 सहायता एवं पुनर्वास विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 84 सहायता एवं पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत 1,25,312 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-84 सहायता एवं पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत 1,25,312 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-89 सैनिक कल्याण विभाग

होम गार्ड्स, सैनिक कल्याण, प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 89 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 5,58,301 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-89 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 5,58,301 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1986-1987 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1987-88 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या- 1 आबकारी विभाग के अन्तर्गत 12,22,012 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-1 आवकारी विभाग के अन्तर्गत 12,22,012 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 9,40,957 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 9,40,957 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 8,86,51,098 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 8,86,51,098रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-25 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

लोकनिर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-25 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 57,10,83,620 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-25 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 57,10,83,620 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 14,09,907 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 14,09,907रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 6,76,72,581 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 6,76,72,581 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-37 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-37 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 13,58,473 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-37 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 13,58,473रुपये

की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-46 प्राविधिक शिक्षा विभाग

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-46 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 60,15,145 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-46 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 60,15,145 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 29,68,125 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 29,68,125 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-53 वन विभाग

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-53 वन विभाग के अन्तर्गत 8,80,671 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-53 वन विभाग के अन्तर्गत 8,80,671 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-55 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान

संख्या-55 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के अन्तर्गत 23,62,20,244 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-55 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के अन्तर्गत 23,62,20,244 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-56 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-56 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 4,31,744 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-56 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 4,31,744रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-59 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-59 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 93,038 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-59 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 93,038 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान सख्या-63 विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-63 विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 4,90,005 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-63 विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 4,90,005 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-65 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-65 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 2,11,77,681 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-65 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 2,11,77,681 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-68 शिक्षा विभाग (राजकीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-68 शिक्षा विभाग (राजकीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 57,02,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-68 शिक्षा विभाग (राजकीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 57,02,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 5,78,04,489 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 5,78,04,489 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन) के अन्तर्गत 63,52,84,442 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन) के अन्तर्गत 63,52,84,442 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत 1,52,57,247 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत 1,52,57,247 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 60,04,09,107 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 60,04,09,107 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 24,90,15,969 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 24,90,15,969 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 1,52,64,35,237 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 1,52,64,35,237 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा पवन कर)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा पवन कर) के अन्तर्गत 3,36,55,857 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानो के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा पवन कर) के अन्तर्गत 3,36,55,857 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-82 सचिवालय प्रशासन विभाग

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-82 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 14,42,709 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-82 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 14,42,709 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-87 सार्वजनिक उद्यम विभाग

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-87 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 2,140 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-87 सावजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 2,140 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-88 सूचना विभाग

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरण पाल सिंह)-

मान्यवर, मै आपकी अनुज्ञा स और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-88 सूचना विभाग क अन्तर्गत 85,18,440 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-88 सूचना विभाग के अन्तर्गत 85,18,440 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-89 सैनिक कल्याण विभाग

होम गार्ड्स, सैनिक कल्याण, प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-89 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 2,72,275 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-89 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 2,72,275 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-92 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (आदिवासी कल्याण)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-92 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (आदिवासी कल्याण) के अन्तर्गत 63,42,400 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-92 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (आदिवासी कल्याण) के अन्तर्गत 63,42,400 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1987-1988 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1988-89 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या-2 आवास एवं नगर विकास विभाग (आवास)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-2 आवास एवं नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत 50,25,675 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-2 आवास एवं नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत 50,25,675 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 4,74,72,695 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 4,74,72,695 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 4,11,33,909 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 4,11,33,909 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध विकास)

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध विकास) के अन्तर्गत 15,16,164 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध विकास) के अन्तर्गत 15,16,164 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (पुलिस)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 33,67,96,671 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 33,67,96,671 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,01,51,965 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,01,51,965 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 7,06,08,113 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 7,06,08,113 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान

संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,41,39,280 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,41,39,280 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,24,98,272 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,24,98,272 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 2,98,52,820 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 2,98,52,820 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 17,97,29,458 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्यपाण) के अन्तर्गत 17,97,29,458 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-37 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-37 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 5,74,57,788 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-37 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 5,74,57,788 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरनपाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग के अन्तर्गत 49,08,752 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग के अन्तर्गत 49,08,752 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत 8,39,90,857 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत 8,39,90,857 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 32,92,076 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 32,92,076 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-47 पर्वतीय विकास विभाग

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-47 पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 6,14,67,399 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-47 पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 6,14,67,399 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 10,610 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 10,610 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-53 वन विभाग

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-53 वन विभाग के अन्तर्गत 34,309 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-53 वन विभाग के अन्तर्गत 34,309 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-55 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-55 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के अन्तर्गत 3,12,04,383 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-55 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के अन्तर्गत 3,12,04,383 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-59 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-59 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 4,36,100 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-59 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 4,36,100 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-63 विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-63 विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 19,70,686 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-63 विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 19,70,686 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-70 श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम मंत्री (डॉ0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-70 श्रम विभाग (सेवा योजन) के अन्तर्गत 16,62,409 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-70 श्रम विभाग (सेवा योजन) के अन्तर्गत 16,62,409 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (स्थापना)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (स्थापना) के अन्तर्गत 6,36,41 424 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (स्थापना) के अन्तर्गत 6,36,41,4 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन) के अन्तर्गत 92,14,22,902 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन) के अन्तर्गत 92,14,22,902 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत 1,23,44,312 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत 1,23,44,312 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-74 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-74 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 22,94,313 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-74 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 22,94,313 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार) के अन्तर्गत 48,57,68,094 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार) के अन्तर्गत 48,57,68,094 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (स्थापना)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (स्थापना) के अन्तर्गत 52,92,26,834 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (स्थापना) के अन्तर्गत 52,92,26,834 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 2,47,18,65,619 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 2,47,18,65,619 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-79 संस्थागत वित्त विभाग (विक्रीकर)

वेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-79 संस्थागत वित्त विभाग (विक्रीकर) के अन्तर्गत 2,38,21,078 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-76 संस्थागत वित्त विभाग (विक्रीकर) के अन्तर्गत 2,38,21,078 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन एवं बाजीकर)

वेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन एवं बाजीकर) के अन्तर्गत 5,78,83,075 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन एवं बाजीकर) के अन्तर्गत 5,78,83,075 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-81 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-81 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 1,45,66,570 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-81 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 1,45,66,570 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-89 सैनिक कल्याण विभाग

होमगार्ड्स, सैनिक कल्याण, प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-89 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 11,57,408 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-89 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 11,57,408 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-92 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-92 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 9,94,969 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-92 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 9,94,969 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1988-1989 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1989-90 के अतिरिक्त अनुदानों की मॉगों पर मतदान

अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत 2,17,50,608 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत 2,17,50,608 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-9 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-9 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 7,55,30,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-9 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 7,55,30,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान

संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 16,807 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 16,807 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 10,40,593 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 10,40,593 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 5,337 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 5,337 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 5,07,569 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 5,07,569 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 11,38,058 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 11,38,058 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 4,94,478 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 4,94,4 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-22 खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-22 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 4,51,98,526 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-22 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 4,51,98,526 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (डॉ0 अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 5,70,238 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 5,70,238 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (कारागार)

कारागार राज्य मंत्री (श्री सूरज सिंह शाक्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 2,53,15,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 2,53,15,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (पुलिस)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 39,36,95,771 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 39,36,95,771 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,22,20,653 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,22,20,653 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-29 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-29 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तगत 2,08,24,246 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-29 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 2,08,24,246 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 11,64,62,773 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 11,64,62,773 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग के अन्तर्गत 11,28,70,738 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग के अन्तर्गत 11,28,70,738 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत 7,53,31,729 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत 7,53,31,729 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 9,69,491 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 9,69,491 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-45 प्रशासनिक सुधार विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-45 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 37,887 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानो के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-45 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 37,887 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 22,419 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 22,419 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-49 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

श्रम मंत्री (डॉ0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-49 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 1,65,85,813 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-49 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 1,65,85,813 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 10,63,66,361 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 10,63,66,361 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-57 वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-57 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 12,945 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-57 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 12,945 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-59 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-59 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 4,626 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-59 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 4,626 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-65 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-65 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 15,08,25,308 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-65 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 15,08,25,308 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-69 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-69 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 2,16,18,142 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-69 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 2,16,18,142 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-70 श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-70 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,56,67,536 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-70 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,56,67,536 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-71 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-71 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 13,88,49,391 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-71 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 13,88,49,391 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-72 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-72 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 44,96,42,014 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-72 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 44,96,42,014 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-73 लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-73 लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत 85,91,885 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-73 लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत 85,91,885 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-75 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)

लोक निर्माण, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-75 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 66,93,80,407 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-75 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 66,93,80,407 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 49,54,01,789 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 49,54,01,789 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 1,60,40,63,660 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 1,60,40,63,660 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-79 संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-79 संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 1,15,43,474 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-79 संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 1,15,43,474 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 7,89,75,184 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-80 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 7,89,75,184 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-81 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-81 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 2,33,33,857 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-81 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 2,33,33,857 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-82 सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-82 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 79,18,079 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-82 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 79,18,079 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-88 सूचना विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-88 सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,17,83,561 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-88 सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,17,83,561 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-92 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-92 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 16,52,71,141 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-92 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 16,52,71,141 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1989-1990 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 और 1989-1990 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2004

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 और 1989-1990 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2004 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 और 1989-1990 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2004 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

विनियोग विधेयक की प्रतियाँ बंटवा दें।

(प्रतियाँ वितरित की गई)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 और 1989-1990 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2004 को पुर: स्थापित करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 और 1989-1990 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 और 1989-1990 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड - 9 तक, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, पंचम अनुसूची, छठी अनुसूची व सातवीं अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2004

दिनांक 31 मार्च, 1984, दिनांक 31 मार्च, 1985, दिनांक 31 मार्च, 1986, दिनांक 31 मार्च, 1987, दिनांक 31 मार्च, 1988, दिनांक 31 मार्च, 1989, दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वित्तीय वर्षो के कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उन वर्षो के लिये स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती व्यय हुई धनराशियों की पूर्ति के लिये राज्य की समेकित निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त शीर्षनाम

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के बढ़ती व्यय का विनियमन) अधिनियम, 2004 कहा जायगा।

1983-84 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से 322,51,19,958 रुपये का दिया जाना।

2- उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से प्रथम अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों को, जिनता कुल योग 3,22,51,19,958 रुपये (रुपये तीन सौ बाईस करोड़ इक्यावन लाख उन्नीस हजार नौ सौ अट्ठावन मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

1984-85 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से 261,75,83,098 रुपये का दिया जाना।

3- उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों को, जिनका कुल योग 261,75,83,098 रुपये (रुपये दो सौ इकसठ करोड़ पचहत्तर लाख तिरासी हजार अट्ठानवे मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 1985 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

4- उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से तृतीय अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों को, जिनका कुल योग 399,36,61,154 रुपये (रुपये तीन सौ निन्यानवे करोड़ छत्तीस लाख इक्सठ हजार एक सौ चौवन मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

1985-86 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से 399,36,61,154 रुपये का दिया जाना।

5- उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से चतुर्थ अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों को, जिनका कुल योग 397,72,05,353 रुपये (रुपये तीन सौ सत्तानवे करोड़ बहत्तर लाख पांच हजार तीन सौ तिरपन मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

1986-87 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से 397,72,05,353 रुपये का दिया जाना।

6- उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से पांचवी अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशिओं को, जिनका कुल योग 480,66,44,342 रुपये (रुपये चार सौ अस्सी करोड़ छियासठ लाख चौवालिस हजार तीन सौ बयालिस मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

1987-88 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से 480,66,44,342 रुपये का दिया जाना।

7- उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से छठी अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों को, जिनका कुल योग 560,35,53,059 रुपये (रुपये पांच सौ साठ करोड़ पैतिस लाख तिरपन हजार उनसठ मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

1988-89 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से 560,35,53,059 रुपये का दिया जाना।

8- उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से सातवीं अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों को, जिनका कुल योग 497,23,12,069

1989-90 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा

रुपये (रुपये चार सौ सत्तानवे करोड तेइस लाख बारह हजार उनहत्तर मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

करने के लिये उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से 497,23,12,069 रुपये का दिया जाना।

9- इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने का प्राधिकार दिया गया समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग

विनियोग

(क) दिनांक 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में प्रथम अनुसूची में;

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1985 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में द्वितीय अनुसूची में;

(ग) दिनांक 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में तृतीय अनुसूची में;

(घ) दिनांक 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध मे चतुर्थ अनुसूची में;

(ङ) दिनांक 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में पांचवी अनुसूची में;

(च) दिनांक 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में छटी अनुसूची में;

(छ) दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में सातवी अनुसूची में;

उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा और किया गया समझा जायेगा।

प्रथम अनुसूची

(धारा 2 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
1	आबकारी विभाग	राजस्व	4786957	10	4786967
		पूंजी	....	....	
2	आवास एवं नगर भूमि विभाग	राजस्व	....	206376	206376
		पूंजी	....	....	
3	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	राजस्व	370033	....	370033
		पूंजी	5000000	....	5000000
4	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	....	1085581	1085581
		पूंजी	....	....	
5	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	3710405	....	3710405
11	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	239980	....	239980
		पूंजी	....	....	
14	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	23245998	....	23245998
15	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	20493092	...	20493092
		पूंजी	....	....	
18	ग्राम विकास विभाग	राजस्व	94257972	...	94257972
		पूंजी	581292	....	581292
19	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	राजस्व	124127559	....	124127559
		पूंजी	....	....	
21	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	109466874	....	109466874
		पूंजी	....	....	
25	नियुक्ति विभाग	राजस्व	359601	....	359601
		पूंजी	....	....	
29	न्याय विभाग	राजस्व	76735	....	76735
		पूंजी	....	....	
31	परिवहन विभाग	राजस्व	....	356854	356854
		पूंजी	....	....	

प्रथम अनुसूची

(धारा 2 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
32	पर्यटन विभाग	राजस्व	539126	....	539126
		पूंजी	....	....	
34	पशुधन विभाग	राजस्व	3822919	....	38229119
		पूंजी	....	....	
35	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	283422	....	283422
		पूंजी	200	....	200
38	मत्स्य विभाग	राजस्व	272603	....	272603
		पूंजी	....	....	
40	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	11271137	....	11271137
		पूंजी	....	....	
41	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं	राजस्व	....	....	
	के कारण सहायता)	पूंजी	....	193	193
42	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद	राजस्व	....	912645	912645
	तथा अन्य व्यय)	पूंजी	....	....	
47	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा	राजस्व	....	....	
	अन्य व्यय)	पूंजी	....	771857153	771857153
51	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा	राजस्व	....	56454	56454
	अल्प बचत आदि)	पूंजी	....	....	
52	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	....	2542948	2542948
		पूंजी	....	....	
56	शिक्षा विभाग	राजस्व	167966030	....	167966030
		पूंजी	....	....	
57	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	410830	....	410830
		पूंजी	....	....	
58	श्रम विभाग (सेवा योजन)	राजस्व	724681	....	724681
		पूंजी	....	....	
61	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	12718936	....	12718936
		पूंजी	....	....	

प्रथम अनुसूची

(धारा 2 और 9 देखिये) (रकमें में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती व्यय की समाकेत निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
63	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	1579433	....	1579433
		पूंजी	....	....	
65	सतर्कता विभाग	राजस्व	23451	....	23451
		पूंजी	....	....	
66	सहकारिता विभाग	राजस्व	....	2248176	2248176
		पूंजी	....	....	
68	सांस्कृतिक विभाग	राजस्व	52501	....	52501
		पूंजी	....	....	
70	सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग	राजस्व	10982	....	10982
		पूंजी	....	....	
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग	राजस्व	....	....	
	(अधिष्ठान)	पूंजी	60079508	....	60079508
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग	राजस्व	6819535	....	6819535
	(अनावासिक भवन)	पूंजी	500976981	....	500976981
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग	राजस्व	407299	....	407299
	(आवास भवन)	पूंजी	....	....	
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	320438337	....	320438337
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	110295955	....	110295955
		पूंजी	....	....	
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	317996052	....	317996052
		पूंजी	531810930	....	531810930
78	सूचना विभाग	राजस्व	153557	....	153557
		पूंजी	1650	....	1650
81	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	राजस्व	....	....	
		पूंजी	9099000	....	9099000
	योग	राजस्व	99090926	7409044	998318311
		पूंजी	1454944301	771857346	2226801647
	महायोग		2445853568	779266390	3225119958

द्वितीय अनुसूची

(धारा 3 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
3	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	राजस्व	163655	....	163655
		पूंजी	....	....	
6	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और	राजस्व	2685207	....	2685207
	मुद्रण)	पूंजी	1421784	....	1421784
8	कार्मिक विभाग	राजस्व	88597	....	88597
		पूंजी	....	....	
13	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	....	111666000	111666000
		पूंजी	....	....	
14	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	781100	....	781100
15	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	38278	....	38278
20	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	5690120	....	5690120
		पूंजी	....	....	
21	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक	राजस्व	....	121000	121000
	स्वास्थ्य)	पूंजी	....	....	
24	नागरिक सुरक्षा विभाग	राजस्व	19845782	....	19845782
		पूंजी	....	....	
25	नियुक्ति विभाग	राजस्व	20277	....	20277
		पूंजी	....	....	
28	निर्वाचन विभाग	राजस्व	8896245	....	8896245
		पूंजी	....	....	
29	न्याय विभाग	राजस्व	....	1174690	1174690
		पूंजी	....	....	
30	पंचायती राज विभाग	राजस्व	....	....	
		पूंजी	1500000	....	1500000
40	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	617180	....	617180
		पूंजी	....	....	

द्वितीय अनुसूची

(धारा 3 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
42	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	राजस्व	....	215970	215970
		पूंजी	....	....	
47	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	....	193062067	193062067
		पूंजी	....	598615768	598615768
50	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	4984	....	4984
		पूंजी	....	....	
52	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	37378	....	37378
		पूंजी	....	....	
54	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	935	....	935
		पूंजी	....	....	
56	शिक्षा विभाग	राजस्व	191782297	....	191782297
		पूंजी	....	....	
60	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	5067	....	5067
		पूंजी	....	....	
61	संस्थागत वित्त विभाग (विक्रीकर)	राजस्व	26247699	....	26247699
		पूंजी	....	....	
62	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	100103	....	100103
		पूंजी	....	....	
63	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	4005598	....	4005598
		पूंजी	738120	....	738120
64	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	875148	....	875148
		पूंजी	....	....	
66	सहकारिता विभाग	राजस्व	....	22307924	22307924
		पूंजी	....	....	
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	51747334	....	51747334
		पूंजी	....	....	
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	2916096	....	2916096
		पूंजी	335624260	....	335624260

द्वितीय अनुसूची

(धारा 3 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	2519073	....	2519073
		पूंजी	....	....	
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	14445219	....	14445219
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	206389024	....	206389024
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	73123024	....	73123024
		पूंजी	....	....	
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	311151037	....	311151037
		पूंजी	426222986	....	426222986
78	सूचना विभाग	राजस्व	736072	....	736072
		पूंजी	....	....	
	योग	राजस्व	703258908	328547651	1031806559
		पूंजी	987160771	598615768	1585776539
	महायोग		1690419679	927163419	2617583098

तृतीय अनुसूची

(धारा 4 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
4	उद्योग विभाग (ग्राम एवं	राजस्व	....	1650036	1650036
	लघु उद्योग)	पूंजी	....	3305000	3305000
7	ऊर्जा विभाग	राजस्व	5528495	....	5528495
		पूंजी	....	....	
9	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	279196	....	279196
		पूंजी	21314	....	21314
12	गन्ना विकास विभाग	राजस्व	298273	260000	558273
		पूंजी	....	....	
13	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	94405300	....	94405300
		पूंजी	699000	....	699000
14	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	2199075	....	2199075
		पूंजी	....	....	
15	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	....	860846	860846
		पूंजी	....	334	334
20	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	63697199	....	63697199
		पूंजी	1447090	....	1447090
27	निर्यात प्रोत्साहन विभाग	राजस्व	90095	....	90095
		पूंजी	....	....	
29	न्याय विभाग	राजस्व	....	674285	674285
		पूंजी	....	....	
31	परिवहन विभाग	राजस्व	1207264	....	1207264
		पूंजी	....	....	
32	पर्यटन विभाग	राजस्व	3456	....	3456
		पूंजी	....	....	
34	पशुधन विभाग	राजस्व	33961581	....	33961581
		पूंजी	....	....	
37	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	1666104	....	1666104
		पूंजी	....	....	

तृतीय अनुसूची
(धारा 4 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
41	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)	राजस्व	59315379	15910045	75225424
		पूंजी	....	....	
45	लोक सेवा आयोग	राजस्व	....	471453	471453
		पूंजी	....	....	
46	वन विभाग	राजस्व	....	....	
		पूंजी	509470	....	509470
47	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	....	685277692	685277692
56	शिक्षा विभाग	राजस्व	46641755	....	46641755
		पूंजी	....	....	
62	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	3371236	....	3371236
		पूंजी	....	....	
63	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	6622	....	6622
		पूंजी	....	....	
64	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	3625159	....	3625159
		पूंजी	....	....	
65	सतर्कता विभाग	राजस्व	....	21771	21771
		पूंजी	....	....	
70	सार्वजनिक निर्माण विभाग	राजस्व	106329	....	106329
		पूंजी	....	....	
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	47532906	....	47532906
		पूंजी	....	....	
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन)	राजस्व	7111579	....	7111579
		पूंजी	469790150	1750	469791900
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)	राजस्व	5619271	....	5619271
		पूंजी	4676001	....	4676001
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	926428	....	926428
		पूंजी	....	....	....

तृतीय अनुसूची

(धारा 4 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	377404085	....	377404085
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	213893586	....	213893586
		पूंजी	....	....	
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	499734089	....	499734089
		पूंजी	1339460455	....	1339460455
	योग	राजस्व	1091220377	19848436	1111068813
		पूंजी	2194007565	688584776	2882592341
	महायोग		3285227942	708433212	3993661154

चतुर्थ अनुसूची

(धारा 5 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
5	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	1831027	....	1831027
		पूंजी	....	....	
8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	राजस्व	13109906	....	13109906
		पूंजी	116910	....	116910
14	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व	102264494	....	102264494
		पूंजी	....	....	
16	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	359	....	359
22	खाद्य एवं रसद विभाग	राजस्व	1433169	....	1433169
		पूंजी	....	....	
25	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	....	300	300
27	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	....	4376727	4376727
		पूंजी	...	1	1
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	9731845	....	9731845
		पूंजी	....	....	
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	171563695	....	171563695
		पूंजी	....	....	
37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	51620742	....	51620742
		पूंजी	....	....	
38	सिविल विमानन विभाग	राजस्व	....	....	
		पूंजी	10047829	....	10047829
42	न्याय विभाग	राजस्व	....	290948	290948
		पूंजी	....	....	
46	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	....	....	
		पूंजी	11698897	....	11698897
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	57598	....	57598
		पूंजी	....	....	

चतुर्थ अनुसूची

(धारा 5 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
50	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के लिए सहायता)	राजस्व	36284205	....	36284205
		पूंजी	....	....	
53	वन विभाग	राजस्व	....	81847	81847
		पूंजी	....	....	
54	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	....	86524379	86524379
		पूंजी	....	828491758	828491758
59	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	....	5925443	5925443
		पूंजी	....	....	
60	विधान परिषद सचिवालय	राजस्व	657785	....	657785
		पूंजी	....	....	
61	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	....	47112	47112
		पूंजी	....	....	
63	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व	30484005	....	30484005
		पूंजी	....	....	
66	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	115462724	....	115462724
		पूंजी	....	....	
69	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	5525777	....	5525777
		पूंजी	....	....	
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	81477387	....	81477387
		पूंजी	....	....	
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन)	राजस्व	6088751	606372	6695123
		पूंजी	558704642	....	558704642
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)	राजस्व	2475996	1511525	3987521
		पूंजी	3914649	....	3914649
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	904909	....	904909
		पूंजी	....	....	
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	448214443	....	448214443

चतुर्थ अनुसूची

(धारा 5 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	94011209	....	94011209
		पूंजी	....	....	
77	सिंचाई विभाग (निर्माण)	राजस्व	144047645	....	144047645
		पूंजी	1118951203	....	1118951203
80	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन एवं बाजीकर)	राजस्व	19655254	....	19655254
		पूंजी	....	....	
81	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	8328273	....	8328273
		पूंजी	....	....	
84	सहायता एवं पुनर्वास विभाग	राजस्व	....	....	
		पूंजी	125312	....	125312
89	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	558301	....	558301
		पूंजी	....	....	
	योग	राजस्व	897574697	99364353	996939050
		पूंजी	2151774244	828492059	2980266303
	महायोग		3049348941	927856412	3977205353

पांचवीं अनुसूची

(धारा 6 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
1	आबकारी विभाग	राजस्व	1222012	....	1222012
		पूंजी	....	....	
2	आवास तथा नगर विकास विभाग	राजस्व	....	....	
	(आवास)	पूंजी	....	12927227	12927227
4	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	राजस्व	940957	....	940957
		पूंजी	....	....	
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	88651098	....	88651098
		पूंजी	....	....	
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	....	5000	5000
	(पशुधन)	पूंजी	....	....	
24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	....	300	300
25	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	571083620	....	571083620
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं	राजस्व	1409907	....	1409907
	यूनानी)	पूंजी	....	....	
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	66992293	....	66992293
		पूंजी	680288	....	680288
37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक	राजस्व	1358473	....	1358473
	स्वास्थ्य)	पूंजी	....	...	
46	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	6015145	....	6015145
		पूंजी	....	....	
50	राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं	राजस्व	2968125	....	2968125
	के संबंध में राहत)	पूंजी	....	....	
51	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद	राजस्व	....	....	
	तथा अन्य व्यय)	पूंजी	....	240847687	240847687
53	वन विभाग	राजस्व	....	....	
		पूंजी	880671	....	880671

पांचवीं अनुसूची

(धारा 6 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
54	वित्त विभाग (ऋण सेवा	राजस्व	....	412086020	412086020
	तथा अन्य व्यय)	पूंजी	....	....	
55	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते	राजस्व	236220244	....	236220244
	तथा पेंशन)	पूंजी	....	....	
56	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	431744	....	431744
59	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	93038	....	93038
		पूंजी	....	....	
63	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व	....	....	
		पूंजी	490005	....	490005
65	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	21177681	....	211177681
		पूंजी	....	....	
68	शिक्षा विभाग (राजकीय शैक्षिक	राजस्व	5702000	....	5702000
	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	पूंजी	....	....	
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग	राजस्व	57804489	....	57804489
	(अधिष्ठान)	पूंजी	....	....	
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग	राजस्व	10130323	....	10130323
	(अनावासीय भवन)	पूंजी	625154119	....	625154119
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग	राजस्व	15257247	....	15257247
	(आवास भवन)	पूंजी	....	11750	11750
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग	राजस्व	....	....	
	(संचार साधन)	पूंजी	600409107	....	600409107
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	249015969	....	249015969
		पूंजी	....	....	
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	239857745	8745	239866490
		पूंजी	1286577492	....	1286577492
80	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन	राजस्व	33655857	....	33655857
	तथा पवन कर)	पूंजी	....	....	

पांचवीं अनुसूची

(धारा 6 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
82	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	1442709	....	1442709
		पूंजी	....	....	
87	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	2140	....	2140
		पूंजी	....	....	
88	सूचना विभाग	राजस्व	8518440	....	8518440
		पूंजी	....	....	
89	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	272275	....	272275
		पूंजी	....	....	
92	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (आदिवासी कल्याण)	राजस्व	6342400	....	6342400
		पूंजी	....	....	
योग		राजस्व	1055050567	412099765	1467150332
		पूंजी	3085707046	253786964	3339494010
महायोग			4140757613	665886729	4806644342

उदय प्रदेश

छठी अनुसूची

(धारा 7 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
2	आवास एवं नगर विकास विभाग	राजस्व	5025673	....	5025673
	(आवास)	पूंजी	....	565227	565227
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम	राजस्व	769037	....	769037
	उद्योग)	पूंजी	46703658	....	46703658
15	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	41133909	....	41133909
	(पशुधन)	पूंजी	....	....	
16	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	1516164	....	1516164
	(दुग्ध विकास)	पूंजी	....	....	
27	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	291651627	....	291651627
		पूंजी	35145044	....	35145044
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन	राजस्व	20151965	....	20151965
	एवं अन्य व्यय)	पूंजी	....	....	
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	70608113	....	70608113
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं	राजस्व	14139280	....	14139280
	यूनानी)	पूंजी	....	....	
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	राजस्व	22498272	....	22498272
		पूंजी	....	....	
35	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	....	....	
	एवं प्रशिक्षण)	पूंजी	29852820	....	29852820
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	179729458	....	179729458
		पूंजी	....	....	
37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक	राजस्व	57457788	....	57457788
	स्वास्थ्य)	पूंजी	....	...	
42	न्याय विभाग	राजस्व	4908752	3272250	8181002
		पूंजी	....	....	
43	परिवहन विभाग	राजस्व	....	....	
		पूंजी	83990857	....	83990857

छठीं अनुसूची

(धारा 7 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	3292076	....	3292076
		पूंजी	....	....	
47	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	61467399	81327	61548726
		पूंजी	....	200	200
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	10610	....	10610
		पूंजी	....	....	
50	राजस्व विभाग (दैवी आपदा	राजस्व	....	....	
	के संबंध में राहत)	पूंजी	....	482650	482650
53	वन विभाग	राजस्व	....	....	
		पूंजी	34309	....	34309
55	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते	राजस्व	31204383	....	31204383
	तथा पेंशन)	पूंजी	....	....	
59	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	436100	....	436100
63	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व	1970686	....	1970686
		पूंजी	....	....	
64	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	....	3594537	3594537
		पूंजी	....	....	
65	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	....	5191881	5191881
		पूंजी	....	....	
70	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	1662409	....	1662409
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग	राजस्व	63641424	....	63641424
	(स्थापना)	पूंजी	....	....	
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग	राजस्व	11596438	....	11596438
	(अनावासीय भवन)	पूंजी	909826464	....	929826464
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग	राजस्व	12344312	....	12344312
	(आवासीय भवन)	पूंजी	....	....	

छठीं अनुसूची

(धारा 7 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग	राजस्व	1692701	....	1692701
	(कार्यात्मक भवन)	पूंजी	601612	....	601612
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग	राजस्व	52189581	....	52189581
	(संचार)	पूंजी	433578513	....	433578513
76	सिंचाई विभाग (स्थापना)	राजस्व	529226834	....	529226834
		पूंजी	....	....	
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	702078055	....	702078055
		पूंजी	1769787564	....	1769787564
79	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	23672778	....	23672778
		पूंजी	148300	....	148300
80	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन	राजस्व	57883075	....	57883075
	एवं बाजीकर)	पूंजी	....	....	
81	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प	राजस्व	14566570	....	14566570
	एवं पंजीकरण)	पूंजी	...	....	
89	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	1157408	18000	1175408
		पूंजी	....	....	
92	हरिजन एवं समाज कल्याण	राजस्व	994969	....	994969
		पूंजी	....	....	
	योग	राजस्व	2207971224	12157995	2220129219
		पूंजी	3382375763	1048077	3383423840
	महायोग		5590346987	13206072	5603553059

सातवीं अनुसूची

(धारा 8 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
2	आवास एवं नगर विकास विभाग	राजस्व	....	17500500	17500500
	(आवास)	पूंजी	....	214712	214712
8	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री एवं	राजस्व	21750608	....	21750608
	मुद्रण)	पूंजी	....	....	
9	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	75530000	....	75530000
11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	....	34000	34000
	(औद्यानिक विकास)	पूंजी	16807	....	16807
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	....	....	
	(ग्राम्य विकास)	पूंजी	1040593	....	1040593
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	....	....	
	(पशुधन)	पूंजी	5337	....	5337
16	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	507569	....	507569
	(दुग्धशाला विकास)	पूंजी	....	....	
17	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	1138058	....	1138058
	(मत्स्य)	पूंजी	....	....	
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	....	....	
	(सहकारिता)	पूंजी	....	392170	392170
20	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा	राजस्व	494478	....	494478
	अन्य व्यय)	पूंजी	....	....	
22	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	....	....	
		पूंजी	45198526	....	45198526
24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	570238	....	570238
		पूंजी	....	....	
26	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	....	....	
		पूंजी	25315000	....	25315000

सातवीं अनुसूची

(धारा 8 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
27	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	393695771	....	393695771
		पूंजी	....	....	
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन	राजस्व	12220653	....	12220653
	तथा अन्य व्यय)	पूंजी	....	....	
29	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	20824246	....	20824246
		पूंजी	....	....	
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	116462773	....	116462773
		पूंजी	....	....	
42	न्याय विभाग	राजस्व	112870738	5749970	118620708
		पूंजी	....	....	
43	परिवहन विभाग	राजस्व	369729	....	369729
		पूंजी	74962000	....	74962000
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	....	....	
		पूंजी	969491	....	969491
45	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	37887	....	37887
		पूंजी	...	....	
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	22419	147	22566
		पूंजी	....	....	
49	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	16585813	....	16585813
		पूंजी	....	....	
50	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के	राजस्व	....	2006652	2006652
	संबंध में राहत)	पूंजी	....	....	
51	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद	राजस्व	106366361	....	106366361
	तथा अन्य व्यय)	पूंजी	....	21050117	21050117
57	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	12945	....	12945
		पूंजी	....	....	

सातवीं अनुसूची

(धारा 8 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
59	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	4626	....	4626
		पूंजी	....	....	
60	विधान परिषद सचिवालय	राजस्व	....	7371	7371
		पूंजी	....	....	
61	विधान सभा सचिंवालय	राजस्व	....	738	738
		पूंजी	....	....	
64	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	....	44861959	44861959
		पूंजी	....	....	
65	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	150825308	....	150825308
		पूंजी	....	....	
69	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	21618142	....	21618142
		पूंजी	....	....	
70	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	15667536	....	15667536
		पूंजी	....	....	
71	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	138849391	....	138849391
	(अधिष्ठान)	पूंजी	....	....	
72	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	9067566	264071	9331637
	(अनावासिक भवन)	पूंजी	440574448	....	440574448
73	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	8591885	367522	8959407
	(आवासीय भवन)	पूंजी	....	...	
75	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	191326448	....	191326448
	(संचार साधन)	पूंजी	478053959	46	478054005
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	495401789	....	495401789
		पूंजी	....	....	
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	32761015	....	32761015
		पूंजी	1571302645	....	1571302645

सातवीं अनुसूची

(धारा 8 और 9 देखिये) (रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3+4)
1	2		3	4	5
79	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	11543474	24000	11567474
		पूंजी	....	....	
80	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन	राजस्व	78975184	....	78975184
	तथा बाजीकर)	पूंजी	....	....	
81	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प	राजस्व	23168057	....	23168057
	एवं पंजीकरण)	पूंजी	165800	....	165800
82	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	7918079	....	7918079
		पूंजी	....	....	
88	सूचना विभाग	राजस्व	8083561	....	8083561
		पूंजी	3700000	....	3700000
92	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	राजस्व	165271141	....	165271141
	(जनजाति कल्याण)	पूंजी	....	....	
	योग	राजस्व	2163003488	70816930	2233820418
		पूंजी	2716834606	21657045	2738491651
	महायोग		4879838094	92473975	4872312069

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-9 तक, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची व सातवीं अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खॉं-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 और 1989-1990 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 और 1989-1990 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मेजें थपथपाई गई)

प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लालजी टण्डन, श्री श्याम देव राय चौधरी आदि द्वारा नियम - 52 के अन्तर्गत दो घण्टे की चर्चा तथा प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री लालजी टण्डन, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दो घण्टे की चर्चा पर श्री अध्यक्ष द्वारा समेकित चर्चा कराये जाने के सम्बन्ध में सदन को दी गई सूचना

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-24 पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आज तो रिकार्ड हो गया। 25 पेज की अनुदान मॉंगे जिस तरह से पारित हुई है। आपको तो बधाई मिलनी चाहिए, आप हिले-डुले तक नहीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो राजस्व मंत्री है इनके पेन खरीदने के लिये एक सप्लीमेन्ट्री बजट पास करवा दें। कल जब मैं बाहर निकला तो इन्होंने मेरा पेन ले लिया।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

पेन ही नहीं, इनके पास काफी चीजें अतिरिक्त है। मैं अतिरिक्त में से मांग रहा था।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, खन्ना साहब अभी तक अविवाहित है। कुछ ऐसी व्यवस्था हो सके कि सरकारी खर्चे में खन्ना जी की शादी हो जाय। अगर अपनी न कर रहे हों तो किसी और की....

श्री अध्यक्ष-

वैसे तिवारी जी आप सक्षम है। आप सबकी व्यवस्था करा सकते है।

मद संख्या-24 के बारे में सवेरे सभी माननीय नेताओं से बात हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं से बात हुई। यह तय हुआ कि समय की बचत के लिये दोनों चर्चाएं एक साथ प्रारम्भ करा दी जायं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी एक साथ जवाब दे देंगे। मैं मद संख्या-24 लेता हूँ।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष नहीं है और माननीय नेता सदन बैठे है। माननीय नेता प्रतिपक्ष के पास समय नहीं है। मान्यवर, विपक्ष गम्भीर नहीं है, जब गम्भीर नहीं है तो काहे के लिये चर्चा कराई जाय।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि जब हम उधर बैठते थे तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठकर यही माँग करते थे कि नेता सदन, सदन में देखने को नहीं मिलती। मान्यवर, यह आँखें उनके दीदार को तरस गई थीं लेकिन अब बात बिल्कुल उल्टी हो गयी है। माननीय नेता सदन बैठे है और माननीय नेता प्रतिपक्ष गायब है। ऐसे में चर्चा कहाँ से शुरु हो और कैसे?

(अन्य सदस्यों द्वारा चर्चा शुरु कराये जाने के लिये कहने पर)

मान्यवर, यह तो बिल्कुल एक संकट सा खड़ा हो गया। यह अजीब सी बात है। मेरे ख्याल से यह नई परिपाटी होगी कि माननीय नेता, विरोधी दल सदन में न हों और अन्य दल उसको शुरु कराएं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, नेता विरोधी दल हैं तो यह उनका अधिकार है कि वे शुरु करें। अगर वे न हों तो उनकी जगह चर्चा शुरु कराने का अधिकार अन्य दलों को है। हम उनके अधिकारों के प्रति सिर झुकाते है, यह बात कानून व्यवस्था की नहीं है। माननीय टंडन जी यह मान रहे है कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था दुरुस्त है अन्यथा वे इस समय यहाँ होते।

मान्यवर, जब विनियोग विधेयक सदन में आता है, जब वित्तीय स्वीकृतियों पर सदन में चर्चा होती है और जब नेता सदन उपस्थित हों तो नेता प्रतिपक्ष को भी सदन में उपस्थित रहना चाहिए। नेता सदन पूरे दिन बैठे रहे लेकिन नेता प्रतिपक्ष को तो जैसे लगता है कि सब ठीक-ठाक है तो ये लोग क्यों सिर फोड़ रहे हैं?

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता, कांग्रेस पार्टी, माननीय नेता सदन इन सब से विचार-विमर्श करने के बाद आम सहमति से यह निर्णय हुआ था कि यह अलग-अलग चर्चा न कराकर 4 घण्टे की चर्चा एक साथ करा दी जाए जिससे अधिक से अधिक लोगों को बोलने का मौका मिल सके। भैया जी, आपसे बात नहीं हो पाई थी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, 2 घण्टे बहुत पर्याप्त समय है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मेरा विनम्र निवेदन है कि अलग-अलग चर्चा कराएं।

श्री अध्यक्ष-

इससे सबको अवसर नहीं मिलेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर 2-2 घण्टे की चर्चा है, दो घण्टे बिजली पर और 2 घण्टे कानून-व्यवस्था पर चर्चा लगी है। हम निवेदन करते है कि आपकी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत् 2 घण्टे बिजली पर चर्चा करा लें और दो घण्टे कानून-व्यवस्था पर चर्चा करा लें, इससे अलग-अलग जवाब भी सरकार का आ जाएगा और सभी माननीय सदस्यों की राय भी आ जायेगी। मान्यवर, दोनों चर्चाएं एक साथ करवा देने से गाय का बछड़ा भैंस में और भैस का पड़वा गाय में वाली बात हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

कोई सदस्य एक पर बोलना चाहता है और दूसरे पर नहीं बोलना चाहता है, इसलिए इन दोनों को जोड़ दिया गया है।

श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष जी, मेरे भी विचार सुन लें। दो-दो घण्टे की चर्चा है, कुल मिलाकर 4 घण्टे की चर्चा है, इसमें एक मिनट की भी कटौती नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जब किसी विषय पर चर्चा होगी तो सारे नेता बोलेंगे, इसमें दो घण्टे तो ऐसे ही निकल जायेंगे, टण्डन जी बोलेंगे, मौर्य जी बोलेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बोलेंगे, तब सदस्य कब बोलेंगे। 4 घण्टे की चर्चा रहेगी तो सब सदस्य बोल लेंगे। इससे ज्यादा से ज्यादा नए सदस्यों को बोलने का अवसर मिल जायेगा अन्यथा यह दलीय नेताओं का भाषण होकर रह जाएगा। चर्चा का समय 4 घण्टे ही रहे और एक साथ जवाब आ जाए। इसमें कम से कम 25-30 सदस्य बोल लेंगे। मैं मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि दोनों चर्चाएं एक साथ हो जायें।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था हो गयी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, श्री प्रमोद कुमार जो सरकार में वाकओवर देना चाहते है। कानून व्यवस्था के सवाल पर यह सरकार का बना सकें इसलिए यह दोनों चर्चाओं को मिलाकर एक साथ चर्चा कराना चाहते है।

प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली संकट तथा बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-52 के अन्तर्गत समेकित चर्चा

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-24 प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री लालजी टण्डन श्री श्यामदेवराय चौधरी , श्री उदयभान करवारिया श्री नवाब सिंह नागर श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल श्री सतीश महाना, श्री सलिल विश्नोई, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, डा0 विनोद तिवारी, श्री हुकुम सिंह तथा डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी श्री प्रमोद कुमार तथा अन्य माननीय सदस्यगण विधान सभा द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम-52 के अंतर्गत दो घण्टे की चर्चा तथा मद संख्या-25, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में श्री लालजी टण्डन, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर श्री जगदीश नारायण राय श्री घूराराम, श्री प्रमोद कुमार श्री जगदम्बिका पाल, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्रीमती अमीता सिंह, श्री उदयभान करवरिया, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री राम इकबाल सिंह, प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर, श्री मुंशी लाल गौतम, डा0 विनोद तिवारी, श्री हुकुम सिंह डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री निखिलेश कुमार तथा श्री अवधेश कुमार सदस्यगण विधान सभा द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम-52 के

अन्तर्गत दो घण्टे की चर्चा है। इसको मिलाकर कुल 4 घण्टे की चर्चा है। सर्वप्रथम सभी दलों के नेता बोलेंगे उसके बाद माननीय सदस्यगण पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री लालजी टण्डन।

नेता, विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, हम उत्तर प्रदेश में एक हसीन ख्वाब देख रहे है कि 10 हजार मेगावाट बिजली पैदा होगी और प्रदेश में जो उद्योग बंद है वह सब चलेंगे या हमारी जितनी प्रतीक्षित योजनाएं है वह सब चालू हो जाएगी और इस हसीन ख्वाब की जो हकीकत आज सामने आ रही है वह बिलकुल उल्टा है। इतना अभूतपूर्व संकट कभी नहीं था। बिजली का संकट बराबर रहा है यह बात कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मैं भी बिजली मंत्री रहा हूँ। लेकिन जैसी स्थिति आज प्रदेश मे हो रही है ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। ट्रान्सफार्मर बदले नहीं जा रहे है। केवल कुछ प्रभावशाली क्षेत्रों में सारी बिजली डाइवर्ट हो गयी है और बाकी क्षेत्र वहां पर बिजली नहीं है। आज बिजली का सवाल कानून व्यवस्था से भी जुड़ रहा है। लोग सड़कों पर आ रहे है। उन पर फर्जी मुकदमें चलायें जा रहे है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 6 महीने में बिजली की व्यवस्था ठीक कर देंगे। मैंने उस समय कहा था कि 6 महीने में आप करके देख ले लेकिन जो हालात है उसमें आप यह कैसे कर सकते है। उसी अव्यवस्था की स्थिति में आप क्या कर सकते है। आज एक भी नई योजना नही शुरु हुयी है बिजली उत्पादन की।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर।)

मान्यवर, माननीय नेता सदन को भी बोलना है मैं नहीं चाहूंगा कि उन्हें हमारी तरफ से कोई भी सदस्य इस प्रकार डिस्टर्ब करें। मान्यवर एक नया पावर हाउस लगाने में 2-3 साल तो क्लियरेंस मे लग जाते है। एक भूमि पूजन हो गया। अभी कई कि0मी0 जमीन उसके लिए एक्वायर की जा रही है।

कब उसका परीक्षण होगा, कब वह अदालत में जायेगा, कब उसका फैसला होगा, कब जमीन प्राप्त होगी। मान्यवर, इस सदन को एक सपना दिखाया जा रहा है। यह सब हो रहा है। मान्यवर, जमीन के अलावा टरबाईन किसी भी पावर हाऊस के लिए सबसे पहली जरुरत होती है। जब मशीन लगायेंगे तो टरबाईन लगायेंगे। जिस कैपेसिटी की बनायेंगे उस कैपेसिटी की लगेगी। जो तीन कम्पनियां है उनके पास कोई टरबाईन बनाने के लिए आदेश नहीं दिये गये है। सबसे बडी क[illegible] ने बी0एच0ई0एल0 में भी किसी निजी उद्यमी का एक भी आदेश बनाने के लिए नहीं मिला है। आप किसको धोखा दे रहे है।

(नेता विरोधी दल के भाषण के मध्य 4 बजे श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि अभी तक कोई आर्डर नही हुए है। जमीन उपलब्ध नहीं है, क्लीयरेंस भारत सरकार से मिलेगा नहीं।

(माननीय मुख्य मंत्री द्वारा नहीं मिलेगा पूछे जाने पर)

पहले मेरे तर्क तो सुन लें। मान्यवर, राजधानी क्षेत्र में कई किलोमीटर के अंदर इतना बड़ा पावर हाऊस लगाने के बाद प्रदूषण की स्थिति क्या होगी यह केन्द्र सरकार को सौ बार सोचना होगा। मैंने पहले भी कहा है कि मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ कि यहाँ पर पूंजी निवेश हो, मैं आज भी इसका समर्थक हूँ। लेकिन जो यथार्थ है उसके ऊपर चलना होगा। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मैं ऊर्जा मंत्री था तो हिन्दुस्तान में पहली निजी क्षेत्र की परियोजना को स्वीकृति दी गयी थी। यह वह जमाना था जब विद्युत बोर्ड के एक भी प्रोजेक्ट का प्राइवेटाइजेशन का प्रस्ताव आ जाता था तो महीनों हड़ताल हो जाती थी। हमने उसकी परवाह न करके विष्णु प्रयाग परियोजना निजी क्षेत्र को दी। यह हर्षद मेहता का जमाना था। इस तरह से शेयर उठा कि उन्होंने सैकड़ों हजारों करोड रुपया पैदा कर लिया, मगर आज के दिन एक यूनिट भी बिजली नहीं पैदा हो सकी। हमें

यह प्रापर्टी जब्त कर लेना चाहिए था। यह आज निजी उद्यमियों को सुविधाएं दे रहे हैं। क्या आपने सोचा कि कितनी महंगी बिजली होगी। आपने विज्ञापन छपाया कि दो रुपये में देंगे। यह कहाँ से जायेगी? जब से बिजली नियामक बोर्ड बना है तब से अधिकार सरकार का नहीं रहा है। अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो सबसीडी देनी होगी। ऐसे झूठे वायदे दिखाने से क्या फायदा। आज यथार्थ यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रदेश में आज बिजली की हालत बहुत खराब है। प्रमोद कुमार जी की बात का तो वहाँ पर कोई वजन नहीं है जिससे कुछ लाभ मिल जाय। आज अखबारों में यह बात छपी है कि ज्यादा मूल्य देने के बाद भी एन0टी0पी0सी0 यू0पी0 को बिजली नहीं देगा। फेडरेल स्ट्रक्चर बचाये रखने के लिए इस तरह से आदेश देंगे कि यह लोग सड़कों पर आ जाए, यहां तक कि किसानों के खेत राख हो जायें, यहां तक कि लोग भुखमरी से मरने लगें, यहां तक कि कल-कारखाने बिजली के अभाव में बन्द हो जायं और केन्द्र सरकार यह कह दे कि हम बिजली नहीं देंगे, कल हम यह कह दें कि जो बिजली पावर हाउस हमारे यहां बने हैं वहां से हम सीधे बिजली ले लेंगे, केन्द्र को बिजली जाने नहीं देंगे तब क्या स्थिति पैदा होगी? क्या राज्य और केन्द्र का यही काम होगा, यह वाजिब ही है क्योंकि गठबन्धन की सरकार है, गठबन्धन के कारण प्रदेश को क्या-क्या चीज झेलनी पड़ेगी, यह आगे दिखेगा। वह केन्द्र में कह रहे हैं हमें समर्थन नहीं चाहिए वहीं यहां कह रहे हैं कि हम यहां पर समर्थन देंगे, अगर आप धक्का देंगे तब भी नहीं जायेंगे। स्वच्छ राजनीति तो यह है कि यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कहां आप गठबन्धन में हों और कहां आप विरोध में हो। यह कभी नहीं हो सकता है कि एक ही दल की सरकारें सभी राज्यों में हों। दिल्ली के लिए मेरा दूसरा रुख होगा, दिल्ली की कोई सीमा निर्धारित नहीं है वह जितनी बिजली चाहे एन0टी0पी0सी0 से ले सकती है और उत्तर प्रदेश में यह प्रतिबन्ध लगाया गया, मैं इसका विरोध करूँगा क्योंकि यह सीधे प्रदेश से सम्बन्धित है किसी दल से सम्बन्धित नहीं है, मान्यवर यह सरकार कहती थी तत्काल शुरु हो जाएगी अनपरा-सी, जो हमारा पुराना समझौता है वह लागू करते, आपने किया? यह स्वदेशी की बात करते हैं, जब स्वदेशी पूँजी यहां लगती है तो विदेशी पूँजी क्यों लें।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

अनपरा-सी क्यों कैन्सिल हुआ, जरा इसको भी आप बता दें।

श्री लालजी टण्डन-

मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी भी इस पर बोलें इसलिए, दूसरे बिजली मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, इससे पहले की सरकार में भी यह बिजली मंत्री थे और आपके यहां भी हैं, यह बता देंगे ऐसा क्यों हुआ और उसमें आपका ही रोल था, तो मान्यवर, उसकी सारी क्लियरेन्स है अनपरा-वी जब बनी थी तब मैं बिजली मंत्री था, उसके उद्घाटन के समय में नहीं रहा, लेकिन उस समय यह समझौता हो गया था कि अनपरा-सी वही बनायेगा जिसने अनपरा-ए और बी0 बनाया और वी और सी को जो फैसिलिटी थी वह इसे भी दी जाएगी और हमारी यह मांग थी कि बिल्डिंग खड़ी हो जाए और मशीन लगा दें और अब तक एक हजार मेगावाट पावर जेनरेशन का स्रोत हो जाता। मान्यवर, मैंने पहले ही दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि जो नई इकाई बनी है उसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन हमारे जो पुराने पावर हाउस हैं अगर उनके रिमॉडलिंग के लिए कोई सामने आता है तो आप उसमें पहल कर दें तो छः महीने, साल भर में बिजली का उत्पादन बढ़ जायेगा। मान्यवर हम पूँजीनिवेश के खिलाफ नहीं हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस गति से यह चल रहा है उस हिसाब से तो अगले 50 वर्षों में ही शायद यह प्लाण्ट तैयार हो सकेगा और फिर दो रुपये प्रति यूनिट बिजली, आप को जनता को जवाब देना पड़ेगा। मान्यवर, आप कह रहे है 18 घण्टे बिजली दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, अगर यह गाँवों को दे रहे हैं तो आप रिपोर्ट मंगा कर देख लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें। मा0 सदस्य, कृपया बोलने दीजिए।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, राजधानी लखनऊ में आज बिजली कटौती की क्या स्थिति है वह सबको पता है जबकि वह हमेशा कटौती से मुक्त रहा है। एक क्षेत्र में बिजली आ रही है तो दूसरे में ही है। क्योंकि आपके पास जितनी बिजली है उसका आपको बँटवारा करना है, तो उस हिसाब से बराबर रोस्टिंग होती रहती है। मान्यवर, आज ऐसे कितने लोग हैं जिनको उनका जितना बिजली का बिल आता है उससे ज्यादा का व्यय उन्हें डीजल के उपयोग में देना होता है अपने जनरेटर सेट को चलाने के लिये। आज जो समाचारों में आता है उसमें आपके हिसाब से कितना काम हो गया है जबसे अम्बानीजी का अवतार हुआ है जैसे मानों उन्हों आकर कोई चमत्कार कर दिया है कि 10 हजार मेगावाट का बिजली का प्रोजेक्ट बन गया है और सब जगह सप्लाई करने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में अम्बानी जी बिजली के वितरण का काम कर रहे हैं और अभी वहाँ 0 प्रतिशत कीमतें बिजली की बढ़ी हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस चीज पर हमारा अधिकार नहीं रह गया है, आप देखें, भारत सरकार में और यहाँ पावर रेगुलेटरी अथार्टी अलग से बी हुई है, जिसको अधिकार है मूल्य तय करने का और जिसके सामने सारे आंकड़े रक्खे जाते हैं। जो यह बात कही जा रही है कि वह आपको 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देंगे तो वह आपको धोखा दे रहे हैं। जिस दिन वह पावर हाउस तैयार होगा, चाहे पहले 500 मेघावाट का तैयार हो जय, विद्युत मूल्य तय कराने के लिये उन्हें इस अथार्टी के पास जाना पड़ेगा और वह यह कहेगी कि जिस भाव में पावर कारपोरेशन बेच रहा है उससे कम में बिजली नहीं बेचेंगे। तो, मेरा कहना है कि जो आपके पुराने समझौते हैं उनका आप रिनौवेशन नहीं कर रहे हैं। अगर आपने वह कार्य किया होता तो एक दो साल में 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट इस धरती पर आ जाता। आपने उस समझौते को न मानते हुये, अब आपने उसे टाटा को दे दिया है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि आपने जापान को वह कार्य नहीं दिया, अब टाटा बनायेगा, लेकिन वह शुरु तो करें। जो उसमें टरबाइन लगती है उसका कोई भेल के पास आर्डर नहीं है तो फिर कब वह आपूर्ति होगी। मैं आपको इस पूरे वर्ष 2009 तक की स्थिति बता रहा हूँ कि जब टरबाइन नहीं होंगे तो पॉवर हाउस कहाँ से चलायेंगे।

मान्यवर, मैं यह मानता हूँ कि अम्बानीजी को गैस की कठिनाई नहीं हो सकती है क्योंकि उनका क्रयूड ऑयल का बिजनेस है और उनके पास गैस उपलब्ध है। अगर भारत सरकार उनको गैस न भी दे तो वह गैस इम्पोर्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने समय में इस बात पर चिन्ता किया था कि अगर गैस मिल जाय जो छोटे-मोटे पावर हाउस चला दिये जायें तो काफी काम हो सकता है लेकिन भारत सरकार ने गैस देने से इनकार कर दिया था। यह सही है कि अम्बानीजी गैस का इन्तेजाम कर सकते हैं, लेकिन वह टरबाईन तो नहीं बना सकते हैं। तो आपके पास कोई पुष्ट आधार तो होना चाहिये कि उन्होंने अब तक टरबाईन के लिये आर्डर दे दिया है। जब आप आर्डर देंगे तो टरबाईन आपको कब मिलेगा और पावर हाउस आपका कब चल पायेगा। यह सब बातें आपकी सब कुछ कागज में चल रही हैं और दूसरी ओर प्रदेश विद्युत की अनुपलब्धता को लेकर हा-हाकार कर रहा है। मान्यवर, अब मैं चाहता कि मेरे और मित्र इस पर अपने विचार रखना चाहते हैं वह अपने विचार न रख पायें, इसलिये मैं इस विषय पर अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूँ। और, अब मैं कानून व्यवस्था के उपर आता हूँ।

यह भी आप गलतफहमी में है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधर रही है क्योंकि आप कह देंगे कि यहाँ कोई संकट ही नहीं है, हाँ आपके लिए कोई संकट नहीं है क्योंकि जो भोग रहे है वह भोग रहे है। वहाँ से जगदम्बिकापाल का रोना बाकी था बाकी सब कुछ सामने आ गया था। अभी मौर्य जी इसी विषय पर बोल चुके

हैं उनके कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है, हम लोग भी कह रहे हैं क्या हो रहा है। आप देखेंगे आज पुलिस और अपाधियों में कोई अन्तर नहीं रह गया है। मैं नेता प्रतिपक्ष हूं पर मेरे पास इस तरह के तमाम मामले आते हैं। किसी मामले में किसी वेवा की जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है। उसको मदद के लिए चार लोग आ गये कि जबरदस्ती क्यों कर रहे हे। वह थाने रिपोर्ट लिखाने गयी तो वही देखा कि कब्जा करने वाले वाले लोग पहले से ही वहा पहुचे हुए है और उनको रिपोर्ट पहले लिख गयी है और उसका कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कितने दूरदर्शी थे अन्धेर नगरी चौपट राजा। राजा का फरमान था कि फंदे के माप का गला मिलना चाहिए राजा का फरमान था कि फंदे की नाप की जिसकी गर्दन मिले उसको ले आओ। मान्यवर मैं कुछ नमूना बता रहा हूँ 28 मई से 29 मई. 2004 का लखीमपुर के मैनपुरी में विधायक तफवारा थाने में असलहाधारी गुण्डों के साथ घुसकर मुल्जिम को छुड़ाया दरोगा की पिटाई के वाद उस पर मुकदमा 30 मई 2004 को लखनऊ में सिपाही वंशराज राव पुलिस लाइन से ड्यूटी समाप्त कर मड़ियाव स्थित अपने घर जा रहा था रास्ते में उसकी मोटर साइकिल लूट ली सिर पर तमंचे की वट से हमला करने पर चाकू, जो हमारी हिफाजत करते है जरा उनकी दशा देख लीजिए। 1 जून 2004 का मुरादावाद से जागरण के प्रवन्धक महावीर शर्मा को गोली मारकर हत्या कर दी गयी, मैं और भी बता रहा हूँ पत्रकारों के ऊपर कितने जुल्म हो रहे है। पत्रकारों का भी विधायकों की तरह सँरक्षण हो, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा वह लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है। आप खुद इस बात को कहते है लेकिन कभी कभी हल्ला बोल देते है। लेकिन डाक्टर लोहिया ने हमेशा इस चौथे खम्भे की वकालत की है। इसके वाद 2 जून को रायबरेली में कांग्रेस नेता रुद्र प्रताप सिंह के भाई पर कातिलाना हमला स0पा0 विधायक अखिलेश सिंह नामजद, जौनपुर में नगर भाजपा अध्यक्ष विजय कुमार कमलापुरी के भाई की हत्या मेरठ में अपराध से त्रस्त नागरिक सड़क पर उतरे, 3 जून को मकान पर कब्जा करने गये स0पा0 नेता शाहिद अख्तर की जनता ने ईट पत्थर से कूटकर हत्या कर दी बलिया में एक सिपाही समेत दो की दुस्साहसिक हत्या, यह प्रतिदिन के समाचार पत्र में छप रहा है, यह सारी घटनाएं नहीं है, यह नमूने के लिए है, 4 जून को शाहजहांपुर में स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ता डी0एम0 से मिलने गये तो वहां पुलिस व असलहों के बल पर हटाया, मीडिया कर्मियों के कैमरे छीनने के प्रयास, अधिकारियों ने नगर महामंत्री को मारा, कानपुर से महिला की हत्या कर शव डीआईजी आवास के पास फेंका गया 5 जून को लखनऊ में क्या हुआ बिजली के एक संकट का कारण यह भी है कि बिजली का तार चोरी जाती है कुछ लोग ऐसे है जो खरीदते है खाला बाजार थाने से पकड़े गये और छोड़ दिया गया, कोई कार्यवाही नहीं हुयी। तो यह तो केवल अखबारों की हेडिंग बता रहा हूँ. हिन्दुस्तान की। विभिन्न वारदातों में डेढ़ दर्जन से अधिक की हत्या। यह आपको कुछ नमूने बतायें हैं, हर रोज जो इस प्रदेश में हो रहा है। इस समय जो आपके सहयोगी हैं, वह भी धमकी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर आन्दोलन करेगी भाकपा। सुरजीत जी आपके बहुत संरक्षक हैं, यह उनका बयान है। यह है कि आपने उत्तम प्रदेश बनाने का वायदा किया था और बन गया अधम प्रदेश। अगर पूरा पढ़ूं तो बहुत समय लगेगा। कभी इतनी घटनायें एक साथ देखने को नहीं मिली। मान्यवर, अब इसकी पुष्टि अखबार भी कर रहे हैं और आपके अधिकारी भी कर रहे हैं। डी0जी0पी0 का बयान है कि अपराधों की संख्या बढ़ी है। साथ में उन्होंने कुछ दूसरा पैतरा भी बदला। तो जो उन्होंने जिस पैतरे को बदला है, वह पुलिसफोर्स के लिये अपमानजनक बात है। क्योंकि किसी सरकार की गुलामी करते हो, दूसरी सरकार आये तो कहो कि हमने उनको कहने से किया था। आज वही हो रहा है जो उस समय हो रहा था, लेकिन आपके आकड़े कहीं ज्यादा हैं। पुलिस ने भी माना कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। डी0जी0पी0 ने भी कहा कि अपराधों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुयी है। मान्यवर, जितनी भी हमारी संवैधानिक व्यवस्थायें हो सकती हैं, हर कोने से आवाज उठ रही है। हाईकोर्ट ने भी माना कि कानून व्यवस्था खराब। हम जो बोल रहे हैं, यह राजनीतिक होगा, लेकिन हाईकोर्ट भी क्या बोलेगा राजनीतिक भाषा। कानून व्यवस्था पर शासन की नीति,

हाईकोर्ट में तलब। मान्यवर, मैं वह फैक्ट दे रहा हूँ जिससे आपको व्यवस्था को सुधारने में मदद मिले। मेरा काम केवल आलोचना करना नहीं है, सुझाव देना भी है। आप देखिये क्या हो रहा है, प्रदेश में। पुलिस कितना असंवेदनशील हो गयी है, यह देख लिया जाय। लालगंज रायबरेली का मामला है, एक सिपाही है, उसकी बहन की हत्या कर दी गई। उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, बहन के शव को बोरे में भरकर ढो रहा है भाई। अगर हृदय है तो संवेदना जगनी चाहिए। एक भाई अपनी मृत बहन जिसकी हत्या हो गयी, लाश लिये घूम रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा है।

(शेम-शेम की आवाजें)

मकान खाली कराने गये, तो एस0पी0 को खदेड़ा गया। आजकल पुलिस की हालत यह हो गयी है कि या तो वह अत्याचार करती है या पिटकर आती है। रोज हमारे आजम साहब इनक्रोमेंट हटाने की बात करते हैं और दूसरे दिन सुर्खियों में आ जाता है कि आपके आदेश पर पुलिस वहाँ गई और भाग आये। आप भगोड़ों के सरदार क्यों बनते हैं? सत्ता जो है, यह न दीदे से चलती है, न कसीदे से चलत है। यह दीदे कारवां है, कसीदे से चलती है....

... आप अधिकारियों को धौंसिया लेते है तो धौंस से भी अब नहीं चलता है, न उनके सामने झुकने से चलता है, सत्ता का इकबाल होना चाहिए कि वे आपकी आवाज सुनें। मैं छोटी छोटी घटनायें नहीं बताऊंगा आपसे कि कौन सी चीजें कहीं थी और आज तक वह वैसे ही हैं। मान्यवर, विरोध में मऊ बंद, पत्रकारों पर हमले को लोकतंत्र के लिए अशुभ बताया गया। मऊ में ठेकेदारों के गुर्गो ने पत्रकारों पर कहर बरपाया वे प्रमुख घटनायें है। मुलायम सिंह जी के करीबी दम्पत्ति की करहल में गोली मारकर हत्या। बर्खास्त मंत्री मिथलेश कुमार के दो रिश्तेदारों की हत्या। जेल में घुसकर बदमाशों ने स0पा0 नेता को गोली मार दी। जेल में मारे जा रहे है. अस्पताल में मारे जा रहे है, यूनिवर्सिटी में मारे जा रहे है और अदालत में मारे जा रहे हैं। अब वह जगह बताईये जहाँ आम आदमी सुरक्षित हो।....

(सत्तापक्ष से संसद-संसद की आवाज आने पर)

अगर संसद की बात है तो मुख्यमंत्री जी अपने उत्तर में कह देंगे कि उत्तर प्रदेश आतंकवाद से ग्रस्त हो गया है और यहाँ पर ऐसे लोग आ गये है कि विधान सभा को भी खतरा है।

बलिया में स0पा0 नेता समेत 4 की हत्या, जेल अधीक्षक के बेटे की गोली मारकर हत्या, मेरठ में पुलिस की पिटाई से निर्दोष युवक की मौत, होमगार्ड के जवानों ने किया महिलाओं से दुराचार, पुलिस व विधायक से तंग युवक ने गंगा में कूदकर जान दे दी।....

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय उपाध्यक्ष जी, कृपया नियमावली का अवलोकन करें, अखबार की कटिंग के साथ या कोई भी आलेख जब दिया जाता है तो उसकी एक प्रति आपको दी जाती है और एक प्रति शासन को दिया जाता है। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूँ कि बिना तारीख और बिना अखबार के नाम का जैसे [xxx] पढ़ा जाता है, उसी तरह से टण्डन जी पढ़ रहे है। यह तो बतायें कि कौन सा अखबार है और किस तारीख का है। जब तारीख और अखबार बतायेंगे तो उसकी प्रतिलिपि आपको और शासन को देनी पड़ेगी। क्या अखबार की कटिंग का संदर्भ लिया जा सकता है और उसे पढ़ा जा सकता है? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

नोट :- [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, किसी नियम के अन्दर उठायी गयी सुनिश्चित घटना के लिए अगर कोई साक्ष्य की जरूरत हो तो वह आपको भी दिया जायेगा और यहां भी दिया जायेगा लेकिन केवल चर्चा के रिफरेन्स के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

मान्यवर, प्रमोद कुमार ने अपनी बात कहने में [xxx] का प्रयोग किया है, इस शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है, इसे दिखवा लेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

[xxx] में देश के करोड़ों लोगों की आस्था है। टंडन जी उसे पढ़ रहे हैं तो क्या टंडन जी इस काबिल भी नहीं कि वह [xxx] पढ़ सकें? आखिर आपकी बात का क्या मतलब है? टंडन जी [xxx] पढ़ें, चोर चालीसा पढ़ें, राम चरित मानस पढ़ें।

श्री लाल जी टण्डन-

मुझे कोई शिकायत नहीं है कि जिस बात के लिए आप सुविधाएं पा रहे हैं, आप अपना धर्म निभा रहे हैं।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

हर सरकार में दलाली की सुविधा पाते हैं।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, यह कानून-व्यवस्था के बारे में कुछ लोगों की महत्वपूर्ण टिप्पणी है। तिवारी जी यहां पर काम का ओवरटाइम नहीं मिलता। इसलिए जितना काम है उतना ही कीजिए।

श्री प्रमोद कुमार-

सब तो आप ले लेते हैं किसी दूसरे को मिलता ही नहीं है। जो सत्तापक्ष का कार्यालय है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय स्थापित है आपको चाहिए था कि जब आप विपक्ष में आये थे तब आप अपना विधान मण्डल दल का कार्यालय बदल लेते।

श्री लाल जी टण्डन-

कोई किसी का नहीं है। क्यों आए अपनी व्याख्या करवा रहे है, आप शान्त रहिये।

श्री उपाध्यक्ष-

अनेक माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनको इस पर बोलना है इसलिये चर्चा पर ही बोलें।

श्री प्रमोद कुमार-

[xxx]

नोट :- [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष-

जब आप बोलियेगा तो बताइयेगा अभी आप बैठ जाएं, यह लिखा नहीं जायेगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

उपाध्यक्ष जी, यह बिल्कुल सही है कि नेता प्रतिपक्ष जब बोलें तो टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और अगर हो तो बहुत कम हो और किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे एहसास हो कि अपमानजनक बात कही गई। लेकिन किसी ऐसे दल के नेता को, जिनकी संख्या यहां पर बहुत कम हो लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा दल हो, अगर उसका नेता कोई बात करे तो अव्यवस्था की हद तक कहते हैं तो आदेश आपका ही मान्य होगा लेकिन थोड़ा संयम से, पीठ से यह कहा जाए कि नहीं लिखा जायेगा, मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। पीठ से जो कुछ कहा जायेगा सभी को मान्य होगा लेकिन मान्यवर, एकदम से यह निर्देश जारी हो जाना यहां की परम्परा के लिए ठीक नहीं है। आप थोड़ा सा मौका दीजिए, एक-आध बार इंगित कीजिए और फिर कार्यवाही का हिस्सा न बनाइये। लेकिन अगर मान्यवर, ऐसा करेंगे तो यह सबके लिए होगा।

श्री उपाध्यक्ष-

चर्चा 4 घण्टे की है, और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को इसमें भाग लेने का मौका मिले।

श्री लाल जी टण्डन-

वह मेरे मित्र है, मैं आपके द्वारा उनको नसीहत नहीं देना चाहता हूं, वह बड़े काबिल है। मान्यवर, आज प्रदेश की जो स्थिति हो रही है....

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

इस समय मैंने आपकी बात नहीं कही है।

श्री लाल जी टण्डन-

मैं समझ रहा हूं कि आपने प्रमोद कुमार जी के लिए कहा है, उनको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने दीजिए। कम से कम दो ही लोग यहां पर हैं, प्रमोद कुमार जी और मैं। नहीं तो बड़ा टेन्स का वातावरण बना रहता है। कुछ हास्य-व्यंग्य होना चाहिए और प्रमोद कुमार जी इसमें बहुत पारंगत है। 4 घण्टे की चर्चा है जिसमें मैंने बहुत समय ले लिया है। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि यदि आप प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं तो वह आत्मरक्षा के लिए लोग मैदान में आते हैं। जहां भी प्रदेश का हित होगा हम पीछे नहीं रहेंगे, हम आपके साथ चलने को तैयार है।

इसे आप अपनी आलोचना न मानें। यह आलोचना एक आइना है। आपकी स्टेट में क्या हो रहा है। अब यह मेरी बदकिस्मती है कि अंधों की बस्ती में आइने बेचता हूँ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को पुकारे जाने पर।)

नियम-52 के अन्तर्गत स्वीकार चर्चा में सूचनादाताओं को पहले सुने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो परंपरा यह रही है माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं उसके बाद अन्य

दलों के नेता बोलते हैं। लेकिन मान्यवर, यह चर्चा स्पेसिफिक है। चर्चा कुछ माननीय सदस्यों द्वारा मांगी गयी ी जिसको माननीय अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया और उस पर चर्चा हो रही है। इस बारे में इस सदन की मान्य परंपरा रही है कि जिनका नाम चर्चा के लिये कार्यसूची में रहता है नेता प्रतिपक्ष के बाद वही बोलते हैं। उसके बाद अन्य दलों के नेताओं को चर्चा में बोलने का मौका मिलता है। जिनका नाम कार्यसूची में छपा है पहले उनको बोलने का मौका मिलना चाहिये। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जिन्होंने चर्चा चाही है और जिनका नाम कार्यसूची में छपा है उनको चर्चा में भाग लेने का अवसर पहले मिलना चाहिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मेरे ख्याल से, मैं थोड़ा सा याद कम कर पा रहा हूँ। पहले हमेशा नेता बोलते थे और उसके बाद कार्यसूची में जो सदस्य हैं उनको बुला लिया जाता है। उसके बाद समय रहेगा तो अन्य सदस्य बोले।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अगर बजट पर चर्चा होती है उनमें दलीय नेताओं को पहले बुलाया जाता है। लेकिन इसमें जिन सदस्यों ने सूचना दी है उनका हक पहले बनता है। यह सदैव से सदन की परम्परा रही है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

पहले एक व्यवस्था पर निर्णय आ जाने दीजिए।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, पीठ से जब कोई निर्णय हो जाय तो दूसरा अगर कोई उस पीठ पर आ जाय वह उसे बदल नहीं सकता है। कदाचित यहाँ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

कल यहाँ सूखे पर चर्चा हुई थी उसमें जिनका नाम था उनको पहले बोलने दिया गया।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा नाम है कि नहीं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अभी यहाँ पर अध्यक्ष जी बैठे थे उन्होंने निर्णय लिया था और कुछ निर्णय सदन के बाहर भी होते हैं इस पर भी यह निर्णय हुआ था कि इस पर पहले दलीय नेता बोलेंगे बाद में जिन माननीय सदस्यों के सूचना पर हस्ताक्षर हैं उनको बोलने का अवसर मिलेगा। हमने इसीलिए इसमें यह कहा था कि दोनों चर्चाओं को मिला लिया जाय जिससे 4 घण्टे मिल जाएं। इस सूचना पर ऐसा नही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रूप में हमारा नाम भी है। पहले दलीय नेताओ को बुलवा लें उसके बाद जिन सदस्यों के सूचना पर नाम है उनको भी बुलवा लें।

(इस समय 4 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री प्रमोद कुमार -

मान्यवर, आप मौके पर आ गए। हम तो आपके वचन की ही रक्षा कर रहे थे। अभी कुछ लोग जो [xxxx] बाहर भी [xxxx] वह [xxxx] रहे थे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह पीठ पर आक्षेप है।

श्री अध्यक्ष-

सूचना में नाम तो सभी के है।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष महोदय, आपके स्थान पर उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे उनके प्रति कुछ आक्षेप लगाया गया है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह सदन की परम्परा रही है कि जिन माननीय सदस्यों ने सूचना दी हो पहले उनको बोलने की अनुमति दी जाती है। अगर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होती है या बजट भाषण पर चर्चा होती है तब दलीय नेता पहले बोलते है। जो सूचनाएं होती है उनमें जिनके हस्ताक्षर होते हैं उनको पहले मौका मिलता है।

श्री अध्यक्ष-

अगर इस सूचना में किसी माननीय सदस्य का नाम है, चाहे वह नेता हों या विधायक हों बोलने का अधिकार है। कौन बोलेगा यह तय करने का अधिकार पीठ का है। अगर माननीय उपाध्यक्ष जी ने मौर्या जी, नेता बहुजन समाज पार्टी को बुला लिया तो इसमें क्या हर्ज है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आप एजेन्डे के पेज-27 पर मद संख्या-25 पर देखें। नेता प्रतिपक्ष के बाद स्वामी प्रसाद जी का नाम छपा है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब सबको बोलने का अवसर मिलेगा।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इसका मतलब है कि चर्चा में आप लोगों की रुचि नहीं है। उपाध्यक्ष जी ने मौर्या जी को बुला लिया तो उनको बोलने दें। सभी लोगों को बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, यह दबाव नहीं चलेगा।

नोट : - [ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, हमको कोई आपत्ति नहीं है यदि आप जिस तरह से नाम दिये गये है उस हिसाब से बुलवायेंगे तो। पहले दलीय नेता बोलें और फिर सदस्य बोलें यह ठीक नहीं। एजेन्डे के हिसाब से जैसे जिसका नाम है, उसी हिसाब से उसको आप बुला लें तो हमको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी ने अभी जो एक वाक्य कहा है, आक्षेप है, उसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैंने कोई आक्षेप नहीं लगाया है।

प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली संकट तथा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-52 के अर्न्तगत समेकित चर्चा (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रदेश में अभूतपूर्व बिज़ली संकट से उत्पन्न स्थिति के बारे में और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं बिजली से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में बात करना चाहता हूँ। आज पूरे प्रदेश में बिजली की जो व्यवस्था चरमराई हुई है उससे पूरे का पूरा प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा है। आज पूरे प्रदेश में....

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, थोड़ी देर पहले यह कहा गया था कि बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं है वे गृहमंत्री भी है और ऊर्जा मंत्री भी है। मान्यवर, यह संवैधानिक संकट नहीं हैं कि इतने गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं है। वास्तव में असंवैधानिक संकट तो अब पैदा हुआ है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय वाजपेयी जी उछलिये नहीं। अगर आप सुन नहीं सकते तो आपको कहने का अधिकार नहीं है। इस लोकतंत्र में जो कोई दूसरे की बात नहीं सुन सकता उसको अपनी बात चीख कर कहने का अधिकार नहीं है। मान्यवर, मैं इनकी बाहर की पीड़ाओं का जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता। तरस गये थे मुख्यमंत्री का चेहरा देखने के लिये। माननीय नेता सदन यहाँ पर इस समय नहीं है, सुबह से वे बैठे थे। माननीय नेता प्रतिपक्ष का एक-एक शब्द उनके सामने है।

....और आपको चर्चा में जितनी बात कहनी है, गम्भीरता से कहें, आपको अनावश्यक रूप से इस टिप्पणी की आवश्यकता थी नहीं। आप बड़े अच्छे वक्ता है, इसमें कहाँ फँस गए?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश में त्राहि-त्राहि मची हुई है। मान्यवर, आज गोरखपुर, बहराइच, वाराणसी, कानपुर, बस्ती, प्रतापगढ, बलिया, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, सुल्तानपुर, पडरौना, सोनभद्र और मऊ आदि सभी जिला मुख्यालयों पर बिजली की समस्या को लेकर बड़े पैमाने पर धरना-प्रदर्शन हो रहे है। हमारे बगल में माननीय सदस्य

राधामोहन जी बैठे हैं, गोरखपुर में खुद इनके नेतृत्व में दसों हजार लोगो ने धरना प्रदर्शन किया था इससे पूरे गोरखपुर में ताले बन्द हो गए थे, आवागमन बन्द हो गया, कोर्ट-कचहरी का काम बन्द हो गया। यही नहीं पूरे प्रदेश में बद से बदतर हालत बन गयी हैं आज पूरे उत्तर प्रदेश में आन्दोलन के लिए, धरना-प्रदर्शन के लिए जनता तैयार हो गयी है और जब कभी भी इस समस्या पर सदन में बात आती है, सरकार बहुत ही मुस्कराते हुए, हँसते हुए और बहुत ही हल्केपन से ऐसे गम्भीर मुद्दों को लेती है। मान्यवर, आज यहाँ चर्चा के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो यह पूरे उत्तर प्रदेश की गम्भीर समस्या है, इस गम्भीर समस्या पर सरकार को भी गम्भीर होना पड़ेगा। समस्याएं जो भी पैदा होती है, उत्तर प्रदेश की जनता की निगाहें सरकार पर टिक जाया करती है कि सरकार कौन से उपाय करने जा रही है जिससे हम को इससे छुटकारा मिले, निजात मिले। मान्यवर, प्रदेश की जनसंख्या दिनों-दिन बढ़ रही है, इसकी बढ़ी हुई जनसंख्या के मुताबिक बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। इस प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि नए संयन्त्र जो बिजली उत्पादन के लिए लगने चाहिए थे, वह नहीं लगे। मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की माँग 6800 मेगावाट बिजली की है और इस 6800 मेगावॉट बिजली की माँग के सापेक्ष मात्र 5400 मेगावॉट विद्युत की आपूर्ति किसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कर पा रही है, यानि लगभग 1500 मेगावॉट बिजली की कमी उत्तर प्रदेश की जनता पर निरन्तर पड़ रही है और इधर जिस तरीके से प्रकृति ने भी थोड़ा क्रूर मजाक किया है और समय पर बरसात नहीं हुई, उमस बढ़ गयी, गर्मी बढ़ गयी और उसके बढ़ने के नाते बिजली की माँग भी बढ़ गयी। मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने प्रदेश के विभिन जिला मुख्यालयों का नाम लिया, जहाँ पर बड़े पैमाने पर धरना-प्रदर्शन और आन्दोलन हो चुके है।

मान्यवर, आज इस कमी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बिजली आयात करनी पड़ रही है लेकिन और आयात करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार बिजली को आयात तो कर रही है लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जनता की मांग है उसके अनुरूप और बिजली आयात करने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में बिजली की जो उपलब्धता है उसके मुताबिक 2200 मेगावाट संयंत्र से, 150 मेगावाट जलविद्युत योजना से 2200 मेगावाट बिजली हम आयात करते है। वह कुल मिलाकर लगभग 5000 मेगावाट होता है जबकि इस समय बिजली की मांग 6800 मेगावाट की है। स्वाभाविक है कि हम मांग के अनुरुप 1500 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली नहीं दे पा रहे है तो स्वाभाविक है कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमराएगी बिजली की व्यवस्था चरमराएगी। इसके साथ-साथ समय-समय पर घोषणाएं होती है कि हम प्रदेश को पर्याप्त बिजली देगें लेकिन मान्यवर, जब मांग के अनुरुप बिजली ही नहीं है तो देंगे कैसे। केवल घोषणा से बिजली नहीं मिलेगी। आज यही कारण है कि 4 घण्टे से लेकर 18 घण्टे तक बिजली कटौती करना पड़ रही है। जिसके फलस्वरुप आज बड़े महानगर जो हमारे औद्योगिक व्यय के केन्द्र है जहां से पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था चलता है वहां से पूरी रोजीरोटी की व्यवस्था होती है ऐसे तमाम महानगर जैसे कानपुर , मुरादाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर में भी मान्यवर कई घण्टे तक बिजली की कटौती की जा रही है। यह तो बड़े शहर हुए लेकिन जो तहसील स्तर के क्षेत्र है जो ब्लाक स्तर के क्षेत्र है छोटे जिले है वहां पर 8-18 घण्टे तक बिजली कटौती की जा रही है मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सरकार अपने स्तर से चांज कराये हो सकता है कि बिजली की 18 घण्टे की कटौती होती है और अधिकारी 8 घण्टे बताते हों, हो सकता है कि 14 घण्टे की कटौती होती हो और अधिकारी 4 घण्टे कटौती बताते हों। हम चर्चा के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर लाना चाहते है ताकि सरकार इस पर गंभीरता से चिंतन करके प्रदेश की इस ज्वलंत समस्या से निबटने के लिए कारगर उपाय करें। जैसे कि कल सूखे पर चर्चा हुयी और सूखे की चर्चा के दौरान ही बिजली की समस्या पर भी इंगित किया गया कि आज बिजली की समस्या के चरमराने से उत्तर प्रदेश का किसान सीधे प्रभावित हो रहा है क्योंकि तमाम ऐसे नहरें है जो बिजली से चला

करती है जो पंप कैनाल हुआ करते है जैसे हमारे विधान सभा क्षेत्र में डलमऊ पंप कैनाल है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अनेक पंप कैनाल है जो बिजली से चलते है और स्वाभाविक है कि 18 घण्टे बिजली कटौती से पंप कैनाल से पानी निकलने वाला नहीं है जिससे जो राजबहे है माइनरे है उनमें पानी आने वाला नहीं है। इस कारण से आज प्रदेश के किसानों को अवर्षण की स्थिति झेलनी पड़ती है। गॉवों में किसान भी जो अपना निजी ट्यूबवैल लगाता है यह सोच करके कि नहर में पानी नहीं होगा, अगर पानी नहीं बरसेगा तो वह ट्यूबवैल चलाकर अपने खेत की सिंचाई करेगा। लेकिन आज बिजली की कटौती होने के नाते किसान अपना ट्यूबवैल भी नहीं चला पा रहा है। यहॉ तक कि तमाम शहरों में गॉवों में, गॉव में तो कुवां होता है और गॉव का रहने वाला आदमी पानी के लिए मोहताज नहीं होता है। लेकिन शहर में अगर बिजली चली गयी तो ट्यूबवैल नही चलेगा। नतीजा यह होगा कि पानी की सप्लाई बंद हो जायेगी और लोग प्यासे मरने लगेंगे। आप देखें कि सौ दो सौ लोग लाइन लगाये पड़े है। यहॉ पर इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पाइप कम होते है। गॉव में सिंचाई के लिए यदि ट्यूबवैल नहीं है तो वहॉ पर सिंचाई नही हो सकती है। पानी तो आप जानते ही है उसका कोई भरोसा नहीं है। नहरों में भी अगर पानी नहीं है तो यही इसका सहारा है। तो इस तरह से आप देखें कि न तो शहर और न ही गॉव इससे अछूता है। यानि आज बिजली की कटौती से पूरी जनता, चाहे वह गॉव की है या शहर की, पूरी तरह से प्रभावित है। यही नहीं जब बिजली की कटौती होगी तो स्वाभाविक है कि कार्यालयों में जो हमारे अधिकारी/कर्मचारी काम करते रहते है, उमस होने के नाते बिजली के अभाव में बाहर आ जाते है इससे भी काम प्रभावित होता है। लोग हवा खाने बाहर निकल लेते हैं। और जब कार्यालय का काम प्रभावित होता है तो स्वाभाविक है कि प्रदेश का संचालन बंद हो जायेगा और प्रदेश का विकास बंद हो जायेगा। इसका सीधा परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। मान्यवर, आज बिजली की समस्या को लेकर जगह-जगह धरना, प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे है। तो स्वाभाविक है कि सरकार को इनपर नियंत्रण करना है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी अभी बहुत से सदस्यों को बोलना है। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था पर भी आपको बात रखनी है इसलिए संक्षिप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, ठीक है मैं बिजली पर चर्चा को एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। तो मान्यवर, इसमें पुलिस फोर्स लगानी होती है और व्यवस्था प्रभावित होती है। इससे काफी समस्याएं पैदा हो रही है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह गम्भीर मामला है। यह समस्या केवल पक्ष और विपक्ष की नहीं है। यह समस्या पूरे उत्तर प्रदेश की है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य प्रदेश की जनता के सहयोग से यहॉ तक पहुंचते है। जनता के प्रति इनकी जवाबदेही है। इस समस्या से निपटने के लिए कोई कारगर कदम उठाये जायें। अब हम कानून व्यवस्था पर आते हैं।

श्री अध्यक्ष-

बहुत समय हो गया है, जल्दी करें।

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, आप समय आवंटित कर दें। दल की संख्या के आधार पर कर दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी हम बिजली की समस्या पर चर्चा कर रहे थे। आपका निर्देश है इसलिए कानून व्यवस्था पर हम कुछ कहना चाहेंगे। आज कानून व्यवस्था की चरमराती स्थिति पर चर्चा करने के लिए

अपनी बात सदन के समक्ष रख रहा हूँ। मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर है और इस कानून-व्यवस्था की बदतर हालत क्यों हो गई है क्योंकि आज पूरे प्रदेश में जंगल राज है, सरकार का नियन्त्रण कानून पर नहीं रह गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकारा है कि अपराध बढ़े है और अगर मैं केवल एक महीने की घटनाओं का जिक्र यहां पर करूं तो मैं समझता हूं कि शायद चार घण्टा भी मेरे लिए कम पड़ जाय।

श्री अध्यक्ष-

सारी कानून-व्यवस्था आप नियम-56 में पहले पढ़ चुके हैं, अब अन्य सदस्यों को भी मौका दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश के जो बिगड़े हालात है उससे कोई अछूता नहीं है, मान्यवर, आज यहां तक कि जन प्रतिनिधि भी इसका शिकार हो रहे हैं केवल आम जनता ही शिकार नहीं हो रही है और यहां तक कि सत्ता पक्ष के लोग भी इस गुण्डा राज का शिकार हो रहे हैं। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए यहां से पूरे उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर नियन्त्रण किया जाता है, सारे सरकारी मुलाजिम, अधिकारी और मंत्री इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहते हैं और मान्यवर, अभी माननीय नेता सदन जी ने यहीं पर नियम-51 में लगी हुई एक सूचना पर वक्तव्य देते हुए खुद इस बात के लिए स्वीकारा कि सन् 2003 की तुलना में 2004 में अपराध बढ़े हैं, मानीय मुख्यमंत्री जी ने जो सूचना दिया उस सूचना के मुताबिक केवल लखनऊ रेज में हम सबका ग्राफ देंगे तो बहुत समय लगेगा केवल जनवरी महीने में 53 हत्याएं हुई, फरवरी महीने में 38 हत्याएं हुई, मार्च में 77 हत्याएं हुई, अप्रैल में 49 हत्याएं हुई, मई में 64 हजार हत्याएं हुई और जून में 60 हत्याएं हुई हैं यानी मान्यवर, इस सन् 2004 के जनवरी से लेकर के जून तक की हत्याओं का ब्योरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में दिया था और मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि माननीय नेता सदन को केवल यह स्वीकार करने में कि अपराध बढ़ा है इससे काम नही चलेगा बल्कि इस अपराध के नियन्त्रण के लिए आप को अपना दिल भी कठोर करना पड़ेगा, वह तमाम अपराधी, गुण्डे, माफिया जो सत्ता के गलियारे में घूमा करते हैं और सरकार का नाम भी बदनाम करते हैं, यह मत सोचिए कि आप इनको संरक्षण देकर कोई अच्छा काम करने जा रहे है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिससे पूरा उत्तर प्रदेश प्रभावित होता है उन पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कदम उठाने पडते हैं। मान्यवर, जिस तरीके से दूध की रखवाली बिल्ली नहीं कर सकती है उसी तरीके से इस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे [xxx] मंत्री नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप देखें, सरकार में बैठे [xxx] शब्द निकाल देंगे, यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, कानून और व्यवस्था पर मैं मात्र अभी तीन मिनट ही बोला हूँ।

श्री अध्यक्ष-

वह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

नोट :- [xxxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, माननीय मौर्य जी की बातों को वैसे भी हम लोग बहुत संजीदगी से नहीं लेते हैं यह तो कहते रहते हैं अन्नप शन्नप। इन्हें तो न निकलवायें लेकिन वह शब्द जरूर कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

वह हम निकलवा देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, उ0प्र0 की जनता के साथ-साथ अब उन अपराधियों के हाथ जन प्रतिनिधियों के भी गिरेबान में पहुँचने शुरु हो गये हैं। गाजीपुर में बी0जे0पी0 के नेता मैनेजर सिंह की हत्या हो गयी और वहीं पर बी0एस0पी0 के नेता अनिल सिंह की हत्या हो गयी। बलिया में वहां के जिला पंचायत उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी बलिया के उपाध्यक्ष और उसके दो अन्य साथियों की हत्या हो गयी। वाराणसी में अपना दल के नेता प्रहलाद सिंह की हत्या हो गयी। इसी तरह से वाराणसी में समाजवादी पार्टी के सभासद की हत्या हो गयी। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता मानू की हत्या हो गयी।

श्री अध्यक्ष-

अब दोहरायें नहीं। आपके सदस्यों का ही समय आगे कम हो जायेगा। समय का ध्यान रक्खें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपका निर्देश हो तो हम न बोलें पूरे बहुजन समाज पार्टी के हमारे साथी यहॉ से चले जायें। आपके निर्देश पर ही शून्य पहर का समय ही हमने चर्चा के लिये दिया है।

मान्यवर, इसी जुलाई माह में मेरठ के छात्र नेता निशान्त की हत्या हो गयी। इसी तरह से अभय प्रताप सिंह (बबलू) सुल्तानपुर महासचिव यूथ कांग्रेस की हत्या हो गयी। रायबरेली में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आर0पी0 सिंह के भाई की हत्या हो गयी। मान्यवर, उ0प्र0 सरकार में पूर्व मन्त्री श्री मिथिलेश के बहनोई एवं भान्जी की हत्या हो गयी। इसी तरह से पूर्व मंत्री विनोद तिवारी के मौसेरे भाई की हत्या हो गयी। मैनपुरी में 22 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के नेता दशरथ भदौरिया की हत्या हो गयी। उन्नाव में नवाबगंज के ब्लाक प्रमुख राम नरेश विमल की 26 जुलाई की हत्या हो गयी।

मान्यवर, इसी तरह से ग्राम-प्रधान श्री राम शब्द यादव एवं चार अन्य की हत्या जीयनपुर थाना अंतर्गत आजमगढ़ में हो गयी। गोला बाजार आजमगढ़ के कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख पर हमला हुआ और उनके तीन साथियों की हत्या हो गयी। मान्यवर, रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के नेता लकी वर्मा की सिविल लाइन्स में हत्या हो गयी। इसी तरह से मंजेलाल उर्फ शिव कुमार की जो बी0एस0पी0 के नेता और कार्यकर्ता थे उनकी थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ के अन्तर्गत हत्या हो गयी। इसी तरह से बी0एस0पी0 के पदाधिकारी आत्माराम प्रधान की कौशाम्बी में हत्या हो गयी। मान्यवर, 9 जुलाई, 2004 को वृद्ध जी गौड़ जो जहानाबाद आजमगढ़ में हमारे बी0एस0पी0 के कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या हो गयी।

श्री अध्यक्ष-

अब आपको 20 मिनट हो गये। आप कृपया बैठ जायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ। यह सरकार के ऑकड़े बोल रहे हैं। सरकार के आंकड़े क्या है, मान्यवर, जो इन्होंने अपने अपराध के अपनी सरकारी सूची जारी की है वह सरकारी सूची में 2002-2003 और 2003-2004 का दिया है यह केवल इन्हीं आंकडों से पता चल जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

20 मिनट आप बोल चुके है, आप जल्दी कीजिए, एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यहाँ पर डकैती में 2002-2003-2004 में क्रमश: 199, 61, 128 तो 2003 में 61 और 2004 में 128, लूट में 2003 में 443 और इस समय वर्तमान में 937, मर्डर में 2003 में 1856 और इस समय 3104, राइट में 2003 में 430 और इस समय 1325, हाउस ब्रक्रिग में 2003 में 780 और इस समय 1829, रोड हाल्ड अप में 2003 में 1 और इस समय 7, किडनैपिंग फार रैनसम में 2003 में 30 और इस समय 75 डावरी डेथ में 2003 में 409 और इस समय 627, रेप में 2003 में 227 और वर्तमान में 471 इस तरह से टोटल आई0पी0सी0 में 2002 में 63072, 2003 में 28028 और 2004 में 46996 है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं यह आपके सरकारी आंकड़े बोल रहे है।

श्री अध्यक्ष-

आप देखिये कितना टाइम हो गया ? 4 घंटे की चर्चा में 22-24 मिनट आपके ही हो गये, आपके सदस्य भी बोलना चाहते है।

श्री दिनेश सिंह-

मान्यवर व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आंकड़े के बिना बोलूंगा तो हमारे साथी लोग कहेंगे कि मौर्या जी बनावटी बात बोल रहे है इसलिए मैं आंकड़े के सहारे बोल रहा हूं ताकि हमारे सदस्यों को इसकी गम्भीरता का पता लगे।

श्री अध्यक्ष-

आप एक मिनट में खत्म करिये, आपके सदस्यों को भी बोलना है। आप इतनी देर बोलेंगे 4 घंटे का ही समय है। आप जल्दी खत्म कीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हमारे सत्ता दल के साथी व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर हमारा समय गवां दिये, आप भी मान्यवर, इन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। थोड़ा बहुत समय हमारे भाई प्रमोद कुमार जी ने ले लिया।

श्री अध्यक्ष-

मैं हां में हां नहीं मिला रहा हूं। आप जल्दी खत्म कर दीजिए।

श्री जगदीश नारायण राय-

हमारे कोई सदस्य नहीं बोलेंगे, सारा समय हमारे नेता को दे दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसी क्रम में मैं आपको अवगत करा रहा था कि एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत जो घटनायें घटी हैं उसमें सन् 2002 में 152 मर्डर, 2003 में 84 और 2004 में 111, मान्यवर, दहेज हत्या में 2002 में 356, 2003 में 49 और 2004 में 105, इसी तरह रेप यानि बलात्कार में ...

श्री अध्यक्ष-

आप तो सारी बातें पहले बोल चुके हैं। आपको 25 मिनट हो गये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों ने हमको अपना समय दे दिया, अब आपकी तरफ से आपत्ति नहीं होनी चाहिये। आपकी तरफ से संरक्षण होना चाहिये, आपकी कृपा मुझे मिलनी चाहिये। तो मान्यवर, मैं बता रहा था कि अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट में रेप की घटनायें 2002 में 144, 2003 में 60 और 2004 में 79.....

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कार्यसूची में आप देखेंगे कि 20 माननीय सदस्यों के नाम हैं, जिन्होंने चर्चा माँगी है। माननीय सदस्यों का यह भी आग्रह होता है कि वह अपने क्षेत्र की बात कह सकें। मेरा आग्रह आपसे यह है कि यदि चर्चा समाप्त नहीं हो सकती, 4 घण्टे में तो पूरी नहीं हो पायेगी क्योंकि इस तरह से 2-2 एक-एक घण्टा मिलेगा तो चर्चा को कल भी आप जारी रखिये।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर सदस्य अपनी बात कहने से अपने अधिकार से वंचित रहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

पहले भी चर्चाऐं होती रही हैं। उसमें आप भी भाग लिये हैं, मैं भी लिया हूँ। जिसने नाम दिया, सभी बोलते रहे हैं। लेकिन वह भी बोलें, जिनके नाम हों और वह भी बोलें जिनके नाम न हों।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब मौर्य जी, अपनी बात खत्म करें।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

अब नाम है श्री श्यामदेव राय चौधरी का एक उसमें से और एक इसमें से होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब तो सीरियल खत्म हो गया, आप समय क्यों खराब कर रहे हैं?

डा0 लक्ष्मकान्त वाजपेयी-

इसमें तो दोनों दर्ज हो गया।

श्री अध्यक्ष-

कोई पहले वहाँ दिया, कोई इसमें पहले दिया, अब आप उनको बोल लेने दीजिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर या सामान्य बजट पर चर्चा में दलीय नेता पहले बोलते हैं, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है। इसमें तो एक नाम इसमें से बुलवायें, एक नाम उसमें से बुलवायें। माननीय अध्यक्ष जी, आखिर सदन की परम्परायें कहाँ जायेगीं?

श्री अध्यक्ष-

मैं अलग से बुला लेता तो कोई बात थी।

आप इस प्रकार से करेंगे तो इसका मतलब कि आप चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। इसके बाद आपका नम्बर आयेगा, मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वह दल के नेता हैं बल्कि उनका नाम प्रस्ताव में है, दूसरे में 24-25 दोनों में उनका नाम है।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री मोहम्मद आज़म खॉ-

मान्यवर, मेरी राय में आप शान्त रहें, जब सब बोल लें तब आप अपनी व्यवस्था दे दें क्योंकि भाजपा और बसपा के लोग बोल रहे हैं, पहले यह लोग अपनी बात कह लें, उसके बाद आप निर्देश दे दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

बार-बार अनुरोध करने के बाद भी मुझे आपका संरक्षण नहीं मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी को अपनी बात कहने का और अपनी बात रखने का जिस प्रकार से मौका नहीं दिया जा रहा है, हमें अपनी सूचना देने से रोका जा रहा है, इसलिए मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री मोहम्मद आज़म खॉ-

मान्यवर, उनके दल का अधिकार है, किसी भी दल को यह अधिकार है, लेकिन अध्यक्ष पीठ पर इस प्रकार के आक्षेप लगाना बहुत अच्छी बात नहीं है और निन्दनीय है। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसकी निंन्दा होनी चाहिए।

श्री हुकुम सिंह-

कोई ऐसे शब्द तो नहीं कहे गये हैं।

श्री मोहम्मद आज़म खॉ-

अध्यक्ष पीठ के बारे में यह कह कर वाक-आउट कर जाना कि आपकी तरफ से उनके प्रति ज्यादती हो रही है, पक्षपात हो रहा है जबकि सब जानते हैं, पूरा सदन जानता है कि पक्षपात नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रमोद कुमार जी अपनी बात रखें लेकिन समय का ध्यान रखें।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि प्रदेश की सबसे बड़ी और ज्वलन्त समस्या कानून-व्यवस्था और विद्युत इन दोनों पर अपने विचार रखने का आपने मुझे मौका दिया। किसी प्रदेश का विकास का पैमाना दो बातों पर निर्भर करता है। पहला पैमाना कि वहां की कानून-व्यवस्था कैसी है? और दूसरे वहॉ की बिजली उपलब्धता क्या है? अगर ये दो चीजें नहीं होंगी तो हम किसी भी प्रदेश या देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते है। मान्यवर, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज बिजली की स्थिति बहुत खराब है। पूरे प्रदेश के जनपदों के मुख्यालयों पर, कस्बों में हर जगह विद्युत की कमी को लेकर धरने, प्रदर्शन, आन्दोलन सभी कुछ हो रहे है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे प्रदेश में एक अजीब सी स्थिति है, विद्युत का संकट है। इस सच्चाई से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए परन्तु हमें उन कारणों पर भी जाना होगा कि आज इस संकट का जिम्मेदार कौन है? मान्यवर, मैं बहुत स्पष्ट रुप से कहना चाहता हूँ कि धर्म और जाति की राजीति में अगर किसी चीज का नुकसान हुआ है तो इस प्रदेश के विकास का नुकसान हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, 1989 में

मुझे भी विद्युत विभाग में एक राज्यमंत्री के रुप में काम करने का अवसर मिला था। आज मैं ऑकड़े देख रहा था, मैं उन ऑकड़ों को यहाँ रखकर सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। लेकिन सभी को यह चिन्ता है कि 1989 में जो विद्युत का उत्पादन था, अधिष्ठापित क्षमता थी आज 15 साल बीत जाने के बाद वर्ष 2004 में भी वही अधिष्ठापित क्षमता है, बल्कि उससे कम हुई है। यह जो विद्युत का संकट है, आपको नजर डालना पड़ेगा कि 15 वर्षो तक जिम्मेदारी किसकी थी, क्यों नहीं विद्युत उत्पादन के लिए कदम उठाये गये। अगर विद्युत नहीं होगा तो भाषणों से विद्युत नहीं आया करती, घोषणाओं से भी विद्युत प्रवाहित नहीं होती। विद्युत प्रदेश के कोने-कोने में, गॉवों में तब जायेगी जब विद्युत का उत्पादन होगा। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि जितनी भी उसके बाद की सरकारें आयी हैं कहीं न कहीं जिम्मेदारी सबकी है। लेकिन मान्यवर, किसी काण्ड का मुख्य अभियुक्त ढूँढा जाए तो जो उत्तर प्रदेश में विद्युत का व्यापक संकट चल रहा हे उसका अगर सबसे बड़ा दोषी कोई है तो वह श्री लालजी टण्डन और उनकी पार्टी है। उसका कारण क्या है, मैं गिना देता हूँ। 1991 से लेकर 1993 तक सरकार किसकी थी, बिजली मंत्री कौन था? आदरणीय टण्डन जी आपने शुरुआत की थी, मैं आपका वहुत आदर और सम्मान करता हूँ। (श्री हुकुम सिंह जी द्वारा कुछ कहने पर) हमारी कोई प्रतिस्पर्धा तो है नहीं, हम आपको और आपकी पार्टी को सदा-सर्वदा वहीं देखना चाहते हैं। मैं एक बात कर रहा था, 1991 से 1993 के बीच में जो आनपारा बी की शुरुआत हमने की थी, जिसको हम बनाकर गये थे उसके बाद आपने क्या किया? एक मेगावाट भी विद्युत का उत्पादन आपने नहीं किया। हाँ, एक काम अपने किया, जो हमने जनता की खून-पसीने की गाढ़ी कमाई से ऊँचाहार तापीय परियोजना जो स्व0 फिरोज गांधी जी के नाम पर था उसे आपने वेंच दिया। एक तरफ तो आप विद्युत का उत्पादन बढायेंगे नहीं दूसरी तरफ बिजली संकट होगा तो दूसरों को कटघरे में खड़ा करेंगे। आज उत्तर प्रदेश की जनता को तलाश होनी चाहिए तो आपकी पार्टी को ढूढ निकालना चाहिए और सजा देनी चाहिए। मैं एक-एक बात सिलसिलेवार रखता हूं आपने बिजली उत्पादन वढ़ाया, तो कुछ नहीं जो भी था वह भी ले गये। सन् 96 में आप लौटे। बीच का शासन काल थोड़ा था, जिसमें भी आपकी हिस्सेदारी थी। सन् 93 से 95 तक राष्ट्रपति शासन रहा और फिर श्री मुलायम सिंह की सरकार बहुत कम दिन रही। उसके बाद ब0स0पा0 की सरकार आयी और पहली बार आपकी कलाई पर ब0स0पा0 ने राखी वांधी। मेरा कहना है कि जितनी भी गैर कांग्रेसी सरकारें आयीं बिजली संकट के लिए वह सब जिम्मेदार है लेकिन उसमें आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। सन् 96 से 2004 तक आपकी सरकार थी और केन्द्र में भी आपकी सरकार थी। आप कहते है कि प्रमोद कुमार की बात में वजन नहीं है, मैं मानता हूं कि मेरा वजन कम है आपका ज्यादा है। आप प्रधानमंत्री के करीब रहें है और उनके लाडले रहे हैं। 96 से 2000 तक आपने एक भी मेगावाट बिजली उत्पादन नही बढ़ाया इसलिए आप सबसे बड़े गुनेहगार हैं। यहां पर खुल कर बात होनी चाहिए और यह तय होना चाहिए कि किसकी गल्ती है। आपने एक एतिहासिक भूल की है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं।

मान्यवर, उत्तरांचल इनके कार्यकाल में बना और केन्द्र में भी इनकी सरकार थी, क्या आपको मालूम नही था कि उत्तर प्रदेश में सारे पर्वत जो है वह हिमालय की तरफ है और जो भविष्य का भारत हो सकता है, और जो भविष्य का उत्तर प्रदेश हो सकता है, उसको बिजली वहीं से मिल सकती है। क्योंकि वहां पर 30 हजार मेगावाट जल विद्युत की सम्भावना है। आपने सब उत्तरांचल को दे दिया। इतनी जल्दी क्या थी कि परिसम्पत्तियों का वंटवारा भी नहीं किया। क्या यह उत्तर प्रदेश के साथ आपने विश्वासघात नहीं किया। आने वाली पीढ़ियों के साथ आपने विश्वासघात किया है। आपको उनसे करार करना चाहिए था और आपको पैसा लगाकर वहां पर जल विद्युत उत्पादन के लिए परियोजना लगानी चाहिए थी। उसके वाद कुछ हिस्सा रायल्टी के रुप में आप उत्तरांचल को दे देते। अब आपके पास क्या वचा है। केवल रिहन्द ही बचा है, वहां पानी किसी पर्वत से नहीं आता है अगर पानी वरसता है तो रिहन्द में पानी आता है अगर सूखा पडता है तो रिहन्द भी सूखता है। आज

वहां सबसे कम विद्युत उत्पादन हो रहा है। अभी आपने कहा था कि अन्धों की बस्ती में आइना बेचता हूं जब आप यह कह रहे थे तो आप हुकुम सिंह जी की तरफ देख रहे थे। मैं नहीं जानता था कि आपका इशारा अपनी पार्टी की तरफ है। मैं सच्चाई बयान करना चाहता हूं। मुझे तीन बातों का जवाब चाहिए। पहली बार जब आप आये तो आपने ऊंचाहार बेच दिया दूसरी बार आये तो टाण्डा बेच दिया। मुझे थोड़ी बिजली विभाग की जानकारी है जब मशीनें नई होती है तो उनकी क्षमता ज्यादा होती है, और जब वह पुरानी हो जाती है तो क्षमता कम हो जाती है जैसे आज माननीय हुकुम सिंह जी में जो क्षमता है वह आप में नहीं हो सकती है। उम्र के साथ मशीनों का प्लाण्ट लोड फैक्टर कम हो जाता है। अगर बिजली घर बेचना था तो पुराना बेचते। ऊंचाहार दो-चार साल पुराना था माननीय इन्दिरा जी ने उसका शिलान्यास किया था। इसी तरह टाण्डा भी माननीय वीर बहादुर सिंह जी ने बनवाया था जिसको आपने बेंच दिया। उत्तरांचल को आपने सारी परिसम्पत्तियां दे दी। यहां हिमालय पर्वत है जिसके पानी से तीस हजार मेगावाट जल विद्युत बनायी जा सकती है। आपने टाण्डा बेचा, ऊंचाहार बेचा तो आप किस मुंह से बिजली संकट की बात कर रहे है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिजली संकट के बारे किसी तरह से भी कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता है। हमारे जमाने में उत्पादन बढ़ा था।

मान्यवर, प्रति वर्ष विद्युत की आवश्यकता दो सौ से तीन सौ मेगावाट बढ़ जाती है और हमारी जो पुरानी मशीनें है, उनकी क्षमता घटती जाती है। 1990से लेकर अब तक 14 सालों में चार-पांच हजार मेगावाट की आवश्यकता बढ़ गई और पांच हजार में पांच मेगावाट भी आप उत्पादन बढ़ा नहीं पाए। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था जब कभी आप यह कह रहे थे कि आपने आनपारा बी शुरु कराया था। इसी भाषण में बीच में आपने कहा था कि किसी थर्मल पावर को लगने में तीन-चार साल लगते हैं। लेकिन आपका कार्यकाल केवल 8 महीने रहा था मैं भी बिजली मंत्री रहा हूँ 13 महीने में तो गन्ना बोकर उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। आनपारा बी मेरे कार्यकाल में शुरु हो गया था आपको तो पत्थर लगाने का भी मौका नहीं मिला। आपके समय तो विदेशी कम्पनियों हुण्डई और कोरिया की कम्पनी से बटवारा होता रहा वह सिलसिला चलता रहा पूरा नहीं हो पाया। मैं मुख्यमंत्री जी को सुझाव के रुप में बताना चाहता हूं अगर प्रदेश को विकसित करना है तो कांग्रेस की नीतियों पर वापस लौटना पड़ेगा। कांग्रेस ने जिस तरह से हर साल का आकलन करके अपनी क्षमता बढ़ाई थी उसी तरह से आपको अगले 15 सालों या उससे ज्यादा 50 साल आगे के बारे में सोचना होगा तभी उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट दूर हो सकेगा। मैं बहुत स्पष्ट रूप से और विनम्रता पूर्वक कह देना चाहता हूं जिसमें दलीय बन्धन से ऊपर उठकर सोचना होगा। आपने कह दिया कि केन्द्र सरकार बिजली नहीं दे रही है जबकि वस्तु स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में 2405 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है हाइड्रो से 90 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है जबकि सेन्ट्रल पूल से 2500 मेगावाट बिजली मिल रही है। आप जितनी पैदा नहीं कर पाते हैं उससे ज्यादा सेन्ट्रल से बिजली मिल रही है। तो सेन्ट्रल ने क्या गुनाह किया है। और भी अगर सेन्ट्रल से बिजली लेने के संबंध में अगर आप हमारा सहयोग चाहते हैं तो हमसे जो हो सकता है वह हम सहयोग करने के लिए तैयार है उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रदेश का हित सर्वोपरि है उसमे कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन इस विषय पर आप अपनी गलती स्वीकार करें कि लाइन लास प्रदेश में 38 प्रतिशत पर चला गया। जबकि औसत 12 प्रतिशत है। आपके राज में घटकर 32 आ गया है। मैं कहना चाहता हूं कि लाइन लास में 12-14 प्रतिशत तो ठीक है 16 प्रतिशत तक ठीक है उसके बाद अगर होता है तो यह चिन्ता का विषय है। उसका मतलब कहीं न कहीं चोरी हो रही है या हिसाब किताब नहीं बन पा रहा है औ वह लाइन लास में दिखाया जा रहा है। अभी यहाँ सोनिया जी का नाम आपने अपने भाषण में लिया मैंने तो [xxx] का नाम नही लिया कि वह चार्ज शीटेड थे और गृहमंत्री थे।

नोट - [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

जो इस सदन के सदस्य न हों उनका नाम न लें।

नेता, विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

क्या सोनिया ऐसा शब्द है जो किसी को नहीं लेना चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं तो चाहता हूं कि आप यह नाम सुबह शाम लें लेकिन इज्जत के साथ लें। तो कल्याण हो जाएगा। जो नाम ले रहे थे वह आउट डेटेड नाम हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार-

तीन चार मिनट में समाप्त कर दूंगा।

... जो आप समय देंगे मैं उसकी अवहेलना नहीं करूंगा। कानून व्यवस्था पर सोनिया जी ने क्या कहा? वे यू0पी0 की चेयरमैन है। वे उन नेताओं में से है जिन्होंने प्रधानमंत्री पद मिलने के बाद जिस विनम्रता से अस्वीकार किया है वैसा कोई नहीं कर सकता। वे उन लोगों में नहीं है जो अपने तीनों मुद्दों, जिन पर वे चुन कर आये, उनको तिलांजलि दे दी और प्रधानमंत्री पद के लिये किस तरह से तिकड़म करी। सोनिया जी उन लोगों में से है जिन्होंने कोई समझौता नहीं किया और प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। मैं यहाँ पर यह जरूर कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कानून व्यवस्था पर कुछ कहा। वे अपने संसदीय क्षेत्र जायेंगी और लोग उनसे अपनी शिकायत करेंगे तो उनको भी हक है कानून व्यवस्था पर कुछ कहने का। राहुल जी ने जो कहा, वह उन्होंने अपने एम0पी0 के रुप में जो उनको अधिकार हैं, कहा। मेरे क्षेत्र में यदि कुछ समस्याएं होंगी तो निश्चित रुप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा।

श्री लाल जी टण्डन-

हाउस में नहीं कहेंगे?

श्री प्रमोद कुमार-

आपसे सीख सकते हैं। आपके नेता है वहाँ सदन नहीं चलने दे रहे है बागी मंत्रियों के नाम पर और आप है कि आपकी ज़बान नहीं खुलती बागी मंत्रियों के नाम पर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

विषय पर बोलिये। बहुत समय हो गया है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ [illegible] समय मैंने लिया था यदि वह सारे का सारा शोर शराबे में भेंट हो जाय तो मुझे फिर और समय दे दीजियेगा। आपने दागी मंत्रियों की बात कही। उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार हुआ हो। 1980 से मैं भी सदस्य हूँ। उससे पहले बहुत सदस्य रहे होंगे। दिल पर हाथ रखकर बताइये 1996 में जब आपने यहाँ पर सरकार बनाई थी तो आपके मंत्रि-मण्डल में 17-18 मंत्री ऐसे नही थे जिनका आपराधिक इतिहास नहीं था। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि अपराधिक

इतिहास को महिमामंडित करने का काम किसने किया था? यह काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं सुझाव के रुप में जरुर कहना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था को दो परम्पराओं से खतरा हो सकता है। एक तो राजनीति के अपराधीकरण से और दूसरा राजनीति में अपराधियों के प्रवेश से। इन्हें हर तरह से रोका जाना चाहिए इसलिए जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि मान्यवर, सबसे बड़ा खतरा अगर देश या प्रदेश को है तो वह साम्प्रदायिकता से है। आज जिसके पास नौकरी है, पेट में दो जून की रोटी है वह कुछ नहीं सोचता। लेकिन जो कल तक नौकरी करते थे, आज बेरोजगार हो गये है। कल तक उत्तर प्रदेश चला रहे थे, आज उनके सामने चिन्ता है दोबारा लौटने की। आपने अखबार पढ़ा होगा। क्या हुआ गोवा में, बाम्बे में। इन्होंने कहा कि हम पुराने ढर्रे पर लौटेंगे। आप मेरठ और मुज्जफरनगर की रिपोर्ट क्यों नहीं मँगवाते। वहाँ पर जो साम्प्रदायिकता फैली उसमें आपकी पार्टी का हाथ रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इतनी सलाह देना चाहता हूँ कि आपको सावधान रहने की जरुरत है। यह अपने पुराने ढर्रे पर लौटने को है। इनका पुराना स्वरुप क्या था? मंदिर, मस्जिद, धर्म के नाम पर हत्या। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपको इस प्रदेश को बचाना है तो साम्प्रदायिकता को दृढ़ता के साथ रोकना होगा और इसके लिये कदम उठाने होंगे। इस कदम में हम आपका साथ देंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। यह साम्प्रदायिकता जरुर फैलायेंगे। अगर नहीं फैलायेंगे तो क्या बिजली के नाम पर वोट मागेंगे। इसके सिवा इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कानून व्यवस्था को दूसरा खतरा साम्प्रदायिकता से है। आपने कुछ आँकड़े दिये। यह मालती मिश्रा कौन थीं? मालती जी की हत्या हुई, अलका जी ने कराई। होंगी, क्या करना है। किस के कार्य-काल में संसद की दीवार गोली से छलनी हुई, आपके कार्य काल में नहीं हुई? नहीं हुई होगी। इनके कार्य-काल में संसद भवन पर हमला नहीं हुआ? लाल किले में कौन गया आपके कार्य-काल में। कानून व्यवस्था के नाम पर कोई सबसे बड़ा कलंक रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी का रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपराधीकरण के खिलाफ है। आखिरी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ, कुछ शिकायतें निश्चित रुप से आ रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहीं-कहीं उत्पीड़न हो रहा है, मैंने निश्चित तौर पर घटनाओं का जिक्र किया है। मुझे आशा है कि आप निर्देश देंगे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न या जनता के किसी वर्ग का उत्पीड़न न हो। इस पर आप मजबूत कदम उठायेंगे। टण्डन जी, जिन्होंने मुझे बड़े अच्छे शब्द कहे, कि हास-परिहास हो जाता है, मैं इस अंधेरे के देवता को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करते हुए, अपने एक अध्यक्ष की हत्या पर आपने चर्चा नहीं की, मेरठ के सदर थाने में, हवालात में आपका कार्यकर्ता मर गया, उसकी चर्चा नहीं की। आप कार्यकर्ताओं के प्रति कितने गम्भीर है, पता चल रहा है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, कानून-व्यवस्था पर पाल साहब बोलेंगे, वह सारी चर्चा कर देंगे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, विद्युत का घोर अभाव और प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था की गम्भीर चर्चा पर आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, हम इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि प्रदेश में भयंकर बिजली की किल्लत है, उस किल्लत ने और उसके शीघ्र समाधान न होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना देखा है और जिसको क्रियान्वित करने का वह प्रयास कर रहे है, निश्चित रूप से उसके सामने एक गम्भीर प्रश्नचिन्ह है।

मेरे पास इतनी बुद्धि भी नहीं है कि मैं आरोप-प्रत्यारोप में जाऊँ। मैं तो इसमें विश्वास करता हूं, यह पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और इसमें विरोध पक्ष का यह उत्तरदायित्व है कि जो सत्तासीन पार्टी है, उसके कार्यकाल में जो कमियाँ दिखायी दे रही है, एक जनप्रतिनिधि के नाते इस सर्वोच्च सदन के सामने रखे और जिनके कन्धों पर इसके निराकरण की जिम्मेदारी है, वह उसको उसी रूप में ले। जैसा तुलसी दास जी ने कहा है 'निन्दक नियरे राखिए, आँगन कुटी छवाय', तो माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे है विचार के हैं भी और मैं समझाता हूँ कि आज जो विद्युत की समस्या है वह निश्चित रूप से जो सपना उन्होंने देखा है, उसको पूरा करने का प्रयास वह कर रहे हैं, करेंगे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है क्योंकि मेरे मन की जो भावना है, उसे कहने में मैं डरता नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के उच्च पदों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिनको बैठा रखा हे, वह भी निश्चित रुप से ईमानदारी से प्रयास कर रहे है, इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन सवाल यह है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने अखबारों में पढ़ा है कि इसी देश के अनेक राज्य है, अनेक सूबे है जिनको केन्द्र की तरफ से और सेन्ट्रल पूल से उनको ज्यादा विद्युत आवंटित है।

मान्यवर, केन्द्र की तरफ से आबादी के अनुपात में, मांग के हिसाब से बिजली आबंटित है और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, सबसे ज्यादा एम0पी0 आते हैं यहाँ की विधान सभा में सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि आते है तो मैं इसमें यह कहना चाहता हूँ कि मांग के अनुरूप, आबादी के हिसाब से आवश्यकता के हिसाब से, चाहे केन्द्र में कोई भी सरकार हो उत्तर प्रदेश के साथ न्याय करनी चाहिए। यह बात मेरी समझ से परे है कि केंद्र में कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार है उसके प्रधानमंत्री कांग्रेस के हैं और कांग्रेस नीति गवर्नमेंट भी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज उत्तर प्रदेश की जनता बिजली की कमी से बुरी तरह से त्रस्त है। यहाँ कल कारखाने नहीं चल रहे है, आम आदमी दुकानों पर नहीं बैठ पा रहे है। यहाँ के उद्योग धंधों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपना दिखाया है कि इसको इस तरह से विकसित करेंगे कि यहाँ पर लोग उद्योग लगाने के लिए आकर्षित होंगे। कहते है कि जल ही जीवन है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उसके साथ यह जोड़ दिया जाये कि बिजली ही जीवन है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर बिजली नहीं होगी, इन्फास्ट्रक्चर नहीं होगा तो लोग कैसे आकर्षित होंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना कैसे पूरा होगा। इस पर विचार तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही करना है लेकिन यह बात मेरी समझ से परे है कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगातार यह बयान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गयी है। चाहे राहुल गांधी हों, चाहे सोनिया जी हों चाहे जगदम्बिका पाल जी हो। और बीच-बीच में यह धमकी भी प्रकाशित होती है कि हम इस पर विचार करेंगे कि हम सरकार से समर्थन वापस ले लें। और दूसरी तरफ सेंट्रल पूल से प्रदेश को जो बिजली की आवश्यकता है वह वहाँ की उनकी सरकार नहीं दे रही है और दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता सड़क जाम कर रहे है, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे है, प्रदर्शन कर रहे है। यह कौन सी दोहरी नीति है, यह कौन सा दोहरा चरित्र है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरी समझ से परे है। अभी नैतिकता की बात श्री प्रमोद कुमार जी ने कही। मैं पहली बार जब 1989 में सदस्य चुनकर यहाँ आया था तो मैंने एक सवाल लगाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी और जिसमें माननीय प्रमोद कुमार जी परिवहन मंत्री थे उस समय का युवक कांग्रेस रैली में लोगों को ढोकर लाने के लिए, परिवहन निगम पर 3 करोड़ रुपया बकाया है। क्योंकि इन्होंने जो बसें किरायें पर ली थीं उसकी अदायगी नहीं की। मेरा सवाल आज भी पड़ा है। यह नैतिकता का दावा करते है मेरा कहना है कि वह जनता की गाढ़ी कमाई का 3 करोड़ रूपये अदा कर दें। आज उत्तर प्रदेश में संसाधनों की कमी है। उनको चाहिए कि वह 3 करोड़ रुपये ब्याज सहित अदा कर दें। मान्यवर, अब मैं अपने वाराणसी जिले की स्थिति पर आता हूँ। एक बात और यह कि इन्होंने कहा कि यह सब यह लोग साम्प्रदायिकता को रोकने के लिए कर रहे हैं तो मेरा एक मशविरा है कि हम यह तमाशा देखेंगे। तो मै वह कहने वाला नहीं हूँ। साम्प्रदायिक

ताकतों को रोकना है तो उन्हें सब कुछ करना होगा। उनकी पार्टी की यही नीति है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि परेशान होकर अनशन पर बैठा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी हुई। उन्होंने अनशन तुड़वाया। मैं आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जो बैठा रहा अगर मुख्यमंत्री जी कोई समाधन न देते तो मेरा भी यहाँ पर दो मिनट का मौन रखा जाता। मैं सोचकर बैठा था कि परिणाम क्या होने वाला है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि रात्रिकालीन कटौती नहीं होगी। संदेशवाहक के रुप में आदरणीय टण्डन जी गये थे और उन्होंने जूस पिलाकर मेरा अनशन तोड़ा था। मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि वाराणसी की विशेष परिस्थिति को देखते हुए क्योंकि वह एक धार्मिक नगरी है, तीर्थ नगरी हो और सांस्कृतिक नगरी है और सांस्कृतिक नगरी होने के नाते वहाँ पर रोजाना फ्लोटिंग पापुलेशन लगभग एक लाख आता है, अत: इसके महत्व को देखते हुए काशी को धार्मिक नगरी घोषित करें और जो विद्युत कटौती की जाती है उससे उसको मुक्त करें।

श्री अध्यक्ष-

संक्षिप्त करें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि वाराणसी की समस्या है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलकर हम बात कर लेंगे। जो अधिकारीगण वहाँ पर है वह निश्चित रूप से योग्य है, मैं उनसे मिलकर समाधान निकाल लूँगा।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें। माननीय पाल साहब को फ्लाइट पकड़नी है वह बोलने के लिए बैठे है।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर, हमें भी दारूलशफा के लिए ट्रेन पकड़नी है।

श्री श्याम देवराय चौधरी-

मान्यवर, अब मैं कानून व्यवस्था की बात पर आ रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है कि अपराध बढ़े है। इसका कारण क्या है उसका निदान क्या है यह मुख्य मंत्री जी को ढूंढना है। क्योंकि प्रदेश के लोगों की जानमाल की हिफाजत, सारी समस्याओं का निदान इसकी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह यादव जी के कंधों पर है। मान्यवर, वाराणसी की भी स्थिति इसी प्रकार की है। जैसे प्रदेश की स्थिति है उसी प्रकार से वाराणसी की भी स्थिति है। वहाँ पर भी न जाने किन कारणों से इधर भू-माफियाओं का प्रकोप हो रहा है। अपहरण की घटनाएं हो रही है, फिरौती की घटनाएं हो रही है। जो अपराध की घटनाएं हैं, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता हूँ, क्या कारण है कि इसमें एकाएक वृद्धि हुई है। आपने लखनऊ के सवाल पर मैंने देखा, नियम-51 पर आपने स्वीकार किया था। यह अच्छी बात है आपने स्वीकार किया। इसका अर्थ यह है कि आप उसका निदान भी ढूँढेंगे और उस पर कैसे अंकुश लग सकता है और किन कारणों से अंकुश नहीं लग पा रहा हैं, इसे देखना भी आपका ही उत्तरदायित्व है और इसे आप देखें मैं पुन: आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि काशी जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है उसकी महत्ता को देखते हुए वहां की विद्युत व्यवस्था की सुचारू किया जाए और उसको विद्युत कटौती से मुक्त किया जाए और वहां की विद्युत आपूर्ति को दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को पेय जल का अभाव न हो और वहां की जो कानून व्यवस्था है, वहां के अधिकारी जिनको आपने तैनात कर रखा है, अच्छे अधिकारी है, इसके बावजूद भी हालात पर नियन्त्रण क्यों नहीं हो रहा है इस विषय पर आप चिन्तन करें, उसका निदान करें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

जगदम्बिका पाल साहब आप सिर्फ चार मिनट में अपनी बात कहें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपने हमारी कार्य स्थगन की दोनों सूचनाएं ली थी, जिसमें आपने कृपापूर्वक अनुमति दी थी इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, हमारे दल के नेता और अन्य नेताओं ने बिजली कटौती के सम्बन्ध में और कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी दिए हैं और जो प्रदेश की अद्यतन स्थिति है उसके बारे में भी उल्लेख किया है, संदर्भित किया है, उन सारी बातों की पुनरावृत्ति मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यह वास्तविकता है कि प्रदेश के समक्ष बिजली का संकट है। सुबह प्रश्न प्रहर में यह बात आई थी कि बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कने के लिए 14 सौ मेगावाट बिजली की आवश्यकता पड़ेगी कम से कम, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा हमें अनपरा से 2405 मेगावाट और नेशनल ग्रिड्स से 2500 मेगावाट बिजली मिल रही है तो फिर 1400 मेगावाट की आपूर्ति क्यों नहीं हो रही है, मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यह जो अघोषित कटौतियां हो रही है, रात्रिकालीन कटौतियों हो रही है तो मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर आपको बिजली की कितनी आवश्यकता है। कभी लाईन लॉस के नाम पर कटौती कभी लोकल पार्ट के नाम पर कटौती हो रही है, क्या हमें केन्द्र से बिजली नही मिल रही है या हमारी बिजली उत्पादन, आनपारा की कोई इकाई बन्द हो गई है, कारण चाहे जो भी हों लेकिन उन सारी चीजों की पूरी जवाब देही सरकार की है। रही कानून व्यवस्था की बात तो माननीय सदस्यों ने कई घटनाओं का उल्लेख यहां किया है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उत्तर देंगे, इस सम्बन्ध में अनेक आंकड़े देंगे और उससे निश्चिततौर पर सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि अन्य राज्यों की तुलना में हमारे प्रदेश की स्थिति अच्छी हैं हम उन मामलों में नही जाना चाहते कि आज प्रदेश में हत्याओं की घटाएं बढ़ी है, अपराध की घटनाएं बढ़ी है, हम एक छोटी सी बात कह रहे है जब हममें से कोई भी टेलीवीजन का कोई भी चैनल खोलते होंगे तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा नहीं दिखता हम निर्भय गूजर का चेहरा पहले देखते है। सुबह-शाम चैनलों पर खुलेआम निर्भय गूजर का इण्टरव्यू आ रहा है, कहीं कोई चैनल इण्टरव्यू ले रहा है तो कही कोई, यह सब क्या है आखिर इन पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता है। पूर्व में जो छवि राम डाकू था और वह यज्ञ करवा रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने यहां के सदस्य के रूप में कई दिन इस बात को सदन में उठाया और सदन की कार्यवाही नहीं चलने दिया। अगर कोई व्यक्ति खुले आम यज्ञ करवा रहा है, मोबाइल पर खुलेआम बात कर रहा हो, इण्टरव्यू दे रहा हो तो आप उनके पीछे एस0टी0एफ0 लगा दीजिए, उनकी सारी लोकेशन मालूम हो जाएगी।

मान्यवर, निर्भय गूजर की लोकेशन को मालूम करने की क्या आवश्यकता नहीं है, जो वहॉ एक तरह से वह समानान्तर सरकार चला रहे हैं। श्याम जाटव और उसकी महबूबा की बातें प्रकाश में आ रही हैं। रंजन गूजर का जिक्र आ रहा है। आज यह चीजें सब महिमा मंडित हो रही हैं। सारे समाचार-पत्रों में बातें आ रही हैं। (व्यवधान)

एक सदस्य-

आप किसी जाति को क्यों कहते हैं?

श्री जगदम्बिका पाल-

मैं डकैत की बात कर रहा हूँ। अब इसमें सदस्य की भावना को ठेंस नहीं पहुँचनी चाहिए। क्योंकि मैं तो डकैतो की बात कर रहा हूँ और मैं इस बात को बड़ी गम्भीरता के साथ कह रहा हूँ। इससे मुख्यमंत्री जी

सहमत होंगे और अपना उत्तर देंगे। क्योंकि नहीं तो फिर हमारी पुलिस क्या करेगी। आज समाचार-पत्रों में और टीवी चैनलों में उनके प्राईम समाचार आ रहे हैं और उन लोगों को यह जानकारी भी है कि वे किस इलाके में है। जब समाचार-पत्र और इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोग इन बीहड़ों में डकैतों तक पहुँच सकते हैं तो हमारी पुलिस क्यों नहीं पहुँच सकती है। एक साधारण पत्रकार रोज इन्टरव्यू लेकर दिखा रहा है औ इस तह से महिमा मंडित हो रहे हैं तो इससे जो हमारे बोरोजगार नवयुवक हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। वह यह सोचेंगे कि इससे अच्छी ज्यादा ग्लैमर की दुनिया कोई और नहीं है और फिरौती में इतना पैसा है। इस तरह से तमाम बेरोजगार बीहड़ों में पहुँच जायेंगे। मान्यवर, आज जिस तरह से राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसके लिये हम सब लोग जिम्मेदार है। मसल पांवर के लोगों को हम लोग महिमा मंडित करते हैं और उनको इलेक्शन में टिकट भी दे देते हैं। डा0 आर0डी0 सिंह जी की वाराणसी में कल एक घटना में हत्या करने का प्रयास किया गया है। वे मौत से जूझ रहे हैं। अमेठी में अभय सिंह की हत्या की घटना का समाचार है। बलरामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ। कोंच में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष की हत्या हो गयी।

(घोर व्यवधान)

(डा0 शिव प्रताप यादव, श्री दिनेश सिंह के खड़े होने एवं व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया बैठें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं केवल घटनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय समाप्त हो गया।

डा0 एस0पी0 यादव जी आप बैठ जायें। आप सब लोग बैठिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो यह विद्युत की स्थिति के बारे में चर्चा हो रही है उसके संबंध में जो सामयिक स्थिति है, संक्षेप में कुछ कहना चाहूँगा। मान्यवर, जहाँ तक विद्युत का प्रश्न है यह बात सही है कि एक दिन में, एक महीने में 6 महीने में कोई अतिरिक्त उत्पादन नहीं हो जायेगा। लेकिन, जो हमारे पास इस समय बिजली घर हैं उनकी स्थिति को तो हम सुधार सकते हैं क्योंकि उसमें तो प्रदेश सरकार को ही काम करना है। मान्यवर, आपके जिनते भी आज 33 के0वी0ए0 के बिजली घर हैं, आप उनकी समीक्षा कर लें अगर वे वास्तव में ओवर लोडेड हैं तो आप उनकी क्षमता बढ़ाने और वहाँ बड़े ट्रान्सफारमर्स लगाने पर विचार करें ताकि वहाँ के लोगों के लिये जितनी बिजली की जरूरत है वह लोगों को मिल जाय। मान्यवर, सबसे बड़ा अभाव नगरीय क्षेत्र में भी है और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के सामने भी है। अगर आपने 14 घंटे बिजली देने की बात कही है तो जो बिजली घर ग्रामीण अंचलों से जुडे हुये है और जिनमें उतनी बिजली देने की क्षमता नहीं है और अगर वह उतनी बिजली लगातार देते हैं तो वहाँ का ट्रान्सफार्मर फट जायेगा। इसीलिये स्थानीय क्षेत्र में उन बिजली घरों में 6-6 घंटे की रोस्टरिंग करनी पड़ती है।

मान्यवर, मैं आलोचना के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ मैं केवल जो स्थिति है उस बारे में कुछ बाते कहना चाहता हूँ। मान्यवर, जैसा मैने कहा अगर बारिस हो गयी होती तो शायद आज बिजली की आवश्यकता नहीं

होती, बारिश नहीं हुई तो बिजली के अलावा कोई साधन नहीं है ट्यूबवेल चलाने का। अगर ट्रान्सफार्मर जल जाय, आप एक दिन इसकी समीक्षा कर लें, डेढ़ माह-दो माह से पहले अगर ट्रान्सफार्मर मिल जाय तो शायद मैं अपनी बात वापस लेने को मजबूर हो जाऊँगा। आज स्थिति यह है कि जब ट्रान्सफार्मर फुक गया और 15 ट्यूबवेल लोगों के बन्द हो गये तो वह अधिकारियों के पीछे पीछे घूम रहे है वह जब तक बहुत मोटी धनराशि नहीं दे देंगे बिजली के अधिकारियों को ट्रान्सफार्मर उपलब्ध नहीं हो पायेगा। इस व्यवस्था के लिए हमें नीतिगत बात करने की जरूरत नहीं है, छीटाकशी करने की जरुरत नहीं है इसको आसानी से सम्भाला जा सकता है बशर्ते रूचि ले ली जाय। मान्यवर, निजी नलकूप के कनेक्शन के बारे में कहना चाहता हूँ। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि कोटा फिक्स कर दिया है और जब खत्म हो गया तो कहां से दे दें। आज सामान्य स्थिति नहीं है असामान्य स्थिति है। असामान्य स्थिति में तो दिया जा सकता है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां यमुना कैनाल में 10-12 महीने से ज्यादा समय से पानी नहीं आया है तो ट्यूबवेल के अलावा क्या साधन रह गया है। लेकिन जब से यह सरकार बनी है आप देख लीजिए कि क्या निजी नलकूपों के कनेक्शन का कोई कोटा रिलीज हुआ है। मुझे यह जानकारी मिली है कि एक भी निजी नलकूप का कनेक्शन रिलीज नहीं हुआ है। प्रगति क्या रही है पश्चिमांचल में साढ़े पॉच हजार एप्लीकेशन पेंडिग है तो कम से कम इसमें निर्णय ले सकते है, घोषणा कर सकते है सूखे की स्थिति को देखते हुए कि इतने हजार कनेक्शन स्वीकृत कर दिये इससे कुछ तो राहत मिल जायेगी किसान को। मान्यवर, दूसरी स्थिति यह है कि हमारे कंडक्टर्स बदले जाने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में कम से कम इतना लाभ हो जायेगा पैकेज को बनाकर भेजेंगे तो उसमें इसको भी शामिल कर लें, युद्धस्तर पर इसको बदलवाने की बात कर लें तो किसान को भी एहसास हो जायेगा और उपभोक्ता को भी एहसाह हो जायेगा कि कुछ हो रहा है। वरना घोषणा घोषणा ही रह जायेगी। और यह होगा कि सदैव मुद्दे लेते रहे और मुद्दे का समाधान नहीं कर पाये। क्या कोई प्रदेश सरकार के पास इतने संशाधन कभी उपलब्ध हो सकते थे कि टिहरी बांध बना दे, किसकी सरकार वह थी, सरकारों का मामला नहीं हैं, यह नीतिगत बात होती है, संशाधन उस वक्त भी नहीं थे। इसलिए टिहरी बांध बनाने की बात उन सरकारों ने की और वह बनकर तैयार हो गया और तैयार होने के बाद आपका जो हिस्सा बिजली का है जो समझौते में तय हुआ था वह आपको मिलने जा रहा है, उससे वंचित हो नहीं सकते।

मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में दो बाते कहना चाहता हूँ। आंकड़े तो अलग बात है लेकिन आज नागरिकों के मन में क्या एहसास है। जो बच्चा स्कूल में पढ़ने गया, और उसे लौटने में एक घंटे का विलम्ब हो गया तो क्या उसके माता पिता को विश्वास है कि उसका बच्चा सुरक्षित है? अगर यह विश्वास नागरिक के मन में हैं, तो यह पैमाना होना चाहिए देखने का कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? एक रोज मैंने आपका बयान पढ़ा, आपके कानून व्यवस्था के सही होने का एक पैमाना था कि मुजफ्फरनगर की स्थिति बहुत खराब थी आज वहॉ की स्थिति सही हो गयी तो सारे प्रदेश की स्थिति सही मान ली मुजफ्फरनगर से तो मैं भी आता हूँ लेकिन स्थिति बहुत खराब है। हम बहुत तकलीफ के साथ में आपसे कह रहे हैं। वास्तव में स्थिति बहुत खराब है। व्यापारी हर रोज ही सड़क पर रहता हैं, चाहे मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, अलीगढ़ हो, गाजियाबाद हो। हर दिन हर जगह सड़क पर धरना-प्रदर्शन होता रहता है, यह व्यापारी किसी एक दल के नहीं है। कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, कोई बी0जे0पी0 से भी जुड़ा हो सकता है और कोई कांग्रेस से भी जुड़ा हो सकता है। आज अपहरण के डर से, हत्या के डर से, लूट के डर से, चाहे बैंक के अन्दर लूट लिया गया हो, चाहे बैंक के बाहर लूटा गया हो, कोई दिन ऐसा नहीं है, जब वह धरना-प्रदर्शन न कर रहे हों। अगर कानून व्यवस्था ठीक रही होती तो वह वर्ग सड़कों पर क्यों आता। यही स्थिति आज हर वर्ग की हो गई है। अब रही पुलिस की बात तो पुलिस के ऊपर हम ब्लेम तो कर सकते हैं, दोष दे सकते हैं लेकिन कल को शायद हम ही वहॉ बैठ जायेंगे तो डिपेंड करने लगेगें, आप बैठे हैं तो आप करने लगेगें। लेकिन यह देखने की बात है कि

अमुक थाने में कितने लोग कार्यरत हैं? और जितने लोग कार्यरत हे, क्या वह वहॉ की कानून व्यवस्था संभाल लेने में सक्षम हैं। मैं अपने जिले की बात कह दूँ। हमारे जिले में 35 प्रतिशत पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो अधिकृत संख्या में है उसके हिसाब से। मैं यह भी नहीं कहता कि 2 दिन में पैदा कर देंगे। लेकिन इतना तो जरुर कर सकते हैं कि जिन जिलों में या थानों में अधिक बैठे हैं, वहॉ से उनको दूसरी जगह बैठा दें। जो पुलिसकर्मी बराबर के जिलों के हों, और वहीं से मिलकर काम में लिप्त हों, उनको वहॉ से हटा दें, लेकिन होता क्या है कि 10 को हटायेंगे तो 11 को रोक देंगे। आप इस संबंध में एक नीतिगत निर्णय ले लीजिए कि जो बराबर के जिलों के बैठे हैं, 10-12 साल से बैठे हैं, जिनके लिये पुलिस अधीक्षक का कोई आदेश नहीं है, डी0आई0जी0 का आदेश वह मानने को तैयार नहीं हैं, बिलकुल स्वतंत्र हो गये हैं। उनके लिये क्या किया जाना चाहिये। आपको यह सुनिश्चित जानकारी होगी कि बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो अपहरण में लिप्त रहता है। अखबारों में जो आता है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। कुछ पुलिसकर्मियों के नाम भी आये हैं, आज आम भावना हर जिले में यह पैदा हो गयी है। इनका क्या करें? यह तो जाने वाला ही नहीं, अमुक दरोगा जाने वाला ही नहीं। यह गंभीरता से सोचने की बात है। मान्यवर, इस बात को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ है, जब हनक की बात आती है तो एक बात बताना चाहता हूँ। आप आगरा गये, अखबारों में मैंने पढ़ा, आपकी सरकार के एक राज्य मंत्री आपसे मिलना चाहते थे, अगर बाहर के होते तो कोई बात थी, वहीं के रहने वाले हैं, वह आपके सहयोगी दल के हैं, उनको वहॉ धक्का दे दिया गया। इसी तरह 3 दिन पहले वह आगरा गये, ट्रेन से उतरे, कि गाड़ी लेने आयेगी, वह गाड़ी ढूढते रहे, कोई अधिकारी रिसीव करने आयेगा, लेकिन कोई नहीं आया। ऐसी स्थिति अधिकारियों की आज हो गयी है। वह यह चिन्ता करने से मुक्त क्यों हो गये, क्या इस बारे में आप विचार करेंगे? क्यों ऐसी मानसिकता बन गयी, इनके मन में ऐसी बात क्यों बन गयी, यही स्थिति रही तो निश्चित रूप से वह अब किसी की चिन्ता नहीं करेगें और वह यह भी समझेगें कि अब उनके काम में कोई रुकावट पैदा करने वाला नहीं है। यह कुछ बातें हैं, जो मैं कहना चाहता था, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर जो प्रस्ताव लाया गया था, चर्चा करने का आपने अवसर दिया। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बॉते आई हैं। चूंकि गोरखपुर का जिक्र हुआ है और मैं गोरखपुर का विधायक हूँ, इसलिये गोरखपुर की पीड़ा कह रहा हूँ। गोरखपुर में कुल मिलाकर 14-15 घण्टे बिजली की कटौती प्रतिदिन हो रही है। सारे उद्योग-धन्धे चौपट हैं, अधिकांश लोग पीने का पानी नहीं पा रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही है और लोग दिन-रात में सोने की आदत छोड़ दिये हैं। रात में रोज 4-5 घन्टे विद्युत कटौती हो रही है विशेष रूप से लोकतान्त्रिक पद्धति से हम लोगों ने लोकतंत्र का विरोध किया है, इससे असामान्य परिस्थितियां पैदा नहीं हो रही है, इसलिए जानबूझकर जो कार्यवाई की जानी चाहिए थी, वह नहीं हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय का यह निर्देश मिले कि सारे जिलों को समान रूप से विद्युत वितरण किया जाए। हर जिले का एक चार्ट बने कि कितनी बिजली दी जा रही है और कितनी कटौती हो रही है और उसको विज्ञापन के माध्यम से आम जनता को बताया जाए। मैं एक विधायक की हैसियत से कहता हूं कि विद्युत की समस्या किसी एक सरकार की समस्या नहीं है लेकिन बुरा लगता है जब किसी जिले में जैसे रामपुर, इटावा, एटा, कन्नौज और मऊ तथा बलिया को 20-20 घण्टे बिजली दी जाती है, आखिर क्यो? मान्यवर, आप कुछ भी कहें।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

हम तो चुपके-चुपके आपकी तारीफ कर रहे थें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, गोरखपुर का नाम लिस्ट में आ जाए बस हम यही चाहते हैं, हमें बोलना नहीं है।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, वह कोई बजट की चर्चा नहीं हे, अब इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बोल लें और इसे समाप्त कीजिए।

श्री अध्यक्ष-

थोड़ा सा समय बीत जाने दीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसमें कई लोगों के नाम हैं, आप इसमें एक समय-सीमा निर्धारित कर दें क्योंकि चर्चा समाप्त होने से पूर्व मुख्यमंत्री जी को बोलना है इसलिए आप दल के नेताओं से नाम ले लें और समय निर्धारित कर दें अन्यथा यह चर्चा चलती ही रहेगी।

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा दो-ढाई घण्टे के करीब हो चुकी है, जितनी यहां पर बहस होती है उतने समय में तो आप लोग बोल लें। श्री उदय भान करवरिया जी आप बोलिये।

श्री उदय भान करवरिया-

मान्यवर, चौधरी साहब ने कहा कि समय-सीमा तय कर दीजिए। मान्यवर, हम लोग भी यही चाहते है कि समय-सीमा निर्धारित कर दें कि इतने घण्टे बिजली आयेगी।

श्री अध्यक्ष-

आप, अपने क्षेत्र की यदि कोई समस्या हो तो उसे रखें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, जब नेता सदन बैठे हुए हैं और वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं तो अग्रवाल साहब और अन्य लोगों को समय-सीमा के लिए टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात कहिये, नहीं तो समय समाप्त हो जायेगा।

श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, बिजली व्यवस्था के विषय में अभी कई माननीय सदस्यों के विचार आये, मैं अपने आप को उनके विचार से जोड़ता हूँ। निश्चित रूप से बिजली की आपूर्ति नहीं होगी तो उससे किसानों का नुकसान होगा, लोगों को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पायेगी, जो विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते है यदि उन्हें रात में और प्रात:काल में बिजली नहीं मिलेगी तो उनकी पढ़ाई बाधित होगी, नहरों में पानी नहीं पहुँचेगा, ट्यूबवेल नहीं चलेगा। मान्यवर, बिजली व्यवस्था के अतिरिक्त कानून-व्यवस्था पर भी चर्चा करनी है लेकिन बिजली का संकट प्रदेश में कितना है और सरकार में बैठे हुये लोग कितना मानते हैं उसका एक दृष्टान्त देना चाहता हूँ। हमारे जिले करछना विधान सभा क्षेत्र से एक माननीय सदस्य थे, एक समय ऐसा आया था कि लखनऊ से टेलीफोन करके अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और मीडिया के लोगों को एकत्र किया और उसमें कहा कि अगर बिजली संकट ऐसे रही तो मैं लोक सभा से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। फिर प्रेस-कान्फ्रेंस करके अपनी बात वापस क्यों ली, यह तो वह ही जाने लेकिन निश्चित रूप से सत्ता दल के लोग इस्तीफा देने को राजी है तो इसको मानना चाहिए कि बिजली का संकट प्रदेश में है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रकार से शहरी और देहात के क्षेत्रों में 14 घण्टे की बिजली नहीं मिल पा रही है। दो घण्टे एक मोहल्ले में, एक घण्टा किसी मोहल्ले में यदि इस तरह से आप देखें तो एक जिले में 14 घण्टे बिजली पूरी हो सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, बिजली संकट को आप निश्चित रूप से गम्भीरता से लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी एक व्यवस्था बना देंगे और हर जिले की रोस्टरिंग का समय निर्धारित कर देंगे ताकि उस समय के अतिरिक्त में बिजली न जाये। लगातार कुछ समय तक अगर बिजली रहेगी तो नहर चलेंगी, ट्यूबवेल चलेंगे और लोगों को पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा।

जहाँ तक कानून-व्यवस्था की बात है तो कुछ टिप्पणी अपने जनपद की करना चाहता हूँ। वह किसी से छिपी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अपनी बात जल्दी खत्म करिये, दो मिनट हो गये।

श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरी बात समाप्त कर लेने दीजिए। मेरे अपने जिले इलाहाबाद में ब्लाक-प्रमुख मौर्या जी ने बैठक बुलायी थी उसमें सत्ता पक्ष के विधायक की मौजूदगी में मौर्या जी पर हत्या का प्रयास किया गया। मान्यवर, यह हंडिया ब्लाक का प्रकरण है। इस संबंध में धारा-307 का मुकदमा दर्ज हुआ, डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी उस प्रकरण पर कार्यवाई नहीं हो पाई है। अगर सत्ता पक्ष के लोग इस प्रकार की घटनाओं में अपने-आपको सम्मिलित करेंगे तो कानून-व्यवस्था कैसे अच्छी हो सकती है? माननीय अध्यक्ष जी, कन्हैया लाल पटेल और वसन्त लाल जायसवाल की थाना-घूरपुर में हत्या कर दी गयी और हत्या थाना प्रभारी के मिलीभगत से की गयी।

श्री अध्यक्ष-

डेढ़ मिनट बीत चुका है, समाप्त करिये।

श्री उदयभान करवरिया-

थानेदार की मिलीभगत से हत्यायें हो रही हैं और प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गयी है। इसी तरह से नीरज मिश्रा की हत्या हुई उसका शव लखनऊ ले आया गया। विधायक राम इकबाल सिंह जो धरना-प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको फर्जी मुकदमें में सरकार ने जेल में डाल दिया। ये सारे प्रकरण गम्भीर है। इसी प्रकार से इलाहाबाद के भा0ज0पा0 मण्डल प्रभारी अंजनी कुमार की हत्या कर दी गयी, घनश्याम शुक्ल जो कि इस विधान सभा के सदस्य थे उनकी हत्या कर दी गयी।...

मान्यवर, मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सी0बी0आई0 जांच कराने का आश्वासन दिया। फिर भी जो हत्याएं हो रही है उनके बारे में प्रदेश सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए ताकि कानून व्यवस्था ठीक हो सके। मान्यवर, पुलिस के द्वारा धन उगाही का काम किया जा रहा है। जहां तक इलाहाबाद का प्रश्न है पिछले एक साल में वहां पर जितनी क्राइम हुए है उनसे ज्यादा क्राइम इन छः महीनों में स0पा0 की सरकार में हो गये है। यह गम्भीर बात है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप भाषण समाप्त करिये। मुख्यमंत्री जी का जवाब सुनने के लिए आप तैयार ही नहीं है। खन्ना जी को बोलने दीजिए।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया सुनिये। चर्चा में जो प्रमुख बातें थीं वह सभी दलों के नेताओं ने टण्डन जी ने, हुकुम सिंह जी ने, मौर्या जी ने, प्रमोद कुमार जी ने जगदम्बिका पाल जी ने , श्री उदयभान करवरिया जी ने वह प्रमुख बातें कहीं है जो सदन के पटल पर आ गयी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी समय की आवश्यकता है। जो माननीय सदस्य बोल नहीं पायें है वह लिखकर दे दें हम उसे कार्यवाही का अंग मान लेंगे। जो माननीय सदस्य बोल नहीं पाये है वह दो मिनट में अपनी बात कह दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, आपने व्यवस्था दी है। लिखकर दे दें, तो वह कार्यवाही का अंग मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

जो सदस्य आज यहां लिखकर दे देंगे, वह कार्यवाही का अंग मान लेंगे।*

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपने चर्चा स्वीकार कर ली है और चर्चा हो रही है तो सदन के सदस्यों का अधिकार है कि वह इस चर्चा में भाग लें। सत्तापक्ष के लोग भी बोलना चाहते हैं उनको भी अवसर मिलना चाहिए। इधर से भी बोलने का हक है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

वह खड़े ही नहीं होते है। चर्चा हो रही है तो माननीय सदस्यों को बोलने के लिए खड़ा होना चाहिए।

(व्यवधान के मध्य)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाना आपका दायित्व है। उसके लिए हमारा सहयोग होना चाहिए वह है। जिन माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की और नियम 52 और नियम 56 में आपको लिखकर दिया कि इस विषय पर चर्चा चाहते है उनको प्राथमिकता के आधार पर सुनना चाहिए। उनको पहले दो दो मिनट बुलवा लें उसके बाद अगर समय बचे तो अन्य सदस्यों को मौका मिले।

श्री अध्यक्ष-

अगर नियम 52 में दूसरे पक्ष के लोग बोलते हैं तो उनको भी बोलने का समय मिलता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जब एक दल के सदस्य बोल लेंगे तब दूसरों को मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात मैं मानता हूँ लेकिन जब इधर से कोई खड़ा होगा तभी तो उसको मौका मिलेगा। जब कोई नहीं खड़ा होता तो किसको मौका दूँ?

---

* (मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार जिन मा0 सदस्यों ने दिनांक 4-8-2004 को लिखकर अपना भाषण दिया है उसके लिये देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 207 पर।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री करवरिया जी ने एक घटना का उल्लेख करते हुए विधायक हड़िया को इंगित किया तो विधायक जी बैठे है उनको भी सुन लें।

श्री उदय भान करवरिया-

इसके लिए मुझे पूरी घटना का उल्लेख तो कर लेने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने विद्युत और कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं जो चीजें हाउस में आ चुकी है उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ और कुछ सुझाव भी रखना चाहता हूँ। हमारे यहाँ शाहजहॉपुर में एक विद्युत का कारखाना लगना प्रस्तावित है जो बिरला ग्रुप को मिला है। वह कारखाना लगाने में रुचि नहीं रखते है। क्योंकि कुमार मंगलम बिरला के पिता श्री आदित्य बिरला के समय का प्रस्ताव है और कुमार मंगलम बिरला उसमें रुचि नहीं रखते और सात-आठ साल हो गए वह लगातार समय ले रहे हैं। अगर वह नहीं लगाना चाहते हैं तो उस ग्रुप को छोड़कर किसी दूसरे ग्रुप को दे दीजिए ताकि उसमें शीघ्र कार्य प्रारम्भ हो सके। जो प्रदेश के हित में होगा। जो निजी लोग अपने यहाँ विद्युत उत्पादन करते है उनके जनरेटर में जो लाइट डीजल आयल और फर्निश आयल लगता है उसमें पाँच प्रतिशत इन्ट्री टैक्स लगा दिया है इससे विद्युत 50 और 60 पैसे प्रति यूनिट मंहगी हो गई है।

आज हम विद्युत के कितने घनघोर संकट से गुजर रहे है। उद्यमियों को 4.50 रुपये में बिजली मिल रही है। जो लोग अपनी बिजली पैदा करते है उनको 5.50 रुपये पड़ती है। मेरा निवेदन है कि लाइट डीजल ऑयल और फर्निश ऑयल पर 5 प्रतिशत टैक्स घटा दिया जाय तो पैसा/यूनिट 50-60 पर/यूनिट बिजली सस्ती पड़ेगी। सोलर इनर्जी सिस्टम को डेवलेप किया जाना चाहिए। जापान में आज कारें सोलर इनर्जी से चल रही है। हमको एक सोलर इनर्जी रिसर्च सेन्टर स्थापित करना चाहिए। आज की तारीख में सोलर इनर्जी की कौस्ट क्या आ रही है, अगर हम सेन्टर डेवलप करेंगे तो इससे हमको राहत मिलेगी और कम कीमत पर हमको मिल सकती है। यह प्रदेश के हित में एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा शाहजहाँपुर में दो परियोजनाएं (APDRP) वर्ष 2003-2004 में पावर फाइनेन्स कारपोरेशन से स्वीकृत हुई थीं लेकिन अभी तक टेण्डर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। फरवरी में जब मैंने प्रश्न किया था तब जवाब आया था कि टेण्डर की प्रक्रिया चल रही है। मान्यवर, आज भी टेण्डर की प्रक्रिया चल रही है, पता नहीं यह कब तक चलेगी।

श्री अध्यक्ष-

अब कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर दो छोटी-छोटी बातें कानून-व्यवस्था के बारे में कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, आज मैं सत्ता पक्ष के लोगों से एक आश्वासन चाहता हूँ। मान्यवर, अपराध हर सरकार में हुए। कभी कोई सरकार ऐसी नही हुई जिसमें अपराध न हुए हों लेकिन अगर अपाराधियों को इस बात से मुतमुईन कर दिया जाय कि उनका किसी तरह का सहयोग सत्ता पक्ष के लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेंगे। अटैची चोर से बड़े माफिया अपराधी जानते है कि वे किसी तरह का कोई भी अपराध करते है और समाजवादी पार्टी के नेता लोगों के पास चले जाते है तो वे उनको बचाना अपना फर्ज समझते है। अपराध बढ़ने का यह बहुत बड़ा कारण है समाजवादी पार्टी के नेता किसी भी स्तर पर जाकर उनकी मदद करने के लिये तैयार है। यही वजह

है कि हर तरह के अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है। पिछले साल की तुलना में अपराधों में वृद्धि हुई है। मैं आपको कुछ ऑकड़े देना चाहता हूँ। हत्याएं पिछले साल पहले छः माह में डकैती में 61 हुई थी और अब 128 हुई। पिछली बार लूट 423 हुई थी इस बार 477 हुई। ... हत्याए पिछली बार 1856 थी अब 3104 हुई बलात्कार पिछली बार 227 इस बार 471 घटनाए हुई।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आँकड़े पहले भी आ चुके हैं अब आप अपनी बात समाप्त करें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[xxx]।

श्री अध्यक्ष-

आप जो बोल रहे है लिखा नहीं जायेगा। आप बैठ जायं।

श्री महेश नारायण सिंह-

मान्यवर, माननीय करवरिया जी ने कहा है...

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपने अपनी बात कह ली, अब उधर की भी सुनिये। उनको बोल लेने दीजिए। आप बोल रहे थे तब वे नहीं बोले अब जब वे बोलने के लिये खड़े हुए तो आप बोल रहे हैं।

श्री उदयभान करवरिया-

[xxx]

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जाएगा।

श्री महेश नारायण सिंह-

मान्यवर, जो बात करवरिया जी ने कही है, वह बात गलत है। जिस समय मार-पीट हुई थी. मैं वहाँ मौजूद नहीं था। कुछ मामला लेनदेन का था, उसके कारण विवाद हुआ था। अखबार में आया कि जॉच कराकर कार्यवाई की जाए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाई हो। 307 का मुकदमा कायम कराया गया।

(कई सदस्यों के जोर-जोर से बोलने पर व्यवधान)

नोट : [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उदयभान करवरिया-

[xxx]

(श्री करवरिया के लगातार बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जाएगा। आप कानून व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं, अगर यहीं व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो कानून-व्यवस्था कैसे ठीक करा पायेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष सदन में बैठे है, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वे इसमें हस्तक्षेप करें, अपने साथी को समझायें। वह अपनी बात कह चुके है और कुछ कहना चाहते है, तो नोटिस दे दें, अन्य सदस्यों का भी अधिकार है। कहीं आपके इशारे से तो ऐसा नहीं हो रहा है। पूरा अवसर इन्हें मिला और इन्होंने हर तरीके से अपनी बात कह ली, अच्छा-खासा सदन का समय खराब कर लिया, अगर यह तरीका हर सदस्य अपना ले तो यहाँ पर कार्यवाही नहीं चल सकेगी।

श्री उदयभान करवरिया-

[xxx]

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

यह बेहूदा तरीका है, यह तरीका गलत है। मान्यवर, अगर माननीय सदस्य अपने बारे में यह साबित करना चाह रहे है कि जो आचरण यहां है, वही आचरण है तब तो बात दूसरी है।

श्री उदयभान करवरिया-

मेरा आरोप है....

श्री मोह-मद आजम खाँ-

क्या आरोप है? यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शांत हो जाइये, 4 घण्टे की चर्चा का समय था इसमें 3 घण्टे से ज्यादा हो गया है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, अभी मैंने सुना। इधर से माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया कि [xxx] यह तो बड़ी गंभीर बात है।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, जिसने [xxx] करवाई है उसे जेल भिजवा दें। मुझे संसदीय कार्यमंत्री जी की इस टिप्पणी पर घोर आपत्ति है।

नोट : [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री सरकार के प्रवक्ता होते हैं। अगर वही इस प्रकार से माननीय सदस्य पर आरोप लगायेंगे, तो सदन शांति से कैसे चलेगा?

(श्री शारदानंद अंचल और श्री कमाल युसुफ मलिक सहित कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने, तथा अपनी-अपनी बात कहने से घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, विपक्ष के पास तो सिर्फ यही अधिकार है कि वह सदन में अपनी बात कहे। आप शांति से हमें सुन भी नहीं सकते।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री शारदानंद अंचल)-

मान्यवर, यह [xxx] है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जानबूझकर इससे [xxx] करवा रहे है यह [xxx] है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, क्या सरकार के मंत्रियों की यही भाषा होगी?

(सदन में थोड़ी शांति होने पर।)

श्री लालजी टंडन-

मान्यवर, सदन में सदस्य उत्तेजित होकर एक दूसरे पर आरोप लगाते है लेकिन अगर मंत्रिगण इस प्रकार वातावरण पैदा करेंगे कि उत्तेजना पैदा हो और सदन की कार्यवाही न चले तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है, बल्कि पूरी जिम्मेदारी आपकी है। हमारा सहयोग लेना चाहते है तो बोलने दीजिए और आप भी बोलें। अगर एक मंत्री की ओर से किसी माननीय सदस्य को गुंडा कहा जाएगा तो...

श्री शारदानंद अंचल-

किसी मंत्री ने नहीं कहा है।

श्री लालजी टण्डन-

मंत्री ने कहा है। संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि इन्होंने ही सारी हत्यायें करायी है। अगर इस ओर से सदन अव्यवस्थित होता है तो इसको शांत कराने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर उधर से अव्यवस्थित होता है तो इसकी आपकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं चलाना है तो खत्म करो अगर चलाना है तो नियम से चलाओ। यह नियम में स्पष्ट व्यवस्था है कि जिन लोगों ने नोटिस दी है उन्हें बोलने का अवसर जरूर मिलेगा।लेकिन आज ऐसे लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। अगर आज समय कम है तो समय बढ़ा दें। हम चाहते हैं सदन शांतिपूर्वक चले। अगर इस तरह से मंत्रिमण्डल के सदस्य सदन अव्यवस्थित करेंगे तो उचित नहीं है। मेरे मित्र श्री अंबिका चौधरी जी ने दबाव बनाने के लिए इशारा कर दिया तो वह खड़े हो गये।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि ऐसी बातें आप अपने मन में न लायें। आपके मन में जो धारणा बनी है वह निकाल दीजिए।

श्री लालजी टण्डन-

मैंने निकाल दिया। लेकिन जो सदन में व्यवस्था बना रखी है, जो लोग रह गये है, जिनके नाम नोटिस में है, उनको बोलने दीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

दोनों बातें अलग है। नेता विरोधी दल जी ने जो बातें कहीं है वह अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आपकी ख्वाइश यह है कि जो नाम दिये है वह बोलें, यह अलग बात है। लेकिन एक सदस्य बराबर सदन की कार्यवाही को खराब करे और बोलने न दे और नेता प्रतिपक्ष खामोश रहें तो यह खामोशी आपकी सहमति है। जब वह बोल रहा था तो आप खामोश थे। यही बातें जो आप अब कह रहे है वह पहले आ जाती तो इतना बवाला न मचता। इससे यह मतलब निकल रहा है कि जितना भी हंगामा हुआ यह आपकी सहमति से हुआ।

श्री लाल जी टण्डन-

अगर इतना हंगामा हुआ है तो मैं यह मानता हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने-कराया। इसके आप जिम्मेदार है आपने कराया।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

नेता विरोधी दल होने के नाते आपको यह करना चाहिए था कि उसको रोकें। एक जमाना ऐसा भी था जब आप बोला करते थे और हम वहॉ पर बैठकर सुना करते थे। बीच में टिप्पणी हो गयी तो वह अलग बात थी।

श्री हुकुम सिंह-

जब आप विरोध पक्ष में बैठते थे तो आपने कभी नहीं सुना।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

जो आप बोल रहे है वह गलत है। एक बार हमने वाक आउट किया था। बाकी कभी भी सदन से वाक आउट नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

तीन बजकर पचपन मिनट पर चर्चा प्रारम्भ हुई और यह सात बजकर पचपन मिनट पर खत्म हो जायेगी इसी में मुख्य मंत्री जी को भी बोलना है, उत्तर देना है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, समय बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष-

समय नहीं बढ़ाया जायेगा। आप लोग व्यवधान कर रहे है पचपन मिनट बचे है और माननीय मुख्य मंत्री जी को उत्तर भी देना है।

(भाजपा के श्री नवाब सिंह नागर, श्री सतीश महाना श्री मुंशीलाल गौतम सदस्यगण सदन के फ्लोर पर आ गये)

आप मुख्यमंत्री जी को नहीं सुनना चाहते हैं तो न सुनें। सारी बातें तो आपकी आ गयी है। नियम-300 में, नियम-56 में भी मैं आप लोगों को सुन चुका हूँ। आप लोग पुनः उसी की पुनरावृत्ति कर रहे है। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं सुनना चाहते है तो बतायें। समय नहीं बढ़ेगा चार घंटा बहुत हो गया है।

(व्यवधान)

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों के नाम आपके पास है, उन्हें थोड़ी-थोड़ी देर बोल लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, चार घण्टे की चर्चा निर्धारित थी और 7:55 पर यह चर्चा खत्म हो जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री

जी को भी समय चाहिए आपका उत्तर देने के लिए, इसलिए अब इससे ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती है। आप लोग अपने स्थान पर वापस जाएं।

(डा0 विनोद तिवारी के अनुरोध पर भाजपा के सदस्यगण अपने स्थान पर वापस चले गए)

(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्य अपनी जगह खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं सुनना चाहते है? आप लोग नियम-56 में बोले, नियम-300 में बोले, आप कितना बोलेंगे? आप लोग कार्यवाही निकलवा कर देख लें इस सारी बातों की पुनरावृत्ति आप को मिलेगी।

(व्यवधान)

श्री कमाल युसूफ मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त हो जाएं, नेता विरोधी दल बोलने जा रहे हैं, इन्हें सुन लें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, आपने चार घण्टे की चर्चा स्वीकार की, चार घण्टे चर्चा होने के बाद जब चर्चा समाप्त हो जाती है तब माननीय नेता सदन अपना उत्तर देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं ऐसा नही है, आप चाहें तो नियमों को देख लें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जिनके नाम आपके पास है आप उनको बोलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन यह जल्दी अपनी बात कहें, टण्डन जी आप तीन सदस्यों के नाम तय कर दें कि इन्हें बोलना है, हम उन्हें बोलवा दें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जो आपके पास सूची है उसमें केवल चार ही नाम है उन्हीं को आप जल्दी से बोलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन कोई भी माननीय सदस्य दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल

मान्यवर, एक ही दल पूरी चर्चा में भाग लेगा, हम लोग भी तो चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, चूंकि आपने दो मिनट ही बोलने का समय दिया है इसलिए मैं ज्यादा न कह कर सिर्फ कुछ बेन्दुओं की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, मान्यवर 10-12 घण्टे बिजली

की कटौती कानपुर महानगर में हो रही है, मान्यवर, बिजली न होने की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तो लोग दिन में अपने घर में नहीं रह सकते है, इतना अँधेरा रहता है। मान्यवर, रात में बिजली न रहने की वजह से अपराध हो रहे है, अपराधी अँधेरे का पूरा फायदा उठा रहे हैं, मान्यवर, बिजली न होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, बच्चे दिन में भी स्कूल नहीं जा पाते हैं।...

मान्यवर, कानपुर महानगर के लिये यह माना जाता है कि वहाँ सब खुशहाल हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो रिवर साईड का पावर हाउस है वह एक महीने से जला हुआ है उससे 25 प्रतिशत कानपुर की आबादी प्रभावित है। वहाँ के क्षेत्र के लोगों को 4-5 घंटे मुश्किल से बिजली मिल पा रही है। विद्युत उत्पादन और वितरण के जो प्रमुख हैं अर्थात पावर कारपोरेशन के चेयरमैन वहाँ स्थिति को देखने गये थे लेकिन स्थिति अभी भी ज्यों की त्यों है तो मेरा कहना है कि रिवर साईड के पावर हाउस पर तुरन्त काम कराया जाय। दूसरे छोटे-छोटे ट्रान्सफारमरों की जो आवश्यकता होती है, उसमें महीनों लग जाता है उसकी आपूर्ति में। इसी तरह से मान्यवर, जो छोटे ट्रान्सफारमर मोहल्लों में लगे होते हैं वह जल जाने के बाद 4-5 दिन में बदल नहीं पाते हैं। इस व्यवस्था को ठीक कराया जाय। और ऐसे जो ट्रान्सफारमर हैं उनको तत्काल ठीक कराया जाए। मान्यवर, हमारे यहाँ नौबस्ता में 160 एम0यू0एफ0 का ट्रान्सफारमर का कार्य कई दिनों से लम्बित पड़ा हुआ है उस पर ध्यान दे के कार्यवाही करायी जाय। मान्यवर, मैं आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम 300 में भी रखते हैं और 301 में भी लाते हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अभी कानपुर में 4 दिन पहले बिजली को माँग रहे लोगों ने, जिसमें व्यापारी भी सम्मिलित थे, धरना प्रदर्शन किया था। उनके खिलाफ 7 क्रिमिनल एक्ट के 307 के मुकदमे लिखने की बात हो रही है और उनको अपराधिक धाराओं में बन्द करने की बात चल रही है, जबकि उन लोगों ने किसी को नुकसान नही पहुँचाया है तो मेरा कहना है कि उनके खिलाफ इस प्रकार की रिपोर्ट न की जाय। कई सदस्यों के एकसाथ खड़े होकर बोलने पर (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग मुख्य मंत्री को सुनना नहीं चाहते हैं और अपनी बातों का उत्तर नहीं लेना चाहते हैं। यह अच्छी परम्परा नहीं है। जब कोई समय निर्धारित है तो उस समय के अनुसार कार्य लिया जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना जवाब देने दें।

(श्री मुलायम सिंह यादव के खड़े होने पर सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, इसमें एक घंटा समय बढ़ा दें।

(भारतीय जनता पार्टी के कतिपय सदस्यों द्वारा बोलने का समय देने के आग्रह पर)

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

आप लिख कर दे दीजिए। सबका हम समाधान कर देगें। जो नहीं बोल पाये हैं वह हमको लिखकर दे दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूँ जो आज समयाभाव के कारण नहीं बोल सके हैं वह लिखकर दे देंगे हम उनकी समस्याओं का समाधान करेगें। अब वह बात कार्यवाही में आ जाय जो आप कह रहे हैं, तो मेरी जुबान का तो भरोसा कीजिए। कार्यवाही में तो बहुत कुछ लिखा जाता है लेकिन क्या होता रहा है? यह मैंने आज की बात नहीं कही है। अध्यक्ष महोदय, बहुजन समाज पार्टी के नेता तो भाग खड़े हुये हैं वह हमारा जवाब सुनना नहीं चाहते हैं और बोलना सब चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल, मा0 नेता कॉग्रेस पार्टी श्री प्रमोद कुमार जी और मा0 हुकुम सिंह जी और सभी सम्मानित सदस्यों ने, जिन्होंने इन चर्चाओं में हिस्सा लिया है और अपने विपक्ष की भूमिका भी निभाई और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये। और अच्छी बहस हुई क्योंकि इसका एक पक्ष विशेषकर जो प्रदेश हित में है और प्रदेश की जनता के लिए है, उसके लिए बिजली को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर सुझाव भी दिये है, हम धन्यवाद देते हैं पर हम कोशिश करेंगे कि इस बहस में जो हिस्सा लिये है और जो नहीं भी लिये है उन सब को अपने उत्तर से बात से संतुष्ट कर दें। प्रदेश की जो स्थिति है उसको दो हिस्सों में लेते है पहले बिजली, क्योंकि माननीय नेता विरोधी दल ने सबसे ज्यादा बिजली से ही शुरुआत की, बिजली पर गम्भीरता से अपने विचार रखे। जहॉ तक बिजली का संकट है, अध्यक्ष महोदय, यह केवल उत्तर प्रदेश का ही संकट नहीं है आज पूरे उत्तर भारत में बिजली का गम्भीर संकट है पंजाब भी संकट में है, हरियाणा भी, राजस्थान भी संकट में है और उत्तर प्रदेश में भी है और दूसरे प्रदेशों में भी बिजली का संकट है। लेकिन फिर भी अन्य प्रदेशों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर है। जहॉ तक कटौती का सवाल है शायद नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं को पता होगा कि पंजाब सरकार ने हफ्ते में एक दिन पूरे समय के लिए कारखानों की बिजली में कटौती की है और एक दिन हफ्ते में छुट्टी के दिन भी कटौती की है। इतना भारी संकट है पंजाब के अन्दर, लेकिन इतनी स्थिति खराब उत्तर प्रदेश की जरुर नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण है कि जो सोर्स है नदियों के पानी का, विशेषकर गंगा में, और सूखा पड़ने के कारण, जैसा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस के प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि रिहन्द बांध में भी पानी का जलस्तर नीचे चला गया और इस सूखे का बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ा और दूसरी तरफ गर्मी के कारण बिजली की जरुर खपत की आवश्यकता ज्यादा बढ़ी और इसीलिए बिजली का संकट हुआ। बीच बीच में ट्रान्सफार्मर भी जले आपने हुकुम सिंह जी सुझाव दिया, सुधारने का बहुत प्रयास किया गया और अब भी प्रयास जारी है और बेहतर प्रयास कर रहे है कुछ मशीनों के कारण संकट हुआ है। जहाँ तक कि यह बिजली के संकट का सवाल है यह सही है कि यह 10 साल से लगातार बिजली उत्पादन के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया। जहॉ तक विष्णु प्रयाग और श्रीनगर का सवाल है माननीय नेता विरोधी दल को मालूम है, उसमें हमारा गम्भीर प्रयास था। बटवारे की बात जो है, उत्तरांचल का सही नहीं हुआ, समझौता यह जल्दी जल्दी में पास किया गया।

मुझे तो पता है जैसे हरिद्वार का सवाल था कहीं भी किसी को पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों सांसदों को भी नहीं पता था, जल्दी जल्दी में हरिद्वार को जोड़ दिया, उसका कहीं जिक्र नहीं इसलिए जल्दी जल्दी में केवल वोट की खातिर जहॉ जहॉ वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में ज्यादा से जीत गये बटवारा, झारखण्ड में ज्यादा से जीत गये बटवारा, लोकसभा में उत्तरांचल में ज्यादा जीत गये बटवारा, ऐसी जल्दबाजी का बटवारा कर दिया कि आज संकट उसके बारे में है। 1000 मेगावाट बिजली उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश को मिलनी चाहिए थी वह दूसरे प्रदेशों में जा रही है। इसका सही तरह से बटवारा न होने के कारण यह स्थिति है, जंगल भी जा रहा है, मैदान भी जा रहा है लेकिन कम से कम बिजली एक हजार मेगावाट जो अतिरिक्त हो सकती थी वह उत्तर प्रदेश को मिलनी चाहिए थी। यह भी संकट है, इस संकट के बाद कब तक खरीदेंगे बिजली। इतनी बिजली कभी नहीं खरीदी गयी। इस बार जनता के हितों के लिये,

आपकी जरुरतों के लिये सबसे ज्यादा बिजली खरीदी गयी। पिछले साल 22 सौ करोड़ की बिजली खरीदी थी, जबकि इस बार केवल 4 महीने में 2600 करोड़ की बिजली खरीदी गयी है। 400 करोड़ रुपये की ज्यादा। जितनी बिजली खरीदी जा सकती थी, जहॉ से भी मिल सकती थी, हम ज्यादा से ज्यादा बिजली खरीद रहे हैं और जनता को देने का प्रयास कर रहे हैं। पहले जब हमने सरकार संभाली थी, उस समय बहुत सौभाग्यशाली देहात के लोग थे जो उनको 8 घण्टे बिजली मिल जाय। इस बार हमने कहा कि 14 घण्टे बिजली देंगे और 14 घंटे बिजली दी है। अभी बीच में थोड़ा संकट आया है। सभी माननीय सदस्य अपने-अपने देहात से, क्षेत्र से आये हैं, बता दें कि 14 घण्टे बिजली मिल रही है कि नहीं। आमतौर पर सभी जगह 14 घण्टे बिजली मिल रही है।

(भाजपा के सदस्यों की ओर से आवाजें, नहीं मिल रही है)

कुछ जिलों को मैं मान सकता हूँ, यह पहली तारीख की बात हो सकती है, लेकिन उसके बाद आप 2-3-4 में देखें, 14 घन्टे बिजली गयी है।

(भाजपा के एक सदस्य द्वारा कहे जाने पर कि गुन्नौर को मिल रही है)

हमने कहा था, पहले भी कहा था, हम गुन्नौर को बिजली नहीं देंगे तो क्या आप देंगे? जब सहारनपुर को मिल रही थी, तब आपने नहीं कहा था, एतराज नहीं किया था। हमने तो पहले भी बोला था और हम गुन्नौर को बिजली देंगे। गुन्नौर बहुत उपेक्षित क्षेत्र है सबसे ज्यादा निरक्षरता का क्षेत्र है। आज वहॉ शिक्षा की, स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा कमी है। जब हम पहली बार वहॉ से चुनाव लड़े थे तो मात्र 22 फीसदी लोग पढ़े-लिखे थे, इतना उपेक्षित इलाका है यह। पूर्वांचल की विशेष निधि हमने ही दी है, हमने ही इसकी शुरुआत की थी। गुन्नौर पिछड़ा इलाका है और हम उसे ज्यादा देंगे, और कहकर देंगे। पहले भी देते रहे हैं, सब लोग। हम कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं, जो होता रहा है, वही कर रहे हैं, देना स्वाभाविक भी है। लेकिन हॉ, लगता है माननीय नेता विरोधी दल ने पता नहीं किया, जहॉ तक रिलायंस कम्पनी का सवाल है, बिजली नीति बनाई गई है और उस नीति का सुखद परिणाम यह है, उसका नतीजा आपके सामने आ गया है कि टाटा साहब भी आ रहे हैं, वह भी तैयार हैं, उन्होंने वायदा किया है, एक हजार मेगावाट के बिजलीघर लगाने का और 9 तारीख को वह मिलेंगे हमसे। वह सोनभद्र तथा पश्चिम में बिजलीघर लगायेंगे। वह बातचीत करने भी आ रहे हैं, हमसे मुलाकात 3-4 दिन बाद करने वाले हैं। आपका कहना कि सब हवा है, झूठ है, धोखा है, सही नहीं है। यह हवाला कांड नहीं है, यह रिलायंस कम्पनी विश्वविख्यात कम्पनी है, जिसके लिये मैंने पहले भी कहा था कि यह ऐसी कम्पनी नहीं है आज सवाल रिलायंस कम्पनी की आलोचना का नहीं है और उसमें अविश्वास करने की भी आवश्यकता नहीं है। कानून-व्यवस्था पर हम बोलेंगे, कानून-व्यवस्था का जैसा प्रचार किया जा रहा है उसका उद्योगपतियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। टाटा कम्पनी के एक बड़े आफीसर आये उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जब कानून-व्यवस्था ऐसी है तो हम कैसे आयें? श्री हुकुम सिंह जी ने कहा और मेरा भी यही कहना है कि जनता महसूस करे कि कानून व्यवस्था ठीक है। लेकिन आज कानून-व्यवस्था के नाम पर कोहराम मचा दिया गया है, आपके पास इसके अलावा कुछ कहने के लिए है ही नहीं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जहां तक रिलायंस कम्पनी का सवाल है और जमीन का जहां तक मामला है करीब सात सौ किसानों की जमीनों का इकरारनामा कर दिया गया है। एग्रीमेंट कम्पनी और किसानों के बीच करा रहे हैं, जिससे कि कोई बाधा बाद में न आये, कोई कोर्ट में न जाए और कारखाने का काम न्यायालय के कारण न रूके। किसान, सरकार और कम्पनी तीनों मिल कर काम कर रहे हैं, जिस पर बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी सहमति दे दी है। हम प्रयास करेंगे कि इकरारनामे के साथ उस कारखाने को जमीन उपलब्ध हो सके। जो शंका आपने की थी, मैं पहले से ही उससे सावधान था इसलिए हमने ऐसा किया है। इसमें समय लगेगा लेकिन फिर भी इसमें काफी प्रगति हुई है। जो आंकड़े आप लोगों ने दिये हैं ठीक दिये हैं, ढाई हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और ढाई

हजार मेगावाट हम केन्द्रीय सरकार से खरीद रहे हैं जब कि आज जरूरत है कम से कम साढ़े छः हजार मेगावाट की और लगभग 1500 मेगावाट की कमी है। उस कमी की वजह से इतनी कटौती करनी ही पड़ेगी लेकिन इस कारखाने के लगने के बाद सरकार की कोशिश है कि तीन साल के अन्दर हमारे पास अतिरिक्त बिजली होगी कम से कम 500 से लेकर 1000 मेगावाट तक। तीन साल में शायद कुछ कमी रह जाए इसे मैं चार साल कर दूं, चार साल में हमारे पास पर्याप्त बिजली होगी। इसके अलावा जो सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने है उनको सुधार करके चार साल के अन्दर यह सरकार पूरे प्रदेश में पर्याप्त बिजली दे सकेगी और हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम होगा। इसमें हम आप सभी का सहयोग चाहते हैं। जहां तक पक्षपात का सवाल है, यह सही है कि जो सरकारें आई, आज की वर्तमान सरकार के बारे में हम नहीं कह सकते लेकिन जितनी सरकारें आई उन्होंने पक्षपात किया, जहां पंजाब व हरियाणा जैसे प्रदेशों को 600 मेगावाट, राजस्थान को 250 मेगावाट बिजली का आवंटन है वहीं उत्तर प्रदेश को 200 मेगावाट का। आज से नहीं लगातार उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हुई है, हमारी या किसी की भी सरकार रही है, राज्य स्तर पर भी कुछ उदासीनता रही है जिसकी वजह से किसानों की समस्या को मजबूती के साथ नहीं रखा गया। अब यह वर्तमान सरकार जबसे गठित हुई है, हमने केन्द्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखना शुरु कर दिया है। आपकी सरकार के प्रधानमंत्री जी से भी मिले। जब सरकार में नहीं थे तब भी राय देते रहे कि आप उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश पर ध्यान दीजिए। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखे हैं, वित्त मंत्री को भी लिखे और मिले भी है और अनुरोध भी किया है। अभी दो-तीन दिन पहले श्री अमर सिंह और राम गोपाल जी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, कई वरिष्ठ मंत्री भी वहाँ मौजूद थे। हमारी सरकार की जो समस्या थी उसे रखा भी है। जो सरकार को समर्थन दे रहे है उस संबंध में भी राय ली। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी बातें रखी गयी, समस्यायें रखी गयी। पॉच-छः दिन बाद माननीय कृषि मंत्री से गन्ना किसानों से संबंधित समस्याओं को लेकर मैं स्वयं, चौधरी अजित सिंह और अमर सिंह जी मिल रहे है। अब हम लगातार दिल्ली की सरकार पर अपनी समस्याओं का बोझ रख रहे हैं, अपनी परेशानियाँ बता रहे है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार भी उदासीन रही है, चाहे वह कोई भी सरकार रही हो। केन्द्र सरकार ने तो हमारी उपेक्षा की ही लेकिन हमारी भी उदासीनता रही है और हमारी उदासीनता के कारण ही उपेक्षा होती रही। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की उपेक्षा इस सरकार के रहते नहीं होने देंगे। जहाँ तक बिजली की आपूर्ति का सवाल है, हम आपको बता रहे है पहली तारीख को अर्थात 1 अगस्त, 04 को 14 घण्टे से कम थी, यह सही है, इसे हमने स्वीकार किया है। 02-08-04 को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली 14 घण्टे 34 मिनट और 03-08-04 को यानि कल 14 घण्टे 50 मिनट रही। अगर इतना नही होगा तो आप पूँछकर मुझे बता देना। इसी तरह से शहरों में कटौती में कमी हुई है।

श्री सलिल विश्नोई-

माननवर, कानपुर नगर में आज रात में भी बिजली कटी है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैंने पहले ही कह दिया कि 1500 मेगावाट बिजली की कमी है। आपकी सरकार थी तब क्या था ? अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने 400 करोड़ से ज्यादा की बिजली खरीदी है। हमें प्रदेश की जनता की चिन्ता है चाहे वह शहरी क्षेत्र के हों या हमारे किसान भाई हों। जितनी बिजली हम खरीद सकते थे, खरीद रहे है। बिजली का संकट आज पूरे उत्तर भारत और पूरे देश में है। अगर आप ऑकड़े देखें तो पूरे देश के अन्दर एक लाख मेगावाट से ज्यादा बिजली की जरुरत है। आज बिजली का संकट पूरे देश के अन्दर है। आप यह सराहना क्यों नहीं करते कि हमने पूरे देश के अन्दर एक आदर्श कायम किया है। बिजली की नीति हमारी सरकार ने बनायी है और उस नीति को किसी की भी सरकार हो, उसे बनाना पड़ेगा। आप निजी क्षेत्र की बात

करते है, हम निजी क्षेत्र के वहुत ज्यादा खिलाफ है और विदेशी कम्पनियों के पूरी तरह से खिलाफ है लेकिन विदेशी कम्पनियों से वचने के लिए जो निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ आ रही है, अगर ये भाग खड़ी होंगी तो ऐसे उपाय है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। महाराष्ट्र में विदेशी कम्पनी थी जो भाग गयी। इससे वचने के लिए निजी क्षेत्र में जाना पड़ेगा। हम विदेशी कम्पनियों से वचना चाहते है। हमारी विनिवेश की नीति है, हम विनिवेश के पक्ष में है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे देश कम्पनियां आयें। जो हमारे निजी क्षेत्र के लोग हैं हम उनसे राय मश्विरा करेंगे ताकि हमारे देश और प्रदेश के जो उद्योग है उन पर बुरा असर न पड़े। बिजली के सम्वन्ध में जो बातें कहीं गयी है मैं आपको आंकड़े दूंगा उसमें थोड़ा समय सदन का लगेगा। मान्यवर, प्रदेश में बिजली की प्रतिदिन औसत मांग वर्ष 2003-2004 में जहां 125 मिलियन यूनिट थी, वह मांग वर्ष 2004-05 में वढ़कर 154 मिलियन यूनिट प्रतिदिन हो गयी है, इसलिए सरकार आगे आने वाले दिनों में विजली उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है। जहां तक निजी नलकूपों की वात है वर्ष 2003-04 में सामान्य योजना में 5 हजार लक्ष्यों के विरुद्ध 3221 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण हो चुका है, तथा शेष का विद्युतीकरण माह सितम्वर, 2004 के अन्त तक कर दिया जायेगा। मान्यवर, जमा योजना के विरुद्ध 4,248 नलकूपों का ऊर्जीकरण हुआ है। मान्यवर, जमा योजना के अन्तर्गत निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर वरीयता के आधार पर ऊर्जीकरण किया जा रहा है। मान्यवर, सामान्य योजना के अन्तर्गत जो प्रार्थना-पत्र लम्वित है उनकी संख्या 11,815 है, जिसमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7300 प्रार्थना-पत्र है और शेष प्रदेश के 4500 प्रार्थना-पत्र हैं। सवसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रार्थना-पत्र है। हमने जो कोटा था, उसको वढ़ाया भी है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय मुख्यमंत्री जी नये कनेक्शन नहीं दिये जा रहे है?

श्री मुलायम सिंह यादव-

इसके लिए 50 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी, 25 करोड़ रुपये स्वीकार कर दिया है। कनेक्शन जल्दी से जल्दी दिलाने की कोशिश हो रही है। कोशिश कर रहे है कि सितम्बर तक ऊर्जीकरण हो जायें। मान्यवर, जहां तक नये विद्युत उपकेन्द्रों का सवाल है इसकी तरफ पूरी तरह प्रयास कर रहे है। वर्ष 2003-04 में 40 नये 33 के0वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण किया गया एवं 95 उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गई जिससे 542 एम0वी0ए0 की क्षमता प्राप्त वृद्धि हुई है। इसी तरह से वर्ष 2004-05 में 80 नये 33 के0वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण एवं 140 उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि कराने का लक्ष्य है। मान्यवर, अव तक प्रदेश में 1688 द्वितीय प्रणाली के उपकेन्द्र है जिनकी अधिष्ठापित क्षमता 13456 एम0वी0ए0 है। सरकार ने जो यह प्रयास किया है यह केवल ग्यारह महीने, एक साल का है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, क्षमा करेंगे, वावा विश्वनाथ को, थोड़ा उनको कष्ट है उसके प्रति संवेदनशील हो जायं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि जो बिजलीघर 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक पूरे हुए खड़े है पिछले एक साल से, उनके निर्माण में कुछ हजार रुपयों की कमी रह गयी है वह पूरा नहीं किया जा रहा है। काम तो लगभग पूर्ण हो चुका है। वार वार अधिकारियों से कहा जाता है एक साल से काम नहीं किया गया है कृपया ऐसे कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर करें।

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मुख्यमंत्री जी पनकी पावर हाउस में चार टरवाइन लगी हुई है। लगभग 10 साल पहले प्रदूषण ज्यादा होने से दो टरवाइन बन्द कर दी गई दो टरवाइन बन्द होने की वजह से विद्युत उत्पादन में बहुत कमी आ गई है। मेरा निवेदन है कि इन दो टरवाइन को गैस में कनवर्ट करके चालू करवा दिया जाए इससे कानपुर ही नहीं अन्य स्थानों में विद्युत की आपूर्ति सुचारु रुप से हो सकेगी।

श्री मुलायम सिंह यादव-

इसका परीक्षण करवा लेंगे।

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहॉ बुन्देलखण्ड में जूनियर इंजीनियर औरलाइन मैन नहीं है। जिससे 50-50 घण्टे लाइन नही आती है। पारीछा से जो बड़े बाजार तक लाइन आती है उसमें लाइनमैन और जे0ई0 की कमी है।

श्री ओमप्रकाश पाण्डेय-

सुल्तानपुर में साढ़े तीन करोड़ रुपए की विश्व बैंक की योजना चार साल पहले नगर में तार बदलने के लिए चलाई गई थी उसमें किसी एजेंसी को काम दे दिया गया था चार साल बीत रहे है एक करोड़ रुपए का काम नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसको पूरा करवा दें।

श्री विवेक वंसल-

मान्यवर, पिछले सत्र के दौरान मैंने अनुरोध किया था कि अलीगढ़ में कासिमपुर पावर हाउस की जो यूनिट बन्द पड़ी है वहॉ पर थोड़ा सा पैसा लगाया जा सके तो वहाँ जनरेशन बढ़ जाएगा और उस क्षेत्र को राहत मिलेगी आपने उस बार कहा था कि इस पर वार्ता कर लेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

जहॉ पर माननीय सदस्य ने बनारस की समस्या रखी थी तो इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि एम0पी0जी0पी0 योजना स्वीकृत है उस पर जल्दी ही कार्यवाही कर दी जाएगी। गोरखपुर के लिए भी 31 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत हुए है। इलाहावाद के लिए 81 कोड़ 90 लाख, मुजफ्फरनगर के लिए 53 करोड़ 7 लाख रुपए की योजनाएं है और यह प्रारम्भ की जा चुकी है। जहॉ तक कानपुर, आगरा, अलीगढ़ की बात हैं उनको भी करेंगे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

आपका वचन है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, सकारात्मक दिशा में प्रयास चल रहे है। लेकिन इतना जरुर कहूँगा जहाँ तक लाइन लास का सवाल है आपने देखा कि 38 से 40 के बीच था इसको 32 के बीच लाकर खड़ा किया है। पूरा ध्यान बिजली की तरफ है। यह सही कहा आपने कि आज कोई भी विकास दुनिया का बिजली के बिना नहीं हो सकता। जहॉ तक बेरोजगारी बढ़ रही है छोटे-छोटे कुटीर धन्धे लगें तो लोगो को कुछ रोजगार मिल सकता है। बिजली के अभाव में एक यही नही अनेकों संकट पैदा हो गये हैं और इसके लिये सरकार चिन्तित है और जो भी सुझाव यहॉ पर दिये गये है हम उन पर अमल करने का प्रयास करेंगे। जहॉ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, माननीय नेता विरोधी दल ने चिन्ता व्यक्त की, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने भी चिन्ता व्यक्त की है

और माननीय हुकुम सिंह जी ने विशेषकर मुजफ्फरनगर के बारे में कहा है। हम यह कह सकते हैं कि अगर हम आँकड़े पेश करेंगे तो आँकड़ों में भी अपराध घटे हैं। लखऊ का ही ले लें तो अपराध पहले से घटे हे। हम बताना चाहते है कि मंजूर अहमद की हत्या राजभवन के सामने राजा के दरबार में कब हुई? जब वे सभा कर रहे थे। मीटिंग में आकर हत्या कर दी गई। और उसी राज दरबार के सामने जेल के अधीक्षक की हत्या कर दी गयी। रेणू टंडन और उनके पति की हत्या कर दी गई। रस्तोगी जी अपने बेटे के साथ रहते थे, उनकी हत्या कर दी गई। अगर हम गिनाने लगे तो लखनऊ के ही कितने आ जायेंगे? आपने तो पूरे प्रदेश के गिनाये, हम खाली लखनऊ के गिना सकते हैं लेकिन गिनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमारी सरकार के गिनाये हम आपकी सरकार के ज्यादा गिना सकते है लेकिन हम ऑकड़ों पर जाना नहीं चाहते है। हमारी कोशिश है कि जो सुधार हुआ है कानून-व्यवस्था में उसको जनता महसूस करे। हुकुम सिंह जी ने कहा, पता नहीं कैसे कह गये। आपके उप राष्ट्रपति जी मुजफ्फरनगर क्यों गये थे, मुझे पता नहीं लेकिन वहाँ एक शादी में हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। मिलने पर उन्होंने कहा कि हम आपको बधाई देते है कि मुजफ्फरनगर में एक आदर्श पुलिस अधिकारी है जिसने मुजफ्फरनगर में अच्छा नियंत्रण कर रखा है। वहॉ पर किसानों से और अन्य लोगों से भी हमारी बात-चीत हुई थी सबने यही कहा कि मुजफ्फरनगर में कानून-व्यवस्था में ज्यादा सुधार हुआ है। हम यह नहीं कहते कि पूरी तरह से खत्म हो गया है लेकिन जितने कुख्यात अपराधी थे उनको आसमान दिखाया। पुलिस अधीक्षक पुरी चले गये थे नहीं तो वे जान दे बैठे होते। मुजफ्फरनगर में काफी सुधार हुआ है पता नहीं आपको कैसे सुधार नहीं लग रहा है। जनता सुधार महसूस कर रही है और कह रही है कि सुधार हुआ है। अब आपके दिल दिमाग का कोई थर्मामीटर हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब आप सरकार में थे तब अपराध नहीं होते थे। अपराध तब भी होते थे और आज भी हो रहे है लेकिन अब कम हो रहे है। उनको रोका जाना चाहिए। हमारे भी माननीय मंत्री और सदस्य है। सहारनपुर से गाजियाबाद तक काफी सुधार हुआ है। हाँ बुलन्दशहर में जो घटा हुई है वह अच्छी नहीं है। जहाँ तक बनारस का सवाल है । यह सही है कि बनारस भी मुजफ्फरनगर के बाद उसी तरह का है। हम गम्भीरता से विचार कर रहे है। तीन वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया है और उनसे बात करेंगे और पूरी कोशिश है कि कानून व्यवस्था सुधरे। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। आपकी सरकार में ऐसा नहीं था लेकिन हमारी सरकार में है कि किसी भी तरह की घटना हो उसकी रिपोर्ट जरूर लिखी जायेगी और इसे पूरा देश जानता है, पूरी जनता जानती है। आप सत्ता में शामिल थे, आप अखबार पढ़ कर देखें, हम कटिंग दिखा सकते हैं, ऐसे बयान है कि शत-प्रतिशत अपराध घटाना है, अगर नहीं घटायेंगे तो मुवत्तिल हो जायेंगे और मुवत्तिल किया है।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सीधे जाकर कोई एफ0आई0आर0 करा दे। आपके आदेश नहीं है कि एफ़0आई0आर0 न लिखी जाए लेकिन जब मानसिकता बनी हुई है, वह मानसिकता अभी हटी नहीं है, उसे हटाने की बात है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

जहाँ तक मानसिकता की बात है, हम वह मानसिकता सुधार रहे है। एक दर्जन, दो दर्जन अधिकारी आज ऐसे हैं कि हमारी सरकार भी परेशान है। उस समय वह सरकार में रहकर कमाते थे और उनकी मानसिकता आज भी वैसी ही बनी हुई है। हम सहमत है और सुधारेंगे। अगर कोई जनप्रतिनिधि कह रहा है तो हस्तक्षेप नहीं माना जायेगा। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि जनता की शिकायतें लेकर डी0एम0 और एस0एस0पी0 को बतायें, यह हस्तक्षेप नहीं है लेकिन कोई दरोगाओं को ट्रान्सफर कराये किसी और का कहा तो मैं अच्छा नहीं मानूँगा। मैंने कह दिया है कि कौन दरोगा थाने में रूकेगा, यह जिम्मेदारी एस0पी0 की है,

हमने यह आदेश दिया है। वह समय भी मैंने देखा है जब छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं के यहाँ डी0एम0, एस0एस0पी0 हाजिरी देते थे, आपने भी देखा है। आप सरकार में शामिल थे। किसी मंत्री के बारे में हमें शिकायत मिली है, हम जाकर बात करेंगे कि यह हादसा मंत्री के साथ कैसे हुआ है, सजा भी मिलेगी। यह मानसिकता जो है, उस मानसिकता को पैदा किसने किया? आपने सहयोग दिया और 3-3 बार सरकार बनवायी। जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं था, कोई दिशा ही नहीं कि कहाँ जाना है, समाज को कहाँ ले जाना है, कहाँ दर्द है, कहाँ पढ़ाई-लिखाई है, कहाँ बेरोजगारी है, क्या समस्याएँ है, उनको तो केवल एक समाज, एक समाज। केवल एक लक्ष्य था कि मुलायम सिंह न आने पायें, सिर्फ यह था। जो भी प्रदेश के हित में है, वह हम करेंगे । यदि आप अच्छा काम करेंगे तो ठीक है, प्रमोद जी करेंगे ठीक है। आपने कमेण्ट किया कि विचित्र गठबन्धन है, विचित्र गठबन्धन है और कैसे समर्थन दे रहे है। हम दे रहे हैं और बिना माँगे ही दे रहे है। अमर सिंह जी का अपमान हुआ, फिर भी दे रहे है और देंगे और हम साम्प्रदायिकता के खिलाफ दे रहे है। हम साम्प्रदायिक ताकतों को रोक रहे है। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रमोद तिवारी जी केंद्र की सत्ता में आज जो सरकार बनी है तो यह बहुदर साथियों की वजह से बनी है। अगर यह लोग 20 और आ जाते तो स्थिति कुछ और भी हो सकती थी। दिल्ली की सरकार अगर किसी ने बनवाई है तो वह समाजवादी पार्टी ने बनवाई है। आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश में किसने हरा दिया, हम लोगों ने हराया है भाजपा को। हमने आपके जौनपुर के कितने बड़े धार्मिक नेता को हराया और आपको गौर साहब, गौर साहब का तो तांता निकाल दिया।

श्री हुकुम सिंह-

वैसे आपने हराये भी है और जिताये भी है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हमने ध्यान केवल भाजपा पर दिया था। आप कमजोर हो गये थे, और हम कमजोर पर हमला करते नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव हरीश जी-

मा0 मुख्यमंत्री जी आपने वाराणसी की कानून-व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, यह संतोषजनक बात है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि वाराणसी में 30 तारीख की शाम को टिकरी गांव का एक लड़का विवेक ट्यूशन पढ़ने गया था, लेकिन वह लौटा नहीं। फिर 3 तारीख की शाम को उसकी लाश केवल 2 फलांग पर मिली। मैंने प्रमुख सचिव, एस0एस0पी0, वाराणसी थाना कसलंश आई0जी0 को कहा। उन्होंने कहा कि हम छापे मार रहे हैं, घेरा डाल रहे है। मैं यह केवल इसलिए कहना चाहता हूँ कि वहाँ पुलिस के लोगों को पूछना चाहिए कि इतने पास में दो फलांग पर लड़का अपहृत हुआ था1 उसकी ढूंढ नहीं हो सकी और दूसरी बात कि हमारे यहाँ शिवपुरया की आवादी 50 हजार की है, वहाँ पर विंद लोग रहते है। 50-60 सालों से करघों पर सूत से रस्सी बनाने का काम करते हैं। जिस मैदान में काम करते है, हर समय कोई न कोई माफिया उस पर कब्जा लेने की कोशिश करता है। उसकी यूनियन रजिस्टर्ड है, जमीन आवंटित है लेकिन अभी पता चला है, मैंने आई0जी0 महोदय को कहा है कि वहाँ पर किसी ने कब्जे के लिए काफी पुलिस फोर्स ले ली है। वह फोर्स लेकर आया है। मैंने पूछा कि किसने आदेश दिया है। यह जानकारी आपको दे दी।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, इसीलिए साम्प्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हमारा समर्थन है। आज वहाँ कहा जा रहा है कि वह पुराने ढर्रे पर चलेंगे, तो आपके साथी कह रहे हैं कि अगर आप पुराने ढर्रे पर जाएंगे तो हम उसमें शामिल नही होंगे। गांवा मे स्थिति यह है कि गठबंधन को एक रखना पड़ेगा। पूछा नहीं कि आपके सिद्धांत क्या

है? आपका सिद्धांत सत्ता की तरफ है और इसीलिए यह दुर्दशा हो रही है। हमारा गठबंधन विचित्र नहीं बल्कि देशहित में है। आज दल का सवाल नहीं है, देश को एक रखने का सवाल है। आज ऐसा वातावरण बन रहा है कि पूरी दुनिया इतनी छोटी हो गयी है कि अगर दुनिया के किसी हिस्से में कुछ गतिविधि होती है तो उसका असर आपके देश पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में देश को बॉधकर रखना है। कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन हिन्दू है या कौन मुसलमान है इसको बंद करें। अब जनता चतुर हो गयी है। वह समझ गयी है। अब आप जितनी भी कोशिश कर लें मंदिर के नाम पर अब आप आने वाले नहीं है।

(नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपने स्थान पर बैठकर मस्जिद के नाम पर भी नहीं)

मस्जिद के नाम पर भी नहीं आ पायेंगे। यह जो बिजली आप कह रहे है तो शिक्षकों में आप जा नहीं सकते, व्यापारियों में भी नहीं जा पा सकते है। महाना जी थोड़ा बहुत उरका देते है उनको, छात्रों में आप जा नहीं सकते। जो छात्रों की प्रवेश की समस्या है अभी हम आदेश दे देंगे इवनिंग क्लासेस लगाने के, सीटें बढ़ाने के। हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि परेशानी न हो। चीफ सेक्रेटरी हमारे बैठे है, आदेश देंगे कि इवनिंग क्लासेस चलायें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ और मुश्किल यह है कि जब-जब गरीबों की, किसानों की सरकार आती है कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। आज यह गरीबों और किसानों की सरकार आयी है, इसके खिलाफ गहरा षडयंत्र है। क्या वजह है कि जब हम आते है तो आपको यह बात याद आ जाती है। जब आपकी सरकार थी तो उस समय मंदिर का मुद्दा कहॉ चला गया। 95 में आपकी सरकार फिर बनी, फिर 96 में बनी तो उस समय यह मुद्दा कहॉ चला गया। यह क्या वजह है कि कानून व्यवस्था तभी खराब होती है जब मुलायम सिंह यादव आते है। सुधारते भी हम ही है। जो भी कदम उठाते है जब हमारी सरकार बनी तभी उठाये गये वरना भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की कहीं भी सुनवाई नहीं थी। कब्जा करने की बात आयी तो मैंने आई0जी0 को बुलाकर कह दिया। भू-माफिया की बात भी आयी। मैं सूची बना रहा हूँ जैसे मैंने पहले बनाई थी और वह सूची जारी कर दूँगा। दस दिन का इसमें मौका दिया जायेगा गलत नाम अगर हुआ है तो उसको सही कर दें। उसपर आपका समर्थन रहेगा। आपके सहयोग से हम कड़ी कार्यवाही करेंगे। यह देखेंगे कि उनको संरक्षण कौन दे रहा है? दूसरा यह है कि अपहरण करने में कौन लेनदेन करता है? इसकी भी सूची बनायेंगे। प्रदेश की जनता की जानमाल की हिफाजत सरकार की जिम्मेदारी होती है और हम इसको पूरी तरह से निभायेंगे। हम सभी नेताओं से बात करेंगे और अपील करेंगे कि इस वक्त प्रदेश में जो विकास का वातावरण बना है उद्योगपति यहॉ पर आ रहे है। आज न तो शिक्षक परेशान है, न वकील परेशान है, किसानों को इनकी कीमत धान की, गेहूँ की, गन्ने की कीमत अच्छी मिलेगी। यह सही है कि हम गन्ने को प्राथमिकता देंगे और इसलिए देंगे क्योंकि चीनी उद्योग हमारे किसानों का सबसे बड़ा उद्योग है। पहले देश में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन हमारा प्रदेश करता था, लेकिन अब यहां उत्पादन में गिरावट आई है, आज महाराष्ट्र हमसे आगे है। हम गन्ने को प्राथमिकता देंगे, लेकिन हम कहना चाहते है कि एक वातावरण जो प्रदेश में बना है उस वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश न की जाए, कभी कानून-व्यवस्था की आलोचना, कभी किसी की आलोचना, लगता है कानून-व्यवस्था की आलोचना करने के अलावा कोई दूसरा काम ही नही है। यह दुष्प्रचार है। हमने कानून-व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया है और कानून-व्यवस्था सुधरी भी है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि कानून-व्यवस्था में जो खामियां थी वह बिलकुल खत्म हो गई, हमें अभी इसमें सुधार करना है, लेकिन अब कानून-व्यवस्था सुधरी है। बिजली के मामले में इस सरकार ने जितने प्रयास किए है उतने प्रयास अन्य किसी सरकार ने नहीं किए है, आप देखना, चार साल के अन्दर हमारा उत्तर प्रदेश, हिन्दुस्तान का सर्वोत्तम और उत्तम प्रदेश होगा। मान्यवर, इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जो विन्दु उठाये गए थे, उनमें से एक का भी उत्तर नहीं है जो यह आपने स्वप्न दिखाए, वह तो हम सब जानते है कि कौन अपराध करा रहा है और कौन अपहरण करा रहा है और भू माफिया कहां है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप हमें उनकी लिस्ट दे दें।

श्री लालजी टण्डन-

बिजली के बारे में कोई कार्यक्रम कोई योजना घोषित किया होता, क्या संदेश प्रदेश की जनता को दिया गया, कोई सुनिश्चित योजना आपकी आई। पहले तीन साल थे, अब चार साल हो गए और फिर पांच साल हो जायेंगे, क्योंकि यह आपके बश में है ही नहीं। कोई भी योजना सामने नहीं आई, मैं समझता हूँ कि इतनी बहस का कोई लाभ प्रदेश को नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष-

माननीय लालजी टण्डन जी बोल चुके अब मैं अगली मद संख्या ले रहा हूँ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया माननीय टण्डन जी बैठें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना जवाब दे दिया अब अगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो हम जवाब थोड़े ही दिला देंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, हमारे मेरठ जिले में सदर थाने में हवालात में राजीव शर्मा की हत्या पुलिस ने की है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखकर के दे दें।

अब आप लोग बैठ जाएं, अब हम नियम-51 की सूचनाएं लेते है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 04 अगस्त, 2004 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 51 सूचनाएं प्राप्त हुई है। जिनमें पहली सूचना श्री राम करन आर्य की जो जनपद बस्ती में बी0एड0, एल0टी0 डिग्री धारी युवकों की नियुक्तियों को बिना सूचना के सेवा से निकाल दिये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। दूसरी सूचना श्री विजय बहादुर पाल की जो लखनऊ में विशिष्ट बी0टी0सी0 चयनित महिलाओं व विकलांगों को प्रशिक्षण हेतु लखनऊ से बाहर न भेजे जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। तीसरी सूचना श्री राम कृपाल की जो जनपद इलाहाबाद की तहसील कोराव के ग्राम बडोखर की ग्राम समाज की भूमि को बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव पास किये परगनाधिकारी द्वारा आवंटित किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। चौथी सूचना श्री अरुण कुमार मेहरोत्रा की जो जनपद जालौन की कालपी तहसील परिसर में स्थित नलकूप के संचालन हेतु विद्युत कनेक्शन किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। पांचवी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जो जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में हो रहे बिलम्ब के संबंध में है,

वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। छठी सूचना श्री वैजनाथ दूबे की जो जनपद गोण्डा स्थित बन्द पड़ी मैजापुर चीनी मिल को प्रशासन द्वारा अधिग्रहीत कर चलाये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी सातवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह की जो जनपद सीतापुर के ग्राम रतौली एवं अन्य ग्रामों के घाघरा नदी की कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। आठवीं सूचना श्री देव नारायण सिंह की जो जनपद गोरखपुर के ग्राम रिदुआखोर निवासिनी सुमन पुत्री श्री लालजी के साथ पुलिस उत्पीड़न की कार्यवाही किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। नौवी सूचना श्री आर0के0 सिंह पटेल की जो प्रदेश के लघु सीमान्त कृषकों को एक से पांच हार्सपावर के निजी नलकूपों के सिंचाई कनेक्शन दिये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। दसवीं सूचना श्री भगेलू राम की जो जनपद सुल्तानपुर के ग्राम राजापुर से फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचित ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। ग्यारहवीं सूचना डा0 कौशल किशोर की जो जनपद लखीमपुर के ग्राम घोसियाना लखीमपुर देहात स्थित उल नदी के कटान से क्षतिग्रस्त पुलिया व सड़कों की मरम्मत के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। बारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह मोती सिंह की जो जनपद प्रतापगढ़ की जिला समिति द्वारा विद्यालयों के निर्माण हेतु चयनित स्थलों पर विद्यालय का निर्माण न कराये जाने से संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। तेरहवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की जो मेरठ शहर के पटेल नगर में असामाजिक तत्वों द्वारा सहायता तथा पुर्नवास विभाग की भूमि पर कब्जा किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। चौदहवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की जो जनपद आजमगढ़ स्थित प्रसिद्ध कल्हौरा आजम के पास टोंस पर लकड़ी का पुल एवं शेरजहांपुर में कुंवर नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। पन्द्रहवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की जो जून, 2001 से 2003 के मध्य सेवानिवृत्त प्राइमरी शिक्षिकाओं/शिक्षकों को पेंशन अनुमन्य न किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। सोलहवी सूचना श्री श्याम सिंह अहेरिया की जो जनपद आगरा के आगरा कैनाल के आधुनिकीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि में से राजवाह फरह, राजबरारी मथुरा लेफ्ट, गोवर्धन, अडिग पर समायोजित करने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। सत्रहवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की जो जनपद मेरठ अन्तर्गत सरधना के चन्द्रपाल पुत्र श्री धर्मपाल की हत्या करने वालों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं मृतक के परिवार को सहायता राशि दिये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। अट्ठारहवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जो जनपद बहराइच के ग्राम कसेहरी बुजुर्ग स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। उन्नीसवीं सूचना चौधरी मस्तराम की जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा डिपो कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। बीसवीं सूचना श्री रणवीर राणा, की जो जनपद मेरठ स्थित नई बस्ती लल्लापुरा में चिकित्सा सुविधा एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। इक्कीसवीं सूचना श्री आर0एस0 कुशवाहा की जो जनपद लखीमपुर के निधासन विधान सभा क्षेत्र स्थित जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। बाइसवी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की जो वाराणसी में साड़ी उद्योग में आई भयंकर मंदी से बुनकरों को उबारने एवं भुखमरी के कारण मृतक तनवीर के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। तेइसवी सूचना श्री नत्थू सिंह की जो जनपद उन्नाव स्थित बिल ग्राम से इलाहाबाद मार्ग पर लोन नदी पर निर्मित पुल की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। चौबीसवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जो जनपद गाजियाबाद के लोकप्रिय विहार में भूमि पर रखे 11 हजार वोल्ट के विद्युत ट्रांसफार्मर को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर लगाये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। पच्चीसवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जो आगरा शहर में जर्जर विद्युत खम्भों एवं

लटकते हुए विद्युत तारों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। छब्बीसवीं सूचना श्री राजेश कुमार की जो जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम बांकेगंज में जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। सताइसवीं सूचना श्री कल्याण सिंह दोहरे की जो दारूलशफ़ा ए,बी और सी ब्लाकों में कमरों की कमी को देखते हुए प्रति विधायक दो कक्षों का आवंटन किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। अट्ठाइसवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जो जनपद आजमगढ़ के मण्डलेश्वर तीर्थ स्थल का सुन्दरीकरण कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। उन्तीसवीं सूचना श्री सुरेन्द प्रताप सिंह की जो जनपद जौनपुर के सिद्दकीपुर गांव में ग्राम समाज की जमीन एवं मंदिर पर अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। तीसवीं सूचना श्री शिवचरण प्रजापति की जो कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा श्री मनोज कुमार, चतुर्थ श्रेणी दैनिक श्रमिक, ब्यूरो अनुभाग के साथ किये जा रहे शोषण एवं उत्पीड़न की कार्यवाही में लिप्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं उनके द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन के निस्तारण के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई, उनके नाम है : डा0 सुशील चौधरी, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री राम इकंबाल सिंह, श्री लल्लू सिंह, श्रीमती राजरानी रावत, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री हरिप्रताप सिंह, श्री रामहेत, श्री कालीचरण राजभर. श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री कौशल किशोर, श्री सुखदेव राजभर, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना, डा0 रमेश चन्द्र विन्द, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 विनोद तिवारी, श्री चन्द्रदेव राम यादव, श्री मुंशी लाल गौतम तथा श्री दिलीप कुमार वर्मा।

मृतक आश्रित को पेंशन आदि का भुगतान तथा आश्रित कोटे के तहत नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमन्त्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा ..

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[जनपद आजमगढ़ के थाना सिधारी के उप निरीक्षक, (ना0पु0) स्व0 कृपा दयाल यादव के आश्रित को समस्त देयकों का भुगतान एवं मृतक आश्रित के रुप में उनके पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार यादव को उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त किये जाने के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया गया है।

प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह अवगत कराना है कि उप निरीक्षक, स्व0 श्री कृपा दयाल यादव के आश्रित को सामूहिक बीमा की धनराशि रुपया 86,608/- एवं अवकाश के नगदीकरण की धनराशि रुपये 1,13,781/- एवं पुलिस बेनीफिट फण्ड से आर्थिक सहायता की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

नोट : - [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्व0 श्री यादव की जी0पी0एफ0 की पासबुक की प्रविष्टियां पूर्ण न होने के कारण जी0पी0एफ0 की धनराशि का अभी भुगतान नहीं हो सका है। स्व0 श्री यादव की पूर्व तैनाती के कार्यालयों को विशेष पत्रवाहक के माध्यम से जी0पी0एफ0 पासबुक भेजकर प्रविष्टियां पूर्ण करायी जा रही है। प्रविष्टियाँ पूर्ण होते ही नियमानुसार जी0पी0एफ0 की धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत रुपया 1,05,000/- का भुगतान संबंधी प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16,1,2004 को मण्डलीय प्रबन्धक, यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी, इलाहाबाद को प्रेषित किया जा चुका है।

स्व0 श्री कृपा दयाल यादव की पत्नी श्रीमती दुलारी के पक्ष में असाधारण पेंशन स्वीकृति का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दिनांक 25.3.2004 को प्रेषित किया जा चुका है। असाधारण पेंशन संबंधी प्रस्ताव शासन में प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मृतक की पत्नी श्रीमती दुलारी को दिनांक 28.12.2003 से अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

मृतक उप निरीक्षक स्व0 श्री कृपा दयाल यादव के पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार यादव को मृतक आश्रित के रुप में सेवायोजित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को भेजा गया था परन्तु प्रस्ताव में कतिपय कमियों/त्रुटियाँ होने के फलस्वरुप पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को त्रुटियों के निवारण हेतु पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा पत्र भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ से जैसे ही त्रुटियों का निवारण कर सूचना/आख्या पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को प्राप्त होगी उनके द्वारा मृतक आश्रित के रुप में सेवायोजित किये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

श्री रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री महात्मा सिंह, सहायक अध्यापक नेहरु इण्टर कालेज रतनपुरा, जनपद मऊ को उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अवशेष का भुगतान न मिलने से उत्पन स्थिति के संबंध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

जनपद आगरा में सार्वजनिक स्थलों, मंदिरों के पास विना लाइसेंस के खुले रुप से चल रही मांस की दुकानों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री जगन प्रसाद गर्ग, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(श्री जगन प्रसाद गर्ग का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, सभी माननीय सदस्य यही हैं, मैं भी यही खड़ा हुआ हूँ मुझे तो स्पष्टीकरण पूछना है। मान्यवर, यह सभी वक्तव्य पढ़े हुए मान लिये जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

श्री जगन प्रसाद गर्ग, माननीय सदस्य, ..

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रुप से यह बिन्दु उठाया गया है कि जनपद आगरा में नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से बिना लाइसेंस के, बिना जाली के, तथा बिना कोई परदा लगाये सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, मंदिरों के पास मीट की दुकानें चलाई जा रही है। प्रमुख रुप से दाऊजी मंदिर के पास तोता का ताल मेन रोड, गुप्तेश्वर नाथ महादेव मंदिर व रत्नमुनि जैन गर्ल्स इण्टर के पास, लोहा मण्डी मेन रोड, एतमाद्दौला स्मारक के सामने जमुना ब्रिज मेन रोड, निकट चौराहा घटिया आजम खां मेन रोड, थाना मण्टोला के पास घटिया मांमू भांजा मेन गेट पर मीट की दुकानें खुले रुप से अवैध तरीके से चल रही है। इन मीट की दुकानों के पास आवारा कुत्ते पशु पक्षी इकट्ठा रहते हैं। जिससे कई प्रकार की घटनायें होती हैं, इससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है, कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है जिससे शान्ति व्यवस्था भंग होने का खतरा है।

2- उपर्युक्त सूचना के संबंध में नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निगम, आगरा के क्षेत्र में मीट लाइसेंस नियमानुसार मीट विक्रेताओं को प्रदान किये जाते हैं, जो विक्रेता बिना लाइसेंस मीट केवल पाये जाते हैं उनके विरुद्ध नगर निगम अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत वाद न्यायालय में दायर किये जाते हैं। वर्ष 2003-2004 में ऐसे विक्रेता जो बिना लाइसेंस मीट बेचते पाये गये अथवा नगर निगम बाईलाज के विरुद्ध मीट की बिक्री करते पाये गये उनके विरुद्ध 493 वाद न्यायालय से दायर किये गये हैं। वर्ष 2004-2005 में माह जुलाई तक 107 वाद दायर किये गये हैं। यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है।

3- नगर निगम बाईलॉज में केवल निम्न स्थलों पर मास की बिक्री प्रतिबन्धित है।

क्र0सं0	स्थल का नाम	क्र0सं0	स्थल का नाम
1.	ब्रमण्ड रोड	7.	जौहरी बाजार
2.	कश्मीरी बाजार	8.	किनारी बाजार
3.	सेव का बाजार	9.	फुलपट्टी
4.	रावत पाड़ा रोड	10.	कश्मीरी बाजार से स्टेशन रोड
5.	स्टेशन रोड	11.	छत्ता बाजार से जीन्स मिल तक
6.	ग्राण्ड ट्रंक रोड	12.	राजा की मण्डी रोड

4- उल्लेखनीय है कि नगर निगम का मीट बेचने का कोई अलग से बाजार नहीं है। अत: ऐसे क्षेत्र जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है यथा- लोहा मण्डी, शाही मस्जिद बाजार, खाती पाड़ा, सैय्यद पाड़ा, घटिया आजम खां, घटिया मांमू भांजा, ढोली खार, ताजगंज कुत्ता पार्क, पक्की सराय, कच्ची सराय में मीट की दुकानें हैं। उसके विधिवत लाईसेंस दिये गये हैं। जो विक्रेता लाईसेंस की शर्तो का पालन नहीं करता है, उनके विरुद्ध वाद दायर किये जाते हैं। समय-समय पर दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर इन मीट विक्रेताओं

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को हिदायत भी की जाती है। नगर निगम ने किसी मन्दिर एवं स्कूल के पास मांस विक्रय का लाईसेंस निर्गत नहीं किया है। यदि इस प्रकार की कोई विक्रय होती पायी जाती है तो उसे तुरन्त बन्द करने या वाद दायर कर कार्यवाही की जाती है।]

जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर गंगा नदी घाट पर सुरक्षा हेतु नाविक तथा मोटर प्लेट उपलब्ध कराये जाने के संबंध में श्री मदन चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माननीय विधायक जी द्वारा नियम .....

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण से पर्यटन विभाग का कोई सीधा संबंध नहीं है। प्रश्नगत वाद में श्रद्धालुओं के डूबने, बैरीकेटिंग की व्यवस्था न होने, एवं सरकारी नाविकों के मौजूद न होने का विषय पूर्णत: जिला प्रशासन/पुलिस/सिंचाई विभाग से संबंधित है। जहां तक गढ़मुक्तेश्वर बृज घाट में श्रद्धालुओं/पर्यटकों के लिए सुविधा प्रदान करने का प्रश्न है, पर्यटन विभाग द्वारा गढ़मुक्तेश्वर में बृजघाट क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु रु0 100.47 लाख की योजना वर्ष 2002-03 में स्वीकृत की गयी है, जिसके अन्तर्गत बृजघाट में 100 मीटर लम्बे घाट, आरती प्लेटफार्म, महिला चेन्ज रुम, सुलभ शौचालय एवं क्लाक टावर का निर्माण तथा पार्किंग में इन्टर लाकिंगटाइल्स लगाये जाने का कार्य सम्मिलित है। योजना का कार्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है और इन कार्यों पर अब तक कुल रु0 67.73 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।]

जनपद सोनभद्र में मऊ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद बालू खनन का पट्टा वन विभाग के पक्ष में गलत ढंग से कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

प्रदेश में ईंट भट्ठा उद्योग को कच्चा माल, कोयला की आपूर्ति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रदेश में कार्यरत 14000 ईंट भट्ठों के प्रयोग ...

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ाहुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[हेतु कोयला उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से कोल इण्डिया लिमिटे, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर शासनादेश दिनांक 26 मार्च, 1996, 21 सितम्बर, 1998 तथा 7 अप्रैल, 2001 द्वारा नीति निर्धारित की गई है। प्रदेश के ईंट भट्ठों हेतु लगभग 600 मी0 टन प्रतिवर्ष प्रति भट्ठा की दर से लगभग 3500 स्लैक कोल रैकों की आवश्यकता होती है, किन्तु आवश्यकता के अनुरुप कोल इण्डिया लिमिटेड/रेलवे द्वारा कोयले की रेल रैक/बैगनों की आपूर्ति न होने के कारण मांग और आपूर्ति में अन्तर रहता है, जिसके कारण स्लैक कोल का अभाव हुआ है। इस हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी की ओर से मा0 प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया गया है कि ईंट भट्ठों हेतु पूर्व की भांति कोयले की आपूर्ति हेतु रेल रैक की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाये।

ईंटों के निर्माण में पावर हाउसों से निकलने वाली फ्लाई ऐश के प्रयोग के बारे में सूचित करना है कि इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष दायर सेंटर फार पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटीगेशन दिल्ली बनाम यूनियन आफ इण्डिया की सिविल रिट याचिका संख्या 3141/99 में मा0 उच्च न्यायालय ने अपने 25 अगस्त, 1999 के आदेश द्वारा केन्द्र सरकार को फ्लाई ऐश के सम्बंध में अधिसूचना प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था, जिसके अनुपालन में केन्द्र सरकार, द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 26) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (5 के साथ पठित उसकी उपधारा (1) और 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 14 सितम्बर, 1999 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की गयी।

इन नियमों के अन्तर्गत ईंट भट्ठों के विनिर्माण और अन्य सन्निनिर्माण क्रियाकलापों में फ्लाई ऐश, बाटम ऐश या पॉड ऐश का उपयोग तथा तापीय विद्युत संयंत्र द्वारा ऐश का उपयोग एवं ऐश आधारित उत्पादों के उपयोग के लिये विनिर्देश स्पष्ट रुप से निर्धारित किये गये हैं। इन नियमों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है एवं किसी भी संबंधित द्वारा नियमों की अवहेलना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अपराध है।

उपरोक्त अधिसूचना के नियम 1 के उपनियम (1) में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से पचास किलोमीटर के व्यास के भीतर सन्निनिर्माण क्रियाकलापों में उपयोग के लिये मृदा में भार दर भार के आधार पर (फ्लाई ऐश, बाटम ऐश या पॉड ऐश) कम से कम पच्चीस प्रतिशत मिश्रण के बिना मिट्टी, ईंटों या टाइलों या ब्लाकों का विनिर्माण नहीं करेगा। उपरोक्त अधिसूचना जो दिनांक 27-08-03 को भारत सरकार द्वारा संशोधित की गयी है, के अनुसार अब 50 कि0मी0 त्रिज्या के स्थान पर 100 कि0मी0 कर दी गयी है। इसके अनुसार निम्न अनुपालन समयवद्ध रुप से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है :-

ऐसे समस्त ईंट/टाईल/ब्लॉक अथवा अन्य विनिर्माता जो किसी भी कोल अथवा लिग्नाईट पर आधारित तापीय विद्युत के संयंत्र के 50 कि0मी0 से 100 कि0मी0 की परिधि में आते हैं, वे ईंट/टाईल/ब्लॉक अथवा अन्य के निर्माण में थर्मल तापीय विद्युत के संयंत्र की फ्लाईऐश को कम से कम 25 प्रतिशत (भार दर भार) मिश्रित करना सुनिश्चित करेंगे। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 1999 में अधिसूचना दिनांक 28/08/2003 द्वारा किये गये संशोधन के फलस्वरुप अधिसूचना का पूर्ण अनुपालन तब होगा जब कोयला या लिग्नाईट पर आधारित तापीय विद्युत संयंत्र के 50 से 100 कि0मी0 के अर्ध व्यास के भीतर अवस्थित ईंटों, ब्लाकों और टाइलों के निर्माता भी अधिसूचना की जारी होने की तिथि (27 अगस्त 2003) से 12 माह के भीतर प्रख्यापित प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्तमान में भारत सरकार से इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश प्राप्त हुए हैं तथा इस संबंध में एक जनहित याचिका भी माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन है।

उपरोक्त के अनुपालन में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रगति से माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया जाता है। उक्त नियमों का पालन कराया जाना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।]

कानपुर महानगर के विकास हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित विशेष पैकेज को दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली ...

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[1958 के नियम-51 के अधीन श्री सतीश महाना मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 30-07-04 को निम्नानुसार सूचना दी गयी है :-

कानपुर महानगर 40 लाख की आबादी का शहर है। इसके विकास हेतु समय-समय पर प्रदेश सरकार द्वारा एवं भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध कराया जाता रहा है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2003-04 विभिन्न मदों में श्री कानपुर में विभिनन योजनाओं पर कार्य शुरु हुआ, विगत एक वर्ष से कानपुर में पूर्व में प्रारम्भ हुए कार्य रोक दिये गये हैं, एवं एक वर्ष से किसी भी प्रकार का अनुदान/सहायता नहीं दी गयी। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा कानपुर दौरे के दौरान कानपुर के लिये विधि पैकेज हेतु घोषणा की थी।

उपरोक्त सूचना के संबंध में नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर यह अवगत कराना है कि नगर निगम, कानपुर से प्राप्त प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या-232/नौ-9-2004-165ज/2003टी0सी0/04 दिनांक-28 फरवरी, 2004 द्वारा नगर निगम, कानपुर के सम्यक विचारोपरान्त सड़क, नाला/नाली, मार्ग प्रकाश एवं सफाई उपकरण आदि अवस्थापना कार्य हेतु रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहति ऋण के रुप में रुपये 2.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इसके अतिरिक्त 11 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-1362/नौ-9-2003-136ज/2001, दिनांक 12-9-2003 के द्वारा रुपये 200.50 लाख एवं शासनादेश संख्या-2893/नौ-9-2003-197ज/2002, दि0 30-12-03 के द्वारा रुपये 200.50 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस प्रकार कुल रुपये 6.00 करोड़ 1.00 लाख की धनराशि विभिन्न श्रोतों से नगर निगम कानपुर के विकास कार्यों हेतु उपलब्ध करायी जा चुकी है। उपरोक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 1036/नौ-9-2004-77ज/04, दि0 16 जून, 2004 के द्वारा रुपये 15.00 लाख की धनराशि हैण्डपम्पों के रिवोर हेतु उपलब्ध करायी गयी है।]

जनपद जालौन के कालपी-मदरालालपुर सूर्य मन्दिर सम्पर्क मार्ग के निर्माण की आवंटित धनराशि अन्य मद में खर्च कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद जालौन में कालपी में ...

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मदरालालपुर स्थित सूर्य मंदिर सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई 9 कि0मी0 है। इस सम्पर्क मार्ग के 6.50 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग निमाण की स्वीकृति बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) से वित्तीय वर्ष 2001-02 में शासनादेश संख्या-03/35-5-2001, दिनांक 27-9-2001 द्वारा रु0 71.50 लाख की निर्माण लागत पर प्रदान की गयी थी, तथा कुल लागत की 50 प्रतिशत अर्थात रु0 35.75 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष भूमि रु0 ९1.44 लाख की धनराशि व्यय की गयी। शेष रु0 19.39 लाख की धनराशि अन्य कार्यों में व्यय कर दी गयीं उक्त धनराशि अन्य कार्यों में व्यय करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग सूर्य मन्दिर तक नहीं पहुंचा है। इस मार्ग मे अब तक 5.30 कि0मी0 लम्बाई में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया है तथा 3.2 कि0मी0 लम्बाई में सीलिंग का कार्य, 4 ह्यूम् पाईप पुलिया एवं 2 रपटों का निर्माण पूर्ण हो गया है, परन्तु रपटों की विंग वाल्स अभी नहीं बनी है। इस माग के कि0मी0 4,5 एवं 7 मे वन विभाग की कुल 1.09 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है, जिसके कारण वन विभाग द्वारा कार्य रुकवा दिया गया है। वन विभाग द्वारा प्रभावित भूमि के बदले रु0 10.45 लाख की मांग की जा रही है। इस मार्ग का पुनरीक्षित आगणन बनाया जा रहा है, जिसकी सम्भावित लागत रु0 125.00 लाख है, जिसमें वन विभाग द्वारा मांगी गयी धनराशि भी शामिल है। वर्षा के कारण कुछ स्थानों पर रैनकट हो गये हैं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग का अवशेष कार्य तथा मरम्मत का कार्य कराया जायेगा। सामान्यतया मार्ग पर यातायात चालू है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल 11 बजे पुन: उठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 8 बजकर 16 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 04 अगस्त, 2004

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी क

(देखिये ता0प्र0सं0-1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1 पर।)

प्रेषक,

श्री राकेश कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
सिप्सा,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी, 04

विषय :- उ0प्र0 के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के उन्नयन हेतु अप्रवासी भारतीय तथा प्रदेश से जुड़े देश के अन्य भागों में निवास करने वाले इच्छुक नागरिकों से निवेश प्राप्त करने हेतु स्वास्थ्य फाउण्डेशन के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अप्रवासी भारतीय एवं प्रदेश से जुड़े देश के अन्य भागों में निवास करने वाले इच्छुक नागरिकों से ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश प्राप्ति हेतु एक स्वास्थ्य फाउण्डेशन का गठन किया जाय।

2- स्वास्थ्य फाउण्डेशन राजकीय क्षेत्र से पृथक एक स्वायत्तशासी संस्था होगी, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1856 के अन्तर्गत पंजीकृत होगी। स्वास्थ्य फाउण्डेशन का अध्यक्ष एक गैर सरकारी व्यक्ति होगा। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र से 02 विख्यात व्यक्ति, उद्योग एवं सामाजिक क्षेत्र से 02 विख्यात व्यक्ति तथा अप्रवासी भारतीयों के 02 प्रतिनिधि सदस्य के रुप में सम्मिलित किये जायेंगे। सरकारी सदस्य के रुप में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा अधिशासी निदेशक, सिप्सा होंगे।

3- स्वास्थ्य फाउण्डेशन एवं उसकी गतिविधियों के प्रसार तथा अप्रवासी भारतीयों से निवेश आमंत्रित करने के लिए प्रदेश से जुड़े एक लोकप्रिय एवं उपयुक्त व्यक्ति को ब्राण्ड एम्बैस्डर के रुप में नामित किया जायेगा। मा0 मुख्य मंत्री महोदय द्वारा स्वास्थ्य फाउण्डेशन के अध्यक्ष, सदस्यों एवं ब्राण्ड एम्बैस्डर नामांकित किये जायेंगे।

4- सिप्सा जिसे निजी क्षेत्र के साथ कार्य करने का व्यापक अनुभव है, स्वास्थ्य फाउण्डेशन का सचिवालय होगा। इस सचिवालय द्वारा निम्न मुख्य गतिविधियों का सम्पादन किया जायेगा :-

(1) ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र में कमियों का चिन्हीकरण एवं निवेश हेतु सम्भावित क्षेत्रों की पहचान करना।
(2) निवेश को प्रोत्साहन, प्राप्ति एवं प्रबन्धन करना।
(3) परियोजनाओं का विकास एवं विपणन करना।
(4) उपलब्ध निवेशों का चयन व विशिष्ट परियोजनाओं हेतु उसका उपयोग करना।
(5) परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता एवं गतिविधियों का अनुश्रवण करना।
(6) करों में राहत प्राप्त करना।
(7) निवेशकर्ताओं को नियमित रुप से सूचित करना।

5- निवेश से सक्षम परियोजनाओं का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत स्वास्थ्य इकाइयों का निर्माण, चिकित्सालयों एवं शल्य कक्षों हेतु उपकरणों की व्यवस्था, मोबाइल इकाइयों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का विस्तार आदि किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऐसी परियोजनाओं का भी निर्माण किया जायेगा, जिसमें जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी एक बीमारी के उन्मूलन की कार्यवाही सम्पादित की जाय। भविष्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सामाजिक परियोजनाओं जैसे स्कूल की स्थापना, रोजगार प्रशिक्षण, कम्पयूटर लैब का प्रायोजन, पात्र ग्रामीण छात्रों हेतु छात्रवृत्ति तथा पुरस्कार निधि की व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुविधाओं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा हेतु आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने का कार्य भी सम्मिलित किया जायेगा। राजकीय, निजी एवं बहुराष्ट्रीय बैंक वर्तमान में धन इलेक्ट्रानिक प्रेषण तथा अवशेष राशि के पोर्ट फोलियो प्रबन्धन हेतु कई आकर्षक विकल्प उपलब्ध कराते हुए कई आकर्षक विकल्प उपलब्ध कराते हैं। इन सेवाओं का उपयोग प्रस्तावित योजना को लागू करने में किया जायेगा।

6- अधुवाल सूचना पद्धति की उपलब्धता हेतु एक इन्टरएक्टिव बेव साइट का निर्माण किया जायेगा। जिसमें इलेक्ट्रानिक्स रिपोर्टिंग तथा निरन्तर अधुवान्त करने की व्यवस्था हो, जिससे निदेशक को अपने द्वारा पोषित परियोजनाओं के बारे में निरन्तर जानकारी प्राप्त हो सके। इस बैव साइट के आधार पर स्वास्थ्य परियोजनाओं का विपणन भी भली-भांति किया जा सकेगा।

7- स्वास्थ्य फाउण्डेशन के तत्वावधान में जो भी कार्य किये जायेंगे उसके लिए शासकीय सहायता की अपेक्षा नहीं की जायेगी। उक्त योजना के अन्तर्गत जो व्यय होता है, उसे अप्रवासी भारतीय तथा प्रदेश से जुड़े देश के अन्य भागों में निवास करने वाले इच्छुक नागरिकों के निवेश से ही वहन किया जायेगा। स्वास्थ्य फाउण्डेशन के तत्वावधान में की जा रही कार्यवाही स्वतंत्र रुप से संचालित एवं धन पोषित होगी। शासन पर न तो वित्तीय भार डाला जायेगा और न ही भौतिक रुप से सहायता की अपेक्षा की जायेगी। उदाहरणार्थ यदि अस्पताल का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए न तो चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग की जायेगी और न ही उनके वेतन का भार शासन पर डाला जायेगा।

भवदीय
(राकेश कुमार मितल)
प्रमुख सचिव।

संख्या 212(1)/5-1-2004 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, केन्द्रीय औषधि भण्डार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6- समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3
9- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त अन्य फाइल।

आज्ञा से,
(नीलिमा श्रीवास्तव)
अनु0 सचिव।

नत्थी ख

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ 183 पर।)

श्री अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज दिनांक 04 अगस्त, 2004 को कार्य सूची मद संख्या-24 तथा मंद संख्या-25 पर निर्धारित 2-2- घंटे की चर्चाओं की समयावधि पूर्ण हो जाने के कारण जो सदस्य उपरोक्त चर्चा में भाग नहीं ले सके तथा जिन्होंने मा0 मुख्यमंत्री की अपेक्षानुसार अपने-अपने लिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं, वे संलग्न है :-

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, प्रदेश सरकार द्वारा 14 घंटे विद्युत आपूर्ति की घोषणा झूठ साबित हुई है। सूखे के बावजूद बिजली नहीं मिल रही है। किसान परेशानी से जूझ रहा है। डीजल के रेट बढ़ने से भी किसान परेशान है। ट्रान्सफारमर 6-6 हफ्तों तक नहीं बदले जाते। उत्पादन की दृष्टि से मेरा क्षेत्र प्रदेश में अग्रणी है। पूरनपुर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है। नेपाल बार्डर पर चलने के कारण व शेरों द्वारा कई ग्रामीणों को मार देने के कारण रात्रि में लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अत: आपके माध्यम से सरकार से निम्न मांग करता हूँ।

1- पूरनपुर (पीलीभीत) को विद्युत कटौती से मुक्त करें।

2- पूरनपुर में प्रस्तावित 132 के0वी0ए0 का सब स्टेशन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करायें।

3- करैया सहित अन्य सब स्टेशनों पर जे0ई0 की तत्काल नियुक्ति हो।

मान्यवर, प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। सपा कार्यकर्ता थाने चला रहे हैं। गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। एस0एस0पी0, एस0पी0 का आदेश नहीं मान रहे हैं। लूट, हत्यायें, डकैती, अपहरण उद्योग बन गये हैं। विगत दिनों श्री सुधीर तिवारी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी का पम्प लूट किया गया। पूर्व विधायक श्री हरि चन्द्र खण्डेलवाल का अपहरण हो गया। दो माह पूर्व मेरे पेट्रोल पम्प पर डकैती हुयी जिसका अभी तक कोई नतीजा पुलिस नहीं निकाल सकी। मेरे गांव में सुडडू की हत्या हुयी। एस0ओ0 बिना पंचनामा भरे हुये व्यक्ति की लाश उठा ले गया। जनता द्वारा विरोध करने पर दोबारा लाकर पंचनामा भरा गया।

विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता लखनऊ प्रर्दशन के लिये आ रहे थे उन्हें बीसलपुर में पुलिस द्वारा पीटा गया।

3-8-2004 को मेरे घर के पास ग्राम कुरैया जनपद शाहजहांपुर में जबरदस्त विस्फोट हुआ। लोगों में भय एवं आतंक व्याप्त है।

कृपया मेरे घर की सुरक्षा व्यवस्था कराने का कष्ट करें। आपका ध्यान विगत माहों में हुई घटनाओं की तरफ आकृष्ट करता हूँ। यह भी मांग करता हूँ कि पुलिस विभाग द्वारा 94 गांवों को जनपद पीलीभीत में जोड़ने हेतु अधिसूचना तत्काल जारी की जाय। कुछ खास घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ। जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ है।

(1) पतरास कुंवरपुर में कच्छा बनियाइन गिरोह का हमला,

(2) डियुरिया कलां में बाबा की हत्या,

(3) कढ़ेर चोखा, कसगंजा सहित एक दर्जन गांवों में डकैती,

(4) बदमाशों के डर से ग्रामीण पहरेदारी पर मजबूर हैं,

(5) पूरनपुर में एक सिपाही ने कांग्रेस नेता से 200 रुपये लूटे,

(6) पूरनपुर में मोहल्ला गणेशगंज में जूता व्यापारी को बंधक बनाकर लूटना,

(7) पवन अग्रवाल, (राइस मिलर्स) की हत्या,

(8) रालोद कार्यकर्ता द्वारा शहर कोतवाल का पुतला फूंका जाना,

(9) सेना के सेवा निवृत्त जवान से बदसलुकी एवं जेल भेजने की धकमी,

(10) ग्राम भगवन्तापुर में भाई बहन की निर्मम हत्या,

(11) लैहीरा पुल पर दिन दहाड़े लूट,

(12) माधौपुर के फार्मर का दिन दहाड़े अपहरण, 3 लाख की फिरौती,

(13) वजाहत हुसैन खां की हत्या,

(14) श्रीमती लक्ष्मी देवी की पीलीभीत में दिन दहाड़े हत्या,

(15) श्री प्रदीप शुक्ला पत्रकार की शाहजहांपुर में हत्या,

(16) जागरण के जी0एम0 की शाहजहांपुर में हत्या,

इन सभी घटनाओं की जांच कर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ तथा सरकार से माँग करता हूँ कि कानून व्यवस्था में सुधार करने हेतु आवश्यक कदम उठायें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, बिजली के संकट के प्रमुख कारण निम्न हैं :-

1- बिजली की मांग के अनुरुप बिजली का उत्पादन न होना,

2- बिजली की अघोषित कटौती,

3- बिजली की रोक्टिंग

4- लाइन लास,

5- ट्रांसफारमरों का तकनीकी कारणों से खराब होना और सूचना देने के उपरान्त भी बिजली कर्मियों द्वारा उसे शीघ्रता से ठीक न करना,

6- पुराने बिजली के तारों की चोरी एवं समय-समय पर टूटना,

7- बिजली के अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार,

8- बिजली के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के यहां बिजली के मीटरों का न लगाया जाना,

शेष सुझाव संलग्न है।

ऊर्जा से सम्बन्धित सुझाव

1. पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा लखनऊ बिजली के सुधार हेतु वर्ष 1999 से एक 220 के0वी0 सब स्टेशन हरदोई रोड व दस 33 के0वी0 उपकेन्द्र बनाने का शिलान्यास किया था। मगर इनकी क्षमता के अनुसार विभाग की लापरवाही के कारण इन पर पूरा लोड अभी नहीं दिया जा सका, जिसमें 220 के0वी0 सब स्टेशन हरदोई रोड के अनकों फीडर इन अधिकारियों की लापरवाही से अभी तक खाली पड़े हैं। इन पर अभी तक लोड नहीं दिया गया है। इस सब स्टेशन से पुराने लखनऊ व ग्रामीण क्षेत्र और नये क्षेत्रों को बिजली सप्लाई देनी थी मगर इनकी लाइनें आज तक पूरी नहीं हो सकी। इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं?

2. वर्ष 2000 में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री व लखनऊ के सांसद श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी द्वारा दो 132 के0वी0 एक 132 के0वी0 उपकेन्द्र मार्टिनपुरवा व दूसरा 132 के0वी0 उपकेन्द्र खुर्रमपुर तथा छः 33 के0वी0 उपकेन्द्रों का शिलान्यास किया था, जिसमें से 132 के0वी0 मर्टिनपुरवा सप्लाई गर्वनर हाउस, सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास आदि जैसे मुख्य क्षेत्रों को देना था, मगर अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस सब स्टेशनों पर अभी तक फुल लोड या सभी फीडर अभी तक नहीं चालू किये गये।

जबकि 132 के0वी0 उपकेन्द्र खुर्रमनगर को बने कई वर्ष हो गया मगर अभी तक इस उपकेन्द्र को चालू ही नहीं किया जा सका, जबकि इन उपकेन्द्रों को बनाने के लिये माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी

ने लखनऊ की जर्जर व्यवस्था के सुधार हेतु इन उपकेन्द्रों का बनाने के लिये धन की स्वीकृति वर्ल्ड बैंक द्वारा करायी थी जिससे सम्पूर्ण लखनऊ शहर की विद्युत में सूधार हो सके परन्तु इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण यह कार्य योजना सम्पूर्ण रुप से अभी तक लागू नहीं हो सकी। जबकि वर्ल्ड बैंक द्वारा लगातार दबाव बनाने के कारण वर्ल्ड बैंक भी इन अधिकारियों से परेशान हो गया।

3. 11 करोड रुपया पुराने लखनऊ की जर्जर लाइनों को बदलने के लिये माननीय पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था, मगर उसकी भी उपयोगिता आज तक नहीं हो सकी। पुराने लखनऊ में कुण्डरी रकाबगंज मोहल्ले मे अण्डर ग्राउण्ड केविल चलाया जा रहा है जो मानक के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है उसके अन्दर ईंट व जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है वह बहुत ही घटिया किस्म की है।

4. इसी प्रकार अधिशासी अभियन्ता विद्युत जनपद पारेषण खण्ड-2, लखनऊ इनकी शिकायत एवं राज्यमंत्री व एक विधान सभा सदस्य सुल्तानपुर ने मुख्यमंत्री व प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को सम्बोधित पत्र में यह दर्शाया गया है कि वर्तमान अधिशासी अभियन्ता कर्मचारियों ठेकेदारों का शोषण करके और निर्माण कार्य में भ्रष्ट आचरण अपनाकर अधिक धन अर्जित कर रहे हैं।

(अ) उपरोक्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा 132 के0वी0 उपकेन्द्र मार्टिनपुरवा लखनऊ में अनुबन्ध संख्या 63 वर्ष 2003-04 के अन्तर्गत ठेकेदार को जो लोहा अपने पास से लगाना था मगर क्योंकि बाजार में लोहे का दाम बहुत अधिक था। इस अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपरोक्त ठेकेदार को दस टन सरकारी स्टील देकर उस ठेकेदार से आर्थिक लाभ लेकर स्टील उपलब्ध करायी जबकि यह कानूनी भ्रष्टाचार है।

(ब) उपरोक्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा गोण्डा पावर हाउस अपने सब डिवीजन बेटोर से सरकारी फिनिसिंग पोल (सीमेन्टेड) मँगाकर जिनकी संख्या 37 है, इन्होंने अपने प्लाट संख्या 5/49सी विनीत खण्ड गोमतीनगर लखनऊ में लगाकर उसमें कटीले तार से फिनिसिंग की गयी है।

मैं इस सदन से आग्रह करता हूँ कि सदन तत्काल कार्यवाही का आदेश दें, जिससे कि यह अपने प्लाट पर लगे सरकारी पोल न हटा सकें और शिनाख्त समाप्त न हो सके। सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराने की कृपा करें।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

हमारे विधान सभा क्षेत्र श्यामदेउरवां जनपद महराजगंज में नगर पंचायत धुधली है। विगत वर्षो में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाती रही है जिस के कारण नगर के सभी व्यापारियों व उपभोक्ताओं से कामर्शियल विल का भुगतान लिया जाता है।

परन्तु इस समय मात्र 8-10 घंटे ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। तो ऐसे समय में उपभोक्ताओं से कामर्शियल विल का अदायगी करना अनुचित है इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि बिजली सप्लाई के आधार पर ही नगर के उपभोक्ताओं से विल की अदायगी कराया जाना उचित होगा।

दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घंटे की सप्लाई की घोषणा पूर्णतया मिथ्या साबित हो रही है मात्र 4-6 घंटे की ही सप्लाई हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ है मैं यह कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रो में सोने के बाद बिजली आती है और जागने के पहले चली जाती है। बद से बदतर स्थिति बिजली की है।

कानून व्यवस्था- आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है जंगल राज कायम हो चुका है। सत्ता पक्ष के दबाव में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। थाने पर सही घटना का बाद दाखिल नहीं किया जाता है। चोरी, डकैती, बलत्कार की घटनाएं आम बात हो गयी है। कानून व्यवस्था के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह गंगवार-

आज बिजली समस्या की चर्चा में मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं को रखना चाहता हूँ जो निम्नलिखित है।

(1) मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत धौरा टांडा मे 33 के0वी0 का विद्युत घर बनाया जायें। जो बहुत ही आवश्यक है।

(2) निर्वाचन क्षेत्र 38, भोगीपुरा (बरेली) में जिले की अन्य स्थानों के रोस्टर अनुसार बिजली सप्लाई की जायें।

(3) दोहना बिजली घर का विस्तार किया जायें जिससे क्षेत्र की बिजली समस्या दूर हो सके।

कृपया उक्त बिन्दुओं को सत्र की चर्चा में सम्मिलित कर निर्देशित करने की कृपा करें।

श्री भगवत सरन गंगवार-

आज बिजली की चर्चा में मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्धित समस्याओं को रखना चाहता था परन्तु समय अभाव के कारण बोलने का समय नहीं मिला। मा0 अध्यक्ष जी मैं निम्न बिन्दुओं पर आप के समक्ष रखना चाहता हूँ।

(1) नवाबगंज (बरेली) में जिले की अन्य स्थानों के रोस्टर अनुसार बिजली दी जाये।

(2) तहसील नवाबगंज के ग्राम लावाखेडा तालिब हुसैन पोलाडिया में 33 के0वी0 का विद्युत घर बनाया जायें। यह बहुत ही नितान्त आवश्यक है। कृपया निर्देशित करें।

डा0 यशवन्त सिह-

आपके माध्यम से म मा0 मुख्यमंत्री जी को अपने विधान सभा क्षेत्र जानसठ के बिजली संकट से अवगत कराना चाहता हूँ। मान्यवर यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कृषि उत्पादन में सर्वोपरि है तथा जहां पर तीन सुगर मिल आते है। मान्यवर खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि आज मेरे क्षेत्र में विद्युत कटौती का हाल बहुत बुरा है। जहा मैं पिछले ढाई साल से घटायन नूनी खेडा बिजली घर तथा कुतुब बिजली घर निर्माण की मॉग लगातार करता आ रहा हूँ वहां मेरे सभी पावर स्टेशन की हालत ओवर लोड के कारण बहुत दयनीय है। यहा ट्रान्सफार्मर फुके होने के कारण किसानों को कई कई दिनों तक बिजली नहीं मिल पाती है। यहां कई ऐसे गॉव है जहा आजादी के पचार से ज्यादा वर्षो के बाद भी बिजली नहीं पहुंच पायी है। मान्यवर बिजली का संकट गम्भीर है तथा किसान तथा क्षेत्र का छात्र वर्ग बुरी तरह से प्रभावित है। मा0 आपके माध्यम से मैं मा0 मुख्यमंत्री जी से अपने क्षेत्र के लिये प्रस्तावित घटायन नूनी खेडा तथा कुतुब बिजली घर जल्द से जल्द बनवानें की मॉग करता हूँ तथा आपके माध्यम से इस पर शीघ्र कार्यवाही तथा निर्माण का आश्वासन चाहता हूँ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश मे जबसे समाजवादी पार्टी की सरकार आयी है, तब से प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आ गयी है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था समाप्त हो गयी है। जनता इस सरकार को जंगल राज की संज्ञा दे रही है। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गयी है कि अपराधी दिन-दहाड़े लोगों के घरो मे घुसकर जान मार रहे हैं और सामान लूट ले रहे हैं। दिन के उजाले में राह चलते लोगों की हत्या कर दे रहे हैं। इस सरकार में व्यक्तियों और बच्चों को अगुवा कर उनके माता-पिता या अभिभावकों से धन वसूल करने का अपराधियों का धन्धा बन गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे सरकारी जेलों तक में घुसकर हत्या को अंजाम दे रहे हैं और शासन व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। अपराधियों का दुस्साहस इस सीमा तक बढ़ गया है कि दिन-दहाड़े पुलिस बल पर हम[illegible] उनकी हत्यायें कर सरकारी आग्नेयास्त्रों को निर्भीकतापूर्वक छीन ले रहे हैं। पिछले चार महीनो में [illegible] पुलिस बल पर हमला कर अराजकतत्वों द्वारा सरकारी असलहे उठा लिये गये हैं। छः महीनों में अपराधियों द्वारा लगभग 3500 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इसी बीच बैंक कर्मचारियों की हत्या [illegible] बैंक डकैतियां पड़ी हैं। इनमें से कई मामलों का अब तक खुलासा तक नहीं हो सका है।

उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस महानिदेशक श्री वी0के0वी0 नायर ने भी सभी महानिरीक्षकों, उप-महानिरीक्षकों, उप-महानिरीक्षकों एवं कप्तानों को 23 जुलाई के अपने एक पत्र के माध्यम से यह स्वीकार किया है कि अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है। उन्होंने लिखा है कि वर्ष 2001-2002 की तुलना में हत्या और रॉड-होल्ड-अप जैसे अपराध बढ़े हैं, जबकि 2003 की तुलना में सभी प्रकार के अपराधों में तेजी से वृद्धि हुयी है।

मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कई प्रदेश ऐसे हैं जिनकी स्थिति उत्तरप्रदेश से भी खराब है। मुख्यमंत्री जी के कथनानुसार उनकी भी स्वीकारोक्ति है कि उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है।

वाराणसी जिला व महानगर

क्रमांक	दिनांक	थाना क्षेत्र	निवासित स्थल	पीड़ित व्यक्ति का नाम	अपराध का प्रकार
1.	02-7-04	मडुवाडीह	ग्राम-चॉदपुर	श्री घनश्याम जैन	अपहरण
2.	02-7-04	फूलपुर	-	श्री सूरज	हत्या
3.	07-7-04	मिजाफमुराद	ग्राम-छेतरी	श्री महेन्द्र सेठ सर्राफ	लूट (रुपया)
4.	07-7-04	चोलापुर	ग्राम-फकीरपुर	श्री शिवचंद्र पटेल	लूट (मोटर सायकिल)
5.	08-7-04	कछवा	ग्राम-भैलागांव	श्री खुड़गुल पाल	घर पर डकैती
6.	10-7-04	कपसेठी	ग्राम-लोहराडीह	श्री प्रकाश पाल	हत्या
7.	12-7-04	भेलूपुर		श्री अनिल एवं श्री जितेन्द्र सिंह	रुपया 1 लाख 34 हजार लूटा
8.	13-7-04	लक्सा	नई बस्ती	श्री संतोष पाठक	हत्या
9.	14-7-04	भेलूपुर	भदौरिया, बजरडीहा	श्री रशीद शेख	हत्या
10.	17-7-04	सिगरा	महमूरगंज	श्री सुनील सिंह	हत्या
11.	17-7-04	चौक		श्री प्रेम चन्द्र पटवा	हत्या
12.	17-7-04	सिगरा	मालगोदाम रोड	श्री एस0एन0सिंह	रु0 35000/- लूटा
13.	17-7-04	सिगरा	रमाकान्त नगर	श्री मोनू यादव	हत्या
14.	18-7-04	जंसा	पंचकोशी	समूह के यात्रियों पर एवं पथराव	छेड़छाड़
15.	20-7-04	सिगरा	चन्दुआ सट्टी	श्री इकवाल अहमद	रु0 80,000/- लूटा
16.	21-7-04	पाण्डेयपुर	पाण्डेयपुर	श्री अशोक गुप्ता	हत्या
17.	21-7-04	कैण्ट	फुलवरिया	श्री विकास पटेल	अपहरण
18.	22-7-04	भेलूपुर	खोजवा	श्री हौसला त्रिपाठी	गोली मारी गई
19.	23-7-04	चोलापुर	ग्राम-सिंहपुर	श्री हरि प्रकाश सिंह उर्फ बबलू सिंह	हत्या
20.	23-7-04	सारनाथ	ग्राम-कोटवा	श्री विजय मिश्रा	गोली मारी गई

हत्या - 09
अपहरण - 02
लूट - 05
डकैती - 01
गोली - 02
महिला से छेड़छाड़ - 01

कुल - 20 घटनाएं

इसी के बीच इनके अतिरिक्त अन्य कई आपराधिक घटनाएं घटित हुई हैं। वाराणसी अपराधियों का केन्द्र बनता जा रहा है। वाराणसी में प्राप्त अवैधानिक असलहों के जखीरे से यह बात प्रकाश में आई है कि वाराणसी अवैध असलहों के निर्माण का केन्द्र बन गया है और पूर्वान्चल से लेकर बिहार तक को यहीं से असलहों की आपूर्ति की जा रही है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों की दिनांक 15 जुलाई से 22 जुलाई, 04 कुल 07 दिन की आपराधिक स्थिति का ब्योर

क्रमांक	दिनांक	थाना क्षेत्र	निवासित स्थल (जिला)	पीड़ित व्यक्ति का नाम	अपराध का प्रकार
1.	15-7-04	बेवर	मैनपुरी	थाना प्रभारी, पत्रकार एवं बस के सभी यात्री	रोडवेज की बस को अगवा कर रु0 01 लाख मूल्य की वस्तुओं की लूट।
2.	16-7-04	लखनऊ	ग्राम-दनौर	श्री परागीलाल कनौजिया	हत्या
3.	18-7-04	नादौन शहर	हमीरपुर	श्री मुकेश कंसल	रु0 पौने दो लाख लूटा
4.	18-7-04	कोतवाली	बुलन्दशहर	श्री निजाम	हत्या
5.	19-7-04	कोतवाली	सोनभद्र	कुँवर वीरेन्द्र सिंह उफ तम्बूराम	हत्या
6.	19-7-04		लखीमपुर	ट्रेन के यात्रियों के समूह पर	चलती ट्रेन में लूट
7.	19-7-04	हजरतगंज	लखनऊ	श्री डी0पी0शुक्ला एवं श्री अभिषेक रंजन	मारपीट एवं लूट
8.	20-7-04	हुसैनगंज	लखनऊ	श्री वी0 राजाराम	नगदी एवं जेवरात की घर से लूट
9.	20-7-04	लखनऊ विश्वविद्यालय	हबीबुल्लाह छात्रावास	श्री उपेन्द्र सिंह	हत्या
10.	20-7-04	प्रशासनिक भवन	मेरठ कालेज	श्री निशांत अग्रवाल	हत्या

क्रमांक	दिनांक	थाना क्षेत्र	निवासित स्थल (जिला)	पीड़ित व्यक्ति का नाम	अपराध का प्रकार
11.	20-7-04	तिलहर	शाहजहांपुर	श्री रेहान खाँ	हत्या
12.	21-7-04	आशियाना	लखनऊ ग्राम-मिर्जापुर	श्री बदलू	हत्या
13.	22--04	रसड़ा कोतवाली	बलिया पकवाङ्नार रेलवे क्रासिंग	एक अध्यापक	हत्या
14.	22-7-04		सुल्तानपुर	एक महिला	बलात्कार (डॉ0 तुलसीदास सोनी द्वारा)
15.	22-7-04	खुटार	शाहजहॉपुर ग्राम-सौफरी	श्रीमती शीतला देवी पत्नी श्री गंगाचरन	सामूहिक बलात्कार
16.	22-7-04	कोतवाली	खीरी ग्राम-बकेसर	श्री राम की नेत्रहीन पुत्री के साथ	बलात्कार (कमलेश नामक युवक द्वारा)
17.	22-7-04	मनियर	बलिया	परमेश पर्वत सहित तीन लोग	गोली मारी

1- लुट - 05, 2- हत्या - 08, 3- बलात्कार - 03, 4-गोली मारी - 01, कुल घटनाएं - 17।

अभी लोक सभा चुनाव में अनेक क्षेत्रों में बूथ-कैप्चरिंग के लिए अपराधियों का इस्तेमाल किया गया है। उदाहरणस्वरुप- दिनांक 26-4-2004 को गाजीपुर लोक सभा के अंतर्गत मुहम्मदाबाद विधान सभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन की मदद से मुहम्मदाबाद में गोलियां चलाई एवं बूथों को लूटा। गोली से छिनकू खरवार, निवासी- मुहम्मदाबाद एवं शोभनाथ राय, निवासी-मोहनपुरा को मार डाला तथा दस लोग इस गोली बारी में बुरी तरह से घायल हुए परन्तु प्रशासनिक सहयोग से इन हत्या-काण्डों की लीपापोती कर दी गयी। आज तक कोई भी मुलजिम पकड़ा नहीं गया। सरकार इसकी जाँच किसी उच्च अधिकारी से इसलिए नहीं करा रही है कि कहीं उसकी कलई न खुल जाय, उल्टे जॉच को प्रभावित करने के लिए बार-बार जॉच अधिकारी को प्रभावित करने के लिए बार-बार जॉच अधिकारी बदले जा रहे हैं। मैं माँग करता हूँ कि इस मामले की जाँच सी0बी0आई0 से करवा दी जाय।

अध्यक्ष, महोदय, राजनीति में अपना बर्चस्व बनाए रखने के लिए जब तक अपराधियों का इस्तेमाल होता रहेगा, यह सरकार अपराधों पर नियंत्रण नहीं कर सकेगी। आज तो स्थिति यह है कि अपराधियों को वर्तमान सपा सरकार का संरक्षण प्राप्त है। एक प्रकार से वे शासन के अंग बन चुके हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार न तो अधिकांश अपराधियों का पता लगा पा रही हे और न ही उनकी गिरफ्तारी हो पा रही है। अपराधी निर्भीक घूम रहे हैं। इसका परिणाम है कि शासन और प्रशासन का मनोबल गिरता जा रहा है। जनता का पुलिस और प्रशासन पर से विश्वास उठता जा रहा है। जनता में अपनी जानमाल के सुरक्षा के प्रति घोर निराशा और आक्रोश उत्पन्न होता जा रहा है। यह एक ऐसा राज्य है जहाँ जनता को अपराधियों के रहमो-करम पर छोड़ दिया गया है, परिणामस्वरुप लगभग सभी जिलों में लोग आन्दोलन करने पर विवश हो गए हैं। हड़ताल, बन्द, सड़क जाम, सरकारी सम्पत्तियों की तोड़-फोड़ शुरु हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश अराजकता की ओर बढ़ता जा रहा है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि प्रशासन पंगु होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि प्रदेश में राज्य नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है यदि कुछ है तो अपराधियों का राज्य। फिर सपा सरकार को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अशोक सिंह चौहान-

महोदय, निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में प्रमुख आपराधिक घटनाओं के सन्दर्भ में आपका संज्ञान दिलाना चाहता हूँ कि कृपया उपरोक्त घटनाओं के सन्दर्भ को सदन की कार्यवाही में शामिल करवाने की कृपा करें।

1- मैनपुरी जनपद की कुसमरा चौकी थाना किशनी में अरुण शुक्ला सभासद टाउन एरिया एवं भा0ज0पा0 किसान मोर्चा के महामंत्री की हत्या हुयी, हत्या आरोपी फरार है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुयी और सत्ता पक्ष के नेताओं का सहारा लेकर शासन से सी0बी0सी0आई0डी0 करवाने के प्रयास हो, मेरी मॉग है कि उक्त घटना की सी0बी0सी0आई0डी0 न हो इसके निर्देश सरकार को देने की कृपा करें।

2- ग्राम भदेई थाना किसनी एक लूट के अभियुक्त की गॉव के 400-500 लोगों द्वारा मारपीट करने के कारण मृत्यु हो गई घटना की रिपोर्ट एक पक्ष की अपराध स0206/04 थाना किशनी में दर्ज हो गई है। दूसरा पक्ष जिसकी लूट हुयी है उसके प्रार्थना पत्र पर अति पु0 अधी0 द्वारा जॉच की गई जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि थाना पुलिस राजनैतिक दबाव में जॉच निष्पक्ष नहीं कर सकती इस लिये उक्त केस सी0बी0सी0आई0डी0 को सुपुर्द कर दी जायें आप से अनुरोध है। उक्त जॉच एक जॉच अधिकारी के आधार पर सी0बी0सी0आई0डी0 से करवाने की कृपा करें।

3- मैनपुरी जनपद में तुलनात्मक 1 जून से 30 जून तक 2003 में कुल 520 अपराध दर्ज हुये एवं 2004 में 732 अपराध दर्ज हुये मान्यवर अपराध बढ़े है।

4- मैनपुरी में अपराध बढ़ने का कारण तत्कालीन अति0 पु0 अधी0 ने अपनी विदाई समारोह में कहा कि अपराधी और राजनेताओं में फर्क करना मुश्किल हो गया है। खासतौर पर मैनपुरी में नौकरी करना मुश्किल है। पत्रावलियों पर चौबीस घंटों में रिपोर्ट लगाने को कहा जाता है। उन्होंने कहा कि आज आम जनता ही नहीं बल्कि पुलिस बल भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या हो सकता है कानून व्यवस्था का?

5- मैनपुरी शहर में सरेआम डा0 राकेश वर्मा की हत्या हो गई घटना की एफ0आई0आर0 अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध हुयी। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका कहा जाता है। वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखबारो में कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उक्त हत्या में हाथ नहीं है। पुलिस झूठा फंसाने का प्रयास कर रही है मान्यवर पुलिस पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है।

श्री लल्लू सिंह-

महोदय, आपने विद्युत समस्या और कानून व्यवस्था पर चर्चा में शामिल कराया धन्यवाद। मान्यवर, पूरे प्रदेश में विद्युत कठिनाई है सबने उठाया है फैजाबाद अयोध्या में छः घण्टे की विद्युत कटौती है परन्तु 10-12 घण्टे बिजली नहीं रहती। बिजली कब आयेगी, कब जायेगी। किसी को पता नहीं। रात्रि में 11 बजे चली जायेगी। 2 बजे, 3 बजे बिजली आयेगी। गांवों में 14 घण्टे बिजली देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है परन्तु 5,6 घण्टे से अधिक बिजली नहीं मिल पा रही है।

मान्यवर,

अयोध्या श्री रामजन्म भूमि होने के कारण पूरे देश से तीर्थ-यात्री यहॉ आते हैं। यह अति संवेदनशील स्थान है यह आपको भी पता है किन्तु सरकार को भी पता है। आई0एस0आई0 के निशाने पर है। पूर्व में 1989 व 1993 में अयोध्या की संवेदनशीलता के कारण अमने भी कटौतीमुक्त रक्खा था।

अत: अयोध्या फैजाबाद को कटौतीमुक्त रंखा जाय।

मान्यवर,

बिजली कटौती का जो समय निश्चित है उसी समय कटौती किया जाय।

मेरा सुझाव है कि सरकार विद्युत समस्या के प्रति उदासीन है अन्यथा कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, आगरा, मेरठ तथा टाण्डा आदि स्थानों पर जहाँ खुले आम बिजली चोरी हो रही है उस पर रोक लगाती परन्तु वोट की राजनीति के कारण ऐसा नहीं किया क्योंकि एक सम्प्रदाय के लोग पूरे प्रदेश में बिजली चोरी कर रहे हैं।

मान्यवर,

मेरा सुझाव है कि पावर कारपोरेशन में 100 सहायक अभियन्ता (सिविल) व 400 अवर अभियन्ता सिविल जिनके पास कोई कार्य नहीं है उनको राजस्व वसूली के कार्य पर लगाया जाय जिससे अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी पूरी की जा सके। लाइन लॉस रोकने के लिये नगरों व देहाती क्षेत्रों मे पुराने जर्जर तारों को बदला जाय तथा ट्रांसफारमरों की क्षमता वृद्धि की जाय।

भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वितरण व्यवस्था ठीक चले। इसके लिए 210,33/11 के0वी0 सब स्टेशन तथा 15, 132 के0बी0 सब स्टेशन व 90,220 के0बी0 स्टेशन तथा छ: 400 के0बी0 सब स्टेशनों का निर्माण कराया गया। आपके सरकार में कार्य रुक गया है। उसके कारण भी आपूर्ति में कठिनाई है।

मान्यवर,

कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है। फैजाबाद में लगातार हत्या, डकैती, चोरी की घटनाये हो रही है। जनाक्रोश है। चारो तरफ जनता भयग्रस्त है आतंक का वातावरण है।

श्री सलिल विश्नाई-

मान्यवर,

मैं आभारी हूँ कि आपने विद्युत अव्यवस्था एवं कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूँ। पूरें प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। एक ओर तो प्रदेश की आम जनता बिजली न मिलने से परेशान है तो दूसरी ओर चोरी, डकैती, अपहरण और हत्यायें से पूरा प्रदेश बेहाल है। लगता है पूरे प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नहीं है। किसान, मजदूर, उद्यमी, व्यापारी, छात्र, पुरुष एवं महिलायें सभी बिजली कटौती से न रात में सो सकती और न ही दिन में। अपराधियों से असुरक्षित है दिन दहाड़े हत्यायें हो रही हैं, अपहरण और रंगदारी वसूली जा रही है। व्यापारी और आम जनता सहमी हुई है। बिजली न होने से रातों की नींद हराम है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इसके कारण लोग चिड़चिड़े एवं मानसिक रुप से अस्वस्थ हो रहे हैं। चारों ओर अशान्ति एवं अराजकता है।

मान्यवर,

40 लाख की आबादी वाला कानपुर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर है, प्रदेश व उद्योग और व्यापार की राजधानी है, प्रतियोगी परीक्षाओं का बहुत बड़ा केन्द्र है और प्रदेश का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला नगर आज पूरी तरह उपेक्षित है। बिजली की कटौती 10 घण्टे से लेकर 14 घण्टे तक हो रही है। उद्योग-व्यापार के साथ छात्र और आम जनता में त्राहि-त्राहि है। कानपुर के उद्योगों का 2000 करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है। मजदूरों की छटनी से बेरोजगारी बढ़ रही है।

बिजली कटौती का विरोध करने वाले शान्तिप्रिय व्यापारियों के साथ पुलिस और प्रशासन अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है। अभी पिछले सप्ताह कानपुर के व्यस्ततम् व्यापारिक क्षेत्र नयागंज में पिछले 5 दिनों से बिजली न आ रही के खिलाफ किराना व्यापारियों ने अपना विरोध प्रकट किया और सड़क जाम कर दी। कानपुर की पुलिस ने निर्दोष एवं शांतिप्रिय व्यापारियों को लाठियों के बल पर खदेड़ दिया और उनके ऊपर,

गुण्डे-बदमाशों वाली गैर जमानती धारा 7 क्रिमिनल एक्ट लगा दी। क्या मान्यवर, अपने को डा0 लोहिया की अनुयायी बताने वाली सरकार, विरोध करने वालों का मुँह बंद करवायेगी? मान्यवर, सरकार को निर्देशित करें कि इस प्रकार विरोध प्रकट करने वालों के विरुद्ध लगाये सभी मुकदमें वापस लिये जायें।

माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग एक माह पूर्व कानपूर में घोषणा कर आये थे कि रात में बिजली की कटौती नहीं होगी लेकिन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आदेश अनसुना कर दिया। आखिर यह कैसा शासन है जिसमें मुख्यमंत्री की ही बात नहीं सुनी जा रही है। अभी कुछ दिन पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने मुख्यमंत्री से मिलकर कानपुर को विशेष दर्जा और बिजली कटौती समाप्त करने का अनुरोध किया था और मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी थी। कानपुर को भी मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, लखनऊ की भांति कटौती से मुक्त रखा जावे। कानपुर की जनता ने सोचा था कि शायद अब कानपुर की स्थिति सुधर जावेगी- स्थिति सुधरी नहीं वरन् कटौती और बढ़ा दी गई। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने सहयोगी दल कांग्रेस के मंत्री की स्थिति को क्यों विवादित बना रही है?

कानपुर की बिजली कम्पनी केस्को की स्थिति बहुत नाजुक है, डिस्ट्रीब्यूसन के तार जर्जर हैं। हमेशा चिन्गारी निकलती हैं। बिजली के खम्भों में करन्ट उतर आता है जिससे रोजाना दुर्घटनायें होती हैं। कानपुर के रिवर साइड पावर हाउस में रहस्यमयी ढंग से आग लग गई। 30-30 मैगावाट के ट्रान्सफार्मर जल गये इनमें 7 लाख रुपये मूल्य का केवल ट्रान्सफार्मर ऑयल भरा था, आग इतनी भीषण थी कि एक महीने तक धुँआ निकलता रहा। कानपुर नगर में 2300 ट्रांसफार्मर लगे हैं और रोजाना 8-10 ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। उनकी मरम्मत प्राइवेट कम्पनियों से कराई जाती है जिसमें लागत 1 से 1.5 लाख तक आती है। बिजली कर्मचारी ही ट्रांसफार्मर आयल चोरी करवाते हैं और वे ही ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं जिससे ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। रिवर साइड पावर हाउस में आग की जॉच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जावे।

मान्यवर, कानपुर की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरे आम मुख्य बाजार स्वरूपनगर में लगातार व्यापारियों की हत्या हो गई और सामने खड़ी पुलिस अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेती है। हैल्मेट चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न करके जनता से खुले आम वसूली हो रही है। अनेकों मामलों में पुलिस के वर्तमान और बर्खास्त सिपाही ही अपराधी निकले हैं। गुण्डे-अपराधियों की सांठ-गांठ पुलिस से साफ दिखती है। आम जनता भयभीत है, दुकानदार और उद्योगपति सहमे हुए हैं चारों ओर असुरक्षा का भाव है। आम जनता को तो छोड़िये उन्नाव में तो एक सहायक पुलिस अधीक्षक को ही गोली मार दी गई और पुलिस खड़ी देखती रही।

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है कि सरकार को निर्देशित करें कि विद्युत कटौती को समाप्त करके कानपुर की कानून व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करे।

सादर।

दिनांक : 4-8-2004।

[illegible]0एस[illegible]0 248 विधान सभा (462)-14-1-2005-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।